



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2011/आश्विन 8, 1933

No. 193]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2011/ASVINA 8, 1933

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2011

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं.1-सीए(5)/62/2011.- चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् के 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

62वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् “परिषद्” कहा गया है) को 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष की 62वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

प्रारंभ में परिषद्, चार्टर्ड एकाउंटेंसी की वृत्ति की वर्तमान हैसियत और भारतीय अर्थव्यवस्था की अभिवृद्धि और विकास में उसकी वर्तमान भूमिका के लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है।

इस रिपोर्ट के माध्यम से, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2010-2011 की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के वर्ष 2010-2011 के लेखाओं की विशिष्टियों को उपदर्शित करने के साथ-साथ, परिषद् द्वारा इस अवसर पर इस रिपोर्ट में, इस अवधि के दौरान और जुलाई, 2011 तक, सदस्यों और छात्रों के संबंध में की गई प्रमुख पहलों, महत्वपूर्ण घटनाओं, सांख्यिकीय रूप-रेखाओं, आयोजित की गई संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरों को भी समाविष्ट किया गया है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स वृत्ति ने जो सम्मान अर्जित किया है वह अनुशासन, तत्परता और पूर्णसमर्पण के कारण है जो कि अब इस वृत्ति के प्रतीक चिह्न बन गए हैं। आईसीएआई के सदस्य भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय संव्यवहारों के संबंध में अनुशासन और तत्परता की उपर्युक्त भावना को सम्मिलित करने में समर्थ रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में वृत्ति में अत्यंत तीव्र गति से विकास हुआ है और इसके कारण आईसीएआई आर्थिक विकास की अगुवाई

करने में समर्थ रहा है। संस्थान, जिसे बासठ वर्ष पूर्व केवल 1,700 सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था, आज विकास के ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां इसके सदस्यों की संख्या 1,70,000 और छात्रों की संख्या 8,60,000 को पार कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि संस्थान की केवल संख्यात्मक दृढ़ता ही प्रभावशाली है, अपितु भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट उदासीकरण और वैश्विकरण के युग में भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी से परिवर्तनशील मांगों को पूरा करने में सफल रहे हैं। यह केवल इसलिए संभव हो सका है क्योंकि आईसीएआई ने अपने सदस्यों और छात्रों की सतत शिक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। इसका प्रगतिशील आचार-व्यवहार अन्य वृत्तियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करता है। आईसीएआई की एक अन्य विशिष्टि, जो उल्लेखनीय है वह यह है कि यह विश्व का शायद अकेला ऐसा संस्थान है जो लेखांकन और संपरीक्षा मानकों को सुस्पष्ट करने और कारपोरेट कार्यकरण की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ अपने सदस्यों और छात्रों से संबंधित संपूर्ण क्रियाकलापों का निष्पादन करता है।

हम व्यवसायिकता के युग में जी रहे हैं। यह ऐसा युग है, जिसमें न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि सामाजिक जीवन के अधिकाधिक क्षेत्रों का प्रबंध वृत्तिकों द्वारा किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के स्तर को वृत्तिक विशेषज्ञता और दक्षता ही वर्चस्व प्रदान करते हैं, जिसके कारण आधुनिक समाजों में प्रौद्योगिकी ने अपनी अत्यधिक महत्ता साबित की है। किसी राष्ट्र के प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का कौशल उसके वृत्तिकों की दक्षता और ज्ञान का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो कि राष्ट्र निर्माण की सकल स्कीम में केन्द्रबिन्दु के रूप में उभरते हैं।

वृत्तिक आचार व्यवसायिकता का एक अभिन्न अंग है। आईसीएआई ने अपने सदस्यों के आचार संबंधी मानकों को इस प्रकार विकसित किया है कि वे अंतरराष्ट्रीय मानकों के समतुल्य स्तर पर हैं। वस्तुतः भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का स्तर वैश्विक स्तरों के अनुरूप है। यह वृत्ति एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराती है जो सर्वोत्तम व्यक्तियों को आकर्षित करता है और परस्पर विश्वास, एक साथ कार्य करने की भावना और उत्कृष्टता के प्रति निजी प्रतिबद्धता को प्रोत्साहन देता है और साथ ही आचार संबंधी मानकों के संबंध में कोई ढिलाई नहीं बरतता है जिसके कारण समाज का अस्तित्व उन पर निर्भर करता है। ईमानदारी और विषयनिष्ठता के सिद्धांत भी सक्षमता जितने ही महत्वपूर्ण हैं।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर दक्षता में वृद्धि करने के विषय पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। किसी राष्ट्र की सफलता काफी हद तक उसकी एक आधुनिक कारपोरेट संरचना, एक दक्ष अवसंरचना और एक प्रेरित और समर्पित मानव पूंजी के निर्माण पर निर्भर करती है। किसी भी राष्ट्र के लिए निवेशकों के विश्वास में वृद्धि करके अपने लिए आर्थिक संसाधनों को जुटाना, उपलब्ध संसाधनों का उपयुक्त उपयोग और विकास से सहबद्ध जोखिम का उचित प्रबंध अपेक्षित है। इस प्रक्रिया में चार्टर्ड एकाउंटेंटों की वृत्ति उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। स्पष्ट रूप से, ध्यान का केन्द्र केवल कारपोरेट क्षेत्र का विकास नहीं होना चाहिए, अपितु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के लिए, जिन्हें अभी तक आर्थिक सुधारों का फायदा प्राप्त नहीं हुआ है, राष्ट्रीय स्कीम में सफल हों। यह अधिकतर इस बात पर निर्भर करेगा कि अर्थव्यवस्था के ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों का कार्यपालन किस प्रकार है। चूंकि सरकार प्रत्येक वर्ष इस संबंध में बड़ी धनराशियां खर्च करती है, इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की आवश्यकता की अनदेखी नहीं की जा सकती। वर्तमान में, आईसीएआई सरकार को लोक निधियों के अन्त-उपयोग की मानीटरी करने के क्षेत्रों और ऐसे साधनों को विकसित करने के उपायों को, जो स्थानीय संस्थाओं की प्रणालियों में सुधार करेंगे, तैयार करने के लिए सलाह दे रहा है।

वर्तमान में, भारत में ऐसी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्में विद्यमान हैं, जो विश्वस्तर की हैं। समय की पुकार यह है कि प्रचालनों को अब राष्ट्रीय सीमाओं से परे विस्तारित किया जाए। इस समय भारतीय एकाउंटिंग फर्में इस क्षेत्र की बड़ी वैश्विक फर्मों के तत्समान व्यापक प्रकार की परामर्शी सेवाओं की प्रस्थापना कर रही हैं। इस संदर्भ में, आईसीएआई ने ऐसे अन्य देशों में, जहां यह वृत्ति अभी प्रारंभिक प्रक्रमों पर है, विशेषकर एशिया और अफ्रीका में, एकाउंटेंट्स की वृत्ति को विकसित करने की पहल की है। इस प्रकार पहले न केवल वृत्ति की सहायता करेंगी, अपितु आने वाले वर्षों में भारत के लिए एक सुनाम भी अर्जित करेंगी।

1. परिषद्

32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित 8 सदस्यों वाली इक्कीसवीं परिषद् का गठन

12 फरवरी, 2010 से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। वर्ष 2010-2011 के लिए परिषद् की संरचना पृथक रूप से दर्शित की गई है।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के निबंधनानुसार 12 फरवरी, 2011 को वृत्ति संबंधी विषयों के बारे में तीन स्थायी और विभिन्न अस्थायी समितियों का गठन किया। परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की क्रमशः धारा 21क और धारा 21ख के उपबंधों के अनुसरण में एक अनुशासन बोर्ड और एक अनुशासन समिति का भी गठन किया है। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन अनुशासन तंत्र के अंतर्गत आनेवाले अनुशासन संबंधी मामलों पर कार्यवाही करने के लिए एक अनुशासन समिति, जो एक स्थायी समिति है, उक्त अधिनियम की धारा 21घ के अधीन गठित की गई थी। सत्यम संबंधी अनुशासनात्मक मामलों पर कार्यवाही करने के लिए अनुशासन समिति की सत्यम पीठ का भी गठन किया गया। तत्कालीन अनुशासन तंत्र के अंतर्गत आने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर कार्यवाही करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 21घ के अधीन एक अनुशासन समिति, जो एक स्थायी समिति है, का भी गठन किया गया। समकालीन मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए वर्ष के दौरान कतिपय नई समितियों, अर्थात् सहकारिताओं और एनपीओ संबंधी समिति, इंड एस (आईएफआरएस) कार्यान्वयन समिति, उद्यमों और लोक सेवा में सदस्यों संबंधी समिति और लोक हित सलाहकार समिति का भी गठन किया गया। 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न समितियों की 203 बैठकें आयोजित की गईं, जबकि 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान ऐसी 194 बैठकें आयोजित की गई थीं।

3. संपरीक्षक

सीए पुष्पेन्द्र सुराना, एफसीए और सीए अशोक कुमार जैन, एफसीए वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे। परिषद् उनके द्वारा उसे प्रदान की गई सेवाओं की प्रशंसा करती है।

4. स्थायी समितियां

4.1 कार्यपालक - समिति

यह समिति सभी विनियामक कृत्यों, उदाहरणार्थ छात्रों/सदस्यों/फर्मों से संबंधित विभिन्न रजिस्टर रखने, सदस्यों के प्रवेश, उन्हें हटाए जाने और उन्हें पुनः रजिस्ट्रीकृत करने के कार्य की देख-रेख करती है, जिसमें व्यवसाय प्रमाण-पत्र को जारी करने समेत सदस्यों से संबंधित विषयों पर, छात्रों से संबंधित सब विषयों पर, जिनमें उन्हें अनुज्ञा देना, जहां अपेक्षित हो, छात्रों/सदस्यों/फर्मों की ओर से किए गए विलम्बों की माफी भी शामिल है, शाखाओं से संबद्ध विषयों, जिनमें नई शाखाएं खोलना, नए चैप्टर खोलना और विदेशों में कार्यालय खोलना तथा कर्मचारियों से संबंधित विषयों आदि पर भी विचार करती है। समिति के कृत्यों में देश भर में सभी स्तरों पर अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं का विकास करना, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 और तदधीन बनाए गए विनियमों/नियमों में संशोधनों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना और आईसीएआई की नीति के परिधि-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य मामले के संबंध में प्रस्ताव रखना सम्मिलित हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चय/सिफारिशें निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं :

- सदस्यों/फर्मों को विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा जारी रायों या आईसीएआई के किन्हीं अन्य प्रकाशनों को देखने की सुविधा प्रदान करने के लिए अभिहित यूआरएल के माध्यम से आईसीएआई की वेबसाइट के होमपेज पर एक विशेष विंडो उपलब्ध कराना।
- शारीरिक रूप से निःशक्त सदस्यों को आईसीएआई के अर्हतापश्च पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय से छूट (आंशिक) प्रदान करना।
- सदस्यता फीस के संदाय के लिए अनुस्मरण कराने के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में एसएमएस भेजने का प्रावधान करना।

- सदस्यों और फर्मों की सक्षमता के निर्माण को सुकर बनाने के लिए उनके बीच निःशुल्क परिचालन हेतु कार्यालय प्रबंध और दस्तावेजीकरण सॉफ्टवेयर (लेखांकन मानकों, संपरीक्षा दस्तावेजीकरण, सीएआरओ, आय-कर पत्र व्यवहार आदि से संबंधित तैयार टेम्पलेट/ जांच सूची के साथ), कर अनुपालन सॉफ्टवेयर और एमसीए 21 अनुपालन सॉफ्टवेयर उपाप्त करना ।
- भारत के युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ जानकारी का आदान-प्रदान करने और विशेषज्ञता तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उपयोग के लिए समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना ।
- ऋण जुटाने, साम्या को स्थापित करने और लागत में कमी करने आदि जैसे सिफरिश किए गए कार्य के लिए सफलता या प्रतिशत के आधार पर फीस प्रभारित करते हुए समनुदेशन प्राप्त करना ।
- भागीदारों/वेतन प्राप्त करने वाले सहायकों द्वारा फर्म में सम्मिलित होने/ उनकी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप फर्मों के पुनर्गठन की टिप्पणी के संबंध में कार्यालय प्रक्रिया ।
- विनियम 65 के अधीन माफी के मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए कार्यालय प्रक्रिया में उपांतरण ।
- आगरा, ब्यावर, बेल्लारी, भिलाई, एरोड, ग्वालियर, काकिनाड़ा, कुम्बकोणम, नैल्लोर, नोएडा, पांडिचेरी, राजामहेन्द्रवरम, सम्बलपुर, तिरुनेलवेली, तिरुपति, तिरुपुर, तूतीकोरिन, उडूपी, वेल्लोर में चार्टर्ड एकाउंटेंट छात्र संघ की शाखाओं की स्थापना करना ।
- त्रैमासिक आवासी कार्यक्रम की अवधि को, सभी विषयों को अंतर्वलित करने वाले उपयुक्त मौड्यूल को तैयार करके पैतालिस दिन करना ।
- सिफरिश की गई वृत्तिका की दर में वृद्धि करना ।
- लाइव वर्चुअल कक्षाओं संबंधी अग्रणी परियोजना ।
- प्रत्येक विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण अपेक्षा का उपबंध करने के लिए सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा का पुनर्विलोकन करना ।
- छात्रवृत्ति स्कीम का पुनर्विलोकन करना और छात्रवृत्तियों की संख्या और ऐसी छात्रवृत्तियों की राशि में वृद्धि करना । साथ ही व्यक्तिगत दानकर्ताओं द्वारा वृत्तिदान की राशि को दस लाख रुपए से बढ़ाकर बीस लाख रुपए करना ।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट फाइनल (नया) पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या से कतिपय विषयों को बाहर करना ।
- छात्रों द्वारा उनके रजिस्ट्रकरण का आवधिक नवीकरण ।
- चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम की प्रवेश अपेक्षाओं का पुनर्विलोकन, जिससे कि अन्य बातों के साथ, ऐसे स्नातकों को, जिन्होंने स्नातक परीक्षा में किसी विनिर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, सामान्य प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा से छूट प्रदान की जा सके ।
- चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को उनके आवास के समीप यह सुविधा प्रदान करने के लिए प्रमाणीकृत छात्र रजिस्ट्रीकरण केन्द्र स्थापित करना ।
- राष्ट्रीय अभिसमयों/ अखिल भारतीय सम्मेलनों में बाहर से आकर छात्र-पत्र प्रस्तुत करने वाले छात्रों को यात्रा व्ययों और दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति करना ।
- सीए छात्र महोत्सवों का आयोजन करने के लिए प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं को अनुदान प्रदान करना ।
- रस-अल-खमाह, यूएई में आईसीएआई के चैप्टर की स्थापना करना और डबलिन, स्विटजरलैंड और न्यूजीलैंड में चैप्टर का सृजन करने के संबंध में दिए गए सिद्धांत रूप में अनुमोदन को वापस लेना ।

- परिषद् के सदस्यों द्वारा उनकी व्यक्तिगत/निजी हैसियत में सरकार द्वारा उदघोषित सरकारी बजट या अन्य नीतियों पर उनके विचार प्रस्तुत करना ।
- आईसीएआई के परिसर में शिलान्यासों/ पट्टिकाओं के प्रतिष्ठापन संबंधी दिशानिर्देशों में उपांतरण ।
- आईएसए अर्हित सदस्यों द्वारा आईसीएआई के सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यकरण का आवधिक पुनर्विलोकन और उसके लिए मानदेय ।
- प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं के कर्मचारियों के नियोजन और विनियमन के लिए स्कीम का पुनर्विलोकन ।
- आईसीएआई में भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई सीमा तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना ।
- प्रादेशिक परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं द्वारा प्रकाशित न्यूज लेटरों संबंधी सलाह में उपांतरण ।
- कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रादेशिक परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं को दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि करना ।
- प्रादेशिक परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं को विनिर्दिष्ट प्ररूप/विनिर्दिष्ट अंतर्वस्तु के साथ डायरेक्टरी प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान करना ।
- प्रादेशिक परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं को, यदि आवश्यक समझा जाए तो विनिर्दिष्ट अतिरिक्त समितियां गठित करने की अनुमति प्रदान करना ।
- भर्तृहार विश्वविद्यालय-आईसीएआई संयुक्त शिक्षा कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ।
- प्रधान कार्यालय, शाखाओं, विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और प्रादेशिक कार्यालयों की विभिन्न समितियों और विभागों के लिए जन शक्ति योजना ।
- सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण केन्द्रों के संबंध में शाखाओं द्वारा विनिर्देशों और अपेक्षाओं के अनुपालन तथा निधियों के उपयोग के लिए दिशानिर्देश ।
- प्रधान कार्यालय स्थित सभाभवन का नवीकरण/पुनःसज्जा ।
- आईसीएआई के मिशन और भावी रणनीति संबंधी कथन को अंतिम रूप देना ।
- कर्मचारियों के सामाजिक समारोहों के लिए अनुदान में वृद्धि ।
- योग्य कर्मचारियों को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन और ठीक से कार्यपालन न करने के लिए हतोत्साहन की स्कीम लागू करना ।
- भारत से बाहर आईसीएआई के सर्वोत्तम चैप्टर का पुरस्कार देने के लिए मानदंड तैयार करना ।
- आईएसए कक्षाएं लेने वाले संकाय को दिए जाने वाले मानदेय में वृद्धि और उन्हें इस प्रयोजन के लिए यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति का प्रावधान ।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन की राशि में वृद्धि ।
- फरीदाबाद शाखा और साथ ही एक हजार से अधिक सदस्यों वाली अन्य शाखाओं में विस्तारण पटल खोलना ।
- 2011-2012 में पहली बार गठित समितियों, अर्थात् सहकारी और गैर सरकारी संगठन क्षेत्रों संबंधी समिति,

आईएफआरएस कार्यान्वयन समिति, उद्यम और लोक सेवा में सदस्यों संबंधी समिति और लोकहित सलाहकार समिति के निर्देश निबंधन तैयार करना ।

- चार्टर्ड एकाउंटेंटों /चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्मों द्वारा लिए गए वृत्तिक समनुदेशनों के लिए फीस के न्यूनतम मान पर सलाह ।
- किसी अनुसंधान प्रकाशन के लेखक को एक लाख रुपए तक का मानदेय (इसे अनुसंधान समिति द्वारा मामला दर मामला गुणों के आधार पर अवधारित किया जाएगा) ।
- हीरक जयन्ती मनाने वाली प्रादेशिक परिषदों और रजत/स्वर्ण जयन्ती मनाने वाली संबंधित शाखाओं के लिए विशेष अनुदान की मंजूरी ।
- एक दिवसीय संगोष्ठियों, प्रादेशिक/उप प्रादेशिक/राज्य स्तरीय सम्मेलनों, राष्ट्रीय अभिसमय, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करने वाली प्रादेशिक परिषदों/ शाखाओं को संदेय अनुदान में वृद्धि ।

4.2 वित्त समिति

वित्त समिति-परिषद् की स्थायी समितियों में से एक है - जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 में किए गए संशोधनों के कारण अस्तित्व में आई । उक्त समिति, अन्य बातों के साथ, सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी दोनों प्रकार के व्ययों के लिए आहरण करने से संबंधित और अनुषंगी गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और अधीक्षण करती है ।

4.3 परीक्षा समिति

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वृत्तिक शिक्षा-II (पीई-II), वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (पीसीई), एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (आईपीसीई) और फाइनल (पुराना और नया पाठ्यक्रम) परीक्षाओं को 3 से 17 मई, 2010 के दौरान विदेशों के अतिरिक्त देश भर में क्रमशः 168, 241, 226 और 222 केन्द्रों पर आयोजित किया गया था । मई, 2010 में आयोजित पीई-2, पीसीई, आईपीसीई और फाइनल (पुराना और नया पाठ्यक्रम) परीक्षाएं देने वाले छात्रों की संख्या निम्नानुसार थी :-

	दोनों समूह	समूह I	समूह II
पीई -II	4338	6912	9357
पीसीई	44687	56071	62461
आईपीसीई	20135	52923	22416
फाइनल (पुराना पाठ्यक्रम)	13242	20049	26517
फाइनल (नया पाठ्यक्रम)	7424	8840	8670

इसके अतिरिक्त, प्रबंध लेखांकन पाठ्यक्रम (एमएसी)(भाग-I), कारपोरेट प्रबंध पाठ्यक्रम (सीएमसी)(भाग-I), कर प्रबंध पाठ्यक्रम (टीएमसी)(भाग-I), बीमा जोखिम प्रबंध (आईआरएम) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन [आईटीएल और डब्ल्यूटीओ] की परीक्षाओं का सफल आयोजन मई, 2010 में किया गया था ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (पीसीई), एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (आईपीसीई) और फाइनल (पुराना और नया पाठ्यक्रम) परीक्षाओं को 8 से 22 नवम्बर, 2010 के दौरान विदेशों के अतिरिक्त देश भर में क्रमशः 225, 272 और 233 केन्द्रों पर आयोजित किया गया था । नवम्बर, 2010 में आयोजित पीसीई, आईपीसीई और फाइनल (पुराना और नया पाठ्यक्रम) परीक्षाएं देने वाले छात्रों की संख्या निम्नानुसार थी :-

	दोनों समूह	समूह I	समूह II
पीसीई	34476	45141	52539
आईपीसीई	31547	82005	39567
फाइनल (पुराना पाठ्यक्रम)	10203	16162	22942
फाइनल (नया पाठ्यक्रम)	18227	25140	23013

इसके अतिरिक्त, प्रबंध लेखांकन पाठ्यक्रम (एमएसी)(भाग-I), बीमा जोखिम प्रबंध (आईआरएम) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन [आईटीएल और डब्ल्यूटीओ] की परीक्षाओं का सफल आयोजन नवम्बर, 2010 में किया गया था।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित पहलें की गई थीं :

- नवम्बर, 2010 की सीए परीक्षाओं के लिए सिरसा में नया परीक्षा केन्द्र खोला गया था। मई, 2010 की सीए परीक्षाओं के लिए अलीगढ़, आणंद, बिलासपुर, करनाल, तिरुपुर, रतलाम, तिरुपति, वापी, भड़ौच, गांधीधाम और सीकर में नए परीक्षा केन्द्र खोले गए थे।
- दिसम्बर, 2010 की सीपीटी परीक्षाओं के लिए भागलपुर में एक नया परीक्षा केन्द्र खोला गया था। जून, 2010 की सीपीटी परीक्षाओं के लिए तिरुपति, बरहामपुर, वापी, भड़ौच, सीकर और दुंदलोड में नए परीक्षा केन्द्र खोले गए थे।

ऑनलाइन सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का अहमदाबाद, बंगलौर, चंडीगढ़, चैन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली एनआरओ, दिल्ली रोहिणी, एर्नाकुलम, गुंटूर, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, सूरत, तिरुवनंतपुरम, उदयपुर और विशाखापट्टनम के 20 नगरों में निम्नलिखित तारीखों को सफलतापूर्वक संचालन किया गया था :

24 और 25 जुलाई, 2010
18 और 19 सितम्बर, 2010
22 से 26 अक्टूबर, 2010

पेपर-पेंसिल पद्धति सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन 20 जून, 2010 को देशभर में और विदेशों में 140 शहरों में अवस्थित 310 परीक्षा केन्द्रों में किया गया था। 20 जून, 2010 को आयोजित पेपर-पेंसिल पद्धति सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) में 1,27,643 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

एक अन्य पेपर-पेंसिल पद्धति सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन 19 दिसम्बर, 2010 को देशभर में और विदेशों में 140 शहरों में अवस्थित 279 परीक्षा केन्द्रों में किया गया था। 19 दिसम्बर, 2010 को आयोजित पेपर-पेंसिल पद्धति सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) में 1,22,639 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

पूर्वोक्त छात्र परीक्षाओं के अलावा, वर्ष के दौरान देशभर में 48 परीक्षा केन्द्रों पर 18 जून, 2010 को सूचना प्रणाली संपरीक्षा - मूल्यांकन परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था और 23 दिसम्बर, 2010 को देशभर में 45 परीक्षा केन्द्रों पर पुराने पैटर्न और 31 परीक्षा केन्द्रों पर नए पैटर्न के लिए एक अन्य सूचना प्रणाली संपरीक्षा - मूल्यांकन परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था।

वर्ष के दौरान, परीक्षा समिति ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलें की :

- **स्वचालन** : आईसीएआई की परीक्षा प्रणाली के इतिहास में पहली बार परीक्षा विभाग ने मई, 2011 की परीक्षाओं से एक स्वचालन प्रक्रिया का कार्यान्वयन किया है, जिसमें कोडिंग, उपस्थिति के आंकड़ों का संग्रहण, अंकों का सुमेलन और संग्रहण (परीक्षकों द्वारा उनके मूल्यांकन के पश्चात्), उनके सारणीकरण आदि को

सम्मिलित किया गया है।

- **आईसीएआई के परीक्षा संबंधी क्रियाकलापों से सहबद्ध विशेषज्ञों के लिए कार्यशालाएं** : परीक्षा समिति ने मई, 2011 के दौरान चैन्नई, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में परीक्षकों के लिए सफलतापूर्वक कार्यशालाओं के छह बैचों का आयोजन किया है, जिनमें 'उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में समानता की वृद्धि करना' विषय पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। इन विशेषज्ञों को साधारण रूप से आईसीएआई के मूल्यों और विशिष्ट रूप से परीक्षा प्रणाली के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए इन कार्यशालाओं में सतत परीक्षक शिक्षा के तत्व को अंतर्निहित किया गया है, जिनके दौरान परीक्षकों को संबंधित विषयों के विशेषज्ञों से परस्पर क्रिया करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इस प्रयास से लगभग 2260 परीक्षकों को फायदा हुआ है और यह प्रयास लगभग छह वर्षों के अंतराल के पश्चात् दोहराया गया था। इन कार्यशालाओं में नए नामांकित हुए परीक्षकों पर विशेष ध्यान दिया गया था।
- **पठन और योजना समय** : छात्रों की परीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप अभ्यर्थियों को मई, 2011 की परीक्षाओं से, परीक्षाएं आरंभ होने के नियत समय से पूर्व चार्टर्ड एकाउंटेंट परीक्षाओं में 15 मिनट का पठन समय अनुज्ञात किया गया था।
- **ऑन लाइन परीक्षा आवेदन प्रारूप** : ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने परीक्षा प्रारूप ऑन लाइन माध्यम से भरने का विकल्प लिया था, आवेदन प्रारूपों की लागत का संदाय करने से छूट प्रदान की गई थी। परीक्षा आवेदनों के ऑन लाइन भरे जाने को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है जिससे कि निकट भविष्य में उसे आवेदन करने की एकमात्र पद्धति बनाया जा सके।
- **विशेष परीक्षा** : निम्नलिखित विदेशी वृत्तिक लेखांकन निकायों के साथ परस्पर मान्यता करार/समझ ज्ञापन के परिणामस्वरूप नई दिल्ली में 21 जुलाई और 23 जुलाई को प्रथम विशेष परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था :
 - दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीईडब्ल्यू)
 - दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ आस्ट्रेलिया (आईसीए आस्ट्रेलिया)
 - दि इन्स्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स इन आस्ट्रेलिया (सीपीए आस्ट्रेलिया)
 - दि इन्स्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स इन आयरलैंड (सीपीए आयरलैंड)
 - कैनेडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीआईसीए)
- **अंतरराष्ट्रीय लेखांकन संस्थानों को सहयोग** : परीक्षा समिति ने श्रीलंका के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान को आईएसए निर्धारण परीक्षा के संचालन के लिए तकनीकी सहायता और सहयोग उपलब्ध कराया है।
- **प्रवेश पत्र** : नवम्बर, 2011 की परीक्षा से एक ई-प्रवेशपत्र लागू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें संबंधित छात्र के फोटो और हस्ताक्षर के साथ प्रवेशपत्र को आईसीएआई के वेबपोर्टल पर रखा जाएगा जिसे उनके द्वारा सुगमता से डाउनलोड किया जा सकेगा।

4.4 अनुशासन समिति

- **चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21घ के अधीन अनुशासन समिति**

यह समिति संस्थान द्वारा प्रदत्त वृत्तिक अर्हता की हैसियत और स्तर बनाए रखने में परिषद् की सहायता करती है। ऐसे सदस्यों के, जिनके मामले परिषद् द्वारा समिति को प्रथम दृष्टया राय के लिए विनिर्दिष्ट किए गए थे, विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच करने के अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में समिति ने वर्ष के दौरान 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक 12 अवसरों पर अपनी बैठकों की थीं जो कुल मिलाकर 17 दिन चली थी और ये बैठकें देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले स्थानों पर की गई थी। पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने 70 मामलों में जांच की थी, जिनमें उसे पूर्व वर्षों में निर्दिष्ट मामले भी सम्मिलित थे।

● **चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21क के अधीन अनुशासन बोर्ड**

अनुशासन बोर्ड का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21क के अधीन किया गया है। समिति के कार्य के विस्तार क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- ऐसी सभी जानकारीयों और शिकायतों के संबंध में, जहां निदेशक की राय यह है कि सदस्य अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित वृत्तिक या अन्य कदाचार का दोषी है और ऐसे सभी मामलों में जहां प्रथम दृष्टया राय यह है कि अनुसूचियों और आदेशों के पारित किए जाने पर ध्यान न देते हुए सदस्य किसी वृत्तिक या अन्य कदाचार का दोषी नहीं है, निदेशक (अनुशासन) की प्रथम दृष्टया राय पर विचार करना।
- अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित किसी वृत्तिक या अन्य कदाचार के मामलों में किसी दोषी के संबंध में जांच करना, निष्कर्ष निकालना और तत्पश्चात दंड देना।
- शिकायतकर्ता से मामला वापस लेने के पत्र पर विचार करना और यदि परिस्थितियां इस प्रकार अनुज्ञात करें तो मामले को वापस लेने की अनुमति प्रदान करना।

● **चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21ख के अधीन अनुशासन समिति**

अनुशासन समिति का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21ख के अधीन किया गया है। समिति के कार्य के विस्तार क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- ऐसी सभी जानकारीयों और शिकायतों के संबंध में, जहां निदेशक की राय यह है कि सदस्य अधिनियम की दूसरी अनुसूची या अधिनियम की दोनों अनुसूचियों और आदेशों के पारित होने में उल्लिखित वृत्तिक या अन्य कदाचार का प्रथम दृष्टया रूप से दोषी है, निदेशक (अनुशासन) की प्रथम दृष्टया राय पर विचार करना।
- अधिनियम की दूसरी अनुसूची या अधिनियम की दोनों अनुसूचियों में उल्लिखित किसी वृत्तिक या अन्य कदाचार के मामलों में किसी दोषी के संबंध में वृत्तिक या अन्य कदाचार के आरोपों की जांच करना, साक्षियों को सूचना जारी करना और उनकी परीक्षा करना, निष्कर्ष निकालना और दंड देना।
- शिकायतकर्ता से मामला वापस लेने के पत्र पर विचार करना और यदि परिस्थितियां इस प्रकार अनुज्ञात करें तो मामले को वापस लेने की अनुमति प्रदान करना।

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

5.1 लेखांकन मानक बोर्ड

आईसीएआई देश में एक उत्तम, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। भारत में विद्यमान विविध लेखांकन विधियों और व्यवहारों में संगतता लाने के लिए आईसीएआई ने लेखांकन मानकों को तैयार करने के लिए वर्ष 1977 में लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) का गठन किया था। इसके गठन के प्रारंभ से ही, एएसबी नए लेखांकन मानकों को तैयार करके और साथ ही समय-समय पर विद्यमान लेखांकन मानकों को पुनरीक्षित करके इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मानकों को, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएएस) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के समरूप बनाना है। एएसबी लेखांकन मानकों के एक समान उपयोग और उनके कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर विभिन्न उद्घोषणाएं भी जारी करता है।

आईसीएआई द्वारा तैयार किए गए लेखांकन मानकों को, कंपनी अधिनियम, 1956 में धारा 211(3क), (3ख) और (3ग) अंतःस्थापित करके अक्टूबर, 1998 में विधिक मान्यता प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 211(3ग) के अनुसार आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा लेखांकन मानक संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एन.ए.सी.ए.एस.) के परामर्श से विहित किया जा सकेगा। इस धारा के परंतुक के अनुसार,

सरकार द्वारा लेखांकन मानकों की अधिसूचना जारी किए जाने तक, कंपनियों द्वारा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों को अपनाया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2006 में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के राजपत्र में अपनी तारीख 7 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अधीन लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 को विहित किया था। ये मानक, इन लेखांकन मानकों के प्रकाशन की तारीख को (अर्थात् 7 दिसम्बर, 2002) या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के संबंध में प्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त, 7 मार्च, 2008 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2008 के अधीन लेखांकन मानक (एस 15) के सीमित पुनरीक्षण को अधिसूचित किया गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा एनएसीएस के परामर्श से 27 मार्च, 2008 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2008 के अधीन लेखांकन मानक (एस 11) के संशोधन को अधिसूचित किया था।

वैश्वीकरण और उदारीकरण के साथ, विश्व अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक बन गई हैं। विदेशी पूंजी बाजारों तक पहुंच की वांछा करने वाली फर्मों को प्रायः लेखाओं के दो सेट तैयार करने होते हैं; एक घरेलू अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए और दूसरा ऐसे विदेशी बाजार के अनुसार, जहां से पूंजी प्राप्त की जानी है। बहुमानक पूंजी आबंटन की मात्रा और दक्षता पर दबाव डालते हैं क्योंकि निवेशक विभिन्न अधिकारिताओं में कंपनियों की वित्तीय जानकारी की सुगमता से तुलना नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार, वैश्विक रूप से स्वीकार्य और उच्च गुणवत्ता वाले लेखांकन मानकों के एकल सेट की आवश्यकता प्रायः महसूस की जाती रही है। आईएसबी द्वारा जारी किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के रूप में अधिकाधिक मान्यता प्राप्त हो रही है। अनेक देशों ने विभिन्न अस्तित्वों के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए या तो आईएफआरएस को अपना लिया है अथवा अपनाए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यद्यपि आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक मुख्यतः आईएस/आईएफआरएस पर आधारित हैं, फिर भी कतिपय मामलों में देश में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों के अलावा विधिक और विनियामक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लेखांकन मानकों में आईएस/आईएफआरएस से विचलन किया गया है।

हाल ही के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों से अभिसरण ने पूरे विश्व में जोर पकड़ा है। वर्तमान में 123 से अधिक देश आईएफआरएस के उपयोग की अपेक्षा करते हैं अथवा अनुमति देते हैं या उनसे अभिसरण की नीति को अपना रहे हैं। कतिपय अन्य देशों ने भी आईएफआरएस अपनाने के अपने आशयों की घोषणाएं की हैं, उदाहरणार्थ अर्जेंटीना, मलेशिया और मैक्सिको 2012 से इन्हें अपनाएंगे। यूएसए का वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड (एफएसबी) और आईएसबी, यूएस जीएपी और आईएफआरएस के अभिसरण के लिए कार्य कर रहे हैं। यूएसए के प्रतिभूति और विनियम आयोग (एसईसीए) ने यह विनिश्चय किया है कि यूएस जीएपी और आईएफआरएस के बीच किसी समाधानप्रद विवरण को प्रस्तुत करने की अपेक्षा किए बिना आईएफआरएस से संगत वित्तीय विवरण फाइल करने की अनुमति प्रदान की जाए। इस परिदृश्य में, भारत जो एक महत्वपूर्ण उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था है, के आईसीएआई ने कंपनियों के कतिपय वर्ग के संबंध में 1 अप्रैल, 2011 से आईएफआरएस से अभिसरण का विनिश्चय किया था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भी ऐसा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। यह अभिसरण, अन्य बातों के साथ, भारतीय अस्तित्वों को विदेश से निम्न लागत की पूंजी प्राप्त करने में सहायता करेगा। यह चार्टर्ड एकाउंटेंटों को भी, भारतीय वृत्तियों के लिए विदेशों में बढ़ते हुए अवसरों का लाभ प्रदान करेगा।

आईएफआरएस के साथ अभिसरण के संबंध में विचार करने के लिए और भारत को आईएफआरएस-संगत बनाने के लिए एसबी ने आईएफआरएस के साथ अभिसरण की पद्धति का पता लगाने और ऐसे अभिसरण की प्राप्ति के लिए एक योजना अधिकथित करने की आज्ञा वाले एक कार्य बल को वर्ष 2006 में गठित किया था। इस कार्य बल ने एक अवधारणा पत्र तैयार किया था, जिसे एसबी और आईसीएआई की परिषद् ने स्वीकार कर लिया था। इस अवधारणा पत्र की प्रमुख सिफारिश यह थी कि 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए बड़े आकार की कंपनियों और लोक हित संगठनों जैसे कि सूचीबद्ध अस्तित्वों, बैंकों और बीमा अस्तित्वों आदि के आईएफआरएस के साथ अभिसरण की अनुमति प्रदान की जाए। एमसीए ने भी आईसीएआई के विनिश्चय का समर्थन किया था।

आईसीएआई ने आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों को तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया था। एनएसीएस की सिफारिश के पश्चात् इन अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों को एमसीए द्वारा उसकी वेबसाइट

पर रख दिया गया है। भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन की तारीख मंत्रालय द्वारा बाद में अधिसूचित की जाएगी। एमसीए की वेबसाइट पर रखे गए भारतीय लेखांकन मानक आईएफआरएस 9, वित्तीय लिखतों को, जिसे जारी नहीं किया गया है क्योंकि वित्तीय लिखतों के संबंध में आईएएस 39 के तत्समान भारतीय लेखांकन मानक को जारी किया गया है, छोड़कर सभी आईएएस/आईएफआरएस के तत्समान हैं। आईएएस 26, सेवानिवृत्ति फायदा योजनाओं द्वारा लेखांकन और रिपोर्टिंग, जिसे कंपनियों के लिए सुसंगत नहीं समझा गया है और आईएएस 41, कृषि को भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुनः प्रारूपित किया जा रहा है।

इन भारतीय लेखांकन मानकों को तैयार करते समय, नीतिगत रूप से आईएएस/आईएफआरएस में कोई परिवर्तन न करने के प्रयास किए जाते हैं, सिवाय वहां के जहां भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रहित में ऐसे परिवर्तन करना अत्यधिक अनिवार्य समझा जाता है। तदनुसार, आईएएस/आईएफआरएस से केवल कुछ ही विचलन दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में भारत की चिंताओं को आईएसबी के समक्ष उठाया जा रहा है जिससे कि उनका समाधान भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उचित रूप से किया जा सके। यह विश्वास किया जाता है कि समयानुसार इन विचलनों को भी समाप्त कर दिया जाएगा।

आईएफआरएस-अभिसरित भारतीय लेखांकन मानक साधारण रूप से इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि वित्तीय विवरणों को पारदर्शी होना चाहिए और उन्हें आज्ञापक रूप से अस्तित्व की वास्तविक वित्तीय स्थिति और कार्यपालन को उपदर्शित करना चाहिए। किसी अस्तित्व की वास्तविक वित्तीय स्थिति और कार्यपालन को उचित रूप से उपदर्शित करने के लिए आईएफआरएस-अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे अधिकाधिक उचित मूल्यांकन दृष्टिकोण का उपयोग करें। एक अन्य अवधारणा, जिसे इन मानकों में वृहत महत्व प्रदान किया गया है वह यह है कि तत्त्व रूप में अधिक बलवान होना चाहिए क्योंकि इन मानकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी संव्यवहार की आर्थिक वास्तविकता को उजागर करें। तदनुसार, इन मानकों के आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरण वैश्विक रूप से तुलनीय, सुगम और पारदर्शी होंगे। यह मूल्यवान जानकारी उपलब्ध कराने में भी सहायता करेंगे और ऐसी नई जानकारी को भी प्रकट करेंगे जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यह निवेशकों को किसी कंपनी में निवेश करने से जुड़े जोखिमों और लाभों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करेंगे और इसलिए निष्कर्ष तक पहुंचना सुगम हो जाएगा।

भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन से उद्भूत होने वाले मुद्दों पर विचार करने के प्रयोजन के लिए और आईएफआरएस संबंधी शैक्षणिक प्रशिक्षण (आईएफआरएस प्रमाणन पाठ्यक्रम) को निर्बाध रूप से चलाने के लिए आईसीएआई ने एक पृथक आईएफआरएस कार्यान्वयन समिति का सृजन किया है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लेखांकन मानक बोर्ड के अन्य क्रिया कलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

5.1.1 भारतीय लेखांकन मानकों को तैयार करना

वर्ष के दौरान, लेखांकन मानक बोर्ड ने आईएएस/आईएफआरएस के तत्समान 35 भारतीय लेखांकन मानकों को अंतिम रूप प्रदान किया, जिन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

5.1.2 अंतरराष्ट्रीय लेखांकन बोर्ड (आईएसबी) के क्रियाकलापों में सहयोग और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया करना

बोर्ड विभिन्न स्तरों पर आईएसबी के साथ परस्पर क्रियाएं करता है जैसे कि :

- विश्व मानक - निर्धारकों, राष्ट्रीय मानक - निर्धारकों और प्रादेशिक मानक - निर्धारकों की बैठकों में आईएसबी के साथ सक्रिय भागीदारी।
- बोर्ड ने आईएसबी द्वारा जारी विभिन्न उद्भासन प्रारूपों/परिचर्चा पत्रों को परिचालित किया था और अपनी वेबसाइट पर भी रखा था और उनके संबंध में विभिन्न पणधारियों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं।
- आईएफआरएस के साथ अभिसरण लंबित रहने के दौरान और अधिक प्रभावपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बोर्ड, समय-समय पर ऐसे अध्ययन समूहों का गठन करता है जो आईएसबी द्वारा जारी परिचर्चा पत्रों या उद्भासन प्रारूपों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के पश्चात् ये समूह भारत-विनिर्दिष्ट आशंकाओं को

सूचीबद्ध करते हुए अपनी टिप्पणियां भेजते हैं जिनका एएसबी द्वारा उन्हें आईएसबी को भेजे जाने से पूर्व पुनर्विलोकन किया जाता है।

5.1.3 विनियामक निकायों के साथ परस्पर क्रिया

प्रमुख लेखांकन निकाय होने के कारण, आईसीएआई, एएसबी के माध्यम से विभिन्न लेखांकन विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए समय-समय पर विभिन्न विनियामक निकायों से परस्पर क्रिया करता है। पूर्वोक्त के अतिरिक्त, विभिन्न लेखाकरण मुद्दों पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पद्धारियों के साथ नियमित बैठकें की गई थी।

5.1.4 अन्य परियोजनाएं

पुनरीक्षणाधीन या तैयार किए जाने वाले मार्गदर्शक टिप्पण

- स्वजनित प्रमाणित उत्सर्जन में कमी (सीईआर) के लेखांकन के लिए मार्गदर्शक टिप्पण
- दर विनियमित अस्तित्वों के लेखांकन के लिए मार्गदर्शक टिप्पण
- भू-संपदा विकासकर्ताओं द्वारा राजस्व की मान्यता संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण का पुनरीक्षण

तैयार किए जाने वाले भारतीय लेखांकन मानक

- आईएस 41 कृषि के तत्समान भारतीय लेखांकन मानक
- आईएफआरएस 10 समेकित वित्तीय विवरणों के तत्समान भारतीय लेखांकन मानक
- आईएफआरएस 11 संयुक्त ठहरावों के तत्समान भारतीय लेखांकन मानक
- आईएफआरएस 12 अन्य अस्तित्वों में हितों का प्रकटन के तत्समान भारतीय लेखांकन मानक
- आईएफआरएस 13 उचित मूल्य मापमान के तत्समान भारतीय लेखांकन मानक
- निष्कर्षणीय उद्योगों के लिए भारतीय लेखांकन मानक

पुनरीक्षित आईएस/आईएफआरएस के समरूप बनाने के लिए पुनरीक्षित किए जा रहे भारतीय लेखांकन मानक

- भारतीय लेखांकन मानक (भालेमा) 1, 12, 19, 27, 28

अन्य विचाराधीन दस्तावेज

- विद्यमान भारतीय लेखांकन मानक (एस) के प्राक्कथन का पुनरीक्षण
- भारतीय लेखांकन मानक (भालेमा) का प्राक्कथन तैयार करना
- आईएसबी द्वारा जारी प्रबंध संबंधी टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के ढांचे पर विचार करना
- आईएसबी द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अवधारणात्मक ढांचे पर विचार करना

निम्नलिखित आईएसबी उद्भासन प्रारूपों/परामर्श पत्रों पर आईएसबी को टीका-टिप्पणियां भेजी गई थी

- आस्तियों और दायित्वों के प्रतिकरण संबंधी उद्भासन प्रारूप
- वित्तीय लिखतों-क्षति के संबंध में अनुपूरक दस्तावेज संबंधी उद्भासन प्रारूप
- हैज लेखांकन संबंधी उद्भासन प्रारूप
- संयुक्त ठहरावों के संबंध में प्रस्तावित आईएफआरएस का अंतिम प्रारूप
- प्रभावी तारीखों और अंतरण पद्धतियों के संबंध में विचारों के लिए अनुरोध

- ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व संबंधी उद्भासन प्रारूप

5.2 स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन संबंधी समिति

आईसीएआई ने वर्ष 2005 में स्थानीय निकायों हेतु लेखांकन मानक तैयार करने के लिए लेखांकन मानकों संबंधी एक समिति का गठन किया था। इस समिति को इस प्रमुख उत्तरदायित्व के साथ स्थापित किया गया था कि वह ऐसे क्षेत्रों का सृजन करेगी और पता लगाएगी, जिनमें स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) विकसित किए जाने की आवश्यकता है, एएसएलबी तैयार करेगी, एएसएलबी को संभव सीमा तक अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानकों के साथ एकीकृत करेगी, एएसएलबी के संबंध में कार्यान्वयन मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगी, एएसएलबी का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करेगी, लेखांकन की प्रोदभवन प्रणाली को अपनाने में स्थानीय निकायों की सहायता करेगी और पणधारियों के बीच वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके प्रस्तुतीकरण के लिए एएसएलबी का संवर्धन करेगी।

सीएसएलबी द्वारा तैयार किए गए एएसएलबी को क्रमशः शहरी विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित यूएलबी और पीआरआई के लिए स्थानीय निकायों हेतु बजट और लेखांकन मानक संबंधी तकनीकी समिति को, संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसके कार्यान्वयन की सिफारिश करने के लिए अग्रेषित किया जाता है।

इसके प्रारंभ से ही, सीएसएलबी ने स्थानीय निकायों के लिए निम्नलिखित लेखांकन मानक (एएसएलबी) जारी किए हैं :

1. स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) 1, 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण' (प्रकाशनाधीन)
2. स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) 3, 'विनियम संव्यवहारों से राजस्व' (प्रकाशित)
3. स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) 4, 'उधार लेने संबंधी लागत' (प्रकाशित)
4. स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) 5, 'संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर' (प्रकाशित)
5. स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) 6, 'रिपोर्टिंग तारीख के पश्चात् की घटनाएं' (प्रकाशित)
6. स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) 7, 'वस्तुसूचियां' (प्रकाशनाधीन)।

सीएसएलबी के अन्य प्रकाशनों में 'स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों का प्राक्कथन', 'स्थानीय निकायों के लिए प्रोदभवन लेखांकन : निर्वाचित प्रतिनिधि और पणधारी' विषय पर अंग्रेजी और हिन्दी में पुस्तिका तथा 'भारत में स्थानीय निकायों में लेखांकन सुधार और चार्टर्ड एकाउंटेंटों की भूमिका' सम्मिलित हैं।

उपरोक्त के अलावा, सीएसएलबी द्वारा अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानकों के तत्समान एएसएलबी तैयार करने के लिए पिछले और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई विभिन्न परियोजनाएं प्रगतिशील हैं।

आईसीएआई शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी) का सदस्य है और उसे जीएसएबी द्वारा समय-समय पर गठित उसकी विभिन्न उप समितियों में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आईसीएआई के प्रतिनिधि जीएसएबी की बैठकों में भाग लेते हैं और बोर्ड के तकनीकी क्रियाकलापों में योगदान करते हैं।

इस अवधि के दौरान समिति द्वारा किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

5.2.1 जारी किए गए प्रकाशन :

- स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) 5, 'संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर'।
- स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) 6, 'रिपोर्टिंग तारीख के पश्चात् की घटनाएं'।

5.2.2 इस अवधि के दौरान जारी स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) :

- स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) 1, 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण'

- स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) 7, 'वस्तुसूचियां' ।

5.2.3 आईसीएआई की परिषद् के सदस्यों और विनिर्दिष्ट बाहरी निकायों की टीका-टिप्पणियों के लिए उदभासित प्रारूप :

- 'संनिर्माण संविदाओं' संबंधी प्रस्तावित एएसएलबी का प्रारूप

5.2.4 समिति के विचाराधीन प्रारूप

- स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए ढांचा ।
- 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' संबंधी प्रस्तावित एएसएलबी ।
- 'उपबंधों, आकस्मिक दायित्वों और आकस्मिक आस्तियों' संबंधी प्रस्तावित एएसएलबी ।
- 'गैर-विनिमय संव्यवहारों से राजस्व' संबंधी प्रस्तावित एएसएलबी ।
- 'लेखांकन नीतियों, लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियां' संबंधी प्रस्तावित एएसएलबी ।
- 'वित्तीय विवरणों में बजट संबंधी जानकारी का प्रस्तुतीकरण' संबंधी प्रस्तावित एएसएलबी ।

5.2.5 ऐसे प्रस्तावित एएसएलबी के प्रारूप, जिन्हें विभिन्न अध्ययन समूहों द्वारा तैयार किया जा रहा है :

- 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव' संबंधी प्रस्तावित एएसएलबी का प्रारूप ।
- 'नकद प्रवाह विवरण' संबंधी प्रस्तावित एएसएलबी का प्रारूप ।
- 'अमूर्त आस्तियां' संबंधी प्रस्तावित एएसएलबी का प्रारूप ।
- 'लेखांकन के नकद आधार के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग' संबंधी प्रस्तावित एएसएलबी का आधारिक प्रारूप तैयार करना ।
- 'पट्टों' संबंधी प्रस्तावित एएसएलबी का आधारिक प्रारूप तैयार करना ।
- 'निवेश संपत्ति' संबंधी प्रस्तावित एएसएलबी का आधारिक प्रारूप तैयार करना ।
- 'कर्मचारी फायदों' संबंधी प्रस्तावित एएसएलबी का आधारिक प्रारूप तैयार करना ।

5.2.6 अन्य परियोजनाएं :

जीएएसएबी ने भारत सरकार के लिए मानकों को तैयार करने की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए कुछ आईजीएफआरएस को तैयार करने में आईसीएआई का सहयोग मांगा है । इस प्रयोजन के लिए, जीएएसएबी के लिए निम्नलिखित भारतीय सरकारी वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईजीएफआरएस) तैयार करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया था :

- आईपीएसएस 1 वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण - के तत्समान प्रस्तावित आईजीएफआरएस का आधारिक प्रारूप जीएएसएबी को प्रस्तुत किया गया है ।

5.3 संपरीक्षा समिति

वर्ष 2001 में आईसीएआई ने आईसीएआई की रिपोर्टिंग प्रक्रिया और अपनी वित्तीय सूचना के प्रकटन और साथ ही आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का पर्यावलोकन करने और साथ ही आईसीएआई के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के संपरीक्षकों की स्वतंत्रता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार अस्थाई समिति के रूप में केन्द्रीय संपरीक्षा समिति का गठन किया था ।

इसके प्रारंभ से ही, समिति संस्थान की रिपोर्टिंग प्रक्रिया में और सुधार लाने तथा संस्थान के कार्यकरण में बृहत्तर

पारदर्शिता लाने और साथ ही आंतरिक नियंत्रणों को और अधिक कड़ा बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। समिति संपरीक्षकों की नियुक्ति में और अधिक पारदर्शिता लाने और उन्हें संपरीक्षा का और अधिक व्यापक परिधि-क्षेत्र उपलब्ध कराने और उसी समय उन्हें उनके कार्य में और अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए भी प्रयासरत है। समिति संपरीक्षकों और साथ ही ऐसे विभागों, जिनकी संपरीक्षा की जा रही है/समितियों/प्रादेशिक परिषदों/विकेन्द्रीकृत कार्यालयों/ शाखाओं/विदेशी कार्यालयों के साथ निरंतर परस्पर क्रिया करती है जिससे कि संपरीक्षकों द्वारा इंगित किन्हीं दोषों/कमियों, यदि कोई हों, को दूर किया जा सके। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- नए बनाए गए विकेन्द्रीकृत कार्यालयों में आंतरिक संपरीक्षकों की नियुक्ति - 13 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों को इसमें सम्मिलित किया गया है : विकेन्द्रीकृत कार्यालयों के कार्यकरण पर और अधिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के विचार से, जिससे कि उनकी दक्षता में सुधार किया जा सके, संपरीक्षा समिति ने नए बने विकेन्द्रीकृत कार्यालयों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था और उनमें ऐसे संपरीक्षकों की नियुक्ति की थी, जो सीधे उसे रिपोर्ट करें।
- एक हजार से अधिक सदस्यों वाली शाखाओं को संपरीक्षकों की नियुक्ति और कार्य के पुनर्विलोकन के लिए संपरीक्षा समिति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाना : एक हजार से अधिक सदस्यों वाली आईसीएआई की शाखाओं को भी संपरीक्षा समिति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। ऐसी शाखाओं के लिए संपरीक्षा समिति ने ऐसे संपरीक्षकों की नियुक्ति की है जो सीधे संपरीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।
- उत्कृष्टता केन्द्र, हैदराबाद के लिए संपरीक्षकों की नियुक्ति की गई है, क्योंकि इस केन्द्र ने स्वतंत्र रूप से कार्यकरण आरंभ कर दिया है और इस केन्द्र पर अब नियमित रूप से बड़ी संख्या में क्रियाकलाप आयोजित किए जा रहे हैं।
- क्षेत्रों को और अधिक शक्ति प्रदान करने के विचार से, संपरीक्षा समिति ने प्रादेशिक संपरीक्षा समितियों को सुदृढ़ किया है, प्रादेशिक संपरीक्षा समितियों पर नियंत्रण रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि वे उचित रूप से कार्यकरण करें, उन्हें शक्तियां प्रदान की हैं।
- शाखाओं, विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और प्रादेशिक परिषदों के अर्धवार्षिक और वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का विश्लेषण : शाखाओं, विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और प्रादेशिक परिषदों से प्राप्त अर्धवार्षिक और वार्षिक लेखाओं का पुनर्विलोकन किया जाता है।
- प्रादेशिक संपरीक्षा समिति के कार्यवृत्तों का विश्लेषण और उनमें उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए उपाय किए गए : प्रादेशिक संपरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का नियमित रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैठक में उठाए गए और चर्चा किए गए सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है और साथ ही भविष्य के लिए अन्य प्रादेशिक परिषदों के लिए दिशानिर्देश सुस्थापित किए जा सकें।
- सभी ऐसे विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों, जिनके सदस्य एक हजार से अधिक हैं, में टैली लेखांकन सॉफ्टवेयर के उपयोग को कार्यान्वित करने के लिए उपाय किए गए।
- विभिन्न विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, शाखाओं, प्रादेशिक परिषदों और प्रधान कार्यालय से प्राप्त संपरीक्षा रिपोर्टों और उन्हें ठीक करने के लिए आंतरिक संपरीक्षकों द्वारा किए गए संपरीक्षणों का पुनर्विलोकन और यह अभिनिश्चित करना कि ये इकाइयां उचित रूप से कार्यकरण कर रही हैं और सभी विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन कर रही हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान समिति द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं :

- लेखा मैनुअल में आईसीएआई की सभी सुसंगत नीतियों को सम्मिलित करके लेखा मैनुअल को अद्यतन

किया गया ।

- लेखा तैयार करने में लिए जाने वाले समय में कमी करना ।

5.4 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड

संपरीक्षा जवाबदेही को सुदृढ़ करके तथा वित्तीय रिपोर्टिंग में विश्वास और निष्ठा पुनःस्थापित करके लोकहित की सेवा और संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । संपरीक्षा आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने, व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले संव्यवहारों की किस्म, संख्या और मूल्य में वृद्धि करने में सहायता करती है । तथापि, हाल ही के वर्षों में, कारबार परिस्थितियों और कारबार मॉडलों में बढ़ती जटिलता तथा उनके भौगोलिक प्रसार के कारण संपरीक्षा वृत्ति से जनता की आशाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

आईसीएआई भी सक्रिय रूप से इन आशाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया करने की अत्यावश्यकता को मान्यता प्रदान करता है । आईसीएआई अपने संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले संपरीक्षा संबंधी मानकों को तैयार करता है, उनका पुनर्विलोकन करता है, अन्य आश्वासनों, उनकी गुणवत्ता के नियंत्रण और संबद्ध सेवाओं के संबंध में उपबंध करता है । बोर्ड संपरीक्षा में सामान्य और साथ ही उद्योग विनिर्दिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शक टिप्पणों को विकसित करता है । बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली एक कड़ी सम्यक प्रक्रिया के पश्चात, इन दस्तावेजों को परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है । आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों को संपरीक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया जाता है । अंतरराष्ट्रीय मानकों को उनकी उच्च गुणवत्ता के लिए मान्यताप्राप्त है और उन्हें वैश्विक स्वीकार्यता भी प्राप्त है । बोर्ड सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए अपने स्वयं के प्राधिकार के अधीन तकनीकी गाइडों, प्रैक्टिस मैनुअलों, अध्ययनों और अन्य पत्रों को भी तैयार करता है । संपरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के कार्यान्वयन के संबंध में सदस्यों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी मानकों के संबंध में एक कार्यान्वयन गाइड भी निकाल रहा है । आज की तारीख तक बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का एक व्यापक पर्यावलोकन निम्नानुसार है :

नियोजन और क्वालिटी नियंत्रण मानक

क्वालिटी नियंत्रण मानक

- क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानक (एसक्यूसी) 1, “ऐसी फर्मों के लिए जो संपरीक्षा करती हैं क्वालिटी नियंत्रण और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन और अन्य आश्वासन तथा संबंधित सेवाओं का नियोजन” ।

नियोजन मानक

- संपरीक्षा संबंधी 37 मानक, जिनके अंतर्गत क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी किए गए 35 मानक भी हैं ।
- पुनर्विलोकन नियोजनों (एसआरई) संबंधी दो मानक ।
- आश्वासन नियोजनों (एसएई) संबंधी दो मानक ।
- संबंधित सेवाओं (एसआरएस) संबंधी दो मानक ।

संपरीक्षा संबंधी विवरण और मार्गदर्शन टिप्पण

- संपरीक्षा संबंधी दो मानक
- संपरीक्षा संबंधी 28 मार्गदर्शन टिप्पण

उद्योग विनिर्दिष्ट मार्गदर्शन टिप्पण

- बैंकों की संपरीक्षा (पुनरीक्षित 2011 संस्करण)
- स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों के लेखाओं की संपरीक्षा
- साधारण बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा
- जीवन बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा

कार्यान्वयन गाईड

- रिपोर्टिंग मानकों (एसए 700, एसए 705 और एसए 706) संबंधी कार्यान्वयन गाईड
- एसक्यूसी 1 संबंधी कार्यान्वयन गाईड
- वित्तीय विवरणों की जोखिम आधारित संपरीक्षा संबंधी कार्यान्वयन गाईड

तकनीकी गाइड

- गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों की संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- होटल उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- ऑटोमोबाईल उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- टेलीकाम उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड - राजस्व, नियत आस्तियां और संबंधित प्रचालन लागतें
- ई-कॉमर्स संबंधी तकनीकी गाइड - वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए विचारार्थ विषय

अध्ययन

- धनशोधन संबंधी एक अध्ययन : एक लेखाकार का परिप्रेक्ष्य
- बेजल - 2 और जोखिम आधारित पर्यवेक्षण संबंधी एक अध्ययन

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

- संपरीक्षा उदघोषणाओं की हैंडबुक, 2010 संस्करण
- संपरीक्षा प्रशिक्षण कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के लिए पृष्ठभूमि सामग्री (संपरीक्षा संबंधी मानकों और अन्य नियोजन मानकों के प्रस्तुतीकरण का एक मैनुअल)
- लघु अस्तित्वों की संपरीक्षा संबंधी प्रैक्टिशनर गाइड (2010 संस्करण)
- संपरीक्षा क्या है - वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा को समझना
- कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 संबंधी मुद्दे

5.4.1 वर्ष 2010-11

वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की 7 बैठकें हुई थी। इस वर्ष के दौरान, बोर्ड ने अनेक प्रकाशन निकाले उदाहरणार्थ, संपरीक्षा उदघोषणाओं की हैंडबुक, 2010 संस्करण, संपरीक्षा प्रशिक्षण कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के लिए पृष्ठभूमि सामग्री, रिपोर्टिंग मानकों संबंधी कार्यान्वयन गाइड, लघु अस्तित्वों की संपरीक्षा संबंधी पुनरीक्षित प्रैक्टिशनर गाइड, होटल उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड, ऑटोमोबाईल उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड, बैंकों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण, 2010 संस्करण। वर्ष के दौरान बोर्ड ने, देशभर में विभिन्न स्थानों पर संपरीक्षा मानकों और संपरीक्षा के पहलुओं के संबंध में अनेक संगोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सम्मेलनों/ कार्यशालाओं का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम मथुरा, इंदौर, उदयपुर, कोलकाता, ग्वालियर, बड़ौदा, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, इलाहाबाद में आयोजित किए गए थे। बोर्ड ने नई दिल्ली, चैन्नई, मुंबई, कोलकोता और पुणे में संपरीक्षा में उत्कृष्टता पर एक चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया था। वर्ष के दौरान, बोर्ड ने आईसीएआई द्वारा जारी नियोजन और क्वालिटी नियंत्रण मानकों में प्रयुक्त होने वाले पदों के लिए “पदों की शब्दावली” जारी की थी। वर्ष के दौरान, बोर्ड ने पुनर्विलोकन नियोजनों संबंधी पुनरीक्षित मानक (एसआरई) 2400, “वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन करने के लिए नियोजन”, पुनर्विलोकन नियोजनों संबंधी मानक (एसआरई) 2410, “अस्तित्व के स्वतंत्र संपरीक्षक द्वारा दी गई अंतरिम वित्तीय जानकारी का पुनर्विलोकन”, आश्वासन नियोजनों संबंधी मानक (एसएई) 3402, “किसी सेवा संगठन में नियंत्रणों संबंधी आश्वासन रिपोर्ट” और “संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण” जारी किए थे।

5.4.2 ऐसी परियोजनाएं, जिनपर कार्य चल रहा है।

इनके अतिरिक्त बोर्ड ने, वर्ष के दौरान अनेक अन्य परियोजनाएं भी प्रारंभ की थीं, जो अन्य के साथ, नियोजन और

क्वालिटी नियंत्रण मानकों, मार्गदर्शन टिप्पणों के पुनरीक्षण, कार्यान्वयन गाइडों और तकनीकी गाइडों से संबंधित हैं।

5.4.3 अन्य पहलें और विकास

• विनियामक निकायों से परस्पर क्रिया

बोर्ड, समय-समय पर संपरीक्षा मानकों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और संपरीक्षा संबंधी अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए विनियामकों और सरकारी संस्थाओं जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) आदि से परस्पर क्रियाएं करता है।

• आईएएसबी की गतिविधियों में सहयोग और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना

आईसीएआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहता है। संस्थान के अंतरराष्ट्रीय एकाउंटेंट्स संघ (आईएफएसी) का संस्थापक सदस्य होने के कारण बोर्ड, अपने अध्यक्ष और सचिव के माध्यम से आईएफएसी के अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएसबी) की राष्ट्रीय मानक निर्धारक समिति के संपर्क में रहा था और उसने समय-समय पर उसे महत्वपूर्ण अंतःनिवेश उपलब्ध कराए थे। आईएएसबी ने टोरंटो में 28-29 अप्रैल, 2011 के दौरान आईएएसबी-एनएसएस बैठक का आयोजन किया था। अध्यक्ष, एएसबी और सचिव, एएसबी ने उक्त बैठक में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था। अध्यक्ष, एएसबी और सचिव, एएसबी ने 30 जून, 2011 को ब्रुसेल्स में संपरीक्षा नीति के विषय पर आयोजित यूरोपीयन एकाउंटेंट फेडरेशन (एफईई) के सम्मेलन में भी आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था।

• जागरूकता सृजित करना और सक्षमता का निर्माण

वर्ष 2010-11 के दौरान सदस्यों के बीच संपरीक्षा मानकों के संबंध में जागरूकता का सृजन करना बोर्ड का प्रमुख लक्ष्य था। इस प्रक्रिया में, सदस्यों के सामने आने वाले संपरीक्षा संबंधी मुद्दों पर परस्पर क्रिया को आसान बनाने तथा आईसीएआई द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों पर जानकारी प्रदान करने के लिए, बोर्ड ने संपरीक्षा मानकों और संपरीक्षा संबंधी पहलुओं पर मथुरा, इंदौर, उदयपुर, कोलकाता, ग्वालियर, बड़ौदा, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, इलाहाबाद में अनेक संगोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन किया था। बोर्ड ने नई दिल्ली, चैन्नई, मुंबई, कोलकोता और पुणे में संपरीक्षा में उत्कृष्टता पर एक चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया था।

• भावी रणनीति और कार्यक्रम

बोर्ड अब अपना ध्यान क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी नए/पुनरीक्षित संपरीक्षा मानकों (एसए) के संबंध में जागरूकता सृजित करने पर केन्द्रित करेगा। इस प्रयोजन के लिए बोर्ड दोहरी रणनीति अपनाएगा। वह संपरीक्षा मानकों और संपरीक्षा संबंधी पहलुओं पर संगोष्ठियों/सम्मेलनों/प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन करेगा और सदस्यों द्वारा उन्हें बेहतर रूप से समझने और मानकों के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए नए/पुनरीक्षित एसए के संबंध में कार्यान्वयन गाइडें जारी करेगा। बोर्ड संपरीक्षा संबंधी और साथ ही उद्योग सेक्टरों से विनिर्दिष्ट समकालीन मुद्दों पर सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए अन्य संपरीक्षा संबंधी साहित्य जैसे कि मार्गदर्शन टिप्पण, तकनीकी गाइडें, अध्ययन, अन्य गाइडें भी निकालेगा।

5.5 बैंककारी, बीमा और पेंशन संबंधी समिति

प्रकाशन

बैंककारी, बीमा और पेंशन संबंधी समिति ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले :

- समिति द्वारा एक पुस्तक, अर्थात् 'प्राैक्टिकल अप्रोच टू जनरल इश्योरेंस मैनेजमेंट - ए हैंडबुक फॉर इश्योरेंस प्रोफेशनल्स' का प्रकाशन किया था। इस पुस्तक का विमोचन भारत के माननीय वित्त मंत्री द्वारा 4 जनवरी, 2011 को नई दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया था।

- समिति के सचिवालय द्वारा एक लेख, अर्थात् 'इंटरनल/कंकरेंट ऑडिट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट फंक्शंस ऑफ़ इंड्योरेंस कंपनिज' तैयार किया गया था, जिसे सीए जर्नल के जून, 2010 अंक में प्रकाशित किया गया था।
- समिति के सचिवालय ने आईसीएआई के तकनीकी समूह की सहायता से और आईसीएआई के तकनीकी निदेशक के सम्यक परामर्श से पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए लेखांकन सन्नियमों को तैयार किया था और उन्हें, उनपर विचार करने तथा उपयोग में लाने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को प्रस्तुत किया गया था।

कार्यक्रम

समिति ने वर्ष के दौरान बैंककारी, बीमा और पेंशन विषयों पर तीन कार्यक्रमों का संचालन किया है।

समिति की तकनीकी/वित्तीय सहायता से कुछ प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं ने बैंककारी, बीमा और पेंशन विषयों पर अमृतसर, भोपाल, लखनऊ, नागपुर, त्रिसूर, हैदराबाद और मुंबई में कार्यक्रम आयोजित किए थे।

डीआईआरएम पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्यक्रम

- समिति ने डीआईआरएम तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आईसीएआई के सदस्यों के लिए, उन्हें पाठ्यक्रम के अंतिम चरण को पूरा करने में समर्थ बनाने और उन्हें डीआईआरएम उत्तीर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पात्र बनाने हेतु तीन अनुकूलन कार्यक्रमों (जो डीआईआरएम पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या का अभिन्न भाग हैं) का आयोजन किया है।
- मई और नवम्बर, 2010 में कराई गई डीआईआरएम तकनीकी परीक्षा हेतु सुझाए गए उत्तरों को तैयार किया गया था और उन्हें डीआईआरएम पाठ्यक्रम करने वाले सदस्यों के फायदे के लिए आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org पर रखा गया था।
- 14 मार्च, 2011 तक डीआईआरएम पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरणों की संख्या 3858 तक पहुंच गई थी। इस पाठ्यक्रम के लिए नामांकित सदस्यों की क्षेत्रवार संख्या निम्नानुसार है :

14 मार्च, 2011 तक रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी	क्षेत्र					योग
	मध्य	पूर्वी	उत्तरी	दक्षिणी	पश्चिमी	
	808	423	568	1206	853	3858

प्रकीर्ण

- समिति के प्रस्तावों पर विचार करते हुए, कार्यपालक समिति ने यह विनिश्चय किया है कि आईसीएआई के सदस्यों को शारीरिक निःशक्तता के आधार पर उनके द्वारा आईसीएआई के विभिन्न अर्हतापश्च पाठ्यक्रमों के लिए संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस में पचास प्रतिशत की सीमा तक छूट प्रदान की जाए।
- भारतीय रिजर्व बैंक को एक हित अभिव्यक्ति पत्र भेजा गया है, जिसमें देश में 'वित्तीय साक्षरता परियोजना' के प्रसार के संबंध में आरबीआई के प्रयासों के मद्दे आईसीएआई की सेवाओं का प्रस्ताव किया गया है।

5.6 सीए फर्मों एवं लघु और मध्यम व्यवसायियों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति

5.6.1 पर्यावलोकन

सीए फर्मों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति को, जो आईसीएआई की एक अस्थाई समिति है, चार्टर्ड

एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक उपबंधों के अधीन गठित किया गया है। सीए. फर्मों तथा लघु और मध्यम व्यवसायियों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति के नाम से इस समिति को फरवरी, 2010 में, पूर्ववर्ती समितियों, सीए फर्मों की सक्षमता निर्माण संबंधी समिति और लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति का संयोजन करके बनाया गया था। इसका उद्देश्य सीए फर्मों के सुदृढीकरण और सक्षमता निर्माण को सुकर बनाना और लघु और मध्यम व्यवसायियों के व्यवसायिक पोर्टफोलियो को पुनरुज्जीवित करना है। यह समिति मुख्यतः सीए फर्मों के समेकन के लिए उनकी सक्षमता को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की अवधारणा तैयार करती है और उनका कार्यान्वयन करती है तथा मार्गदर्शन भी तैयार करती है।

5.6.2 समिति की मुख्य पहलें

- समिति ने एक वेबसाइट www.icaai.org.in विकसित की है जिसपर लघु और मध्यम व्यवसायी अपने-अपने पोर्टलों का सृजन कर सकते हैं। सीए फर्म, अपनी फर्मों के ब्यौरे इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकती हैं, जिससे उन्हें अन्य व्यवसायियों तक पहुंच बनाने का अवसर प्राप्त होगा।
- समिति ने एक कर अनुपालन सॉफ्टवेयर, जिसका नाम 'आईसीएआई-टैक्स सुइट' है, को सीए सदस्यों और फर्मों को, दो साल तक प्रारंभिक अनुज्ञप्ति के साथ निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है जिससे कि सदस्यों को आयकर, टीडीएस, संपरीक्षा रिपोर्टें, परियोजना रिपोर्ट/सीएमए, फार्म मैनेजर, वार्षिक सूचना विवरणी (एआईआर), सेवा कर और दस्तावेज मैनेजर के क्षेत्रों में सहायता मिल सके।
- समिति ने एमसीए अनुपालन के लिए 'आईसीएआई-आरओसी' नामक एक सॉफ्टवेयर को सीए सदस्यों और फर्मों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है जिससे कि उन्हें एमसीए 21 के अधीन समय पर अनुपालन को सुनिश्चित करने में समर्थ बनाया जा सके।
- समिति ने एसएमपी संबंधी वृत्तिक मुद्दों का समाधान करने के लिए वृत्तिक सेवाएं प्रदान करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा प्रभारित न्यूनतम फीस को पुनरीक्षित किया है।
- समिति ने आईसीएआई के सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए उन्हें वृत्तिक क्षतिपूर्ति के संबंध में बीमा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।
- समिति ने एसएमपी और सीए फर्मों की, उन्हें उनकी वृत्ति को स्थापित करने और उसे विस्तारित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कारपोरेशन बैंक के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर बिना सहवर्ती प्रतिभूति के विशेष ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।
- समिति ने सभी सीए सदस्यों के लिए एक बहुत ही बट्टाप्राप्त कीमत पर कैपिटलाइन टीपी कारपोरेट डाटाबेस (आनलाइन पाठ) की भी व्यवस्था की है, जो 24x7 पद्धति पर उनकी सुविधानुसार कंपनी के डाटाबेस तक पहुंच में सहायता करेगा। इस डाटाबेस का उपयोग अंतरण लागत को सस्ता और समतुल्य बनाएगा। सीए सदस्यों को यह अनेक मामलों में काफी उपयोगी लगेगा।
- समिति ने केडीओसी और ई-सचिव सॉफ्टवेयर से युक्त एक संपरीक्षा टूल किट की व्यवस्था की है, जिसका परिचालन निःशुल्क रूप से सभी सदस्यों और सीए फर्मों के बीच किया गया है। यह सॉफ्टवेयर उसमें अंतःनिर्मित तैयार लेखांकन मानक नमूनों के माध्यम से संपरीक्षा रिपोर्टों का सुगम और शीघ्रता से तैयार किया जाना सुकर बनाता है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है और सेवा प्रदान किए जाने के समय में कमी आती है। यह सॉफ्टवेयर सीए फर्मों में दस्तावेजों के प्रबंध और अनुसचिवीय व्यवहारों में भी सहायता प्रदान करता है।
- समिति ने नई वृत्तिक संभावनाओं की खोज करने के लिए सीए फर्मों की भागीदारों के साथ परस्पर क्रियाशील सत्रों का आयोजन किया था। इस श्रृंखला में चैन्नई में 12 जुलाई, 2010 को, मुंबई में 11 अगस्त, 2010 को और नई दिल्ली में 17 अगस्त, 2011 को बैठक और गहन विचार-विमर्श सत्र का आयोजन किया गया था।

5.7 सतत् वृत्तिक शिक्षा संबंधी समिति

वर्ष के दौरान, सतत् वृत्तिक शिक्षा संबंधी समिति (सीपीईसी) ने सीपीई कार्यक्रमों के प्रभावी आयोजन तथा साथ ही सीपीई कार्यक्रमों को अधिकाधिक सदस्यों तक पहुंचाने के लिए अनेक पहलें और महत्वपूर्ण विनिश्चय किए हैं।

5.7.1 ई-पठन क्रियाकलाप

- आईसीएआई के नेतृत्व के अधीन ई-पठन क्रियाकलापों को असंरचित पठन के वर्तमान प्रवर्ग की बजाय संरचित पठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
- समिति ने विभिन्न वृत्तिक विषयों पर नए ई-पठन मोड्यूल निकालने का विनिश्चय किया था।

5.7.2 देशभर में सीपीई कार्यक्रमों को सरल और कारगर बनाने के लिए किए गए उपाय :

समिति ने सभी पांच क्षेत्रों के लिए प्रादेशिक सीपीई मानीटरी समितियों का पुनर्गठन किया था और उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस संबंध में उनके निर्देश निबंधनों को भी पुनरीक्षित किया था।

सभी कार्यक्रम आयोजित करने वाली इकाइयों (पीओयू) को, इस अनुरोध के साथ कि वे नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करें, निम्नलिखित संसूचना भेजी गई थी :-

1. कोई सीपीई कार्यक्रम सदैव उदघोषित समय पर प्रारंभ होगा और समयनिष्ठा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
2. प्रस्थापना प्रयोजनों के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा। सीपीई कार्यक्रम सीधे संकाय द्वारा तकनीकी सत्र के साथ प्रारंभ होगा।
3. स्मृति चिट्ठों को अधिमानी रूप से उपयोगी पुस्तकों के रूप में प्रदान किया जाएगा।
4. कार्यक्रम के व्यौरों को पर्याप्त समय पूर्व (अर्थात् कार्यक्रम प्रारंभ होने से कम से कम तीन दिन पूर्व) सीपीई पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
5. पूर्व की तारीखों में अनुमोदित आयोजनों (अर्थात् कार्यक्रम के आयोजन के पश्चात् अपलोड किए गए कार्यक्रम व्यौरों) को सीपीई घंटों के अनुमोदन के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

5.7.3 ऐसे अध्ययन सर्कलों को, जिनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है, पुनरुज्जीवित करने के लिए दिशानिर्देश

- समिति की सिफारिशों पर ऐसे सीपीई अध्ययन सर्कलों को, जिनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है, पुनरुज्जीवित करने के लिए परिषद ने निम्नलिखित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया है :

1. यह सदस्यों के नामों, सदस्यता संख्या के व्यौरों, ई-मेल पहचान और मूल रूप में संबंधित सदस्यों के हस्ताक्षरों के साथ सदस्यों की सूची प्रस्तुत करता है।
2. सदस्यों द्वारा सीपीई संनियमों में यथाधिकथित न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी की जानी चाहिए।
3. ऐसे किसी अनुरोध को अनिवार्य रूप से संबंधित प्रादेशिक परिषद द्वारा अग्रेषित किया जाएगा, जिसके साथ पुनरुज्जीवन के लिए प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष की उपयुक्त सिफारिशें लगी होंगी।
4. ऐसे संबंधित अध्ययन सर्कलों को, जिनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है, ऐसे कलेन्डर वर्ष/वर्षों के लिए संपरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने होंगे, जिनके लिए व्यतिक्रम किया गया था।
5. अध्ययन सर्कल नियमित रूप से संपरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने का वचनबंध करता है।
6. अध्ययन सर्कल, अध्ययन सर्कलों के उचित कार्यकरण के लिए आईसीएआई द्वारा यथा अधिकथित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने का वचनबंध करता है।

- सीओपी धारण करने वाले सदस्यों (वरिष्ठ सदस्यों को छोड़कर), जिन्होंने कलेन्डर वर्ष 2008, 2009 और

2010 के लिए न्यूनतम सीपीई अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, की एक सूची सदस्यों की जानकारी के लिए आईसीएआई की वेबसाइट पर रख दी जाती है।

- समिति ने प्रबंध परामर्शी कोर्सवेयर संबंधी पावर प्वाइंट प्रस्तुती को एक सीडी पर निकाला है और वह पचास रुपए की दर पर आईसीएआई के विक्रय पटल पर उपलब्ध है।
- वेबकास्ट के माध्यम से कार्यक्रम का संवर्धन करने के लिए समिति ने कलेन्डर वर्ष के दौरान लगभग 24 सीपीई टेली-कांफ्रेंसिंग कार्यक्रमों का आयोजन करने का विनिश्चय किया था।
- सीपीई टेली-कांफ्रेंसिंग कार्यक्रमों के प्रति अधिकाधिक सदस्यों को आकर्षित करने के लिए समिति द्वारा एक और नई पहल की गई है, जिसमें प्रत्येक सीपीई टेली-कांफ्रेंसिंग कार्यक्रम के आयोजन से तीन दिन पूर्व देशभर में सभी सदस्यों को एसएमएस भेजे जाते हैं।
- समिति ने एक्सबीआरएल, फोरेन्सिक संपरीक्षा, आचार संबंधी मानकों, जीएसटी, आईएफआरएस, डीटीसी और नए कंपनी विधेयक पर प्रगामी प्रशिक्षण कार्यशालाओं संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आयोजन करने वाली शाखा को प्रत्येक ऐसे कार्यक्रम के लिए (कलेन्डर वर्ष के दौरान प्रति क्षेत्र दो कार्यक्रम) पचास हजार रुपए का विशेष अनुदान उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया था।
- समिति ने सीपीई विवरण और संबंधित सलाहों के पुनरीक्षण को अंतिम रूप प्रदान किया था। समिति की सिफारिशों को परिषद के अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

5.7.4 प्रकाशन

समिति ने 'अवधारणपत्र-भारत में माल और सेवाकर तथा चार्टर्ड एकाउंटेंटों की भूमिका' विषय पर अपना एक प्रकाशन निकाला है।

5.7.5 ई-न्यूजलेटर

सीपीई ने अपना आवधिक ई-न्यूजलेटर निकालने का विनिश्चय किया है।

5.7.6 सदस्यों के लिए आज्ञापक सीपीई अपेक्षाएं

तीन वर्षों के ब्लाक (1.1.2011 से 31.12.2013) के लिए आईसीएआई के सदस्यों के लिए सीपीई क्रेडिट अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

- ऐसे सभी सदस्यों से, जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित कर रहे हैं (ऐसे सदस्यों को छोड़कर जो विदेशों में निवास कर रहे हैं), जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :
 - (क) 3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में न्यूनतम 90 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें, जिनमें से 60 सीपीई क्रेडिट घंटे ढांचागत पठन के होंगे।
 - (ख) प्रत्येक वर्ष में ढांचागत पठन के न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।
- ऐसे सभी सदस्यों से, जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित नहीं कर रहे हैं या जो विदेशों में निवास कर रहे हैं (चाहे वे व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित कर रहे हैं अथवा नहीं), जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :
 - (क) 3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में ढांचागत/गैर-ढांचागत पठन के न्यूनतम 45 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।
 - (ख) प्रत्येक वर्ष में ढांचागत/गैर-ढांचागत पठन के न्यूनतम 10 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।
- ऐसे सभी सदस्यों से, (60 वर्ष से अधिक आयु के) जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित कर रहे हैं जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

- (क) 3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में (ढांचागत/गैस-ढांचागत) न्यूनतम 70 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।
- (ख) प्रथम वर्ष, अर्थात् 2011 में ढांचागत/गैस-ढांचागत के न्यूनतम 10 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।
- (ग) दूसरे और तीसरे वर्ष, अर्थात् 2012 और 2013 में ढांचागत/गैस-ढांचागत के न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

- ऐसे सभी सदस्यों से, (60 वर्ष से अधिक आयु के) जो व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारित नहीं कर रहे हैं जब तक कि उन्हें छूट प्रदान न की जाए, यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

- (क) 3 वर्ष की प्रत्येक रोलिंग अवधि में (ढांचागत/गैस-ढांचागत) न्यूनतम 35 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।
- (ख) प्रथम वर्ष, अर्थात् 2011 में ढांचागत/गैस-ढांचागत के न्यूनतम 5 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।
- (ग) दूसरे और तीसरे वर्ष, अर्थात् 2012 और 2013 में ढांचागत/गैस-ढांचागत के न्यूनतम 10 सीपीई क्रेडिट घंटे पूरे करें।

असंरचित सीपीई पठन क्रियाकलापों के संबंध में एक सलाह भी जारी की गई है। उक्त सलाह को आईसीएआई की वेबसाइट (www.icaai.org) और सीपीई पोर्टल (www.cpeicai.org) पर रखा गया है। यह सलाह सदस्यों के लिए मार्गदर्शन और निदेश का प्रयोजन सिद्ध करती है जिससे कि वे असंरचित पठन क्रियाकलापों के माध्यम से सीपीई घंटों के क्रेडिट का फायदा उठा सकें। सलाह में असंरचित पठन क्रियाकलापों और उन्हें पूरा किए जाने संबंधी ब्यौरे सम्मिलित हैं।

5.7.7 घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रम (आईएचडीपी) का आयोजन

समिति क्वालिटी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे कि पदधारियों के कौशल को पैना बनाया जा सके और कारबार गृहों की आवश्यकताओं को, उनके हित क्षेत्रों में सस्ती लागत पर पूरा किया जा सके। समिति प्रत्येक मास देश भर में विभिन्न स्थानों पर समकालीन सुसंगतता के विषयों जैसे कि आंतरिक संपरीक्षा, अप्रत्यक्ष कराधान, आईएफआरएस, आईएसए, सेवाकर, वैट, जीएसटी आदि पर लगभग 15 ऐसे आयोजन करती है। इस वर्ष के दौरान 1500 से अधिक पदधारियों ने अपने ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों का फायदा उठाया था।

5.7.8 टेली-कांफ्रेंसिंग कार्यक्रम

काफी लंबे समय से टेली-कांफ्रेंसिंग ज्ञान के प्रसार के लिए कम लागत की पद्धतियों में से एक है। सीपीई समिति इस उद्देश्य के साथ टेली-कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रही है कि सीपीई कार्यक्रम साधारण रूप में हमारे अधिकाधिक सदस्यों तक और विशेष रूप से दूरस्थ और छोटे स्थानों में स्थित सदस्यों तक पहुंच सके। वर्तमान समय में, समिति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), दिल्ली के सहयोग से चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृत्ति से सुसंगत और संबंधित विषयों पर प्रत्येक मास एक या दो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है। अभी तक सम्मिलित किए गए विषयों में : वृत्तिक संगतता के सामयिक मुद्दों, प्रत्यक्ष कर संहिता पर परियोजना रिपोर्ट और पुनरीक्षित परामर्श पत्र तैयार करना और उसका विश्लेषण - एक गहन विश्लेषण, आईएफआरएस की कार्य योजना, अंतरराष्ट्रीय कराधान प्रारंभ करना, कंपनी विधेयक, लेखांकन मानकों का पर्यावलोकन, बजट 2011 का खंड वार विश्लेषण, सेवाकर, बैंक संपरीक्षा, एक्सबीआरएल, आचार मानक, भारतीय लेखांकन मानकों का पर्यावलोकन, प्रत्यक्ष कर संहिता, पुनरीक्षित अनुसूची 6 आदि हैं।

सदस्यों से निरंतर प्राप्त होने वाली उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, सीपीई समिति टेली-कांफ्रेंसिंग कार्यक्रमों की डीवीडी बना रही है। सदस्य प्रति यूनिट 50 रुपए के भुगतान पर इन डीवीडीयों को प्राप्त कर सकते हैं और इन डीवीडीयों को देखकर सदस्य दो घंटे (असंरचित) सीपीई क्रेडिट का दावा भी कर सकते हैं।

5.7.9 आयोजित किए गए बृहत कार्यक्रम

समिति ने देश में विभिन्न अवस्थानों पर 11 बृहत कार्यक्रमों का आयोजन किया था जिनमें अखिल भारतीय सीए सम्मेलन, आवासी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं सम्मिलित थीं।

5.7.10 सीपीई कलेण्डर

समिति प्रत्येक वर्ष, पीओयू के लिए सीपीई कार्यक्रमों के संचालन में एकसमानता बनाए रखने को सुकर बनाने के विचार से इस क्षेत्र में होने वाली तीव्र घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सीपीई कार्यक्रमों के लिए विषयों का एक कलेण्डर जारी करती है। वर्ष 2011-2012 के लिए जारी उक्त कलेण्डर में निम्नलिखित बृहत शीर्षों के अधीन आने वाले अनेकों आबद्धकर विषय सम्मिलित थे (क) लेखांकन और संपरीक्षा, (ख) लागत और वित्तीय प्रबंध, (ग) सूचना प्रौद्योगिकी, (घ) कराधान, (ङ) अप्रत्यक्ष कर, (च) कारबार प्रबंध, (छ) निगम विधियां (ज) आचार-संहिता, (झ) वित्तीय और पूंजी बाजार, (ञ) निगम शासन, (ट) बीमा और जोखिम प्रबंध, (ठ) लोक वित्त, (ड) सॉफ्ट कौशल और अन्य के साथ, परामर्श और सलाहकारी सेवाओं तथा सूचना के अधिकार अधिनियम और एक्सबीआरएल से संबंधित अन्य विषय। पूर्वोक्त कलेण्डर, जिसमें वृत्तिक और समकालीन दिलचस्पी के वैकल्पिक विषय भी अंतर्विष्ट हैं, आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org और www.cpeicai.org पर उपलब्ध हैं।

5.8 निगम विधियों और निगम शासन संबंधी समिति

निगम विधियां एक ऐसी पूंजी है, जो अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय, विविध और सक्रिय बनाती है। निगम शासन का विषय उसे अनुपूरक करता है और इसलिए वह निगम विधियों में अंतर्निहित है। दोनों सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं जिन्हें एक दूसरे से जुड़ा नहीं किया जा सकता। भारतीय निगम विधियों और निगम शासन को अंतरराष्ट्रीय विधियों और सर्वोत्तम व्यवहारों के समतुल्य बनाने के उद्देश्य से उनका काफी अधिक पुनर्विलोकन हुआ है और इस संबंध में प्रगति की गई है। समिति के आज्ञापक कृत्यों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की समय-समय पर इन दोनों विषयों पर पहलों और वृत्ति में लगे सदस्यों, जो कंपनी विधि और निगम शासन से संबंधित विभिन्न मामलों पर दिन-प्रतिदिन व्यवहारिक कार्य करते हैं, की प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व को भी ध्यान में रखते हुए समिति ने यह वांछा की थी कि चालू वर्ष हेतु बृहत कार्य योजना में निम्नलिखित को अभिन्न भाग होना चाहिए :

- विनियामक परिचर्चाओं में भाग लेकर कार्यपालन
- विद्यमान विधिक ढांचे पर विचार करके उसका पुनर्विलोकन
- सदस्यों को व्यवसाय के उभरते नए क्षेत्रों के संबंध में शिक्षित करके उन्हें सशक्त बनाना।

समिति ने प्रस्तावित कंपनी विधेयक, 2009 के संबंध में विभिन्न मंचों पर हुए विचार-विमर्शों में सक्रिय भागीदारी की है और उसने अपने विचार/सुझाव सरकार को प्रस्तुत किए हैं और हमें यह कथन करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उनमें से अधिकांश सुझावों का स्वागत हुआ था और उन्हें स्वीकार करके कंपनी विधेयक, 2009 में स्थान दिया गया था। उपरोक्त के अलावा, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भी कंपनी अधिनियम, 1956, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम की धाराओं और उनके नियमों से संबंधित परिपत्रों/अधिसूचनाओं के संबंध में नियमित आधार पर अनेक सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। कंपनी अधिनियम, 1956 की पुनरीक्षित अनुसूची छह की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, समिति ने उस पर मार्गदर्शक टिप्पण निकालने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया था, यह मार्गदर्शन टिप्पण इस समय अंतिम प्रक्रमों पर है। इसके अतिरिक्त, समिति ने पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में निगम शासन संबंधी क्षेत्रीय अध्ययन के विषय पर पब्लिक उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति के समक्ष भी एक प्रस्तुतीकरण किया था और साथ ही इस परस्पर क्रिया के दौरान उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर भी प्रस्तुत किए थे। समिति निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए निगम शासन संबंधी राष्ट्रीय फाउंडेशन के साथ भी संपर्क बनाए हुए है। नए उभरते क्षेत्रों और निगम विधियों में परिवर्तनों तथा सदस्यों की दिलचस्पी के विषयों पर शाखा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा बनाई गई है।

मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अब टियर I, टियर II और टियर III नगरों तक पहुंचा दिया गया है और इन पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु भारी संख्या में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। मूल्यांकन में एक ई-पठन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, समिति शीघ्र ही एमएंडए पर एक नया प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का विचार भी कर रही हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- **सुझाव/प्रतिवेदन**

(क) निम्नलिखित विषयों के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुतीकरण किए गए :

- कंपनी विधेयक, 2009 के संबंध में विचार/सुझाव और कंपनी विधेयक, 2009 के संबंध में संसदीय स्थाई समिति की रिपोर्ट पर विचार/सुझाव ।
- प्रारूप अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ 26000 (सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में मार्गदर्शन) पर टीका-टिप्पणियां/सुझाव ।
- एलएलपी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों को लागू करने के संबंध में टीका-टिप्पणियां/ सुझाव और साथ ही नीति और संवर्धन विभाग द्वारा उसके पांचवें परिचर्चा पत्र के माध्यम से एलएलपी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया ।
- निगमन के अधीन किसी कंपनी द्वारा किए गए क्रियाकलापों (उद्देश्यों) की वास्तविकता की जांच करने के लिए सुझाव ।
- परिसमापन के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन टिप्पण को सम्मिलित करते हुए एक पृष्ठभूमि टिप्पण और प्राइवेट परिसमापक के रूप में सीए की सेवाएं लेने के लिए अवधारणा पत्र ।
- वार्षिक विवरणियां न भरे जाने के मामले में प्ररूप भरे जाने को प्रतिषिद्ध करने के प्रस्ताव के संबंध में एमसीए द्वारा जारी परिपत्र पर विचार/सुझाव ।
- कंपनी (लागत लेखा अभिलेख) नियम, 2011 और कंपनी (लागत संपरीक्षा रिपोर्ट) नियम, 2011 पर विचार/सुझाव ।
- पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (पीएसयू) में निगम शासन संबंधी क्षैतिज अध्ययन पर विचार/सुझाव ।
- स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रारूप संहिता के संबंध में टीका-टिप्पणियां ।

(ख) कंपनी विधेयक, 2009 से संबंधित वित्त मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष कंपनी विधेयक, 2009 के संबंध में समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर आईसीएआई के प्रतिनिधियों की एक मौखिक सुनवाई की गई थी ।

(ग) (पीएसयू) में निगम शासन संबंधी क्षैतिज अध्ययन पर आईसीएआई के सुझावों को पब्लिक उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।

(घ) समिति ने संयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए वर्ष 2011-12 के लिए एक कार्य योजना निगम शासन संबंधी राष्ट्रीय फाउंडेशन (एनएफसीजी) को प्रस्तुत की है ।

(ङ) एलएलपी और कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन यथा अधिकथित प्रक्रियाओं में विनियामक दोहरावों या कमियों संबंधी मुद्दों पर अंतर्निवेशों को निगम शासन संबंधी राष्ट्रीय फाउंडेशन (एनएफसीजी) को प्रस्तुत किया गया था ।

- **अक्तूबर/नवम्बर, 2010 में तुलनपत्रों/वार्षिक रिपोर्टों का बड़ी संख्या में फाइल किया जाना**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए, उनके द्वारा दिए गए वर्णानुक्रम के अनुसार चालू वर्ष के लिए कंपनियों के तुलनपत्र और वार्षिक विवरणियां फाइल करने के संबंध में सदस्यों के बीच जागरूकता के सृजन को सुकर बनाने के लिए समिति ने उनके अनुरोध पर आईसीएआई की वेबसाइट पर एक उद्घोषणा और पॉप-अप संदेश पोस्ट किया था ।

- **नागरिक चार्टर और शिकायत समाधान तंत्र**

समिति ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा “नागरिक चार्टर और शिकायत समाधान तंत्र” विषय पर आयोजित एक बैठक में भाग लिया था, जिसमें निगमों द्वारा एमसीए-21 के अधीन फाइल किए गए प्ररूपों का समय पर निपटारा एक प्रमुख मुद्दा था ।

● **कंपनी अधिनियम, 1956 की पुनरीक्षित अनुसूची 6 के संबंध में कथन/मार्गदर्शन टिप्पण**

समिति सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की पुनरीक्षित अनुसूची 6 के संबंध में कथन/मार्गदर्शन टिप्पण निकालने के लिए कार्यवाही कर रही है। इस संबंध में पुनरीक्षित अनुसूची 6 के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों और साथ ही प्रारूप कथन/मार्गदर्शन टिप्पण तैयार करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया था।

● **एमसीए द्वारा प्रमाणीकृत फाइलिंग केन्द्रों (सीएफसी) की स्कीम का नवीकरण**

चूंकि सीएफसी की पहुंच वृहत्तर है और वह देश के कोने-कोने तक पहुंचती है और उनका प्रचालन ऐसे वृत्तिकों द्वारा किया जाता है जिनका समर्थन एमसीए कार्यक्रम के लिए सतत है, इसलिए मंत्रालय ने इस स्कीम को 1 जुलाई, 2010 से तीन वर्ष की और अवधि के लिए, जब तक कि इसे आगे और नवीकृत या पुनरीक्षित न किया जाए, विस्तारित करना उपयुक्त समझा है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने आवेदनों को प्राप्त करने, उनपर कार्यवाही करने और उनका संत्यापन करने के लिए आईसीएआई की भी एक अभिकरण के रूप में पहचान की है। इस संबंध में, समिति को सदस्यों से 401 सीएफसी आवेदन (122 नए आवेदन और विद्यमान सीएफसी के नवीकरण के लिए 279 आवेदन) प्राप्त हुए थे। प्राप्त हुए सभी आवेदनों के संबंध में लॉट 1 से 10 के रूप में नवीकरण/नए रजिस्ट्रीकरण के लिए एमसीए को सिफारिश की गई थी।

● **मूल्यांकन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

समिति ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में मूल्यांकन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 18 बैचों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस कार्यक्रम को हाल ही में अहमदाबाद और पुणे में भी आरंभ किया गया है और साथ ही दिल्ली, राजकोट और कोयंबटूर में भी शीघ्र ही नए बैच प्रारंभ होने जा रहे हैं। आज की तारीख तक 1193 सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण कराया है।

● **आयोजित कार्यक्रम**

(i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 14 से 21 दिसम्बर, 2010 के दौरान मनाए गए “भारत निगम सप्ताह” के भाग रूप में आईसीएआई ने एमसीए के साथ संयुक्त रूप से “संवहनीय कारबार” विषय पर एक अर्धदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसका संयोजन समिति द्वारा किया गया था और इसकी मेजबानी देशभर में 25 अवस्थानों पर आईसीएआई की संबंधित शाखाओं द्वारा की गई थी।

(ii) सदस्यों के बीच जागरूकता तैयार करने के विचार से समिति ने अगस्त, 2010 में एमसीए द्वारा प्रारंभ की गई सुगम निकासी स्कीम और कंपनी विधि समझौता स्कीम के संबंध में पटना, बंगलौर, राजकोट, जामनगर, एल्लेप्पी और नवी मुंबई में 6 कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

● **पहलें/चालू परियोजनाएं**

- समिति विलयनों और अर्जनों तथा दिवाला पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का विचार कर रही है।
- छात्र समुदाय के लिए समिति का एक उपयुक्त तकनीकी प्रकाशन निकालना।
- मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए एक ई-पठन मॉड्यूल विकसित करना।
- निगम शासन/निगम विधि/एलएलपी आदि पर एक दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

5.9 प्रत्यक्ष कर समिति

5.9.1 प्रत्यक्ष कर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रतिवेदन

- देशभर में स्थित सदस्यों से प्राप्त होने वाले अनुरोधों के आधार पर, पैन कूटीकृत डीएससी के उपयोग के

संबंध में भारतीय/विदेशी कंपनियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को उपदर्शित करते हुए, आईसीएआई द्वारा एक प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी कंपनियों के अनिवासी हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए कूटीकृत डीएससी के उपयोग की अपेक्षा में छूट प्रदान की है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10ख के अधीन कटौती का दावा करते समय विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित 100 प्रतिशत निर्यातानुमुखी इकाइयों के निर्धारितियों के समक्ष आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को उपदर्शित करते हुए एक प्रतिवेदन आईसीएआई द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा की जाने वाली कर संपरीक्षाओं पर बेहतर क्वालिटी संबंधी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अध्यक्ष, सीबीडीटी ने यह अनुरोध किया है कि आयकर विवरणी के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा अंकीय रूप से हस्ताक्षरित कर संपरीक्षा रिपोर्ट अपलोड करने की अनुमति प्रदान की जाए।

5.9.2 बजट - 2011

(क) बजटपूर्व ज्ञापन - 2011

आईसीएआई ने अपनी वेबसाइट पर एक उद्घोषणा रखी थी जिसके द्वारा सदस्यों से बजटपूर्व ज्ञापन - 2010-11 के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए थे। महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, बजटपूर्व ज्ञापन वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। उसे आईसीएआई की वेबसाइट पर भी रखा गया था।

इसके अतिरिक्त, समिति को वित्त मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें आईसीएआई से यह अनुरोध किया गया था कि वे 13 दिसम्बर, 2010 को नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न व्यापार और उद्योग संघों के साथ बुलाई गई बजटपूर्व बैठक में संस्थान की सिफारिशों के सार को प्रस्तुत करने के लिए अपने प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करें। तदनुसार, सीए संजय कुमार अग्रवाल, परिषद् सदस्य, आईसीएआई ने प्रत्यक्ष करों के संबंध में आईसीएआई के सुझावों को प्रस्तुत किया था, जिनका बैठक में उपस्थित अध्यक्ष, सीबीडीटी और सीबीडीटी के अन्य वरिष्ठ पदधारियों ने स्वागत किया था।

(ख) बजट अवलोकन सत्र

समिति ने अप्रत्यक्ष कर समिति और अंतरराष्ट्रीय कराधान समिति के साथ संयुक्त रूप से प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में 28 फरवरी, 2011 को बजट अवलोकन कार्यशाला का आयोजन किया था। माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, बजट संबंधी प्रस्तावों पर सदस्यों द्वारा ब्यौरेवार चर्चा की गई थी और बजट प्रस्तावों के संबंध में आईसीएआई के विचारों को उल्लिखित करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। प्रत्यक्ष कर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों की विशिष्टियों को तैयार किया गया था और उसे उसी दिन वेबसाइट पर रख दिया गया था।

(ग) बजट 2010 - जर्नल के लिए लेख

साधारण व्यवहार के रूप में, समिति ने वृत्ति के विख्यात सदस्यों से जर्नल में प्रकाशित किए जाने के लिए, विभिन्न खंडों पर लेख प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। तदनुसार, निम्नलिखित लेख प्रस्तुत किए गए थे :

क्रम सं.	लेखक	विषय
1.	सीए वेद जैन	वित्त विधेयक, 2011 की प्रमुख विशिष्टियां
2.	सीए पद्म चंद खिनचा	धारा 94क- प्रस्तावित परिवर्तनों पर रोशनी
3.	सीए के.के. चैतन्य	एलएलपी पर वैकल्पिक न्यूनतम कर

इन लेखों को जर्नल के अप्रैल, 2011 अंक में प्रकाशित किया गया था।

(घ) संघीय बजट 2011 का सीधे वेबकास्ट

समिति ने अप्रत्यक्ष कर समिति के साथ संयुक्त रूप से 28 फरवरी, 2011 को सांय 7.30 बजे संघीय बजट, 2011 के सीधे वेबकास्ट का आयोजन किया था, जिसमें विशेषज्ञों ने विस्तार से बजट प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया था। उक्त वेबकास्ट के बारे में जानकारी देते हुए बड़ी संख्या में मेल और बड़ी संख्या में एसएमएस पर्याप्त समय पूर्व भेजे गए थे। सदस्यों द्वारा इस वेबकास्ट की काफी सराहना की गई थी।

(ङ) बजट-पश्च ज्ञापन - 2011

बजट-पश्च ज्ञापन - 2011 में सम्मिलित किए जाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए जाने के प्रयोजन के लिए, वेबसाइट पर एक उद्घोषणा की गई थी, जिसमें सदस्यों से वित्त विधेयक, 2011 में अंतर्विष्ट प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों के संबंध में उनके सुझाव भेजने का अनुरोध किया गया था। साथ ही सभी शाखाओं, क्षेत्रों और परिषद् सदस्यों को भी संघीय बजट - 2011 के संबंध में उनके सुझाव भेजने के लिए ई-मेल भेजी गई थी। इसके अतिरिक्त, बजट-पश्च ज्ञापन में सम्मिलित किए जाने के लिए सभी सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करते हुए बड़ी संख्या में मेल भेजी गई थी। इस प्रकार प्राप्त सुझावों का संकलन किया गया था और समिति ने उन पर विचार किया था। इस प्रकार अंतिम रूप से तैयार किए गए ज्ञापन को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।

यह उल्लेखनीय है कि बजट पश्च ज्ञापन में अंतर्विष्ट आईसीएआई के दो सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार विचार किए गए सुझावों को वेबसाइट पर भी रखा गया है।

5.9.3 प्रत्यक्ष कर संहिता**(क) प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2009 के संबंध में आईसीएआई के सुझाव**

समिति द्वारा सृजित उप समूहों द्वारा ब्यौरेवार विश्लेषण और विचार-विमर्श के पश्चात् प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2009 के संबंध में एक रिपोर्ट 4 मई, 2010 को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी।

इनमें से अधिकांश सुझावों को स्वीकार किया गया था और उन्हें पुनरीक्षित परिचर्चा पत्र तथा अंततः प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 में भी सम्मिलित किया गया था।

(ख) प्रत्यक्ष कर संहिता पर पुनरीक्षित परिचर्चा पत्र के संबंध में आईसीएआई के सुझाव

सीबीडीटी ने 15 जून, 2010 को प्रत्यक्ष कर संहिता पर पुनरीक्षित परिचर्चा पत्र जारी किया था। उसे पुनरीक्षित परिचर्चा पत्र पर सदस्यों के सुझाव आमंत्रित करने वाली उद्घोषणा के साथ आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था।

समिति ने प्रत्येक क्षेत्र में उपसमूहों का गठन किया था और प्रत्येक उपसमूह को पुनरीक्षित परिचर्चा पत्र का एक-एक विषय आबंटित किया था और साथ ही इन उपसमूहों के संयोजकों से यह अनुरोध किया गया था कि वे उस पर विचार-विमर्श करने के लिए उनके नगरों के भीतर स्थानीय अध्ययन समूहों का सृजन करें और पुनरीक्षित परिचर्चा पत्र के संबंध में अंतिम टीका-टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत करें। समिति ने इन सुझावों पर गहराई से विचार किया था। तत्पश्चात् प्रत्यक्ष कर संहिता संबंधी पुनरीक्षित परिचर्चा पत्र पर सुझावों को अंतिम रूप दिया गया था और उन्हें 30 जून, 2010 को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीडीटी से एक पत्र भी प्राप्त हुआ था, जिसमें आईसीएआई को प्रारूप प्रत्यक्ष कर संहिता संबंधी पुनरीक्षित परिचर्चा पत्र पर एक परस्पर क्रियाशील सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। तदनुसार, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति ने समिति के अन्य सदस्यों के साथ 30 जून, 2010 को आयोजित इस परस्पर क्रियाशील सत्र में भाग लिया था। इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए सुझावों की वित्त मंत्रालय द्वारा अत्यधिक सराहना की गई थी।

दिए गए अधिकांश सुझावों को स्वीकार किया गया था और प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 में सम्मिलित किया गया था।

(ग) प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010

प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 को 30 अगस्त, 2010 को संसद् में पुरःस्थापित किया गया था। इस संबंध में

सदस्यों से विधेयक पर टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए वेबसाइट पर एक उदघोषणा जारी की गई थी।

- समिति ने 1 सितम्बर, 2010 को एक लाइव वेबकास्ट का संचालन किया था। रिकार्ड किया गया यह वेबकास्ट आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है जिससे कि अधिकतम संख्या में सदस्य समिति की इस जानकारी आदान-प्रदान करने की पहल का फायदा उठा सकें।
- समिति को संयुक्त सचिव, लोक सभा सचिवालय से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 के संबंध में आईसीएआई के सुझाव आमंत्रित किए गए थे। तत्पश्चात् वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति को समुचित सिफारिश करने के लिए प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 से उदभूत होने वाले मुद्दों की पहचान करने के लिए देशभर में अध्ययन समूहों को गठित किया गया था। तदनुसार, समिति की बैठकों में सम्यक विचार-विमर्श के पश्चात्, 30 नवम्बर, 2010 को वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति को एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। वित्त मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति को 12 जनवरी, 2011 को प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 के संबंध में एक अंतिम समेकित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। तत्पश्चात् उक्त समिति ने विधेयक के संबंध में 19 जनवरी, 2011 को आईसीएआई के प्रतिनिधियों की एक मौखिक सुनवाई किए जाने की वांछा की थी। तदनुसार, आईसीएआई के प्रतिनिधि 19 जनवरी, 2011 को आयोजित सुनवाई में उपस्थित हुए थे। आईसीएआई के प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 संबंधी विचारों पर अनुकूल रूप से विचार किया गया था।
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया था कि वह उन्हें प्रत्यक्ष कर संहिता के अधीन महत्वपूर्ण अध्यायों के प्रक्रिया प्रवाह को तैयार करने में उनकी सहायता करे जिससे कि प्रत्यक्ष कर संहिता के विभिन्न उपबंधों के बीच किन्हीं आंतरिक विसंगतियों, यदि कोई हों, का पता लगाया जा सके और ऐसे उपबंधों को सुमेलित किया जा सके। तदनुसार, इस संबंध में विचार करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है। यह आशा की जाती है कि यह समूह शीघ्र ही अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।
- आईसीएआई को 22 जून, 2010 को अपने प्रधान कार्यालय में श्री आर. बंधोपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और मंत्रालय के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा प्रत्यक्ष कर संहिता और उससे संबंधित पुनरीक्षित परिचर्चा पत्र के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण किया गया था। इस प्रस्तुतिकरण में, आरडीपी की अंतर्वस्तु सम्मिलित किए जाने के साथ-साथ प्रत्यक्ष कर संहिता की प्रमुख विशिष्टियों और उद्देश्यों तथा प्रत्यक्ष कर संहिता का प्रारूपण करते समय अपनाए गए दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तनों को भी विशेष रूप से दर्शित किया गया था। सचिव, एमसीए और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रस्तुतिकरण की सराहना की थी।

5.9.4 भारतीय लेखांकन मानकों (एएस) के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरण के परिणामस्वरूप उदभूत होने वाले प्रत्यक्ष कर संबंधी मुद्दे

भारतीय लेखांकन मानकों (एएस) के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरण के परिणामस्वरूप उदभूत होने वाले प्रत्यक्ष कर संबंधी मुद्दों की पहचान करने के लिए आईसीएआई द्वारा एक समूह का गठन किया गया था, जिसमें परिषद और सीबीडीटी के सदस्य सम्मिलित थे।

तत्पश्चात्, उक्त समूह ने निम्नलिखित दो उपसमूह बनाने का विनिश्चय किया था :

- अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय कराधान समिति, आईसीएआई की अध्यक्षता में एक उपसमूह, जो ऐसे अन्य देशों में जहां पहले ही आईएफआरएस का कार्यान्वयन कर दिया गया है, कर संबंधी उपबंधों की प्रास्थिति का अध्ययन करेगा।
- अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति की अध्यक्षता के अधीन एक अन्य उपसमूह, जो प्रत्येक लेखांकन मानक में

कर विधियों के संबंध में आईएफआरएस के कार्यान्वयन से उदभूत होने वाले विनिर्दिष्ट अंतरों का अध्ययन करेगा।

दोनों उपसमूहों से प्राप्त सुझावों के आधार पर आईएफआरएस के साथ अभिसरण से उदभूत होने वाले कुछ प्रमुख मुद्दों की स्थैतिक पत्र के रूप में पहचान की गई थी। एनएसीएएस और कुछ वरिष्ठ सरकारी पदधारियों से भी सुझाव प्राप्त हुए थे। इन विचारों को उपयुक्त रूप से स्थैतिक पत्र में सम्मिलित किया गया था जिसपर समूह द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया था। इस स्थैतिक पत्र को संबद्ध मंत्रालय की नीति तैयार करने में सहायता करने के लिए उसे प्रस्तुत किया गया था।

5.9.5 उचित खाते में टीडीएस प्रत्यक्ष का समाशोधन करने के लिए सीआईटी (टीडीएस) के साथ बैठक

माननीय आयकर आयुक्त (टीडीएस), श्री श्रीकांत चटर्जी ने आईसीएआई, बीसीएएस, आरबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एनएसडीएल के प्रतिनिधियों और आईटीडी प्रणाली के अन्य अधिकारियों को पैन तथा अन्य डाटा और टीडीएस चालानों तथा टीडीएस विवरणियों के बीच आमेल न होने के कारण आयकर विभाग (आईटीडी) के उचित खाते में पड़े बड़ी मात्रा में टीडीएस प्रत्यक्ष से संबंधित मुद्दे का समाधान करने के लिए आमंत्रित किया था। तदनुसार, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति ने आईसीएआई के अन्य प्रतिनिधियों के साथ उस बैठक में भाग लिया था। आईसीएआई द्वारा इस बैठक में दिए गए सुझावों की माननीय सीआईटी (टीडीएस) ने काफी सराहना की थी।

5.9.6 लेखांकन मानकों, आईएफआरएस, निगम कारबार आय के निर्धारण आदि के संबंध में व्याख्यानों का आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी को सहयोग

समिति ने राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी), नागपुर को आईसीएआई और एनएडीटी के सहयोग से एक सतत कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में एक सैद्धांतिक सहमति हो गई है कि ऐसा कोई कार्यक्रम देश में कर प्रशासन में सुधार करने में सहायक सिद्ध होगा। इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप दिए जाने के लंबित रहने के दौरान, एनएडीटी ने लेखांकन मानकों, प्रत्यक्ष कर संहिता, निगम कारबार आय का निर्धारण आदि जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में परिवीक्षाधीन आईआरएस के 63वें बैच के लिए व्याख्यान आयोजित करने का प्रस्ताव किया था। इस संबंध में एनएडीटी ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया था कि वह उसे अपना सर्वश्रेष्ठ संकाय उपलब्ध कराए। तदनुसार, समिति ने कुछ संकाय सदस्यों के साथ एक कार्यक्रम संरचना उसे उपलब्ध कराई है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 17 जनवरी, 2011 से 19 जनवरी, 2011 के दौरान किया गया था।

5.9.7 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का सहयोग

पुणे में 8 से 9 जनवरी, 2011 के दौरान समिति द्वारा प्रत्यक्ष करों के संबंध में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति को यह अनुरोध किया गया था कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए इस विषय पर कि आज्ञापक लेखांकन मानकों का उपयोग करने से कराधेय आय की अवधारणा पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, एक दो दिवसीय प्रारंभिक पाठ्यक्रम का आयोजन करने की वांछा करती है। यह महसूस किया गया था कि इस प्रकार के अंतर्निवेश ऐसे न्यायाधीशों के लिए विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो कर संबंधी न्यायपीठों में कार्यरत हैं। तदनुसार, समिति ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को एक पत्र लिखा था जिसमें उच्च न्यायालयों के आसीन न्यायाधीशों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशिष्ट संकाय सदस्यों को उपलब्ध कराके अकादमी की सहायता करने का प्रस्ताव किया गया था और साथ ही ऐसे अन्य न्यायिक अधिकारियों के लिए, जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, इस विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पृथक मॉड्यूल का भी प्रस्ताव किया गया था।

5.9.8 'उत्तराधिकार/वसीयतों, कुटुंब ठहरावों/समझौतों और एचयूएफ विभाजनों के संबंध में एक अध्ययन' नामक प्रकाशन का पुनरीक्षण

उपर्युक्त प्रकाशन को आर्थिक, वाणिज्यिक विधि और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति ने पुनरीक्षण हेतु प्रत्यक्ष कर समिति

को अग्रेषित किया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि यह विषय प्रत्यक्ष कर समिति की अधिकारिता के अंतर्गत है। इस प्रकार, समिति ने उक्त प्रकाशन का पुनरीक्षण किया था।

5.9.9 सभी सदस्यों को 'भारतीय प्रत्यक्ष कर ट्रैकर' उपलब्ध कराना

समिति ने वोल्टर्स क्लुअर के प्रभाग सीसीएच के साथ यह करार किया था कि वह उनके ऑन लाइन उत्पाद 'भारतीय प्रत्यक्ष कर ट्रैकर' का एक वर्ष का निःशुल्क अभिदाय उसे प्रदान करेगा। यह एक ऐसा समकालीन जागरूकता अभिदाय उत्पाद है जिसका प्रकाशन और वितरण उनके द्वारा विश्वभर में किया जाता है। उक्त प्रकाशन एक मात्र ऐसा सामयिक, व्यापक और गुणवत्ता उत्पाद है जिसमें एएआर विनिर्णयों; आईटीएटी आदेशों; उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय; सभी अधिसूचनाओं और परिपत्रों तथा उल्लेखनीय समाचारों को सम्मिलित करने वाले अनेक फीचर सम्मिलित किए जाते हैं। करार के अनुसार, कंपनी एक वर्ष के लिए सभी सदस्यों को ट्रैकर के मेलर और निःशुल्क अभिदाय का प्रस्ताव करेगी और तत्पश्चात् इसे तुरंत पश्चातवर्ती वर्ष के लिए 25 प्रतिशत की छूट प्राप्त दर पर 3,550.00 रुपए उपलब्ध कराया जाएगा।

5.9.10 कंपनी अधिनियम, आईएफआरएस, जीएसटी और डीटीसी के बीच अभिसरण में अंतर्वलित मुद्दों पर विचार करने के लिए समूह

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुरोध पर कंपनी अधिनियम, आईएफआरएस, जीएसटी और डीटीसी के बीच अभिसरण में अंतर्वलित मुद्दों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से एक समूह का सृजन किया गया था। समूह द्वारा सुविचारित एक रिपोर्ट को वांछित समय के भीतर कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। मंत्रालय ने समूह की रिपोर्ट पर सम्यक रूप से विचार किया था। उपयुक्त कार्रवाई किए जाने के लिए उसे वित्त मंत्रालय को अग्रेषित किया था।

5.9.11 श्री संजय वर्मा, सीपीसी के सीआईटी, बंगलूरु के साथ परस्पर संवाद

अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति ने सीपीसी, बंगलूरु का दौरा किया था और उन्होंने श्री संजय वर्मा, सीपीसी के सीआईटी के साथ परस्पर संवाद किया था। इस विचार-विमर्श के दौरान अध्यक्ष, डीटीसी ने विवरणियों की ई-फाइलिंग से सहबद्ध कतिपय समस्याओं का उल्लेख किया था। उन्होंने ई-फाइलिंग से संबंधित विनिर्दिष्ट समस्याओं का अध्ययन करने और ऐसी समस्याओं का संभाव्य समाधान उपलब्ध कराने के लिए समूह गठित करने का प्रस्ताव भी किया था। उक्त दौरे के दौरान श्री संजय वर्मा, सीपीसी के सीआईटी ने आईसीएआई की एसआईआरसी की बंगलूरु शाखा में एक विशेष संबोधन भी प्रस्तुत किया था।

5.9.12 टीडीएस का दावा करने में अंतर्वलित मुद्दे - टीडीएस संबंधी स्थायी समिति को प्रतिवेदन

स्रोत पर कटौती किए गए कर के प्रत्यय का दावा करने के संबंध में निर्धारिती के सामने आने वाले मुद्दों की पहचान करने के लिए समिति ने देशभर में विभिन्न अध्ययन समूहों का सृजन किया था। इस प्रकार उपसमूहों से प्राप्त मुद्दों का संपादन, संकलन किया गया था और उन्हें स्वैच्छिक टीडीएस/ टीसीएस अनुपालन में वृद्धि करने, कर व्यवसायियों, कर कटौतीकर्ताओं/संग्रहणकर्ताओं और तृतीय पक्षकार भागीदारों के बीच भागीदारी को मजबूत करने, टीडीएस/टीसीएस से संबंधित उपबंधों के बारे में, कटौतीकर्ताओं/संग्रहणकर्ताओं और कर-दाताओं के बीच शिक्षा और जागरूकता का संवर्धन करने और समस्याओं को न्यूनतम करने के लिए विचारों के आदान-प्रदान हेतु आयकर निदेशालय (टीडीएस) द्वारा सृजित टीडीएस संबंधी स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया था। अत्यंत महत्ता के कतिपय मुद्दों पर उक्त समिति की बैठक में आईसीएआई के प्रतिनिधियों द्वारा गहन विचार-विमर्श किया गया था। इन मुद्दों पर स्थायी समिति द्वारा ब्यौरेवार परिचर्चाएं की गई थीं तथा उन्हें भलीभांति समझा गया था। उक्त मुद्दों को अब अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उनके विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

5.9.13 प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 से संबंधित प्रारूप प्ररूपों और नियमों को तैयार करने के लिए पूरे भारत में अध्ययन समूहों का सृजन

प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 से संबंधित प्रारूप प्ररूपों और नियमों को तैयार करने के लिए सीबीडीटी की सहायता करने हेतु पूरे भारत में विभिन्न अध्ययन समूहों का सृजन किया गया है। यह आशा की जाती है कि ये

अध्ययन समूह उन्हें आबंटित अध्यायों के संबंध में शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

5.9.14 अर्हतापश्च-कर प्रबंध पाठ्यक्रम को पुनरुज्जीवित करने के लिए अध्ययन समूह

अर्हतापश्च-कर प्रबंध पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को पुनरीक्षित करने के लिए एक अध्ययन समूह का सृजन किया गया है, जो सुझाई गई ऐसी पुस्तकों की सूची को भी पुनरीक्षित करेगा जो वर्तमान संदर्भ में सुसंगत हैं जिससे कि इस पाठ्यक्रम को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके ।

5.9.15 धारा 142(2क) के अधीन विशेष संपरीक्षा करने के लिए किसी लेखाकार को, यदि कोई हो, पैनलबद्ध करने के लिए अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश

समिति की राय यह है कि लेखाकार को पैनलबद्ध करने के लिए अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों में एक समानता लाए जाने से धारा 142(2क) के अधीन संपरीक्षा करने के उद्देश्य को और अधिक बल मिलेगा । इस प्रकार सीसीआईटी, दिल्ली को यह अनुरोध किया गया है कि वह इस उपधारा के अधीन विशेष संपरीक्षा करने के लिए किसी लेखाकार को, यदि कोई हो, पैनलबद्ध करने के लिए अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश उपलब्ध कराएं जिससे कि उनका विश्लेषण किया जा सके और देशभर में उपयोग हेतु दिशानिर्देशों का सुझाव दिया जा सके ।

5.9.16 “सम लाभांश - एक अध्ययन” प्रकाशन का पुनर्विलोकन

समिति ने आईसीएआई के डब्ल्यूईआरसी की प्रत्यक्ष कर समिति के “सम लाभांश - एक अध्ययन” प्रारूप प्रकाशन का पुनर्विलोकन किया था, जिसे समिति को पुनर्विलोकन और अनुमोदन के लिए भेजा गया था । समिति द्वारा इस प्रकार दिए गए सुझावों की संसूचना डब्ल्यूईआरसी को दे दी गई है ।

5.9.17 एनएसआई के संबंध में पैनल के विषय में अध्यक्ष, सीबीडीटी को पत्र

अत्यधिक धनी व्यष्टियों के उपार्जनों को मानीटर करने के लिए पैनल गठित किए जाने के संबंध में अध्यक्ष, सीबीडीटी को यह अनुरोध किया गया था कि वह आईसीएआई से एक ऐसे प्रतिनिधि को पैनल में नामनिर्दिष्ट करें, जिसके पास कराधान के क्षेत्र में व्यापक अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान है, जिससे कि उसकी कार्यवाहियों में अभिवृद्धि हो ।

5.9.18 प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 के संबंध में भारतीय निर्यात संगठनों के फेडरेशन (एफआईएफओ) को कार्यक्रम संरचना

एफआईएफओ (भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गठित) ने समिति से यह अनुरोध किया था कि वह उसे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चैन्नई, बंगलौर और कोलकाता में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 के संबंध में कार्यशालाओं की श्रृंखला का आयोजन करने के लिए वक्ताओं के साथ कार्यक्रम संरचना उपलब्ध कराए । यह संरचना उन्हें उपलब्ध करा दी गई है ।

5.9.19 संगोष्ठियां और सम्मेलन

समिति ने देश में विभिन्न अवस्थानों पर 15 संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया था, जिनमें राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय संगोष्ठियां, अखिल भारतीय सम्मेलन और कार्यशालाएं सम्मिलित थीं ।

5.10 आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधी समिति

आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधी समिति आईसीएआई की एक अस्थायी तकनीकी समिति है, जिसे अन्य बातों के साथ, आर्थिक और वाणिज्यिक तथा कारबार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. के क्षेत्र में समकालीन मुद्दों का विश्लेषण करने, उनसे संबंधित जानकारी का प्रसार करने, नीति तैयार करने के लिए अंतर्निवेश प्रदान करने और उनके संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने का बहु कार्यकरण संबंधी कार्य सौंपा गया है ।

वर्ष के दौरान समिति द्वारा निम्नीलिखित पहलें की गई थीं :

5.10.1 कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/कार्यक्रम

समिति ने देश के विभिन्न अवस्थानों पर 14 कार्यशालाओं, आवासी पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों

का आयोजन किया था ।

5.10.2 विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों/विनियामकों को प्रतिवेदन

समिति ने विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों/विनियामकों को निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे :

- भारत सरकार के दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी सचिव को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है कि वह चार्टर्ड एकाउंटेंटों को साइबर अपील अधिकरण के समक्ष मामलों में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति प्रदान करे । मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह आईसीएआई के सदस्यों को साइबर विनियामक सलाहकार समिति में नामनिर्दिष्ट किए जाने पर विचार करे ।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी रणनीति संबंधी प्रारूप परिचर्चा पत्र के संबंध में आईसीएआई की टीका-टिप्पणियां केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दी गई हैं ।
- बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संबंधी परिचर्चा पत्र में अंतर्निहित मुद्दों पर टीका-टिप्पणियां वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को प्रस्तुत कर दी गई थीं ।
- एकाउंटेंसी क्षेत्र के कार्यपालन और उभरते मुद्दों के संबंध में बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में निष्कर्ष के लिए आईसीएआई के विचारों को वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था ।
- पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक को एक प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि चार्टर्ड एकाउंटेंटों को एक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता बनने के लिए व्यापार चिह्न नियम, 2002 के नियम 154 के अधीन विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने में छूट प्रदान की जाए ।
- वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव (आईएफ) को एक प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि डीआरटी अधिनियम और नियमों में उचित रूप से संशोधन किए जाएं जिससे कि विधिक व्यवसायीयों और अन्य अभिकर्ता के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंटों को भी डीआरटी के समक्ष अपने मामलों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जा सके क्योंकि उनके पास विधिक प्राधिकारियों के समक्ष उपसंज्ञात होने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव है ।

5.10.3 डब्ल्यू.टी.ओ. लोकमंच

“विश्व व्यापार को दिशा देने वाली शक्तियां” शीर्षक के अधीन एक डब्ल्यू.टी.ओ. लोकमंच का आयोजन 15 से 17 सितम्बर, 2010 के दौरान जेनेवा में किया गया था । इस मंच में विश्वभर से लगभग 800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह मंच विश्व व्यापार के उभरते प्रतिमान पर विचार-विमर्श करने के लिए उचित अवसर था और इसमें अन्य बातों के साथ, व्यापार, विकास का अधिकार, डब्ल्यू.टी.ओ. में गैर राज्यीय निकायों की भूमिका और समान मुद्दों के माध्यम से सेवा क्षेत्र, व्यापार और सर्वमेलित विकास, मिलेनियम विकास उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में सामने आने वाले मुद्दों पर गहन विचार किया गया था । आईसीएआई की ओर से समिति के अध्यक्ष और सचिव ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था ।

5.10.4 दूतावासों/उच्चायोगों के व्यापार पदधारियों के साथ परस्पर संवाद

द्विपक्षीय सहयोग को बनाने और उसका समर्थन करने के लिए मार्ग और उपाय विकसित करने और साथ ही ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के उद्देश्य से, जहां आईसीएआई उसके समान स्थापित संगठनों/ संस्थाओं से, विश्वभर में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंटों के ब्रांड को सुस्थापित करने के लिए सहयोग कर सकता है, भारत में स्थित विभिन्न दूतावासों के व्यापार पदधारियों के साथ समिति ने 8 सितम्बर, 2010 को आईसीएआई, नई दिल्ली में एक परस्पर संवाद का आयोजन किया था । सीए अमरजीत चोपड़ा, तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी । 15 देशों, अर्थात् संयुक्त राज्य अमरीका, कोलंबिया, मारीशस, इराक, इजराइल, इटली, केन्या,

मलावी, मालदीव, पराग, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, कांगो, बांग्लादेश और किरगिज गणराज्य के दूतावासों के प्रतिनिधियों ने इस परस्पर संवाद के सत्र में भाग लिया था। विभिन्न व्यापार दूतों ने अपने विद्यमान व्यापार और भारत के संदर्भ में निवेश परिदृश्य के विषय पर अपने परिप्रेक्ष्यों के संबंध में चर्चा की थी और साथ ही ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भी विचार किया गया था, जहां आईसीएआई सामाजिक-आर्थिक, विधिक और विनियामक स्थितियों के संबंध में हर प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने की आज्ञा का संवर्धन करने में सहयोग कर सकता है।

5.10.5 प्रकाशन

वर्ष के दौरान, समिति ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले :

- वाणिज्यिक और अन्य दस्तावेजों के प्रारूपण, हस्तांतरण, उनकी स्टाम्पिंग और रजिस्ट्रीकरण के संबंध में एक अध्ययन।
- धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के संबंध में एक अध्ययन।
- चूनिदा वाणिज्यिक और आर्थिक विधियों में उपदर्शात्मक वृत्तिक अवसरों के क्षेत्रों के संबंध में एक सुगम निर्देशिका।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) पर एक हैंडबुक (पुनरीक्षित और अद्यतन द्वितीय संस्करण)।

5.10.6 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. में अर्हता पश्च पाठ्यक्रम/माध्यस्थम पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- समिति ने भोपाल में, जनवरी-फरवरी, 2011 मास के दौरान माध्यस्थम पर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के 8वें बैच का संचालन किया, जिसमें 19 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस पाठ्यक्रम के 9वें बैच का संचालन जून, 2011 मास में नई दिल्ली में किया गया था जिसमें 32 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।
- वर्तमान में मध्यस्थों के आईसीएआई पैनल में 358 सदस्य हैं और देश के भीतर और वैश्विक स्तर पर मध्यस्थों के रूप में नियुक्ति के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों की उपलब्धता के बारे में प्रयोक्ता निकायों को अवगत कराने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रयोक्ता निकाय जैसे कि उच्च न्यायालय, सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार, वाणिज्यिक चैंबर्स /व्यापार निकाय/संघ और वाणिज्यिक फेडरेशन आदि को यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लिए आईसीएआई के मध्यस्थों के पैनल में पैनलबद्ध सदस्यों की सेवाओं का उपयोग करें।
- 30 दिवसीय वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (पी.सी.पी.) के दूसरे बैच का आयोजन 15-15 दिन के दो चरणों में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत ऐसे सदस्यों के लिए, जो पाठ्यक्रम की भाग 1 परीक्षा के संबंध में पात्र होने के लिए इच्छुक थे, कक्षाओं के पहले और दूसरे चरण का आयोजन क्रमशः 1 से 15 दिसम्बर, 2010 तक और 3 से 17 जनवरी, 2011 तक नई दिल्ली में किया गया है।

5.11 नैतिक मानक बोर्ड

आर्थिक उथल-पुथल, पर्यावरणीय हादसों रुढ़िवाद और जीविका उपार्जित करने के लिए कड़ी प्रतियोगिता के निबंधनों में, आज के समाज की इन कड़ी परिस्थितियों में एक आशा की किरण अभी भी जीवित है : वह है नैतिकता और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर जीवन यापन करने वाले व्यष्टि। आज हम जिस समाज और परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं वह ऐसे व्यष्टियों के कारण ही टिका हुआ है।

आज के समय में नैतिकता धर्म या आध्यात्म के विस्तार क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यह वृत्ति, कारबार, नियोजन और अन्यत्र भी उतनी ही सुसंगत है। एकाउंटेंसी वृत्ति एक ऐसा क्षेत्र है जिससे नैतिकता को जुदा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वस्तुतः समाज में प्रत्येक व्यक्ति चार्टर्ड एकाउंटेंटों की सेवाओं पर निर्भर करता है और उनके द्वारा प्रभावित होता है। निस्संदेह रूप से हमारे पास वृत्ति को शासित करने के लिए एक अनन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम है, किन्तु नैतिकता, जो वृत्ति की मार्गदर्शक और गुरु है, विधि का एक सक्रिय प्रतिरूप है।

इसके अलावा आज के समय में नैतिकता ने वृत्ति में एक अति विशेषीकृत रूप धारण कर लिया है और यह प्रत्येक चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए अवश्यम्भावी है ताकि वह वृत्ति के क्षेत्र में अग्रज बना रहे ।

विश्व में अन्य स्थानों की भांति भारत में भी यह अपेक्षित था कि वृत्ति के लिए नैतिकता संबंधी एक जागरूक प्रणाली विद्यमान हो । सदस्यों के लिए नैतिक सिद्धांतों को अद्यतन बनाने के लिए आईसीएआई ने नैतिक मानक बोर्ड (जो पूर्व में नैतिक मानक संबंधी समिति के रूप में ज्ञात था) की स्थापना की थी । बोर्ड का मिशन श्रेष्ठता, स्वाधीनता, सत्यनिष्ठा के आदर्शों को दीर्घकाल से हृदय में संजोए रखते हुए, सदस्यों के लिए नैतिकता और नैतिक व्यवहार की समसामयिक और प्रगतिशील संहिता को उत्सर्जित करने का कार्य करना और सदस्यों की गरिमा और हितों की रक्षा करना भी है । इसके साथ-साथ बोर्ड सदस्यों के लिए ऐसे नैतिक मानकों की रचना भी करता है, जो पर्याप्त रूप से इतने कड़े हों कि जनता के इस वृत्ति के प्रति विश्वास को प्रत्याभू कर सकें । यह अपने प्रकाशनों 'नैतिक संहिता', 'नैतिक वाद विषयों पर एफ.ए.क्यू.', 'संपरीक्षकों की स्वतंत्रता पर मार्गदर्शन टिप्पण' और 'संपरीक्षा रिपोर्ट के पुनरीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पण' को समय-समय पर पुनरीक्षित और संशोधित करता है । बोर्ड सदस्यों के लिए मूलभूत सिद्धांतों, जैसे सत्यनिष्ठा, विषय निष्ठा, सुयोग्यता और व्यावसायिकता में जन चेतना और विश्वास को प्रोत्साहित करता है । यह किसी अस्तित्व के संपरीक्षक के रूप में अन्यायपूर्ण ढंग से हटाए जाने के विरुद्ध सदस्यों की शिकायतों की परीक्षा और निपटारा भी विकसित प्रक्रिया के अनुसार करता है और सदस्यों के हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता है ।

5.11.1 क्रियाकलाप/पहलें

- वृत्तिक एकाउंटेंटों के लिए आईएफएसी नैतिक संहिता के पुनरीक्षित संस्करण, 2010 को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आईसीएआई की नैतिक संहिता, 2009 में परिवर्तन/उपांतरणों की अपेक्षा पर विचार किया था और आईसीएआई की नैतिक संहिता को पुनरीक्षित आईएफएसी नैतिक संहिता के साथ अभिसारित करने की प्रक्रिया अब पूरी होने वाली है ।
- बोर्ड ने सीओपी के साथ, साधारण रूप में और साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों को हस्ताक्षरित करने के संबंध में और विशिष्ट रूप से अन्य अनुप्रमाणित कृत्यों को करने के संबंध में किसी अंध चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए अनुज्ञात क्रियाकलापों के मुद्दे की समीक्षा की है ।
- बोर्ड ने सदस्यों के लिए अपने ग्राहक को जानो, (केवाईसी) सनियमों को अंतिम रूप प्रदान किया है, जिन्हें परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ।
- बोर्ड सदस्यों के बीच नैतिक संहिता के उपबंधों के बारे में जागरूकता बनाने के लिए प्रयास करता है और देश के सभी क्षेत्रों, जिसके अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्र भी हैं, के सदस्यों को इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के उपाय तैयार करता है । बोर्ड यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी शाखाएं/प्रादेशिक परिषदें तीन मास की प्रत्येक अवधि में कम-से-कम एक कार्यक्रम का आयोजन करे, इस प्रकार वर्ष में ऐसे कुल 4 कार्यक्रम हो जाते हैं, देशभर में सदस्यों की दिलचस्पी के विभिन्न नैतिक मुद्दों से संबंधित कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, विचार-गोष्ठियों आदि का आयोजन कर रहा है । इसके अतिरिक्त, सीए जर्नल में नैतिकता संबंधी एक नियमित फीचर 'नो योर एथिक्स' का भी प्रकाशन किया जा रहा है ।
- विभिन्न देशों, वृत्तिक निकायों आदि की नैतिक संहिता के डाटाबेस को बनाए रखा जा रहा है और अद्यतन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य यह है कि नैतिक संहिता के अन्य उपबंधों को समझा जाए और इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारी नैतिक संहिता में और विकास करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए ।
- बोर्ड ने केन्द्रीय परिषद्, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के निर्वाचित और नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता के मुद्दे की समीक्षा की है ।
- बोर्ड, उसके प्रकाशनों 'एफएक्यू' और 'संपरीक्षकों की स्वतंत्रता संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण' का पुनरीक्षण भी कर रहा है ।

- बोर्ड, आईसीएआई के ऐसे सदस्यों के लिए, जो कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक हैं, आदर्श आचार संहिता की समीक्षा कर रहा है।
- बोर्ड, इस मुद्दे की भी समीक्षा कर रहा है कि क्या कोई ऐसा व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउंटेंट किसी एएलपी में भागीदार या पदाभिहित भागीदार बन सकता है, जो वृत्तिक कार्य नहीं कर रहा है अपितु वाणिज्यिक क्रियाकलापों में लगा है।
- बोर्ड, उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (भाग 1) द्वारा की गई सिफारिशों पर सुझायी गई कार्रवाई की समीक्षा कर रहा है।
- बोर्ड, आईसीएआई के विज्ञापन और वेबसाइट संबंधी दिशानिर्देशों का पुनर्विलोकन कर रहा है।
- बोर्ड, ई-सहायता सहित विभिन्न ढंगों से प्राप्त नैतिक/विधिक-नैतिक मुद्दों के संबंध में सदस्यों की समस्याओं/प्रश्नों/स्पष्टीकरणों का समाधान भी करता है। ऐसे सभी प्रश्नों का निपटारा 48 घंटे के भीतर कर दिया जाता है।

5.11.2 विभिन्न वाद विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय

- अंतरण मूल्य नियतन केवल एक प्रमाणन कार्य है और यह कोई संपरीक्षा नहीं है इसलिए प्रमाणन के किसी समनुदेशन को स्वतंत्रता के मुद्दे के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, अंतरण मूल्य नियतन प्रमाणन सेवाएं किसी भी अस्तित्व के संपरीक्षक द्वारा दी जा सकती हैं।
- किसी भी प्रकार के परामर्शी कार्य के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं है, यदि यह किसी सदस्य द्वारा आंतरिक संपरीक्षा के कार्य के साथ किए जाते हैं।
- एमडी/निक्षेप की अपेक्षा के लिए विद्यमान व्यवहारों में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तथापि, कोई निर्दिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर बोर्ड इस विषय में मामला-दस्-मामला आधार पर विचार कर सकेगा।
- परिषद् ने बोर्ड की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था कि आईसीएआई के सदस्यों द्वारा, निविदाओं के संबंध में प्रतिक्रियाएं देते हुए एक लागत पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें अंतर्वर्तित व्यक्तियों की संख्या, लगने वाले समय-घंटों आदि के संबंध में, उसमें उपगत होने वाली लागतों के ब्यौरे सम्मिलित किए जाएंगे जिससे कि उसे आईसीएआई के परीशीलन के लिए मांगा जा सकेगा।
- किसी सीए फर्म में वेतन प्राप्त सहायक के रूप में कार्यरत किसी ऐसे सदस्य के लिए, जो आयकर अधिकारियों के समक्ष अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंशकालिक व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण कर रहा है, यह अनुज्ञेय होगा कि वह अपने मुवक्किलों के लिए सीए के रूप में अपने हस्ताक्षराधीन आयकर विवरणियां तैयार करे और फाइल करे।
- किसी व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए यह अनुज्ञेय है कि वह अन्वेषण संबंधी किसी कार्य को स्वीकार कर सके क्योंकि अन्वेषण संबंधी कार्य संपरीक्षा के तत्समान है।
- किसी धृति कंपनी को आंतरिक संपरीक्षा और कर परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी सीए फर्म के लिए यह अनुज्ञेय नहीं है कि वह किसी अनुषंगी कंपनी में कानूनी संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति स्वीकार करे क्योंकि इस बात से यह संभावना हो सकती है कि संपरीक्षक की स्वतंत्रता के बारे में कोई समझौता हो और जनता के दृष्टिकोण से नैतिकता को भी ठेस पहुंचने की संभावना है।
- वेबसाइट पर सदस्यों द्वारा गैर व्यक्तिगत मद्दों जैसे कि पुस्तकों आदि के चित्र का उपयोग वेबसाइट दिशानिर्देशों का उल्लंघनकारी नहीं है। जहां तक व्यक्तियों के चित्रों के उपयोग का संबंध है, ऐसे व्यक्तियों के, जो फर्म के सदस्य नहीं हैं, चित्रों का उपयोग अनुज्ञात नहीं है।
- कोई व्यवसायरत सीए 'पूर्णरूपेण निदेशक' हो सकता है, जिसके अंतर्गत कोई स्वतंत्र निदेशक भी है।

स्वतंत्र निदेशक बोर्ड का भाग है जहां लेखाओं को अनुमोदित किया जाता है और इस प्रकार वे वित्तीय विवरणों के अनुमोदन में पक्षकार होते हैं। इस प्रकार, उनके द्वारा वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने का वर्जन नहीं है। तथापि, वे कंपनी के दैनिक कार्यों में अंतर्वलित नहीं हो सकते।

5.12 विशेषज्ञ सलाहकार समिति

हाल ही के वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के कारण विभिन्न क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में भी वैश्वीकरण के कारण अनेक परिवर्तन हुए हैं। बदलती अर्थव्यवस्था के साथ उद्यम विश्वभर में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाते हुए जटिल कारखार संव्यवहारों में लिप्त हो रहे हैं। इसके कारण वित्तीय रिपोर्टिंग का कार्य काफी अधिक जटिल और चुनौतिपूर्ण हो गया है।

ऐसे परिदृश्य में, लेखांकन वृत्तिक कई बार वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति के संबंध में शंकाओं का सामना करते हैं। इस परिदृश्य में आईसीएआई के सदस्यों का मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए परिषद् ने आईसीएआई के सदस्यों के, उनके द्वारा लेखांकन और/या लेखांकन सिद्धांतों और संबद्ध विषयों के कार्यान्वयन/उपयोजन के संबंध में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, समक्ष आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है, समिति, इसके आरंभ किए जाने से ही आईसीएआई के सदस्यों को सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराने में एक विश्वसनीय भूमिका अदा कर रही है और वर्तमान समय में यह और अधिक महत्वपूर्ण बन गई है।

समिति सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर इस प्रयोजन के लिए विरचित सलाहकारी सेवा नियमों के अनुसार प्रदान करती है। सलाहकारी सेवा नियम आईसीएआई की वेबसाइट पर, उसके हाइपर लिंक http://www.icaai.org/new_category.html?c_id=142 पर उपलब्ध है या उन्हें नई दिल्ली स्थित आईसीएआई के प्रधान कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

यद्यपि, समिति को परिषद् द्वारा नियुक्त किया गया है और समिति, उसे निर्दिष्ट विषय पर उपलब्ध सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साहित्य पर विचार करने के पश्चात् एक वस्तुपरक और विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने का प्रत्येक प्रयास करती है, फिर भी समिति द्वारा दी गई राय या अभिव्यक्त विचार केवल समिति की राय या विचार को व्यक्त करता है न कि वह आईसीएआई की परिषद् की राय होती है। इस प्रकार जारी की गई रायों में एक प्राधिकृत मार्गदर्शन अंतर्निहित होता है, जिसे विभिन्न सरकारी/विनियामक निकाय जैसे कि भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), कारपोरेट कार्य मंत्रालय आदि भलीभांति मान्यता प्रदान करते हैं। समिति द्वारा जारी की गई राय प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्न के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होती है, और समिति किसी विशिष्ट राय को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए उस तारीख को विद्यमान सुसंगत विधियों तथा कानूनों और लागू होने वाले लेखांकन/संपरीक्षा सिद्धांतों को विचार में लेती है। प्रत्येक राय के साथ, उसे अंतिम रूप दिए जाने की तारीख को भी उपदर्शित किया जाता है। समिति न्यूनतम संभव समय में सम्यक रूप से सुविचारित रायों को जारी करने के लिए हर संभव प्रयास करती है जिससे कि प्रश्नकर्ता द्वारा समय पर उसका उपयोग किया जा सके।

01.04.2010 से 30.06.2011 की अवधि के दौरान समिति ने आईसीएआई के सदस्यों से प्राप्त 26 रायों और विनियामकों/सरकारी प्राधिकारियों से भिन्न-भिन्न लेखा विषयों पर प्राप्त 3 रायों को अंतिम रूप दिया था। विभिन्न विषयों में जिन पर समिति ने उस अवधि के दौरान राय दी, राजस्व मान्यता, सेगमेंट रिपोर्टिंग, छुट्टी दायित्व के लिए लेखांकन, परियोजना की सन्निर्माण अवधि के दौरान उपगत व्ययों का निरूपण, ईएसओपी लेखांकन, अग्रणी हानियों के मामले में न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के संबंध में लेखांकन व्यवहार आदि सम्मिलित थे।

समिति द्वारा जारी सभी रायों को राय सार-संग्रह में भी प्रकाशित किया जाता है। अब तक सार-संग्रह के छब्बीस भागों को विक्रय के लिए जारी किया जा चुका है, जिसमें रायों के सार-संग्रह के अट्ठाइस भागों में अंतर्विष्ट 1128 रायों को अंतर्विष्ट करने वाली और सुगम संदर्भ के लिए प्रयोक्ता अनुकूल लक्षणों वाली सी.डी. भी सम्मिलित है। श्रृंखला में सार-संग्रह का अगला भाग संकलनाधीन है और शीघ्र ही विक्रय के लिए जारी किया जाएगा।

समिति द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई कुछ राय आईसीएआई की पत्रिका 'द चार्टर्ड आकउंटेंट' की प्रत्येक प्रति में प्रकाशित होती हैं। समिति की अभिनव राय आईसीएआई की वेबसाइट पर भी रखी जाती हैं।

5.13 वित्तीय बाजारों और निवेशकों की सुरक्षा संबंधी समिति

निवेशकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने, उन्हें शिकायत दूर करने के लिए तंत्र के बारे में सूचित करने और तुलनपत्रों और अन्य वित्तीय कथनों खासकर टिप्पणों और अन्य प्रकटीकरणों पर आधारित मूलभूत विश्लेषणों की महत्ता के बारे में शिक्षित करना समिति के केंद्रीभूत क्षेत्रों में से एक है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आई.ई.पी.एफ.), भारत सरकार के तत्वावधान में पूंजी बाजार के संबंध में निवेशकों को शिक्षित करने का कार्य इस समिति को सौंपा है। समिति पूंजी बाजार के विभिन्न अवयवों में ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से देशभर में कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करती रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, समिति विभिन्न अन्य कार्यक्रमों जैसे पूंजी बाजार पर संगोष्ठियों, निवेशक शिखर वार्ता, प्राइवेट साम्या कार्यशाला और जीविका परामर्श कार्यक्रमों आदि के संचालन में क्रियाशील भूमिका अदा कर रही है। समिति ने विभिन्न प्रकाशनों जैसे निवेशक चेतना पर पुस्तिकाएं और पैम्फलेट, पूंजी बाजार विनियमों पर पुस्तिका, प्राइवेट साम्या पर पृष्ठभूमि सामग्री और निगम शासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित), पूंजी बाजार में नए व्यक्तियों के लिए गाइड और निवेश तथा निवेश संस्था संबंधी हैंडबुक को भी प्रकाशित किया है।

5.13.1 परियोजनाएं

- विनियामक प्राधिकारियों - आर.बी.आई., सेबी तथा एम.सी.ए. के साथ अंतरापृष्ठ - नीति/परिचर्चा पत्रों पर प्रस्तुतीकरण/सुझाव
- वश्यकरण विनियमों से संबंधित सेबी की रिपोर्ट पर टीका-टिप्पणियां

वर्ष 2009 में, भारत के प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने श्री सी. अच्युतन की अध्यक्षता में एक वश्यकरण विनियम सलाहकार समिति (टीआरएसी) का गठन किया था, जिसे वर्ष 1997 के वश्यकरण विनियमों की समीक्षा और पुनर्विलोकन करने तथा आवश्यक समझे जाने वाले उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। टीआरएसी ने 19 जुलाई, 2010 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

समिति ने वश्यकरण विनियम सलाहकार समिति की उपर्युक्त रिपोर्ट पर खंडवार व्यापक टीका-टिप्पणियां, सिफारिशें, जिनके अंतर्गत सुझाव भी थे, संकलित की थी और उन्हें अध्यक्ष के अनुमोदन से सेबी के विचारार्थ प्रस्तुत किया था। समिति ने अपनी टीका-टिप्पणियों को वित्त मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भी प्रस्तुत किया था।

- स्वामित्व के पुनर्विलोकन और बाजार अवसंरचना संस्थाओं के शासन संबंधी रिपोर्ट पर टीका-टिप्पणियां

स्वामित्व के पुनर्विलोकन और बाजार अवसंरचना संस्थाओं (एमआईआई), अर्थात् स्टॉक एक्सचेंजों, निक्षेपागारों और निकासी निगमों के शासन से उद्भूत होने वाले मुद्दों की समीक्षा करने के लिए सेबी द्वारा गठित डॉ. बिमल जालान समिति ने 22 नवम्बर, 2010 को अपनी रिपोर्ट सेबी को सौंप दी थी और सेबी ने उसे जनता की टीका-टिप्पणियों के लिए जारी किया था।

इस रिपोर्ट में अन्य मुद्दों के साथ, मुख्यतः एमआईआई के स्वामित्व और उनकी संरचना, उनके बोर्ड की संरचना और एमआईआई के सूचीकरण के विषयों की समीक्षा की गई थी। इस प्रकार, इस रिपोर्ट की विविध विवक्षाएं हैं और इस पर उपयुक्त रूप से विचार करने की आवश्यकता है। समिति ने अध्यक्ष, आईसीएआई के अनुमोदन से रिपोर्ट पर सुझावों सहित अपनी सिफारिशों का संकलन करके उसे सेबी के विचारार्थ प्रस्तुत किया है। समिति ने अपनी टीका-टिप्पणियों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भी प्रस्तुत किया है।

- प्रमाणन पाठ्यक्रम

समिति ने फोरेक्स और कोषागार प्रबंधन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे बैच का, क्रमशः नई दिल्ली और मुंबई में संचालन किया था। दोनों बैचों के लिए परीक्षाओं का आयोजन 16 मई, 2010 को किया गया था और उनके परिणाम जून, 2010 में घोषित किए गए थे। समिति अब इन पाठ्यक्रमों के नए बैचों को अन्य नगरों में आरंभ करने का प्रस्ताव कर रही है। समिति व्युत्पन्न संबंधी प्रमाणन पाठ्यक्रम के लिए नया बैच आरंभ करने का भी प्रस्ताव करती है।

5.13.2 आयोजित कार्यक्रम

- निवेशकों के बीच जागरूकता तैयार करना - अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना ।

समिति ने आज की तारीख तक, छोटे-छोटे अवस्थानों सहित देश के बृहत् भागों को सम्मिलित करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक शिक्षा संरक्षा निधि के तत्वावधान में 'सुविज्ञ निवेशन - भारत कारपोरेट के लिए एक पूंजी' विषय पर 159 निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का, जिसमें 12 से 17 जुलाई, 2010 के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय के 'भारतीय निवेशक सप्ताह' के दौरान आयोजित 48 कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं, आयोजन किया था । वित्तीय जागरूकता का सृजन करने और इस क्षेत्र में सभी को सम्मिलित करने के विचार से समाज के विभिन्न वर्गों को सम्मिलित करते हुए एक बड़ी जनसंख्या तक पहुंच बनाने के प्रयास किए गए हैं । बड़ी भारी संख्या में जनता ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया है और उनकी प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है ।

- 11 सितम्बर, 2010 को कोलकाता में पूंजी बाजारों के संबंध में संगोष्ठी

इस संगोष्ठी में पूंजी बाजार से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार किया गया था और इस संगोष्ठी को इस क्षेत्र के विख्यात वक्ताओं, जैसे कि सीए अरूण जगतशमका, सीएमडी, गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड, श्री जोसेफ मैसी, एमडी और सीईओ, एमसीएक्स, मुंबई, सुश्री मौली थंबी, एमडी और सीईओ, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, सीए आनंद राठी, सीए एस.पी. तुलसीयान और सीए नीलेश शाह द्वारा संबोधित किया गया था । इस संगोष्ठी का आयोजन उद्योग में लगे सदस्यों संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से किया गया था और इसकी मेजबानी आईसीएआई की आईआईआरसी द्वारा की गई थी ।

- 15 और 16 अक्टूबर को मुंबई में प्रतिभूति विधियों पर दो दिवसीय कार्यशाला

प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों में उभरती प्रवृत्ति को और सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए समिति ने इस विषय पर मुंबई में एक दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया था । प्रतिभूति विधियों के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित किया था । समिति ने इस कार्यक्रम का आयोजन आर्थिक, वाणिज्यिक विधि और डब्ल्यूटीओ के साथ संयुक्त रूप से किया था और इसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई थी ।

5.13.3 प्रकाशन

- पूंजी बाजार में नए व्यक्तियों के लिए गाइड ।

यह प्रकाशन कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा मुख्यतः आईसीएआई और अन्य संगठनों द्वारा एमसीए की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे निवेशक जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बीच निःशुल्क वितरण के लिए विकसित किया गया था ।

एमसीए ने समिति को इस प्रकाशन का असमिया और पंजाबी भाषाओं में अनुवाद करने और इन भाषाओं में इनका मुद्रण करने का कार्य सौंपा था । इस प्रकार सौंपे गए कार्यों को पूरा कर दिया गया है और पुस्तिका का अनुवाद तैयार करके उसे अंग्रेजी भाषा के साथ पंजाबी और असमिया भाषा में मुद्रित कर दिया गया है ।

इस प्रकाशन को सभी तीन भाषाओं में समिति के होमपेज पर भी रखा गया है ।

- निवेश और निवेशक संरक्षा के लिए हैंडबुक ।

समिति द्वारा यह हैंडबुक निवेशकों को पूंजी बाजारों के संबंध में और निवेश हेतु उन्हें उपलब्ध विभिन्न निवेश अवसरों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विकसित की गई है । इस पुस्तक के अंग्रेजी पाठ का प्रकाशन किया गया है ।

5.14 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनरीक्षण बोर्ड

आईसीएआई ने, देश में वित्तीय रिपोर्टिंग व्योहारों के सुधार के लिए अपने प्रयत्नों को जारी रखते हुए, वित्तीय

रिपोर्टिंग पुनरीक्षण बोर्ड (एफ.आर.आर.बी.) का गठन किया था। एफ.आर.आर.बी. विभिन्न उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वाले वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्ट की स्वप्रेरणा से या किसी विनियामक निकाय द्वारा उसको निर्देशन पर पुनरीक्षण करता है, या जहां मीडिया रिपोर्ट द्वारा गंभीर लेखा अनियमितताओं को उजागर किया गया है, वहां, जहां तक संभव हो, निम्नलिखित का अवधारण करने की दृष्टि से पुनरीक्षण करता है :

(क) वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुतीकरण में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का अनुपालन ;

(ख) उद्यमों से सुसंगत विनियामक निकायों, विधियों और नियमों तथा विनियमों द्वारा विहित प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन ;

(ग) उद्यमों और साथ ही संपरीक्षकों की रिपोर्टिंग बाध्यताओं का अनुपालन ;

एफआरआरबी की प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करते समय तकनीकी पुनर्विलोकन और वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूह बोर्ड की सहायता करते हैं। पुनर्विलोकन के लिए चयन किए गए साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों का प्रारंभिक पुनर्विलोकन, बोर्ड द्वारा रखे गए पैनल में से चुने गए तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा किया जाता है। साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों की तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा दी गई प्रारंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टों पर, बोर्ड द्वारा उनकी अंतिम रूप से समीक्षा किए जाने से पूर्व वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों द्वारा विचार किया जाता है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है।

5.14.1 साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनपर संपरीक्षकों की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन

बोर्ड ने, वर्ष 2010-11 के दौरान 111 मामलों का पुनर्विलोकन पूरा किया है।

5.14.2 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों का गठन

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अठारह (18) वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों का गठन किया था, जो साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनपर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टों पर विचार करेंगे तथा उन्हें अंतिम रूप देंगे।

5.14.3 प्रकाशन

आईसीएआई के सदस्यों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को अवगत कराने के लिए, बोर्ड ने आईसीएआई के जर्नल 'दि चार्टर्ड एकाउंटेंट' के मई, 2010 अंक में 'संपरीक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना' और जुलाई, 2010 अंक में 'साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों की सकल गुणवत्ता सुनिश्चित करना' विषयों पर लेखों का प्रकाशन किया था।

5.14.4 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का संचालन

कार्य की बढ़ती मात्रा से निपटने के लिए बोर्ड को, उसके साथ पैनलबद्ध तकनीकी पुनर्विलोककों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस हुई थी। तदनुसार, बोर्ड ने उद्यमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के लिए आईसीएआई के सदस्यों को प्रशिक्षण देने और अंततः उन्हें बोर्ड के साथ पैनलबद्ध करने के लिए विभिन्न प्रादेशिक शाखाओं में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इस अवधि के दौरान बोर्ड ने 23 से 24 दिसम्बर, 2010 के दौरान मुंबई में "लेखांकन मानकों और अन्य रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी पहलुओं पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला" का आयोजन किया था। बोर्ड ने संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से 24 जुलाई, 2010 को उदयपुर में "संपरीक्षा और वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता" विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन भी किया था।

5.15 अप्रत्यक्ष कर समिति

5.15.1 वार्षिक बजट, 2011 संबंधी क्रियाकलाप

• बजटपूर्व ज्ञापन, 2011

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर से संबंधित विधियों के संबंध में आईसीएआई के सुझावों को

अंतर्विष्ट करने वाला एक बजटपूर्व ज्ञापन, 2011 6 दिसम्बर, 2010 को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।

● **सीबीईसी के अधिकारियों के समक्ष बजटपूर्व ज्ञापन, 2011 में दिए गए सुझावों के संबंध में प्रस्तुतिकरण**

बजटपूर्व ज्ञापन, 2011 को प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक बैठक में अप्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष ने बजटपूर्व ज्ञापन में दिए गए सुझावों को ब्यौरेवार रूप से स्पष्ट किया था। बजटपूर्व ज्ञापन के प्रस्तावों की समीक्षा करने वाले अधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी इस अवसर का उपयोग किया गया था।

● **बजट अवलोकन कार्यशाला**

अप्रत्यक्ष कर समिति ने प्रत्यक्ष कर समिति तथा अंतरराष्ट्रीय कराधान समिति के साथ संयुक्त रूप से 2011-12 के बजट प्रस्तावों का विश्लेषण करने के लिए एक बजट अवलोकन कार्यशाला का आयोजन किया था। माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के पश्चात् इन प्रस्तावों पर सदस्यों द्वारा गहन परिचर्चाएं की गई थीं और बजट प्रस्ताव के संबंध में संस्थान के मत के ब्यौरे देते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी।

● **संघीय बजट 2011 पर लाइव वेबकास्ट**

अप्रत्यक्ष कर समिति ने प्रत्यक्ष कर समिति तथा अंतरराष्ट्रीय कराधान समिति के साथ संयुक्त रूप से संघीय बजट 2011 पर लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया था जिसमें विशेषज्ञों ने बजट प्रस्तावों पर ब्यौरेवार चर्चा की थी। सदस्यों द्वारा इस वेबकास्ट की सराहना की गई थी।

● **बजट - 2011 के अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों पर कार्यशाला**

समिति ने 17 मार्च, 2011 को सीबीईसी के पदधारियों के साथ अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में संघीय बजट - 2011 के अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था। श्री एस. दत्त मजूमदार, अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड ने इस कार्यशाला को संबोधित किया था। श्री वाई.जी. परांसे, सदस्य, सीबीईसी, श्री वी.के.गर्ग, संयुक्त सचिव, (टीआरयू), सीबीईसी और श्री रूपम कपूर, आफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया था और उन्होंने सदस्यों और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ परस्पर संवाद भी किया था। सदस्यों ने बजट प्रस्तावों से उद्भूत होने वाले विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इस कार्यशाला की काफी सराहना हुई थी।

● **सीए जर्नल के विशेष बजट अंक के लिए संघीय बजट, 2011 के अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों पर लेख**

समिति ने वित्त विधेयक, 2011 में अंतर्विष्ट अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के संबंध में सदस्यों के लेखों को आमंत्रित किया था। संबंधित लेखों को आईसीएआई के जर्नल 'दि चार्टर्ड एकाउंटेंट' में प्रकाशित किया गया था, जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उद्ग्रहण के अधीन अधिसूचित नए उत्पादों, सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 में संशोधन, बजट 2011-12 में सेवाकर संबंधी प्रस्ताव, कराधेय सेवाओं में संशोधन, कराधान का बिन्दु नियम, 2011 सम्मिलित थे।

● **बजटपश्च ज्ञापन, 2011**

समिति ने 21 मार्च, 2011 को सरकार को अप्रत्यक्ष करों के संबंध में बजटपश्च ज्ञापन, 2011 प्रस्तुत किया था। सरकार ने आईसीएआई के अनेक सुझावों को स्वीकार कर लिया है। इनमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण सुझाव कराधान का बिन्दु नियम, 2011 के संबंध में था, जहां चार्टर्ड एकाउंटेंटों को बजटपश्च ज्ञापन, 2011 में समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार प्राप्ति के आधार पर सेवाकर का संदाय करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

● **सेवाकर में बजटपश्च परिवर्तन**

सदस्यों को नवीनतम घटनाओं से अवगत कराने के विचार से कराधान का बिन्दु नियम, 2011 के विशिष्ट प्रतिनिर्देश के साथ सेवाकर में हुए महत्वपूर्ण बजटपश्च परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक टिप्पण तैयार किया

गया था और उसे वेबसाइट पर रखा गया था। इस टिप्पण को सभी परिषद् सदस्यों और आईडीटी नेट, जो अप्रत्यक्ष करें के क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले सदस्यों के लिए एक नेटवर्किंग पोर्टल है, पर रजिस्ट्रीकृत सभी व्यक्तियों को भेजा गया था।

5.15.2 सीबीईसी को प्रस्तुत किए गए सुझाव/टीका-टिप्पणियाँ/अन्य अंतःनिवेश

- सरकार को “औद्योगिक संनिर्माण और आवासीय परिसर के संनिर्माण के संबंध में कराधेय सेवा के मूल्य के अवधारण संबंधी अवधारणा पत्र” प्रस्तुत किया जाना

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वित्त विधेयक, 2010 में औद्योगिक संनिर्माण और आवासीय परिसर के संनिर्माण सेवाओं में महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव किया गया था, 20 फरवरी, 2010 को “औद्योगिक संनिर्माण और आवासीय परिसर के संनिर्माण के संबंध में कराधेय सेवा के मूल्य के अवधारण संबंधी अवधारणा पत्र” वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। इस टिप्पण में प्रस्तावित संशोधन के सुगम कार्यान्वयन के लिए सुझाव अंतर्विष्ट थे।

- संपरीक्षा और संवीक्षा के लिए वैट विधियों के अधीन विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले विधिक उपबंधों और व्यवहारों के संबंध में एक रिपोर्ट

केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड से प्राप्त हुए पत्र, जिसमें संपरीक्षा और संवीक्षा के लिए वैट विधियों के अधीन विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले विधिक उपबंधों और व्यवहारों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, के उत्तर में समिति सदस्यों के साथ परस्पर संवाद हेतु मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को समिति की ग्यारहवीं बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में, विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों को अंतर्निवेश उपलब्ध कराए गए थे और पत्र में उल्लिखित प्रत्येक मद पर 18 राज्यों के संबंध में जानकारी अंतर्विष्ट करने वाली एक ब्यौरेवार रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी।

- “प्रारूप कराधान का बिन्दु (भारत में उपलब्ध कराई गई या प्राप्त सेवाओं के लिए) नियम, 2010” के संबंध में सुझाव

केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड ने 5 अगस्त, 2010 को जनता की टीका-टिप्पणियों और सुझाव के लिए प्रारूप कराधान का बिन्दु (भारत में उपलब्ध कराई गई या प्राप्त सेवाओं के लिए) नियम, 2010 जारी किया था। आईसीएआई की टीका-टिप्पणियों/सुझावों को 13 सितम्बर, 2010 को सीबीईसी को प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात् मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, जिन्हें आईसीएआई में आमंत्रित किया गया था, के साथ विचार-विमर्श किया गया था। बैठक में हुई परिचर्चाएं काफी उपयोगी थीं और उनके परिणामस्वरूप आईसीएआई द्वारा नीति निर्माण के संबंध में योगदान को मान्यता प्राप्त हुई थी। यह विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएसटी का कार्यान्वयन अभी लंबित है।

5.15.3 सीबीईसी को किए गए प्रतिवेदन

- “व्यष्टियों को चार्टर्ड एकाउंटेंटों की सेवाओं और प्रतिनिधित्व करने संबंधी सेवाओं का कराधान” विषय पर प्रतिवेदन।

समिति ने ‘व्यष्टियों को चार्टर्ड एकाउंटेंटों की सेवाओं और प्रतिनिधित्व करने संबंधी सेवाओं का कराधान’ विषय पर एक प्रतिवेदन अध्यक्ष, सीबीईसी को प्रस्तुत किया था। अध्यक्ष, आईसीएआई, उपाध्यक्ष, आईसीएआई, अध्यक्ष, आईडीटीसी और सचिव, आईसीएआई ने 4 मई, 2011 को अध्यक्ष, सीबीईसी से एक बैठक की थी और उन्हें इस संबंध में आईसीएआई का दृष्टिकोण स्पष्ट किया था और सब को एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का अनुरोध किया था।

- पहली बार आज्ञापक ई-फाइलिंग और उससे सहबद्ध कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सेवाकर विवरणियों की ई-फाइलिंग में विलंब के लिए शास्ति अधिरोपित न करने संबंधी प्रतिवेदन

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में निर्धारितियों के लिए पहली बार ई-फाइलिंग को आज्ञापक बनाया गया था और एसीईएस परियोजना के लिए सुविधा केन्द्रों का प्रचालन अभी पूरा नहीं हो सका था, अध्यक्ष, सीबीईसी

को एक सुझाव देते हुए एक प्रतिवेदन किया गया था कि विभाग को ऐसे अनुदेश/परिपत्र जारी करने पर विचार करना चाहिए, जिसके अनुसार एक मास अर्थात्, 25 अप्रैल, 2010 से 25 मई, 2010 के लिए सेवाकर विवरणियां फाइल करने में विलंब के लिए कोई शास्ति अधिरोपित न की जाए।

- **संकर्म संविदा सेवाओं को, जब उन्हें पूर्ण रूप से हवाईअड्डे के भीतर उपलब्ध कराया जाए, दी गई छूट का विस्तारण करने के लिए प्रतिवेदन**

6 अगस्त, 2010 को सीबीईसी को एक प्रतिवेदन किया गया था जिसमें अधिसूचना सं. 31/2010 एसटी तारीख 22.6.2010 और 40-43/2010 एसटी तारीख 28.6.2010 द्वारा उद्भूत विसंगती को भूतलक्षी प्रभाव (1.7.2010) से दूर करने के लिए संकर्म संविदा सेवाओं को, जब उन्हें पूर्ण रूप से हवाईअड्डे के भीतर उपलब्ध कराया जाए, दी गई छूट का विस्तारण करने का अनुरोध किया गया था।

5.15.4 कार्यक्रम/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं

समिति ने वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर 11 कार्यक्रमों का आयोजन किया था जिसमें राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और गोलमेज सम्मेलन सम्मिलित थे।

5.15.5 नए प्रकाशन

- **सेनवेट क्रेडिट संबंधी तकनीकी गाइड**

समिति ने “सेनवेट क्रेडिट संबंधी तकनीकी गाइड” नामक एक प्रकाशन निकाला था। यह गाइड सेनवेट क्रेडिट स्कीम का पर्यावलोकन उपलब्ध कराती है और साथ ही स्कीम के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी रोशनी डालती है।

- **सेवाकर संपरीक्षा के संबंध में निदेशात्मक गाइड**

समिति ने “सेवाकर संपरीक्षा के संबंध में निदेशात्मक गाइड” नामक एक नया प्रकाशन निकाला था। यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रकाशन को “सेवाकर संपरीक्षा - सेवाकर लागत और अनुपालन की मानीटरी करने के लिए एक प्रबंध उपकरण” विषय पर कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पृष्ठभूमि सामग्री के रूप में उपयोग किया जाए।

5.15.6 अन्य

- **आईसीएआई और सीबीईसी के बीच एमओयू के लिए करार का विस्तारण**

आईसीएआई और सीबीईसी ने, सीबीईसी की एसीईसी परियोजना के अधीन व्यवसाय कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित सुविधा केन्द्रों की स्थापना को सुकर बनाने के लिए 31 मार्च, 2010 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इस स्कीम को एक विस्तारण करार के द्वारा दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 जून, 2011 तक 690 प्रमाणित सुविधा केन्द्रों को सीबीईसी की एसीईसी परियोजना के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

- **चार्टर्ड एकाउंटेंट पाठ्यचर्या के विभिन्न स्तरों पर अप्रत्यक्ष करों से संबंधित पाठ्यविवरणों का पुनर्विलोकन**

समिति ने फाइनल (नए) पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र 8 ‘अप्रत्यक्ष कर विधि’ और भाग 2 के प्रश्नपत्र 4 ‘सेवाकर और वेट’ और एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र ‘कराधान’ के, देश के आर्थिक विकास और प्रस्तावित अप्रत्यक्ष कर सुधारों को ध्यान में रखते हुए और दोनों प्रश्नपत्रों के विभिन्न वर्गों के बीच अंकों के साम्यापूर्ण वितरण के परिप्रेक्ष्य से भी उन्हें वर्तमान समय में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर कानूनों की अपनी-अपनी महत्ता के अनुसार समरूप बनाने के विचार से, पाठ्यविवरण का पुनर्विलोकन किया था।

- **आईडीटी नेट**

समिति ने आईडीटी नेट, जो कि अप्रत्यक्ष कर विधि के क्षेत्र में व्यवसाय या कार्यरत सदस्यों के लिए एक ऑन लाइन नेटवर्किंग पोर्टल है, पर रजिस्ट्रीकृत सदस्यों को अद्यतन घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना जारी रखा। यह पोर्टल आईसीएआई की वेबसाइट से सहबद्ध है। इस वर्ष, इस नेटवर्किंग पोर्टल में एक सर्व संबंधी फीचर जोड़ा गया था। इस प्रकार, अब सदस्य ऐसे की-शब्दों का उपयोग करते हुए रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के डाटाबेस में सर्व कर

सकते हैं, जो अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं।

● **वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ परस्पर संवाद**

मंत्रालय ने राज्य स्तरीय बैठक के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे और इस संबंध में आयोजित बैठक में सीए अशोक बत्रा और सीए भावना दोषी, अध्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर समिति ने भाग लिया था। सुविधा उपाय के रूप में राज्य बैठक विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से संबंधित प्रमुख उपबंधों के बारे में जानकारी मंत्रालय को उपलब्ध करा दी गई थी।

● **अप्रत्यक्ष करों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

समिति ने “अप्रत्यक्ष करों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम” आरंभ किया है। इस पाठ्यक्रम के पहले बैच का आयोजन 9 जुलाई, 2011 को बंगलौर में किया गया था। इस क्षेत्र में जो विषय सम्मिलित हैं, वे हैं अप्रत्यक्ष करों का पर्यावलोकन, मूल्यवर्धित कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क, सीमाशुल्क और सेवाकर, जिसके लिए 12 दिवसों की पठन कक्षाएं लगाई जाती हैं। पाठ्यक्रम के अंत में निर्धारण परीक्षा की जाएगी और परीक्षा के परिणामों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

● **सेवा कर संबंधी ई-पठन माड्यूल को अद्यतन बनाना**

समिति ने 30 अप्रैल, 2011 तक किए गए संशोधनों के साथ सेवाकर के ई-पठन माड्यूल को अद्यतन किया था। अद्यतन माड्यूल को, उसे ई-पठन पोर्टल पर अपलोड किए जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति को अग्रेषित किया गया था।

5.16 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति

वृत्ति के समक्ष आने वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों की पहचान करने और प्रैक्टिस गाइडों, प्रशिक्षण सहायिकियों, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रकाशनों के अलावा सदस्यों के फायदे के लिए सम्मेलनों, संगोष्ठियों और व्यवहारिक कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ईआरपी/सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का आयोजन करके, उन्हें सदस्यों हेतु फायदाप्रद वृत्तिक अवसरों में परिवर्तित करने के लिए परिषद् ने वर्ष 2000 में एक अस्थायी समिति के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का गठन किया था।

समिति ने सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हतापश्च पाठ्यक्रम, आईएसए बैठकों, ई-पठन सीडी/सीबीटी, ऑन लाइन ई-पठन पाठ्यक्रमों, ईआरपी पाठ्यक्रमों, अनेकों तकनीकी गाइडों और पृष्ठभूमि सामग्रियों के अद्यतन संस्करणों को जारी करके, आईसीएसए के साथ दिशानिर्देशों, मानकों और गाइडों का उपयोग करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करके, आईटी सम्मेलनों/संगोष्ठियों का आयोजन करके और फौरेसिक संपरीक्षा पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ करके तथा आईटी और सीएएटी का उपयोग करते हुए कपटों का पता लगाकर आईटी के क्षेत्र में वृत्ति को विकसित करने के लिए अनथक प्रयास किए हैं। इन पाठ्यक्रमों के ब्यौरे नीचे उल्लिखित हैं:

अ. **सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हतापश्च पाठ्यक्रम** : सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हतापश्च पाठ्यक्रम समिति द्वारा सदस्यों को आईएस संपरीक्षा के क्षेत्र में मूल्यवर्धित सेवाओं की प्रस्थापना करने में समर्थ बनाने के लिए प्रारंभ की गई पहली और अग्रणी पहल है। इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि आईएसए अर्हता वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट आने वाले वर्षों में सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) के संबंध में प्रमुख भूमिका अदा करेंगे।

आ. **ई-पठन पाठ्यक्रम/सीडी/सीबीटी**

i) ऑन लाइन ई-पठन पाठ्यक्रम

क. सेवाकर

ख. आईएफआरएस

ग. अंतरण मूल्य नियतन

ii) ई-पठन सीडी/सीवीटी

क. सीएएटी/जीएएस का उपयोग करते हुए

ख. एक संपरीक्षा उपकरण के रूप में एमएस-एक्सेल 2007 का उपयोग करते हुए

ग. विंडोज़, नेटवर्क और वाई-फाई सिक्योरिटी - एक प्रस्तावना

घ. आईएस सिक्योरिटी, साइबर खतरे और पुनर्विलोकन - एक प्रस्तावना

इ. ईआरपी पाठ्यक्रम : समिति द्वारा प्रस्तावित ईआरपी पाठ्यक्रम अपनी सुविधानुसार पढ़ने और कम लागत के दोहरे फायदों की प्रस्थापना करते हैं - एसएपी और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स एनएवी।

ई. समिति आईटी के उभरते क्षेत्रों में आईएसए बैठकों, आईटी सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है जिससे कि सदस्य भी उभरते आईटी क्षेत्र के तत्समान स्वंय को विकसित कर सकें।

उ. वृत्तिक अवसर : सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास एक कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी - इन) है जो देश में साइबर सुरक्षा के संबंध में कार्यवाही करता है और साथ ही उसके पास आईटी संपरीक्षकों और आईएस संपरीक्षकों का एक पैनल भी है। कुछ सीए फर्म भी इस पैनल में सम्मिलित की गई हैं। एक कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी - इन) ने डीआईएसए (आईसीएआई) को आईएस संपरीक्षकों के रूप में पैनलबद्ध किए जाने के लिए मान्यता प्रदान की है।

आईसीएआई ने भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुरोध किया था कि वह आईसीएआई द्वारा प्रस्तावित डीआईएसए (सूचना प्रणाली संपरीक्षा में डिप्लोमा) को आईएसए सीए के सीआईएसए (प्रमाणीकृत सूचना प्रणाली संपरीक्षक) के समतुल्य के रूप में मान्यता प्रदान करे। यह उद्देश्य अब पूरा हो गया है और आरबीआई ने यह राय दी है कि प्रणाली संपरीक्षाएं डीआईएसए (आईसीएआई) अर्हित सदस्यों द्वारा संचालित की जा सकती हैं।

डीआईएसए (आईसीएआई) को प्रमाणन प्राधिकारियों की अवसंरचना संपरीक्षा के लिए संपरीक्षकों के रूप में पैनलबद्ध किए जाने के लिए मान्यता प्राप्त हो गई है।

समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

श्रीलंका में आईएसए पाठ्यक्रम

समिति ने श्रीलंका के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के सदस्यों के लिए आईसीएसएएल के साथ हुए एमओयू के अनुसार आईएसए पाठ्यक्रम के संचालन को सुकर बनाया था। 13 नवम्बर, 2010 को श्रीलंका में आईएसए पात्रता परीक्षा का भी आयोजन किया था।

नवीनीकृत आईएसए पृष्ठभूमि सामग्री

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति ने पुनरीक्षित आईएसए पृष्ठभूमि सामग्री को जारी किया था जिसका विमोचन परिषद् की 292वीं बैठक में किया गया था और उसका उपयोग अब आईटी समिति द्वारा 1 अप्रैल, 2010 से आईएसए वृत्तिक प्रशिक्षण बैचों के लिए किया जा रहा है।

आईएसए संकाय की बैठक

समिति ने 18-20 नवम्बर, 2010 के दौरान उत्कृष्टता केन्द्र, हैदराबाद में आईएसए संकाय के लिए एक तीन दिवसीय बैठक का संचालन किया था जिसमें निम्नलिखित कारबार संव्यवहार किए गए थे :

- (1) आईएसए पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए कार्यान्वयन के लिए आवश्यक परिवर्तनों की पहचान करना।
- (2) पाठ्यक्रमों के ऐसे सेगमेंट की पहचान करना, जिन्हें सीए पीसीसी और फाइनल स्तरीय पाठ्यक्रम में अंतर्गत किया जाना है।
- (3) आईएसएस पाठ्यक्रम और फोरेंसिक लेखांकन पाठ्यक्रम के सेगमेंट का आईएसए पाठ्यक्रम में विलयन।

- (4) आईएसए वृत्तिक प्रशिक्षण के भागरूप में सम्मिलित किए जाने वाले व्यवहारिक पहलुओं का प्रस्ताव ।
- (5) आईएसए, पीक्यूसी के पाठ्यविवरणों तथा पृष्ठभूमि सामग्रियों में अपेक्षित परिवर्धनों, लोपों/परिवर्तनों की पहचान करना, उनके औचित्य सहित ।

आरबीआई के पदधारियों के लिए फोरेंसिक लेखांकन पाठ्यक्रम

समिति ने कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, सीएबी, पुणे के साथ संयुक्त रूप से 25 जून, 2010 को आरबीआई पदधारियों के लिए फोरेंसिक लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था । मुंबई से सीए चेतन दलाल और श्री के.के. मुखी ने 3.50 घंटे प्रत्येक के सत्रों का संचालन किया था । इस कार्यक्रम में बैंक के पदधारियों ने भाग लिया था । उद्घाटन भाषण श्री जी. गोपालाकृष्णन, आरबीआई के कार्यपालक निदेशक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे मुंबई से दिया था ।

8 मई, 2010 और 13 नवम्बर, 2010 को आईएसए पात्रता परीक्षा (इटी)

समिति ने देशभर में स्थित 31 केन्द्रों पर 8 मई, 2010 को आईएसए पात्रता परीक्षा (इटी) का संचालन किया था जिसमें 1265 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और 742 अभ्यर्थियों ने इसे उत्तीर्ण किया था । समिति ने श्रीलंका के अलावा देशभर में स्थित 28 केन्द्रों पर 13 नवम्बर, 2010 को पुराने और नए पाठ्यविवरण दोनों के साथ आईएसए पात्रता परीक्षा (इटी) का संचालन किया था । कुल 1110 प्ररूप भरे गए थे और परीक्षा में 889 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था तथा 538 अभ्यर्थियों ने इसे उत्तीर्ण किया था ।

आईएसए वृत्तिक प्रशिक्षण कक्षाएं

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति ने फरवरी, 2010 से आज की तारीख तक 76 आईएसए बैचों का संचालन किया है जिसमें देशभर के लगभग 3000 अभ्यर्थियों ने इस वृत्तिक प्रशिक्षण को पूरा किया है ।

आईटी समिति द्वारा प्रस्थापित विभिन्न पाठ्यक्रमों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आंकड़े

नीचे दी गई सारणी में, उसे प्रारंभ किए जाने के पश्चात से समिति द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में रजिस्ट्रीकरण संबंधी आंकड़े संक्षिप्त रूप से दिए गए हैं :

क्रम सं.	पाठ्यक्रम के नाम	संख्या
1.	आईएसए	32906
2.	सीएएटी	3222
3.	एसएपी	442
4.	एनएवी डाइनेमिक्स	81
5.	ई-लर्निंग सेवा कर	6313
6.	ई-लर्निंग आईएफआरएस	1234
7.	ई-लर्निंग अंतरण मूल्य	6284

5.17 आंतरिक संपरीक्षा मानक संबंधी बोर्ड

आज के परिवर्तनशील युग में संगठन तेजी से बदलते बाजार परिदृश्य और विनियामक ढांचे की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर रूप से कारबार करने के नए-नए मार्ग खोज रहे हैं । इसलिए आंतरिक संपरीक्षा कृत्य के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह संगठनों के लिए, उनके आंतरिक संपरीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में कार्यपालन सुधारों को समाहित/एकीकृत करते हुए उसे सफल बनाने और उसके कार्यपालन की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायता करने के लिए नए-नए उपाय खोजे ।

राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने और आंतरिक संपरीक्षा क्षेत्र में उसके सदस्यों की दक्षता में सुधार करने के लिए आईसीएआई की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, उसने 5 फरवरी, 2004 को आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समिति नामक एक अस्थायी समिति का गठन किया था। इस समिति को नवम्बर, 2008 में “आंतरिक संपरीक्षा मानक संबंधी बोर्ड” के रूप में पुनः नामित किया गया था। परिषद् द्वारा बोर्ड के निर्देश निबंधनों में यथाअनुमोदित उसका मुख्य उद्देश्य देश में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी ज्ञान के लिए एक संप्रवर्तक, स्रोत और प्रबंधक के रूप में आईसीएआई की प्रमुखता को सुस्थापित करना है। इसका आधारिक विचार यह था कि सदस्यों को उद्योग और अन्यो को इस क्षेत्र के संबंध में और अधिक प्रभावी और दक्ष मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने और पश्चातवर्तियों को, उनके नियंत्रण को प्रणालीबद्ध तथा मजबूत करके और साथ ही जोखिम प्रबंध प्रक्रिया द्वारा उनकी शासन प्रक्रिया को प्रणालीबद्ध तथा मजबूत बनाने में सहायता करने में समर्थ बनाना है।

अपने ऊपर उल्लिखित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बोर्ड ने अपने निर्देश निबंधनों में निम्नलिखित को अपने उद्देश्यों के रूप में स्थापित किया है :-

- भारत में विद्यमान आंतरिक संपरीक्षा व्यवहारों का पुनर्विलोकन करना।
- आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाने हेतु आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों (एसआईए) को विकसित करना।
- आंतरिक संपरीक्षा से संबंधित मुद्दों, जिनके अंतर्गत आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाने वाले एसआईए से उद्भूत होने वाले मुद्दे भी हैं, के संबंध में मार्गदर्शन टिप्पण विकसित करना।
- आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाने वाले एसआईए से उद्भूत होने वाले मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी करना।
- आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाने वाले एसआईए से उद्भूत होने वाले मुद्दों पर अध्ययन, रिपोर्टें आदि विकसित करना।
- आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ करना।
- आंतरिक संपरीक्षा से संबंधित विषयों पर सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करना/ उनमें तकनीकी सहायता प्रदान करना।

बोर्ड आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों और तकनीकी गाइडों/अध्ययनों/मैनुअलों के रूप में, जो आंतरिक संपरीक्षकों को, उनके ग्राहकों और/या नियोजकों को प्रभावी और दक्ष आंतरिक संपरीक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहायक उपकरण सिद्ध होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाला तकनीकी साहित्य निकालने के लिए अनथक रूप से कार्य कर रहा है।

5.17.1 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक

बोर्ड द्वारा जारी आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक अपनाए जाने वाले सिद्धांतों, पूरे किए जाने वाले उद्देश्यों और किसी आंतरिक संपरीक्षा में योजना, उसके संचालन, उसमें अंतर्वलित दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग में आंतरिक संपरीक्षक के लिए अनिवार्य रूप से विचार किए जाने योग्य बातों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। ये मानक आंतरिक संपरीक्षा के आधारिक सिद्धांतों और व्यवहार का प्रतिनिधित्व करते हैं और आंतरिक संपरीक्षा कार्यपालन के मूल्यांकन के लिए आधार स्थापित करते हैं।

बोर्ड ने, आज की तारीख तक आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों के लिए प्राक्कथन और ढांचे के अतिरिक्त आंतरिक संपरीक्षा संबंधी 17 मानक (एसआईए) निकाले हैं, जो सिफारिशात्मक प्रकृति के हैं।

सदस्यों के बीच मानकों के विद्यमान सेट के लिए एक संपूर्ण निर्देशिका उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों का सार-संग्रह जारी किया है, जिसमें आज की तारीख तक जारी आंतरिक संपरीक्षा संबंधी

सभी 17 मानकों के पाठ को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत टैली के संबंध में जारी नवीनतम मानक अर्थात् एसआईए 17, “किसी आंतरिक संपरीक्षा में विधियों और विनियमों को विचार में लेना” भी है।

5.17.2 आंतरिक संपरीक्षा से संबंधित उद्योग विनिर्दिष्ट तकनीकी गाइडें और अन्य तकनीकी साहित्य

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों के रूप में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी सर्वोत्तम व्यवहारों का संहिताकरण करने के अलावा बोर्ड का सदैव यह प्रयास रहा है कि वह सदस्यों को एक सदैव विस्तारणीय तकनीकी टूल-किट से लैस करने में सहायता करे। इस दिशा में, बोर्ड साधारण और उद्योग विनिर्दिष्ट तकनीकी गाइडें, जो किसी उद्योग विनिर्दिष्ट और अन्य समकालीन क्षेत्रों में किसी आंतरिक संपरीक्षक द्वारा किए जाने वाली ब्यौरेवार प्रक्रिया को व्यापक रूप से सम्मिलित करती हैं, जारी करने के लिए अनथक कार्यकरण कर रहा है।

बोर्ड ने आज की तारीख तक, अनेक उद्योग विनिर्दिष्ट तकनीकी गाइडें जारी की हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस (डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम), एल्यूमीनियम, दूर संचार, संनिर्माण, शैक्षिक संस्थाएं और बीपीओ, जो आईसीएआई के सदस्यों और संबंधित उद्योगों में आंतरिक संपरीक्षकों के रूप में कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों की, उद्योग द्वारा किए जाने वाले आधारिक प्रचालनों और उनसे संबंधी आंतरिक संपरीक्षा संबंधी पहलुओं को समझने में सहायता करेंगी।

ऐसे कुछ महत्वपूर्ण उद्योग, जिनके लिए बोर्ड शीघ्र ही तकनीकी गाइडें जारी करने की योजना बना रहा है, जीवन बीमा कंपनियां, परस्पर निधियां, गैर-लाभगारी संगठन, विद्युत, पेट्रोल रसायन आदि हैं।

इसके अतिरिक्त बोर्ड, अनुसंधान साहित्य के माध्यम से सदस्यों की दिलचस्पी के अनेक समकालीन क्षेत्रों में साहित्य उपलब्ध कराने में समर्थ रहा है जैसे कि सामाजिक संपरीक्षा, अन्वेषणात्मक संपरीक्षा और कृत्यकारी प्रधानों के साथ आंतरिक संपरीक्षकों का समन्वयन। बोर्ड बैचमार्किंग तकनीकों संबंधी अध्ययन, आंतरिक संपरीक्षा में वृत्तिक अवसरों पर हैंडबुक आदि जारी करने की भी योजना बना रहा है।

वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड ने निम्नलिखित तकनीकी गाइडें और अन्य साधारण गाइडें जारी की हैं :-

1. चीनी उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड

इस तकनीकी गाइड का प्रयोजन उपयोक्ताओं के लिए चीनी उद्योग में आंतरिक संपरीक्षा को समझने और उसकी भूमिका तथा उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करना है। यह गाइड गन्ना सर्वेक्षण, उपापन प्रक्रिया, चीनी की विनिर्माण प्रक्रिया, उसका तथा अन्य आसवनी उत्पादों के विक्रय और विपणन जैसी प्रमुख प्रक्रियाओं की आंतरिक संपरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराती है।

2. बीपीओ उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड

यह गाइड बीपीओ उद्योग के विशिष्ट पहलुओं के संबंध में की जाने वाली आंतरिक संपरीक्षा के मानकों और प्रक्रियाओं के संदर्भ से आंतरिक संपरीक्षा के सकल दृष्टिकोण का उल्लेख करती है।

3. खुदरा उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड

यह गाइड खुदरा उद्योग के सभी पहलुओं के संबंध में संगत और व्यापक ब्यौरे उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।

4. सामाजिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड

इस गाइड में, भारत में सामाजिक संपरीक्षा की आवश्यकता, सामाजिक संपरीक्षा के विभिन्न संदर्भों, सामाजिक संपरीक्षा के लिए विनियामक और स्वैच्छिक संहिताओं, सामाजिक संपरीक्षा के लिए ढांचे, सामाजिक संपरीक्षा के लिए आंकड़ों और सामाजिक संपरीक्षा को प्रचलन में लाने के बारे में व्यापक जानकारी अंतर्विष्ट है।

5 आंतरिक संपरीक्षकों के कृत्यकारी प्रधानों के साथ समन्वयन संबंधी अध्ययन

यह अध्ययन इस संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है कि आंतरिक संपरीक्षकों और कृत्यकारी प्रधानों के बीच, दोनों के पृथक-पृथक कृत्यों और वृत्तिक अपेक्षाओं के संबंध में किस प्रकार समन्वयन और सहयोग स्थापित किया जा सकता है। यह ऐसे अनिवार्य गुणों का भी एक पर्यावलोकन उपलब्ध कराता है, जो किसी आंतरिक संपरीक्षक के पास होने चाहिए जिससे कि वह समन्वयन प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को पार कर सके।

6 अन्वेषणात्मक संपरीक्षाओं संबंधी अध्ययन

इस अध्ययन का उद्देश्य आधारीक स्तर पर किसी अन्वेषणात्मक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में ब्यौरे उपलब्ध कराना है। इस अध्ययन में कपटपूर्ण कार्रवाईयों की किस्मों, कपट का पता लगाने संबंधी जवाबदेही, निगम कपट नियंत्रण योजना, अन्वेषणात्मक उपकरण और तकनीकों आदि जैसे विषयों के ब्यौरे भी अंतर्विष्ट हैं।

7. आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड का सार-संग्रह

इस सार-संग्रह को आगे दो जिल्दों में उपविभाजित किया गया है, अर्थात् सार-संग्रह की जिल्द 1, जिसमें सभी तकनीकी गाइडों का पाठ अंतर्विष्ट है और सार-संग्रह की जिल्दों, जिसमें बोर्ड द्वारा आज की तारीख तक जारी आंतरिक संपरीक्षा संबंधी सभी पृष्ठभूमि सामग्रियों और विभिन्न अध्ययनों का पाठ अंतर्विष्ट है।

5.17.3 सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम

आंतरिक संपरीक्षा को सदस्यों के प्रमुख सक्षमता क्षेत्रों में से एक के रूप में विकसित करने और आंतरिक संपरीक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों पर उनकी दक्षता को अद्यतन करने के लिए बोर्ड देश के विभिन्न भागों में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करता है, जिनकी मेजबानी आईसीएआई की संबद्ध प्रादेशिक परिषदों/ शाखाओं द्वारा की जाती है। इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने देश के विभिन्न अवस्थानों पर 11 कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया था।

बोर्ड हरित संपरीक्षा, जीवन बीमा कारबार, साधारण बीमा कारबार, एनबीएफसी, मानव संसाधन कृत्यों, श्रम विधियों, फॉरेंसिक लेखांकन और अन्वेषणात्मक संपरीक्षा, सम्यक तत्परता आदि जैसे क्षेत्रों में भी इस प्रकार के आयोजनों को आयोजित करने की योजना बना रहा है।

5.17.4 पाठ्यक्रम

बोर्ड ने मुंबई और नई दिल्ली में क्रमशः दो और एक उद्यम जोखिम प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के तीन बैचों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में संस्थान के सदस्यों को आवश्यक तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करना और उनके कौशल का निर्माण करना और इस प्रकार उद्यम जोखिम प्रबंध के विभिन्न पहलुओं में उन्हें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार करना और इस क्षेत्र को एक अंतर्निहित क्षमता वाले क्षेत्र के रूप में विकसित करना सम्मिलित है।

पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की वृत्तिक और व्यक्तिगत पूर्व व्यस्तताओं को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह एक कक्षा अध्यापन, ई-लर्निंग और साथ ही स्वअध्ययन का एक संतुलित मिश्रण है। कक्षा अध्यापन को छह सप्ताह के कक्षा समय ढांचे के अंतर्गत पूरा किया जाएगा जिसमें छह शनिवारों को कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

बोर्ड 28 जुलाई, 2011 से हैदराबाद स्थित उत्कृष्टता केन्द्र में भी उद्यम जोखिम प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करने की योजना बना रहा है। उक्त पाठ्यक्रम के लिए कक्षा अध्यापन 28 जुलाई, 2011 से 2 अगस्त, 2011 तक आयोजित किए जाएंगे जिसके पश्चात् 4 अगस्त, 2011 को फाइनल परीक्षा ली जाएगी।

बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी आरंभ किया है। उक्त पाठ्यक्रम को अक्टूबर, 2011 मास से हैदराबाद स्थित उत्कृष्टता केन्द्र से आरंभ किया जाएगा।

5.18 अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति

वैश्वीकरण और उदारीकरण के परिणामस्वरूप सीमाओं के आर-पार मानवों, पूंजी और मालों के संचलन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यद्यपि राजनीतिक सीमाएं अभी भी विद्यमान हैं किन्तु जहां तक वाणिज्य का संबंध है, विश्व एक छोटे गांव में परिवर्तित हो गया है और सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए सीमाएं विलीन हो गई हैं। स्पष्टतया सीमा पार व्यवहारों में कर विवक्षाएं अंतर्विष्ट होती हैं। एक विनियामक होने के कारण, आईसीएआई का एक उद्देश्य यह भी है कि वह अपने सदस्यों को इस प्रकार सशक्त करे कि वे सभी पणधारियों के लिए वृत्ति के सुगम कार्यकरण और सेवाओं को सुकर बना सके। सदस्यों को सशक्त करने के कार्यक्रम के भाग रूप में, आईसीएआई ने

अपनी अंतरराष्ट्रीय कराधान समिति के माध्यम से कतिपय पहलें की हैं। इनमें से एक पहल अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी अर्हतापश्च पाठ्यक्रम प्रारंभ करना है। यह एक सुसंरचित पाठ्यक्रम है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कराधान के सभी पहलुओं को व्यापक रूप से सम्मिलित किया गया है। इस विषय पर गहन कार्य अनुभव वाले प्रख्यात संकाय सदस्यों को उनकी जानकारी और अनुभव को छात्रों के साथ बांटे जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अभी तक नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बंगलौर, हैदराबाद और अहमदाबाद में इस पाठ्यक्रम के 14 बैचों का संचालन किया गया है। पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा इस विषय के संबंध में अर्जित समझ और ज्ञान को एक निर्धारण परीक्षा द्वारा आंका जाता है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम की संरचना और इसे संचालित करने की रीति की काफी सराहना हुई है।

समिति आधारीक पाठ्यक्रम के माध्यम से सदस्यों द्वारा अर्जित अंतरराष्ट्रीय कर संबंधी जानकारी के उपयोग में उनकी सक्षमता विकसित करने के लिए एक अग्रिम पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कार्यवाही कर रही है। इस अग्रिम पाठ्यक्रम का पहला बैच अक्टूबर, 2011 से आरंभ होगा।

समिति देश भर में अंतरराष्ट्रीय कर के विषय में जानकारी के प्रसार के महत्व को मान्यता प्रदान करती है और इसलिए किसी दूरस्थ स्थान में निवास करने वाले किसी सदस्य के लिए इस विषय के पठन को सुकर बनाने के लिए ई-पठन माड्यूल विकसित करने की पहल की गई है।

उपरोक्त क्रियाकलापों के अलावा समिति ने विख्यात सदस्यों के सकल फायदे के लिए अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं :-

- प्रवासियों के कराधान संबंधी तकनीकी गाइड (जुलाई, 2011)
- तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामित्व और फीस संबंधी तकनीकी गाइड (जुलाई, 2011)
- अंतरराष्ट्रीय कराधान के पहलु - एक अध्ययन (पुनरीक्षणाधीन)
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92ड (अंतरण मूल्य नियतन) के अधीन अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों की रिपोर्ट पर मार्गदर्शन (पुनरीक्षणाधीन)
- अनिवासियों के कराधान संबंधी तकनीकी गाइड (पुनरीक्षणाधीन)
- अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी पृष्ठभूमि अध्ययन सामग्री (जनवरी, 2010)
- दोहरे कर प्रवचन करारों के संबंध में मूलभूत जानकारी (फरवरी, 2010)
- आईसीएआई के जर्नल में अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी लेख
- बाहर किए जाने वाले निवेशों की संरचना - कर, विनियामक और नीतिगत मुद्दे, जिनके अंतर्गत बाहर से होने वाले निवेश संबंधी परिप्रेक्ष्य भी है (प्रगति पर है)
- अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी मामला अध्ययनों का संग्रह (प्रगति पर है)

5.19 उद्योग में सदस्यों के लिए समिति

5.19.1 पर्यावलोकन

उद्योग में लगे सदस्यों के लिए समिति आईसीएआई तथा विभिन्न हैसियत से उद्योगों में कार्य कर रहे चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के बीच निकट संपर्क बढ़ाने में लगी हुई है जिससे कि सरकारी संगठनों तथा अभिकरणों के साथ गहन तथा व्यापक नातेदारी के विकास के माध्यम से ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल तथा व्यष्टिक कैरियर विकास में सहायता दी जा सके ताकि उन्हें नियोजन के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को साथ-साथ पूरा करते समय व्यापार, वाणिज्य, उद्योग जगत तथा शासन को हर संभव अधिकतम अपावरण प्रदान किया जा सके।

समिति, उद्योग में अवसरों का पता लगाने में आईसीएआई के सदस्यों को सहायता प्रदान करती है। इस संबंध में,

समिति आईसीएआई के सदस्यों तथा छात्रों के निम्नलिखित तीन प्रवर्गों के संबंध में सेवाएं प्रदान करने में लगी है :

- (i) कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से नए अर्हित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ।
- (ii) अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट - जो वर्तमान में उद्योग में सेवा कर रहे हैं ।
- (iii) अर्द्ध-अर्हित लेखांकन वृत्तिक ।

सभी उपरोक्त सेवाएं प्लेसमेंट पोर्टल www.cmii.icaai.org और <http://Jobs4CAs.icaai.org> के माध्यम से प्रशासित की जा रही हैं । आईसीएआई प्लेसमेंट पोर्टल वृत्तिकों (अर्हित और साथ ही अर्द्धअर्हित, दोनों) को अंतरराष्ट्रीय बेहतर पद्धति उन्मुखी वित्त तथा लेखांकन संस्कृति और भारतीय उद्योग के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्यों के साथ विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है ।

उद्योग में कार्य/वृत्ति कर रहे सदस्यों के आंकड़े, 2010-11

जो व्यवसाय में नहीं हैं	जो अंशकालिक व्यवसाय में हैं	उद्योग में सदस्य ऐसे सदस्यों का योग, जो व्यवसाय और अंशकालिक व्यवसाय में नहीं हैं	जो पूर्णकालिक व्यवसाय में हैं	योग
82931	8089	91020	83664	174684

5.19.2 आईसीएआई के सदस्यों के फायदे के लिए आयोजित कैरियर सहायता कार्यक्रम

समिति छोटे-छोटे अंतरालों पर सभी स्तर के चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए वर्ष में कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों का आयोजन करती है । समिति सदस्यों को विश्व स्तर की नियोजन सेवाएं प्रदान करने और उद्योग को सर्वोत्तम लेखांकन और वित्त योग्यताएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

- विशेष कैम्पस नियोजन कार्यक्रम - 15 से 16 अप्रैल, 2010, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद

समिति ने 15 से 16 अप्रैल, 2010 के दौरान (एनआईएफएम), फरीदाबाद में वृत्तिक कौशल संबंधी त्रैमासिक आवासीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए एक विशेष कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया था । इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत 30 अभ्यर्थियों में से कुल 22 अभ्यर्थियों ने नौकरी संबंधी प्रस्तावों को स्वीकार किया था ।

- 28 मई, 2010 को वीडियो कांफ्रेंसिंग/ टेली कांफ्रेंस के माध्यम से डीसीओ के प्रधानों की बैठक

इस बैठक में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली के डीसीओ प्रधान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए थे और जयपुर, बंगलौर, हैदराबाद और पुणे के डीसीओ प्रधान टेली कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे । इस बैठक का प्रयोजन केन्द्र के प्रधानों से यह अनुरोध करना था कि वे 22 से 26 जून, 2010 के दौरान नए और अनुभव प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए विशेष नियोजन कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सर्वोत्तम संभव उपाय सुनिश्चित करें ।

- अनुभव प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए विशेष नियोजन कार्यक्रम - जून, 2010

समिति ने 22 से 26 जून, 2010 के दौरान अनुभव प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए विशेष नियोजन कार्यक्रम का मुंबई, नई दिल्ली, बंगलौर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर और पुणे केन्द्रों में आयोजन किया था । इस विशेष नियोजन कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 198 नौकरियों का प्रस्ताव किया गया था ।

5.19.3 आईसीएआई - उद्योग एच आर बैठकें

समिति ने उद्योग में वृत्तिकों के साथ 6 जुलाई से 14 जुलाई, 2010 के दौरान 6 केन्द्रों - मुंबई, बंगलौर, चेन्नई,

नई दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता में आईसीएआई - उद्योग एच आर बैठकों का आयोजन किया था, जिससे कि उनकी आवश्यकताओं और सीएमआईआई से उनकी आशाओं को समझा जा सके और नियोजन कार्यक्रम का संचालन किया जा सके।

5.19.4 कैम्पस नियोजन कार्यक्रम अगस्त-सितम्बर, 2010

इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन 25 सितम्बर, 2010 को हुआ था। इसे 16 शहरों में आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर 84 भर्ती संगठनों ने 152 साक्षात्कार दलों के साथ 1398 नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों को नौकरी का प्रस्ताव देने के लिए इसमें भाग लिया था। इसके अलावा 4 अन्य कंपनियों ने हमारे से रैंक धारकों की सूची का क्रय किया था और उन्होंने सीधे ही अभ्यर्थियों से संपर्क किया था/उनकी भर्ती की थी। साक्षात्कार में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों में से 44.94% अभ्यर्थियों को नौकरी के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। ऐसे अभ्यर्थियों में से, जिन्हें नौकरियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे 1144 अभ्यर्थियों ने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया था। किसी अंतरराष्ट्रीय नौकरी के लिए अधिकतम पैकेज तोलाराम समूह द्वारा 21 लाख रुपए प्रतिवर्ष था तथा घरेलू नौकरी के लिए अभिषेक इंडस्ट्रीज द्वारा 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष था। अगस्त-सितम्बर, 2010 के दौरान आयोजित इस कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के दौरान भर्ती करने वाले अस्तित्वों द्वारा औसतन 6.45 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन का प्रस्ताव किया गया था।

5.19.5 खाड़ी परिषद् देशों (जीसीसी) /मध्यपूर्व में कार्यरत संगठनों के लिए विशेष नियोजन कार्यक्रम

समिति ने पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जीसीसी /मध्यपूर्व देशों में कार्यरत संगठनों के लिए एक विशेष नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह पहल भारत से बाहर खाड़ी और मध्यपूर्व देशों में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के नियोजन को सुकर बनाने और विदेशी संगठनों को, अपने-अपने देशों में स्थित उनके कार्यालयों में बैठे-बैठे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षात्कार करने में सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।

इस कार्यक्रम के दौरान मुंबई और दोहा के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 8 दिसम्बर को कतर इश्योरेंस कंपनी के लिए साक्षात्कारों का संचालन किया गया था। इस साक्षात्कार के लिए कुल 16 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। इनमें से संगठन ने 2 अभ्यर्थियों को भर्ती किया है। इस अंतरराष्ट्रीय नौकरी के लिए लगभग 16 लाख रुपए प्रतिवर्ष के सीटीसी पैकेज का प्रस्ताव किया गया था।

5.19.6 कैम्पस नियोजन कार्यक्रम अगस्त-सितम्बर, 2010

समिति ने भर्ती करने वाले अस्तित्वों को गुणवत्ता वाले लेखांकन, वित्त, कर, संपरीक्षा और प्रबंध परामर्शी कार्मिक उपलब्ध कराने के अपने प्रयास में 16 केन्द्रों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलौर, बड़ौदा, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयंबटूर, एर्नाकुलम, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली और पुणे में फरवरी - मार्च, 2011 के दौरान नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों के एक और चक्र का आयोजन किया था।

दोनों चरणों में आयोजित नियोजन कार्यक्रमों के संक्षिप्त ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	5375
साक्षात्कार दलों की संख्या	223
संगठनों की संख्या	111
प्रस्तावित नौकरियों की संख्या	1876
रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों की तुलना में प्रस्तावित नौकरियों का प्रतिशत	34.90 %

कार्यपालक सारांश

1. कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति के लिए प्रस्तावित अधिकतम वेतन 120,000 से 150,000 अमरीकी डॉलर प्रतिवर्ष है (54,86,412.00 भारतीय रुपए से 68,58,015.00 भारतीय रुपए, 1 अमरीकी डॉलर =

45.72010) ।

2. कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में घरेलु नियुक्ति के लिए प्रस्तावित अधिकतम वेतन 13.92 लाख रुपए प्रतिवर्ष है ।
3. इस संबंध में दिया गया न्यूनतम वेतन 3.27 लाख रुपए है ।
4. प्रस्तावित औसत वेतन 6.747 लाख रुपए प्रतिवर्ष था ।
5. प्रथम चरण के साक्षात्कारों में कुल 1902 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और चरण 2 के साक्षात्कारों में छोटे केन्द्रों से आए अभ्यर्थियों को सम्मिलित किए जाने के पश्चात् कुल 4963 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था । कुल मिलाकर कैम्पस नियोजन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 5375 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रीकरण करवाया था ।
6. कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को लगभग 1876 नौकरियों का प्रस्ताव किया गया था ।
7. कुल मिलाकर 34.90% रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों को नौकरियों का प्रस्ताव किया गया था ।
8. 1663 अभ्यर्थियों ने नौकरी के प्रस्तावों को स्वीकार किया था ।
9. निगम संगठनों और चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों सहित 111 अस्तित्वों ने कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में भाग लिया था ।
10. इस कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के दौरान 233 साक्षात्कार पैनलों ने भाग लिया था ।

प्रमुख विशिष्टियां

1. अभ्यर्थियों को भर्ती संगठनों के साथ बैठक करने के लिए 2 विकल्प प्रदान किए गए थे । पहला छोटे नगरों में और दूसरा (यदि अभ्यर्थियों का छोटे नगरों में चयन नहीं हो सका था तो) बड़े नगरों में ।
2. समिति ने अभ्यर्थियों के सॉफ्ट कौशलों को बेहतर बनाने और तकनीकी पक्ष में उन्हें अद्यतन ज्ञान प्रदान करने के लिए उनके लिए अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया था ।
3. इस कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में, साक्षात्कार के लिए चुने गए केन्द्रों तक यात्रा की अपेक्षा से बचने के लिए सभी अभ्यर्थियों को उनके चयन के किसी भी केन्द्र में आयोजित अनुकूलन कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी ।

निम्नलिखित सारणी में कैम्पस साक्षात्कारों से संबंधित जानकारी के आंकड़े दर्शित किए गए हैं :-

वेतन की रेंज

वेतन की रेंज (प्रतिवर्ष)	अभ्यर्थियों की संख्या फरवरी-मार्च, 2010	अभ्यर्थियों की संख्या अगस्त-सितम्बर, 2010	अभ्यर्थियों की संख्या फरवरी-मार्च, 2011
9,00,000 रु. और अधिक रु.	43	79	108
7,50,000 रु. से 8,99,000 रु.	227	169	413
5,00,000 रु. से 7,49,000 रु.	656	756	989
3,50,000 रु. से 4,99,000 रु.	272	137	142
2,50,000 रु. से 3,49,000 रु.	17	3	11
योग	1215	1144	1663

जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक के प्रस्तावों, जिन्हें उनके द्वारा स्वीकार भी किया गया था, की तीनों रेंज में सभी संगठनों द्वारा प्रस्तावित सीटीसी की रेंज में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ।

उपरोक्त सारणी फरवरी-मार्च, 2010, अगस्त-सितम्बर, 2010 और फरवरी-मार्च, 2011 के कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित वेतन की विभिन्न रेंजों के भीतर चुने गए सदस्यों की संख्या के बीच परस्पर तुलना दर्शित करती है। यह देखा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित कार्यक्रमों में अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को उच्चतर वेतनों का प्रस्ताव किया गया था। कम वेतन का प्रस्ताव किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम थी। इससे यह उपदर्शित होता है कि नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों को संदत्त किए जाने वाले वेतन पैकेजों में साधारण रूप से वृद्धि हुई है।

5.19.7 लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) तथा लघु और मध्यम आकार की चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों के लिए अनन्य रूप से संरचित कैम्पस नियोजन कार्यक्रम

एसएमई और एसएमपी के लिए अनन्य रूप से संरचित कैम्पस नियोजन कार्यक्रम

समिति ने लघु और मध्यम आकार के उद्योगों तथा लघु और मध्यम आकार की चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों को गुणवत्ता वाले लेखांकन, वित्त, कर, संपरीक्षा और प्रबंध परामर्शी कार्मिक उपलब्ध कराने के अपने अनूठे प्रयास में निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार देश में 8 केन्द्रों में नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए अनन्य रूप से संरचित कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया था।

केन्द्र	तारीख
बंगलौर, चैन्नई	18, 19 मई, 2011
कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली	18 मई, 2011
अहमदाबाद, पुणे, नागपुर	19 मई, 2011

अनन्य रूप से संरचित कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का कार्यपालक सारांश

1. कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में घरेलू नियुक्ति के लिए प्रस्तावित अधिकतम वेतन 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष है।
2. इस संबंध में दिया गया न्यूनतम वेतन 2.6 लाख रुपए है।
3. कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को लगभग 41 नौकरियों का प्रस्ताव किया गया था।
4. प्रस्तावित औसत वेतन 4.06 लाख रुपए प्रतिवर्ष था।
5. निगम संगठनों और चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों सहित 37 अस्तित्वों ने कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में भाग लिया था।
6. इस कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के दौरान 37 साक्षात्कार पैनलों ने भाग लिया था।

कुल मिलाकर 116 अभ्यर्थियों ने इस सेवा का लाभ उठाया था। इन वृत्तिकों के बायो-डाटा को केन्द्रवार वर्गीकृत किया गया था और उन्हें 8 केन्द्रों पर साक्षात्कार बोर्डों से मिलने का अवसर प्रदान किया गया था।

समेकित :

साक्षात्कार के सभी केन्द्रों के लिए योग	अभ्यर्थियों की संख्या
रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	116
प्रस्तावित नौकरियां	41
उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की तुलना में प्रस्तावित नौकरियों का प्रतिशत	35.34%

5.19.8 एचआर बैठकें

समिति ने आईएचसी, नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबीटेड सेंटर, हैबीटेड वर्ल्ड में 27 अप्रैल, 2011 को आईसीएआई - उद्योग एचआर बैठक का आयोजन किया था।

5.19.9 व्यवसायरत से भिन्न सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कल का सृजन

उद्योग में लगे सदस्यों की सीपीई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, समिति ने एक सक्रिय उपाय के रूप में उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कलों हेतु संनियम तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समिति ने

व्यवसायस्त से भिन्न सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कलों का रजिस्ट्रीकरण आरंभ कर दिया है। अभी तक 44 सीपीई अध्ययन सर्कलों का सृजन कर दिया गया है।

5.19.10 उद्योग में लगे आईसीएआई के सदस्यों के बीच सक्षमता विकसित करना

• प्रकाशन

क. समिति ने नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के फायदे के लिए उन्हें साक्षात्कार दल का सामना करने और उसी समय उन्हें सामान्य ज्ञान और उनसे सुसंगत विषयों के संबंध में जानकारी बनाने में समर्थ बनाने के लिए 'हैंडबुक फॉर न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउंटेंट्स' के पुनरीक्षित संस्करण निकाले हैं।

ख. समिति ने समिति के ई-न्यूजलेटर - 'कारपोरेट कम्युनिकी' के तीन अंक जारी किए हैं।

• आयोजित कार्यक्रम

समिति ने उद्योग में लगे सदस्यों को तैयार तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के अपने प्रयास-में देशभर के विभिन्न अवस्थानों में सफलतापूर्वक 56 कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिनमें संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, आवासी कार्यक्रम, सम्मेलन, अनुकूलन कार्यक्रम, सीएफओ/सीईओ बैठकें और आउटरीच कार्यक्रम सम्मिलित थे।

5.19.11 उद्योगपतियों के साथ बैठक

आईसीएआई के अध्यक्ष की 15 जून, 2010 को श्री मुकेश अंबानी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में सीए पंकज इंदरचंद जैन, सीए भावना दोषी, सीए महेश पी. सरदा भी उपस्थित थे। आईसीएआई के दल ने उसी दिन श्रीमती टीना अंबानी से भी मुलाकात की थी। इस बैठक का प्रयोजन उनके साथ एक साक्षात्कार करना और साथ ही आईसीएआई और उद्योग के बीच संबंध विकसित करना भी था। इसका उद्देश्य लेखांकन वृत्ति के सकल विकास के लिए और चार्टर्ड एकाउंटेंटों को अर्थव्यवस्था की नई चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनाने हेतु उनके कौशलों में सुधार करने के लिए उनसे महत्वपूर्ण सुझाव और मत प्राप्त करना था।

5.19.12 भू-संपदा समूहों के साथ पहली बैठक

भू-संपदा समूहों के साथ पहली बैठक का आयोजन 4 जुलाई, 2010 को होटल क्लार्क्स आमेर, जयपुर में किया गया था। इस बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था :

1. साधारण रूप में भू-संपदा बाजार
2. भू-संपदा उद्योग के समक्ष आने वाले लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी मुद्दे
3. ऐसे सदस्यों से संबंधित मामले, जो भू-संपदा क्षेत्र में नियोजित हैं और आईसीएआई के क्रियाकलापों में उनके द्वारा सम्मिलित होना
4. भू-संपदा उद्योग में हाल ही में आरंभ किया गया सेवाकर
5. भू-संपदा उद्योग को लागू टीडीएस उपबंधों सहित आयकर अधिनियम के विभिन्न उपबंध और उद्योग पर उनका प्रभाव

5.19.13 अध्यक्ष, आईसीएआई की श्री नंदन नीलकेणि, अध्यक्ष, यूआईडीएआई के साथ बैठक

राष्ट्र ने अपने नागरिकों को अनूठे पहचान पत्र जारी करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की है। 20 अक्टूबर, 2010 को नई दिल्ली में श्री नंदन नीलकेणि, अध्यक्ष, भारतीय यूनीक पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। इस बारे में भी विचार-विमर्श किया गया था कि आईसीएआई देशभर में अपने व्यापक सदस्य आधार के साथ इस परियोजना के कार्यान्वयन में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अन्य क्षेत्रों जैसे कि पैनकार्ड, ई-शासन और विक्रय कर तथा उत्पाद-शुल्क के सुविधा केन्द्रों में अनुभव रखने वाले सीए इस परियोजना का भाग बनने के

लिए उपयुक्त सिद्ध होंगे। बैठक के दौरान, माल और सेवाकर के लिए आईटी प्रणाली पर भी विचार-विमर्श किया गया था। यह विनिश्चय किया गया था कि आईसीएआई इस प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन के लिए सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगा। हम जर्नल में मुद्रण के प्रयोजन के लिए श्री निलकेणि के साथ एक साक्षात्कार का भी आयोजन कर रहे हैं।

5.19.14 प्रथम सीएमआईआई आउटरीच कार्यक्रम

समिति ने जीएमआर समूह निगम कार्यालय, बंगलौर में प्रथम सीएमआईआई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया था। 80 से अधिक सीए, वृत्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा में भाग लेने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम के संबंध में उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं और समिति भविष्य में देशभर में विभिन्न निगमों में ऐसे अनेक आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्रस्ताव करती है। सीएमआईआई द्वारा डिजाइन की गई एक आउटरीच कार्यक्रम किट, कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को प्रदान की गई थी।

निम्नलिखित क्रियाकलापों के द्वारा उद्योग में लगे सदस्यों को आईसीएआई के समीप लाने के विचार के परिणामस्वरूप आउटरीच कार्यक्रमों की अभिकल्पना की गई है :

1. आईसीएआई और सीएमआईआई के क्रियाकलापों को मुख्य रूप से दर्शित करना
2. वरिष्ठ सदस्यों को आईसीएआई के साथ उनकी सदस्यता के नवीकरण के लिए प्रोत्साहन देना
3. नए सदस्यों को सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहन देना
4. उद्योग में लगे सदस्यों से इस बारे में विचार प्राप्त करना कि वे आईसीएआई से क्या आशा करते हैं
5. उद्योग में लगे सदस्यों की आईसीएआई की अनुसंधान परियोजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करना
6. विभिन्न क्षेत्रों में सीएमआईआई अध्ययन सर्कलों के सृजन को प्रोत्साहन देना

5.19.15 द्वितीय सीएमआईआई आउटरीच कार्यक्रम

समिति ने पावर फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली में द्वितीय सीएमआईआई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया था। अध्यक्ष, आईसीएआई को इस कार्यक्रम के दौरान सीए जयदीप एन. शाह, उपाध्यक्ष, आईसीएआई, सीए के. रघु, अध्यक्ष, सीएमआईआई, सीए पंकज त्यागी, उपाध्यक्ष, सीएमआईआई, सीए एस.बी. जवाड़े, समिति सदस्य, सीएमआईआई, सीए राजकुमार एस. अदुकिया, केन्द्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई, सीए रघुपति ई. हेगड़े, सहयोजित सदस्य, सीएमआईआई के साथ वृत्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सीए के साथ परस्पर क्रियाएं करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने निदेशक (वित्त), पावर फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड श्री आर. नागराजन के साथ बैठक की थी और आईसीएआई तथा उसकी विभिन्न पहलों के बारे में उनके साथ चर्चा की थी।

5.19.16 तृतीय सीएमआईआई आउटरीच कार्यक्रम

समिति ने जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड, नोएडा में 27 जून, 2011 को अपने तृतीय सीएमआईआई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया था। श्री पी. शंकर अय्यर, समूह वित्त निदेशक, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड ने आईसीएआई के माननीय पूर्व अध्यक्ष और साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया था और उन्हें ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए समिति को धन्यवाद दिया था। इस कार्यक्रम में सीए अमरजीत चोपड़ा, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए के. रघु, अध्यक्ष, सीएमआईआई, सीए पंकज त्यागी, उपाध्यक्ष, सीएमआईआई, सीए विनोद जैन, केन्द्रीय परिषद् सदस्य, सीए सी.एस. नंदा, केन्द्रीय परिषद् सदस्य और सीए अनुज गोयल, केन्द्रीय परिषद् सदस्य उपस्थित हुए थे। कार्यालय की ओर से डा. सुरेन्द्र पाल, सचिव, सीएमआईआई, सुश्री प्रियंका शर्मा, सुश्री श्रुति कालरा और सुश्री श्वेता वर्मा भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में लगभग 150 चार्टर्ड एकाउंटेंटों ने भाग लिया था।

5.19.17 आईसीएआई कनेक्ट - सदस्यों को पुनःप्रवेश प्रदान करने के लिए एक अभियान का प्रारंभ

आईसीएआई कनेक्ट का औपचारिक शुभारंभ आईसीएआई के 1 जुलाई, 2011 को विज्ञान भवन में आयोजित 63वें सीए दिवस के समारोह में श्री डी.के. मित्तल, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। आईसीएआई कनेक्ट, एक ऐसा अभियान है जो ऐसे सभी चार्टर्ड एकाउंटेंटों को एक साथ लाने की अभिकल्पना करता है, जिन्होंने

आईसीएआई की सदस्यता प्राप्त नहीं की है अथवा अपनी सदस्यता का नवीकरण नहीं किया है। वस्तुतः सदस्य इस संस्था का एक आधार हैं। आईसीएआई कनेक्ट की पहल आईसीएआई के इस आधार को और मजबूत बनाएगी, जब उद्योग में लगे और व्यवसायगत सदस्य इसके क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। आज के सक्रिय वातावरण में, सभी चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे आईसीएआई के सक्रिय सदस्य बने रहें।

5.19.18 आईसीएआई के वेब टीवी का शुभारंभ

वेब टीवी का शुभारंभ माननीय सीए रामेश्वर ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उद्योग में लगे सदस्यों को, उनके कार्य संबंधी दबावों के कारण संगोष्ठियों और सम्मेलनों में उपस्थित होने में बहुधा कठिनाई होती है, इसलिए यह विनिश्चय किया गया था कि सीपीई को उनके घर तक ले जाया जाना चाहिए।

आईसीएआई के वेब टीवी पर शिक्षाप्रद वीडियो रखे जाते हैं, जो सदस्यों को विख्यात वक्ताओं के व्याख्यानों की स्ट्रीमिंग करने और अपनी सुविधानुसार उन्हें अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाईल फोन पर देखने में समर्थ बनाएगा। आईसीएआई के सभी महत्वपूर्ण लाइव आयोजनों को सीधे वेब और मोबाईल प्लेटफार्म पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्रसारित किया जाता है। देश भर में स्थित सदस्य, समिति द्वारा घोषित की जाने वाली वेबगोष्ठियों में भाग ले सकते हैं। आईसीएआई के इतने लंबे इतिहास में पहली बार देश भर में ऐसे लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया गया है। इस वेबकास्ट को देशभर में 4200 से अधिक सीए द्वारा देखा गया है।

5.19.19 देशभर में 63वें सीए दिवस के समारोह

देशभर में सभी निगमों द्वारा 63वें सीए दिवस संबंधी समारोह मनाए गए थे। निगमों ने कार्यक्रमों और अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन किया था। निगमों में औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों प्रकार के कार्यक्रमों में लोग इकट्ठे हुए थे। सभी चार्टर्ड एकाउंटेंटों ने इन आयोजनों में भाग लिया था। देशभर में उद्योग में कार्यरत सदस्यों संबंधी सीपीई अध्ययन सर्कलों ने इस सीए दिवस को मनाया था।

5.19.20 केन्द्रीय परिषद् सदस्यों के लिए अनन्य रूप से एक्सबीआरएल संबंधी आवासी संगोष्ठी

समिति ने उत्कृष्टता केन्द्र, हैदराबाद में 19 जून, 2011 को एक्सबीआरएल संबंधी एक आवासी संगोष्ठी - विस्तारणीय कारबार रिपोर्टिंग भाषा का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन अनन्य रूप से केवल केन्द्रीय परिषद् सदस्यों के लिए किया गया था।

5.19.21 नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम - अगस्त-सितम्बर, 2011

समिति देशभर के विभिन्न केन्द्रों में अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इस स्कीम को, नियोजनकर्ता संगठनों और साथ ही महत्वाकांक्षी रखने वाले युवा वृत्तिकों, दोनों को मिलने और उद्योग में नौकरियों की संभावना का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु तैयार किया गया था।

5.19.22 समकालीन मुद्दों पर कार्यक्रम

समिति समकालीन मुद्दों जैसे कि एक्सबीआरएल, आईटी उद्योग, प्रत्यक्ष कर संहिता, उभरते परिदृश्य में जीएएपी की संगतता, आईएफआरएस अभिसरण, वृत्तिक अवसरों आदि पर कार्यक्रमों/ बैठकों का आयोजन कर रही है। यह उद्योग में कार्यरत सदस्यों के ज्ञान को अद्यतन बनाने में सहायता करेगा।

5.19.23 ई-न्यूजलेटर “कारपोरेट कम्यूनिकी”

समिति ने ई-न्यूजलेटर “कारपोरेट कम्यूनिकी” के छठे अंक को जारी किया है। ई-न्यूजलेटर “कारपोरेट कम्यूनिकी” का यह छठा अंक उद्योग में कार्यरत आईसीएआई के सदस्यों को, आईसीएआई द्वारा उसके इस समिति के माध्यम से की गई पहलों के संबंध में नवीनतम जानकारी से अवगत होने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

5.19.24 आईसीएआई के लिए अनन्य रूप से कैम्पस नियोजन कार्यक्रम

समिति ने आईसीएआई में शिक्षा/कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, आईसीएआई के लिए अनन्य रूप से

एक कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया था। आईसीएआई के इस कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के लिए 1000 से अधिक सीए ने रजिस्ट्रीकरण किया था और 400 से अधिक अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में भाग लिया था जिनमें से 100 से अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पहले चरण के लिए सूचीबद्ध किया गया था। हम आईसीएआई की विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी समितियों के लिए युवा सीए की भर्ती करेंगे जिससे कि सदस्यों की बढ़ती हुई संख्या के लिए बेहतर सेवाओं का उपबंध किया जा सके।

5.19.25 चौथा वार्षिक निगम मंच, 2011 - 28 से 30 जनवरी, 2011, कोलकाता

समिति ने 28 से 30 जनवरी, 2011 को कोलकाता में चौथे वार्षिक निगम मंच, 2011, जो एक तीन दिवसीय बृहत् आयोजन था, का आयोजन किया था। यह लगातार चौथी बार था कि समिति ने इस प्रकार का कोई आयोजन किया था। इन आयोजनों में निगमों और आईसीएआई के सदस्यों के लिए मिश्रित अवसर उपलब्ध होते हैं। इस कार्यक्रम में चार समकालीन कार्यक्रम सम्मिलित थे - करियर एसेंट - मिड करियर कैम्पस, कारपोरेट कॉन्क्लेव, कैपिटल एडवांटेज और आईसीएआई पुरस्कार, 2010। इन कार्यक्रमों का आयोजन 28 से 30 जनवरी, 2011 के दौरान विभिन्न अवस्थानों पर एक साथ किया गया था। पहले दिन तीन आयोजन किए गए थे, जो एक साथ आरंभ हुए थे। 28 जनवरी, 2011 को रोटरी सदन, कोलकाता में करियर एसेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 267 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों को, जिनके पास उद्योग में कार्य करने का एक या अधिक वर्ष का अनुभव था, विकास और करियर संबंधी संभावनाओं को उपलब्ध कराया गया था, जिससे कि वे अपनी पूर्ण योग्यता और महत्वकांक्षाओं को साकार कर सकें और अपने कार्यक्षेत्र तथा ज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित कर सकें। इन तीन दिनों के दौरान इस करियर एसेंट कार्यक्रम में कुल 7 कंपनियों ने भाग लिया था और उन्होंने 40 से अधिक अभ्यर्थियों को इस कार्यक्रम में नौकरियों का प्रस्ताव दिया था। एक अन्य आयोजन, कैपिटल एडवांटेज - इनवेस्ट एंड बाए मार्ट का आयोजन कोलकाता के होटल हयात रिजेंसी में किया गया था। कैपिटल एडवांटेज प्रदर्शनी ने एक ऐसे मंच के रूप में कार्य किया था, जहां पूरे भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंटों और निगमों ने अपनी उपस्थिति चिन्हित की थी। इसके कारण विनिर्माण, बैंककारी, वित्त और अन्य सेवाओं में अंतर्गलित विभिन्न संगठन चार्टर्ड एकाउंटेंटों, निवेशकों, वित्त पोषण करने वाले समुदाय और निगमों में विनिश्चय करने वाले व्यक्तियों के साथ परस्पर संवाद समर्थ हो सका था। तीसरा आयोजन, जो इस निगम मंच के शुभारंभ के साथ आरंभ किया गया था, वह था कारपोरेट कॉन्क्लेव। यह एक तीन दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें समकालीन विषयों पर भाग लेने वाले व्यक्तियों की जानकारी और कौशल में वृद्धि की गई थी तथा इसका आयोजन कोलकाता के होटल हयात रिजेंसी में किया गया था। इस आयोजन में सम्मिलित किए जाने वाले विषयों के अंतर्गत कर और भविष्य के लिए कारबार योजना, भारतीय स्टॉक बाजार और आईएफआरएस तथा एक्सबीआरएल जैसे विषय थे। इसने सदस्यों को उनके ज्ञान को समृद्ध बनाने और सदस्यों को उनके कौशल को पैना करने का अवसर प्रदान किया था। यह निगम मंच 30 जनवरी, 2011 की शाम को बहुप्रतीक्षित आईसीएआई पुरस्कार - 2010 के साथ समाप्त हुआ था। इस रंगारंग आयोजन में अनेक गणमान्य व्यक्तियों की बहुमूल्य उपस्थिति का लाभ प्राप्त हुआ था, जैसे कि मुख्य अतिथि श्री दिनेश त्रिवेदी, संघ के स्वास्थ्य राज्य मंत्री, माननीय अतिथि श्री शोबन चट्टोपाध्याय, कोलकाता के मेयर, विख्यात पत्रकार श्री प्रभु चावला, आईसीएआई के गणमान्य सदस्य अर्थात् सीए अमरजीत चोपड़ा, तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई और तत्कालीन उपाध्यक्ष, सीए जी. रामास्वामी, केन्द्रीय परिषद् सदस्य, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद् के सदस्य। प्रख्यात बॉलीवुड कलाकार श्री जैकी श्रौफ, बंगाली अदाकारा सुश्री रचना बनर्जी और सुश्री प्रियदर्शिनी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई थीं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति लोकप्रिय गायक श्री सोनू निगम द्वारा की गई थी। इस आयोजन को देखने के लिए एक बड़ी भारी भीड़ जुटी थी जिसने इसकी काफी सराहना की थी। पुरस्कारों में, उद्योग में लगे ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों के आदर्श कार्यों को सम्मानित किया गया था, जिन्होंने वृत्तिक जीवन, निजी जीवन में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है और जो उद्योग में अन्य व्यक्तियों के लिए आदर्श की भूमिका में हैं। विभिन्न प्रवर्गों में, जिनके अंतर्गत दो विशेष उपलब्धि पुरस्कार भी थे, उत्कृष्टता के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों को 20 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। 28 से 30 जनवरी, 2011 तक चले इस तीन दिवसीय गौरवशाली कार्यक्रम को स्थानीय और साथ ही राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक कवरेज प्राप्त हुई थी, जिसमें मुद्रण मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ने बढ-चढ कर भाग लिया था, विशेषकर डीडी बांग्ला, जिसने सभी चार आयोजनों को कवर किया था, आर प्लस - स्थानीय टीवी चैनल, ताजा टीवी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। पुरस्कार समारोह का प्रसारण यूटीवी द्वारा भी किया जाएगा। कार्यक्रम संबंधी विज्ञापनों को रेड एफएम पर भी सुनाया गया था। समिति यह आशा करती

है कि वह उद्योग में कार्यरत सदस्यों और निगमों के फायदे के लिए भविष्य में भी ऐसे समारोहों का आयोजन करना जारी रखेगी।

5.20 पियर रिव्यू बोर्ड

वर्ष 2002 में आईसीएआई की परिषद् द्वारा गठित पियर रिव्यू बोर्ड एक सफल प्रयास रहा है जो अभी तक ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहा है, जिनके लिए उसका गठन किया गया था। पियर पुनर्विलोकन एक ऐसा तंत्र है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में गुणवत्ता मानकों का संवर्धन करना, उसे बनाए रखना और उसमें अभिवृद्धि करना है। बोर्ड, जिसमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सीएंडएजी और सेबी जैसे अन्य निकायों से प्रतिनिधि और परिषद् के सदस्य सम्मिलित हैं, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से अग्रसर हो रहा है कि अधिप्रमाणन सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है, उसमें अभिवृद्धि की जाती है और पुनर्विलोकनों को बेहतर ग्लोबल व्यवहारों के अनुसार किया जाता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध अस्तित्वों के लिए 1 अप्रैल, 2010 से यह आज्ञापक बना दिया है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत सीमित पुनर्विलोकन/कानूनी संपरीक्षा रिपोर्ट केवल उन संपरीक्षकों द्वारा तैयार की जाएगी, जिन्होंने स्वयं को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अधीन किया है और जो आईसीएआई के 'पियर रिव्यू बोर्ड' द्वारा जारी प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने भी पियर रिव्यू बोर्ड के कार्य को मान्यता प्रदान की है क्योंकि यह आवेदन प्रारूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों से उनकी पियर पुनर्विलोकन प्रास्थिति के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे मांगता है, ताकि पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए संपरीक्षा आबंटित की जा सके। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों से सीएंडएजी वार्षिक रूप से संस्थान से उन फर्मों के ब्यौरे मांग रहा है, जिन्हें पियर रिव्यू बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

इस क्रम में कि पुनर्विलोकनकर्ताओं द्वारा सुसंगतता और एकरूपता के साथ पुनर्विलोकन किया जाता है, बोर्ड पुनर्विलोकनकर्ताओं को प्रैक्टिस यूनिटों को पुनर्विलोकन के लिए उनको समनुदेशित करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण माड्यूल जो "ट्रेनिंग माड्यूल फॉर पियर रिव्यूअर्स" नामक पुस्तक के रूप में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है, पुनर्विलोकनकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है तथा प्रशिक्षण सुसाध्यक के लिए मार्गदर्शन भी देता है कि पुनर्विलोकनकर्ताओं का प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है। पुनर्विलोकनकर्ताओं का यह उदात्त उत्तरदायित्व है कि वे उन उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करें, जिनके लिए पियर पुनर्विलोकन तंत्र प्रारंभ किया गया है। अतः पियर पुनर्विलोकनकर्ता की भूमिका एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की है।

पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया का उद्देश्य तीन चरणों में क्रमबद्ध शैति से चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की सभी फर्मों को सम्मिलित करना है। चरण 1 में सम्मिलित पी.यू. का 5 क्रमबद्ध शैति से चयन किया गया है तथा जो अभी प्रक्रम 2 के अंतर्गत सम्मिलित हैं, उनका 4 चरणों के लिए चयन किया गया है। प्रक्रम 3 के अधीन पीयू का चयन उसके फेज 1 के अधीन किया गया है। चयन किए गए पीयू, पूरे किए गए पुनर्विलोकनों और जारी किए गए पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्रों के ब्यौरे इस रिपोर्ट में अन्यत्र अंतर्विष्ट किए गए हैं।

अपनी विद्यमानता के पिछले 9 वर्षों के दौरान, बोर्ड ने एक लंबी दूरी तय की है और अब पियर पुनर्विलोकन तंत्र को वृत्ति में व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। पियर रिव्यू बोर्ड की अंतिम स्पष्ट, अर्हित और अनुवर्ती रिपोर्टों पर विचार करने वाली उपसमिति ने इस परिषद् वर्ष के दौरान बैठकें की थीं और आज की तारीख तक पियर रिव्यू बोर्ड द्वारा कुल 5150 प्रैक्टिस यूनिटों को पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। परिषद् ने, पियर रिव्यू बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार पियर पुनर्विलोकन संबंधी कथन को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है।

प्रेक्टिस यूनिटों के चयन के संबंध में स्थिति

प्रेक्टिस यूनिट का चयन	चयन किए गए पीयू की संख्या	चयन का प्रतिशत	पूरा किया गया/चालू पियर पुनर्विलोकन
प्रक्रम 1 के अधीन चयन (एसII)	2755	26.03%	2278

प्रक्रम 2 के अधीन चयन (एसII)	5047	47.47%	4125
प्रक्रम 3 के अधीन चयन (एसIII)	2768	26.50%	1925
कुल योग*	10570	100%	8328

प्रेक्टिस युनिट की कवरेज (वर्षवार)	चयन किए गए पीयू की संख्या	प्रेक्टिस युनिट का चयन (फेजवार)	प्रक्रम 1	प्रक्रम 2	प्रक्रम 3
2003-2005	2016	फेज 1	223	1509	2718
2005-2007	3798	फेज 2	284	1269	50
2007-2008	1647	फेज 3	460	1084	-
2008-2009	1680	फेज 4	732	962	-
2009-2010	1106	फेज 5	1056	223	-
2010 से आगे (स्वप्रेरणा से)	323				
कुल योग*	10570	योग	2755	5047	2768

पियर पुनर्विलोकन रिपोर्टों के संबंध में स्थिति

निम्नलिखित तारीख को आंकड़े	प्राप्त हुई रिपोर्टें (अंतिम/अर्हित)	जारी किए गए पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र	सिफारिश किए गए अनुवर्ती पुनर्विलोकन	बोर्ड द्वारा विचार की जाने वाली रिपोर्टें/अपूर्ण रिपोर्टें
कुल योग*	5602	5150	394	58

पुनर्विलोकन का दूसरा चरण

प्रक्रम	चयन किए गए पीयू/पुनर्विलोकक, जिनके नाम संसूचित किए गए हैं	पीयू द्वारा चयनित पुनर्विलोकक	ऐसे पुनर्विलोकक जिन्होंने सहमति दी है	ऐसे पुनर्विलोकक जिन्होंने सहमति नहीं दी है	प्राप्त अंतिम रिपोर्टें	जारी किए गए पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र
प्रक्रम I	349	301	282	19	189	188
प्रक्रम II	414	207	151	56	119	109

* जून, 2011 को

पैनलबद्ध किए गए पुनर्विलोककों की संख्या

- 5598

प्रशिक्षित पुनर्विलोककों की संख्या

- 4284

5.21 वृत्तिक विकास समिति

वृत्तिक विकास समिति को भारत के आईसीएआई द्वारा वर्ष 1962 में एक गैर-स्थायी समिति के रूप में स्थापित किया गया था। वृत्तिक विकास समिति आईसीएआई की सर्वाधिक सक्रिय समितियों में से एक है, जिसने सदैव

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आईसीएआई के सदस्यों के लिए पर्याप्त अवसरों की खोज करने, उन्हें व्युत्पन्न करने, विकसित करने और उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास किए हैं। यह वृत्तिक विकास आवश्यकताओं को अवधारित करती है और वृत्ति को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों और मुद्दों की पहचान करती है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह समिति ऐसे नए और विद्यमान क्षेत्रों में खोजबीन/क्रियाएं करके, जहां सदस्यों के वृत्तिक कौशल को और अधिक उत्पादक और फायदाप्रद रीति में उपयोग किया जा सकता है, आईसीएआई के सदस्यों के लिए और अधिक वृत्तिक अवसरों का सृजन करने के लिए प्रयास कर रही है। इस समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं कि वृत्ति के सभी सदस्यों को समान अवसर उपलब्ध हों। वृत्तिक विकास में अभी तक जांचे-परखे नहीं गए क्षेत्रों की पहचान करने के अलावा वृत्तिक विकास समिति समाज के विभिन्न तबकों में बहुप्रकार के उपयोगिताओं के साथ संपर्क प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंटों की भूमिका के संबंध में शिक्षित करने के लिए प्रयास कर रही है। विद्यमान और नए क्षेत्रों में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के कौशल में वृद्धि करने के विचार से, यह हित के समकालीन क्षेत्रों में संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है।

वृत्तिक विकास समिति ने वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं जैसे कि विभिन्न सरकारी विभागों और विनियामक निकायों के विभिन्न पद्धतियों से की गई बैठकें आदि। बैठकों के अलावा समिति ने सदस्यों के कौशल में सुधार लाने के उद्देश्य से, उन्हें नए नियमों और विनियमों से अवगत कराने के लिए और इस प्रकार सदस्यों और विनियामकों को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया था।

इस रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति की प्रमुख उपलब्धियां/प्रयास नीचे दिए गए हैं :

- आरबीआई के साथ, “प्रणाली संपरीक्षा रिपोर्टों को प्रस्तुत करना” से संबंधित उसके तारीख 15 अप्रैल, 2011 के परिपत्र के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाहियों के अनुसरण में, आरबीआई ने डीआईएसए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों को प्राधिकृत संदाय प्रणाली प्रचालकों और अस्तित्वों की प्रणाली संपरीक्षा करने की अनुमति दे दी है।
- वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों ही इस बात के लिए सहमत थे कि बैंकों द्वारा उनके संपरीक्षकों के चयन हेतु पात्र केन्द्रीय कानूनी संपरीक्षकों की पूर्ण सूची को प्रकट न किया जाए और तदनुसार उपलब्ध रिक्तियों की तुलना में 2:1 के अनुपात में संपरीक्षकों की सूची को जारी किया गया था।
- पहली बार, सहयोग आयुक्त और सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय, पुणे ने महाराष्ट्र राज्य के लिए शहरी सहकारी बैंकों और यूसीबी से भिन्न सहकारी सोसाइटियों की संपरीक्षा का संचालन करने के लिए महाराष्ट्र स्थित सीए फर्मों का एक ऐसा पैनल प्राप्त किया था, जिसे आईसीएआई द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से तैयार किया गया था।
- लगातार अनेक प्रतिवेदनों और अनुवर्ती कार्यवाहियों के, जिनमें यूपी वैंट संपरीक्षा रिपोर्ट को अभिप्राप्त करने और प्रस्तुत करने के लिए साधारण विस्तारण करने की ईप्सा की गई थी, परिणामस्वरूप संपरीक्षा रिपोर्टिंग प्ररूपों को पुनरीक्षित किया गया है और नियमों के अन्य संशोधनों के साथ अधिसूचित किया गया है।
- आगामी वर्ष से नाबार्ड द्वारा जारी राज्य और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संपरीक्षकों की फीस नियत करने के संबंध में नीति परिपत्र से संपरीक्षा फीस के संबंध में मोल-भाव करने से संबंधित खंड को हटा दिया जाएगा। हम इस बारे में आश्वस्त हैं कि फीस तय करते समय मोल-भाव करने संबंधी खंड को हटा दिए जाने से राज्य और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संपरीक्षकों के बीच साम्यापूर्ण कार्य वितरण में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- हमारे प्रतिवेदन के अनुसरण में, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने, शाखा के प्रवर्ग और शाखा में हुए कारबार की मात्रा पर निर्भर करते हुए, आय संपरीक्षा के लिए संपरीक्षक की फीस में उचित रूप से वृद्धि कर दी

- हमारे प्रतिवेदन के अनुसरण में, परियोजना समन्वयक, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर स्पोर्ट प्रोजेक्ट (डीएसपी), उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 की अवधियों के लिए डीएसपी की आंतरिक वित्तीय संपरीक्षा करने के लिए सीए फर्मों से ईओआई के लिए अपने आमंत्रण को 25 जनवरी, 2011 को समाचार पत्रों में एक शुद्धि पत्र जारी करके संशोधन किया था।
- बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी एक रिपोर्ट भारतीय बैंकों के संघ और भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। उसके पश्चात् होने वाले विचार-विमर्श के अनुसरण में, अब आरबीआई ने समवर्ती संपरीक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कार्यक्रम समूह का सृजन किया है।
- वृत्तिक विकास समिति का जानकारी पोर्टल www.pdicai.org, वृत्ति में होने वाली नई घटनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में नए वृत्तिक अवसरों के संबंध में सदस्यों को समय पर और अनिवार्य जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी अपनी सेवाएं सदस्यों को उपलब्ध कराता रहा है।
- सीए की नेटवर्किंग और समेकन संबंधी पोर्टल, जो www.canet.co.in लिंक पर उपलब्ध है, चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के साथ, जो समान विचार, उद्देश्य और भावी रणनीति रखते हैं और जो नेटवर्क का हिस्सा बनने वाले व्यक्तियों के बल को अनुपूरित करते हैं, नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है।

और अधिक वृत्तिक अवसरों की खोज करने के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों को प्रतिवेदन भेजे गए थे तथा और अधिक वृत्तिक अवसरों का पता लगाने और विद्यमान अवसरों में अनछुए क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्राधिकारियों के साथ बैठकें भी की गई थीं :

साम्यापूर्ण वृत्तिक अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और अधिकाधिक वृत्तिक कार्य उपलब्ध कराने के लिए बृहत मांग के परिणामस्वरूप, विभिन्न प्राधिकरणों/संगठनों को चार्टर्ड एकाउंटेंटों/चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों के पैलन उपलब्ध कराए गए थे।

अपने सदस्यों के कौशल और योग्यता में सुधार करने के लिए विनिर्दिष्ट सहायता उपलब्ध कराने के मार्गों और उपायों पर विचार करने के अपने प्रयासों में, समिति ने इस अवधि के दौरान विभिन्न सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन किया।

5.22 लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति

आईसीएआई अब अपनी लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति द्वारा न केवल वित्तीय रिपोर्टिंग, लेखांकन और संपरीक्षा के क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है, अपितु लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के मुद्दों पर भी बल दे रहा है और इस प्रकार वह बृहतर रूप में समाज के लिए उपयोक्ता संसाधनों/परिणामों का सृजन करने के लिए प्रयास कर रहा है। अपनी इस समिति के माध्यम से, आईसीएआई केन्द्रीय और राज्य सरकारों को, वित्तीय प्रशासन और लोक नीति के प्रबंध के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। समिति सभी पणधारियों, जिनके अंतर्गत कर्मचारी, मीडिया, एनजीओ और बृहत रूप में समाज भी है, को सरकारी क्षेत्र में लेखांकन सुधारों के फायदों और आवश्यकता के बारे में जागरूकता बनाने के लिए प्रयास कर रही है जिससे कि पारदर्शिता, सुशासन के मुद्दों का समाधान किया जा सके और उपभोक्ता सक्रियवाद और नागरिकों के अधिकारों और आरटीआई द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना किया जा सके।

समिति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- लोक वित्त में नीति निर्धारण, योजना और उसके निष्पादन, शासकीय लेखांकन प्रणाली में सुधारों और अंत उपयोक्ताओं के लिए आर्थिक विकास को प्रारंभ करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए लोक निधियों के उपयोग को अधिकतम बनाने में स्थानीय, राज्य और केन्द्रीय सरकार, पीएसयू और अन्य संगठनों के लिए उपायों का पुनर्विलोकन करना, उनका विश्लेषण करना तथा उनकी सिफारिश तथा उनके संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना।
- सरकारी निकायों के भीतर, ऐसी पद्धतियों को तैयार करने के लिए, जो लेखांकन सुधार प्रक्रिया भारत के

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) और लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के साथ शासकीय लेखांकन प्रणाली के ढांचे में सुधार लाने के लिए सहयोग और समन्वयन में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को समर्थ बनाएंगी, प्रशिक्षण प्रदान करना ।

- केन्द्रीय और राज्य सरकारों को ऐसे उपायों और मार्गों के बारे में सुझाव देना, जो कर आधार को व्यापक बनाने और राजस्व संग्रहण के प्रशासन को बेहतर बनाने, एमआईएस में सुधार करने, बजट संबंधी नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने और जवाबदेही तथा पारदर्शिता में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होंगे ।
- समिति वृत्ति के लिए सक्षमता निर्माण उपाय प्रारंभ करने के लिए भी प्रयास करती है, जिससे कि वृत्ति को शासकीय लेखांकन और लोक वित्त सुधारों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

वर्ष के दौरान समिति की प्रमुख पहलों में 'इश्यूज इन पब्लिक फाइनेंस' शीर्षक वाली एक पुस्तक का विमोचन करना और देश के विभिन्न अवस्थानों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों का आयोजन करना सम्मिलित थे ।

5.23 अनुसंधान

अनुसंधान किसी भी वृत्ति के ज्ञान आधार को पोषित करने और साथ ही उसे व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । वृत्ति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार करने हेतु अनुसंधान क्रियाकलाप चलाने के विचार से वर्ष 1955 में एक गैर-स्थायी समिति के रूप में अनुसंधान समिति का गठन किया गया था । यह समिति लेखांकन पहलुओं पर मार्गदर्शक टिप्पण तैयार करती है जिसे परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है । यह समिति साधारण रूप में स्वीकृत लेखांकन और/या लेखांकन सिद्धांतों और वृत्ति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए व्यवहारों के संबंध में तकनीकी गाइडों, अध्ययनों, मानोग्राफों आदि का भी प्रकाशन करती है । समिति बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुती में योग्यता को मान्यता प्रदान करने के विचार से 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' हेतु वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन करती है ।

5.23.1 समिति की उपलब्धियां

समिति के एक प्रकाशन 'एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग : इलस्ट्रेटिव गाइड टू प्रेजेंटेशन एंड डिसक्लोजर' का विमोचन संघ के माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी, भारत सरकार द्वारा लेखांकन वृत्ति : संवहनीय आर्थिक विकास की उत्प्रेरक विषय पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 4 जनवरी, 2011 को आईसीएआई द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उदघाटन समारोह के दौरान किया गया था । यह प्रकाशन 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' हेतु वार्षिक प्रतियोगिता के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों के पुनर्विलोकन के दौरान किए गए महत्वपूर्ण संप्रेक्षणों का सार प्रस्तुत करता है, जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग के विभिन्न पहलुओं पर सर्वोत्तम व्यवहारों को सूचीबद्ध करने के प्रयास रूप में संतुलित किया गया है, जिससे कि वित्तीय विवरण तैयार करने वाले व्यक्तियों को उनके स्वयं के व्यवसाय में बेंच मार्क स्थापित करने में समर्थ बनाया जा सके ।

5.23.2 प्रगति में महत्वपूर्ण परियोजनाएं

समिति की कतिपय अन्य परियोजनाओं पर भी कार्य चल रहा है, जो निम्नानुसार हैं :

क. तेल और गैस उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों के लेखांकन पर पुनरीक्षित मार्गदर्शक टिप्पण समिति ने यह महसूस किया कि तेल और गैस उद्योग में कतिपय परिवर्तनों और उनसे संबंधित विधियों में संशोधन के कारण विद्यमान तेल और गैस उद्योग में लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण के पुनरीक्षण की आवश्यकता है । तदनुसार समिति ने इस मार्गदर्शक टिप्पण को पुनरीक्षित करने की योजना आरंभ की है ।

ख. दूरसंचार प्रचालकों के लिए राजस्व की मान्यता पर तकनीकी गाइड

यह तकनीकी गाइड उपयुक्त लेखांकन व्यवहारों को सुस्थापित करने के विचार से दूरसंचार प्रचालकों के लिए

राजस्व मान्यता के संबंध में उद्योग विनिर्दिष्ट लेखांकन मुद्दों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है।

ग. यूरोपीय संघ में आईएफआरएस कार्यान्वयन की रीति और चुनिंदा देशों में आईएफआरएस कार्यान्वयन की वर्तमान प्रास्थिति संबंधी अध्ययन

यह अध्ययन उस प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारीयों उपलब्ध कराता है जिसे यूरोपीय संघ द्वारा आईएफआरएस कार्यान्वयन के समय प्रारंभ किया गया था और साथ ही उस समय विद्यमान परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है जब आईएफआरएस कार्यान्वित किए गए थे और चुनिंदा देशों में आईएफआरएस कार्यान्वयन की वर्तमान प्रास्थिति का भी उल्लेख करता है।

घ. मनोरंजन उद्योग में योग्यता के लिए लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड

समिति ने मनोरंजन उद्योग में बड़े निगमों के प्रवेश के साथ इस उद्योग में विशिष्ट रूप से दर्ज उच्च विकास दर के लिए उद्योग विनिर्दिष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के विचार से इस अनुसंधान परियोजन को आरंभ किया था।

ङ. खुदरा क्षेत्र में लेखांकन संबंधी मुद्दों पर तकनीकी गाइड

हाल ही में खुदरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र के रूप में उभरा है जिसने हमारी अर्थ व्यवस्था में सर्वाधिक विकास दर अर्जित की है। एक ही छत के नीचे राशन की मदों से लेकर सब्जियों और इलेक्ट्रॉनिक मदों तक प्रत्येक वस्तु को उपलब्ध कराने की अवधारणा भारतीय उपभोक्ताओं में काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई है और इसके साथ ही उसमें अंतर्वलित जटिल लेखांकन मुद्दों के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की आवश्यकता भी महसूस की गई है। इसके अतिरिक्त, समिति ने लेखांकन पहलुओं पर विद्यमान मार्गदर्शक टिप्पणों को पुनरीक्षित करने की परियोजना भी हाथ में ली है, जिनमें पुनरीक्षण अपेक्षित है, विशेषकर उनमें से कुछ के जारी होने के पश्चात् लेखांकन के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए।

5.23.3 वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार

वित्तीय रिपोर्टिंग तथा वार्षिक रिपोर्टों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुती में बेहतर मानकों का संवर्धन करने के लिए, आईसीएआई ने अपनी अनुसंधान समिति के माध्यम से वर्ष 1958 से वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार प्रारंभ किए थे जो अलबत्ता उस समय “सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत लेखा प्रतिस्पर्धी” के नाम से ज्ञात थे और उसके पश्चात् उन्हें वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता रहा है।

वित्तीय सूचनाओं की प्रस्तुति में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक रूप से ‘वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार’ के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष इस प्रतियोगिता के लिए, प्रतियोगिता की पद्धतियों में संशोधन किया गया था और ऊपर उल्लिखित प्रतियोगिता के लिए प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों पर विचार करने के लिए शील्ड पैनल के अलावा एक बाहरी ज्यूरी का गठन भी किया गया था। कार्यकरण संबंधी वर्गीकरण के आधार पर, जिसे आवर्त के मानदंड के आधार पर आगे और वर्गीकृत किया गया था, दस प्रवर्गों में होने वाली प्रतियोगिता में कुल 140 अस्तित्वों ने भाग लिया था। शील्ड पैनल और बाहरी ज्यूरी के बैठकों का आयोजन क्रमशः 13 दिसम्बर, 2010 और 14 दिसम्बर, 2010 को किया गया था, जिनमें सूचीबद्ध किए गए भाग लेने वाले अस्तित्वों के वित्तीय विवरणों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था और ब्यौरेवार चर्चाओं के पश्चात् इस वर्ष की प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया था। ज्यूरी की बैठक की अध्यक्षता पद्म विभूषण श्री नरेश चंद्र, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई थी, इस बैठक में भाग लेने वाले ज्यूरी के अन्य सदस्यों में सीए. पीयूष गोयल, संसद् सदस्य (राज्य सभा), सीए. वी. बालाकृष्णन, सीएफओ इंफोसिस लिमिटेड, सीए. आशु सुयश, प्रबंध निदेशक, इंडिया फिडेलिटी इंटरनेशनल (कान्फ्रेंस कॉल के माध्यम से पूरी बैठक में भाग लिया था), डॉ. ए.के. बनर्जी, पूर्व उप सीएंडएजी, श्रीमती के.जे. उदेशी, पूर्व डिप्टी गवर्नर, आरबीआई और अध्यक्ष, बीसीएसबीआई, सीए. पल्लव गुप्ता, महाप्रबंधक (कराधान), आईटीसी लिमिटेड और श्री पृथ्वी हल्दिया, परिषद् सदस्य, आईसीएआई तथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, प्राइम डाटाबेस सम्मिलित थे।

4 जनवरी, 2011 को विज्ञान भवन में हुए पुरस्कार समारोह में कुल मिलाकर 17 पुरस्कार - छह स्वर्ण शील्डें, आठ

रजत शील्ड और तीन पट्टिकाएं वितरित की गई थीं। ये पुरस्कार श्री सलमान खुशीद, संघ के तत्कालीन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारपोरेट कार्य और अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए थे। श्री आर.बंधोपाध्याय, तत्कालीन सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पुरस्कार विजेताओं की सूची निम्नवत है :

वर्ष 2009-10 के लिए पुरस्कार विजेता

प्रवर्ग	पुरस्कार	अस्तित्व का नाम	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक परीक्षा और लेखा
I	बैंकिंग सेक्टर	स्वर्ण शील्ड	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 31 मार्च, 2010
		रजत शील्ड	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 31 मार्च, 2010
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 31 मार्च, 2010
II	इंश्योरेंस सेक्टर	स्वर्ण शील्ड	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस क. लि. 31 मार्च, 2010
		रजत शील्ड	बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस क. लि. 31 मार्च, 2010
III	मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर (500 करोड़ रुपये या अधिक की आवर्त के लिए)	स्वर्ण शील्ड	डॉ. रेड्डीज लेबोरेट्रीज लिमिटेड 31 मार्च, 2010
		रजत शील्ड	टाटा केमिकल्स लिमिटेड 31 मार्च, 2010
IV	मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर (500 करोड़ रुपये से कम की आवर्त के लिए)	रजत शील्ड	गणेश पोलिटेक्स लिमिटेड 31 मार्च, 2010
VII	सर्विस सेक्टर (बैंकिंग और इंश्योरेंस से भिन्न) (500 करोड़ रुपये या अधिक की आवर्त के लिए)	स्वर्ण शील्ड	टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड 31 मार्च, 2010
		रजत शील्ड	पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड 31 मार्च, 2010
		इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	
VIII	सर्विस सेक्टर (बैंकिंग और इंश्योरेंस से भिन्न) (500 करोड़ रुपये से कम की आवर्त के लिए)	स्वर्ण शील्ड	न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 31 मार्च, 2010
		रजत शील्ड	इन्फो ऐज (इंडिया) लिमिटेड 31 मार्च, 2010
IX	गैर लाभकारी सेक्टर	स्वर्ण शील्ड	दि अक्षय पात्र फाउंडेशन 31 मार्च, 2010
		रजत शील्ड	विद्या डेयरी 31 मार्च, 2010
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट	हेल्पेज इंडिया 31 मार्च, 2010

		के लिए पट्टिका		
X	स्थानीय निकाय	सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	सूरत नगर निगम	31 मार्च, 2010

5.24 विजन और परिप्रेक्ष्य योजना समिति

विजन और परिप्रेक्ष्य योजना समिति वृत्ति की विश्वसनीयता संवर्धन करने और उभरते क्षेत्रों में उसके लिए एक बेहतर स्थान बनाने और साथ ही उसकी पहुंच को विस्तारित करने के लिए, ताकि वह सोसाइटी के लिए अधिक मूल्यवान सिद्ध हो सके, दीर्घकालिक विजन की प्राप्ति के लिए नीतिगत कार्य योजना में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं का पुनर्विलोकन करती है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें - 2010-11

- विजन और परिप्रेक्ष्य योजना समिति ने बोर्ड के साथ संयुक्त प्रयास के रूप में 26 सितम्बर, 2010 को, नई दिल्ली में “भारत में वाणिज्य और एकाउंटेंसी शिक्षा : मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन में शिक्षा जगत से सम्मानित अतिथि उपस्थित हुए थे, जिनमें राष्ट्र के सभी बड़े और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों से उपकुलपति, विभागाध्यक्ष (वाणिज्य और वित्त) और वाणिज्य और वित्त शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले शिक्षाविद सम्मिलित थे। इस सम्मेलन का आशय अर्थव्यवस्था की बदलती परिस्थितियों के कारण आने वाले दशकों में युवा और विकासशील भारत की आवश्यकताओं और आशाओं का और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रभाव का अनुमान लगाना था, जैसा कि देश के विकास में भागीदार बनने वाले निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे बदलती आर्थिक परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए युवा और योग्य वृत्तिकों का विकास करते रहेंगे।

यह कार्यशाला विद्यमान अवसंरचना, पाठ्यचर्या, प्रौद्योगिकी और आनेवाले वर्षों में छात्रों के लिए एक समुचित शिक्षा वातावरण का सृजन करने के लिए अध्यापन पद्धतियों में सुधार लाने के लिए पद्धतियों और तंत्रों का पता लगाने में अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी।

- समिति ने तृतीय देशों से संपरीक्षा अस्तित्वों के लिए संक्रमणकालीन अवधि संबंधी यूरोपीय आयोग की निर्देशिका का अध्ययन किया है। इस निर्देशिका का महत्व यह है कि तृतीय देशों से व्यक्ति संपरीक्षा फर्म, जो यूरोपीय यूनियन समुदाय से बाहर निगमित कंपनियों की संपरीक्षाओं का संचालन कर रही है, जिसकी अंतरणीय प्रतिभूतियों को ईयू समुदाय के भीतर विनियमित बाजार में व्यापार के लिए स्वीकार किया जाता है, को ईयू प्राधिकारियों के साथ रजिस्ट्रीकरण हेतु फाइल करने के अधीन रखा जाएगा। ये सिफारिशें, महत्वपूर्ण मामला होने के कारण आवश्यक कार्रवाई के लिए एमसीए को अग्रेषित की गई थी।
- समिति प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से भारत के प्रवासी नागरिकों (ओसीआई) को, जैसा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी, 2008 में भारतीय प्रवासी दिवस पर घोषित किया गया था, अनुज्ञप्ति संबंधी अधिकारों को प्रदान करने से संबंधित एक प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है। समिति ने भारतीय संदर्भ में उक्त प्रस्ताव की साध्यता को समझने के साथ ही प्रस्ताव में उल्लिखित अन्य वृत्तियों को यथालागू तुलनात्मक कथन के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन निकायों के साथ विद्यमान एमओयू/एमआरए के लिए वर्तमान शर्तों के साथ जोड़कर भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए इस दूरी को कम करने के लिए एक तंत्र की पहचान की थी, जिसे कार्यपालक समिति और परिषद् के समक्ष, उनके विचारार्थ रखा गया था। उपरोक्त तंत्र के साथ समिति द्वारा इस प्रकार प्रस्ताव के संबंध में किया गया ब्यौरेवार अध्ययन अब परिषद् के विशेष समूह के विचाराधीन है, जिसकी सिफारिशों को आने वाले वर्षों में विचार करने के पश्चात् कार्यान्वित किया जाएगा।
- समिति अपने मिशन और विजन कथन को पुनरीक्षित करने की योजना भी बना रही है और कारपोरेट कार्य

मंत्रालय (एमसीए) द्वारा की गई वांछ के अनुसार आगामी दो वर्षों में समिति कार्य योजना के साथ विजन 2030 दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

5.25 इंडेएस (आईएफआरएस) कार्यान्वयन समिति

भारत में एक प्रमुख लेखांकन निकाय होने के कारण आईसीएआई, उसे स्थापित किए जाने की तारीख से ही भारत में वित्तीय रिपोर्टिंग में एक सकल गुणवाचक सुधार लाने के लिए अनथक प्रयास कर रहा है। इस दिशा में अग्रसर होते हुए, यह विनिश्चय किया गया था कि आईएएसबी द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरण किया जाए, जिन्हें अब अधिकाधिक रूप में वैश्विक रिपोर्टिंग मानकों के रूप में मान्यता प्राप्त हो रही है। आईएफआरएस के साथ अभिसरित भारतीय लेखांकन मानक (इंडेएस) तैयार किए गए हैं और उन्हें स्थापित किया गया है। इन इंडेएस के सुगम कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए और आईएफआरएस के संबंध में विश्व में होने वाली नवीनतम घटनाओं पर विचार करने के लिए इस वर्ष इंडेएस (आईएफआरएस) कार्यान्वयन समिति नामक एक नई समिति का गठन किया गया है, जो सदस्यों और अन्य पणधारियों को इंडेएस के उचित कार्यान्वयन के लिए तैयार करेगी। यह समिति सदस्यों और अन्य पणधारियों को, उन्हें संगोष्ठियों के लिए पृष्ठभूमि सामग्रियों के रूप में मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर इन मानकों के उचित कार्यान्वयन में सहायता करेगी। इंडेएस के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न इन पृष्ठभूमि सामग्रियों एक महत्वपूर्ण भाग होंगे। इस प्रयोजन के लिए, विभिन्न इंडेएस पर पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करने के लिए विभिन्न अध्ययन समूहों का गठन किया गया है। 4 इंडेएस, अर्थात् इंडेएस 1, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुती, इंडेएस 101, पहली बार भारतीय लेखांकन मानकों का अपनाया जाना, इंडेएस 103, कारबार संयोजन और इंडेएस 37 उपबंध, आकस्मिक आस्तियां और आकस्मिक दायित्व पर प्रारूप पृष्ठभूमि सामग्री समिति के विचाराधीन है। समिति इंडेएस के कार्यान्वयन में अंतर्वलित उद्योग-विनिर्दिष्ट मुद्दों पर भी कार्यवाही करेगी।

यह समिति आईएफआरएस/इंडेएस के क्षेत्र में सदस्यों और अन्य पणधारियों के ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए पर्याप्त उपाय करेगी। इस प्रयोजन के लिए समिति आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन कर रही है, जिसका संचालन पूर्व में लेखांकन मानक बोर्ड के तत्वावधान में किया जाता था। यह आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आईएफआरएस पर एक 100 घंटे का पाठ्यक्रम है, जिसमें सदस्यों को आईएफआरएस के वर्तमान युग में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त कक्षा प्रशिक्षण और ई-पठन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन देशभर में विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। अब आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन विदेशों में भी किया जा रहा है। आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम 3 बैचों का संचालन दुबई में और 2 बैचों का संचालन नेपाल में किया गया है। नेपाल में किए जाने वाले आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए नेपाल चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएएन) को केवल तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराया गया था। 3300 से अधिक सदस्यों को पहले ही आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के अधीन विभिन्न मानकों के बारे में प्रशिक्षित कर दिया गया है।

आईएफआरएस ई-पठन पाठ्यक्रम का संचालन भी आईसीएआई द्वारा सदस्यों और अन्य पणधारियों को आईएफआरएस के संबंध में शिक्षित करने के लिए किया जा रहा है। समिति समय-समय पर ई-पठन पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री का विकास करेगी और उसे अद्यतन बनाएगी। आईएफआरएस ई-पठन माड्यूलों की अंतर्वस्तु को अद्यतन करने के लिए पहले ही एक अध्ययन समूह का गठन कर दिया गया है।

आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और ई-पठन पाठ्यक्रम के अलावा, यह समिति सदस्य और अन्य संबद्ध पणधारियों के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए आईएफआरएस/इंडेएस पर कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन भी कर रही है, ये आयोजन पूर्व में लेखांकन मानक बोर्ड के तत्वावधान में किए जाते थे। इस संबंध में, आईएफआरएस के साथ अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों पर एक अखिल भारतीय श्रृंखला कार्यशालाओं का एमसीए के सहयोग से संचालन किया गया था। इस कार्यक्रम के अधीन संबद्ध पणधारियों को आईएफआरएस से अभिसरित मानकों के अनिवार्य ज्ञान से लैस करने के लिए देश के विभिन्न नगरों में 30 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। इन कार्यशालाओं में 2000 से अधिक सदस्यों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

उपरोक्त के अलावा, समिति केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और अन्य राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों से

आईएफआरएस के साथ अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के बारे में परस्पर क्रिया करेगी। समिति आईसीएआई के लेखांकन मानक बोर्ड और अन्य समितियों के साथ भी आईएफआरएस के साथ अभिसरित आईएफआरएस/भारतीय लेखांकन मानकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में समन्वयन करेगी।

5.25.1 ब्यौरेवार क्रियाकलाप

- विभिन्न इंडएएस पर संगोष्ठियों के लिए पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करने हेतु अध्ययन समूहों का गठन किया गया है।
- आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री के पुनरीक्षण के लिए और आईएफआरएस ई-पठन सामग्री को तैयार करने के लिए अध्ययन समूह का गठन किया गया है।
- भारत और विदेशों में विभिन्न अवस्थानों पर आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के अनेक बैचों का संचालन किया गया है।
- देशभर में 30 अवस्थानों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

5.26 जन संपर्क क्रियाकलाप

वर्ष 2010-2011 में मीडिया के साथ, आईसीएआई के भीतर, उसके सदस्यों, शाखाओं और प्रादेशिक कार्यालयों के बीच परस्पर क्रियाओं में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है। पीआर प्रभाग द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित थे :

- आमने-सामने साक्षात्कारों के माध्यम से मीडिया के साथ परस्पर क्रियाओं में काफी वृद्धि हुई, जिसके दौरान मीडिया को पाठ्यचर्या, वृत्ति, नए पाठ्यक्रमों के शुभारंभ, सीए के लिए नए दिशानिर्देशों, विदेशी प्रतिनिधियों के दौरों, अन्य क्रियाकलापों और आयोजनों आदि के बारे में नवीनतम घटनाओं से निरंतर अवगत कराया गया था।
- लेखों और साथ ही राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर पर प्रेस के साथ परस्पर क्रियाशील बैठकों/जारी विज्ञापितियों के माध्यम से और विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से आज के आधुनिक संदर्भ में चार्टर्ड एकाउंटेंसी वृद्धि की संभावनाओं और विस्तार क्षेत्र का संवर्धन किया।
- आईसीएआई और इसके कार्यालयों/संबद्ध संगठनों के बीच बेहतर संचार लिंक विकसित करने के विचार से आईसीएआई के भीतर विभिन्न विभागों, प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं को संभार समर्थन उपलब्ध कराए गए थे।
- पीआर कार्यवाहियों के भागरूप में आईसीएआई की विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यक्रमों/आयोजनों के संबंध में मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उचित कवरेज के लिए प्रबंध किया गया था।
- प्रेस और मीडिया को लगातार परस्पर क्रियाओं और विशेष रूप से प्रत्येक परिषद् बैठक के पश्चात् होने वाली घटनाओं और उभरते परिदृश्य के बारे में अवगत कराना जारी रखा गया था।

6. अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति

6.1 भारतीय सीए ब्रांड को वैश्विक रूप से स्थापित करना

अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति ने भारतीय सदस्यों को, विदेशों में स्थित वृत्तिक अवसरों की पहचान कराने के लिए एक सुदृढ़ अंतरापृष्ठ उपलब्ध कराने के लिए अपने प्रयास जारी रखे थे और अन्य बातों के साथ, इस उद्देश्य की पूर्ति आईसीएआई की अर्हताओं की औपचारिक एकाउंटेंसी अवसंरचना के रूप में विदेशों में मान्यता के माध्यम से, आईसीएआई के मतों को, उसके नामनिर्देशितियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मंचों और महत्वपूर्ण सम्मेलनों/संगोष्ठियों में रखकर देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करके की जा सकती है। विदेशों में स्थित आईसीएआई के चैंप्टर आईसीएआई की उक्त आज्ञा की पूर्ति में अग्रणी भूमिका निभाते रहे थे। इसके अतिरिक्त मंत्री और सचिव,

कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अगुवाई में सरकारी प्रतिनिधिमंडलों की दुबई, आबुधाबी, आस्ट्रेलिया और जापान की यात्राएं आर्थिक/वैश्विक महत्व के मुद्दों पर उभरते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझने में काफी सहायक सिद्ध हुई थी।

6.2 अंतरराष्ट्रीय मंचों में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व

आईसीएआई द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण उसके अंतरराष्ट्रीय लेखांकन निकायों अर्थात् इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एकाउन्टेन्ट्स (आईएफएसी), कन्फडरेशन ऑफ एशियन एंड पेसिफिक एकाउन्टेन्ट्स (सीएपीए) और साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एकाउन्टेन्ट्स (एसएएफए) और आईआईएन की विभिन्न कृत्यकारी समितियों के अलावा उनके शासन बोर्डों में नामनिर्देशन से मिलता है। संस्थान को इस समय निम्नलिखित में इसके नामनिर्देशितियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त है :-

आईएफएसी की समितियां

- बोर्ड सदस्य के रूप में
- लघु और मध्यम प्रेक्टीशनर समिति
- आईएफएसी अनुपालन सलाहकार पेनल
- अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड

सीएपीए

- बोर्ड सदस्य के रूप में

आईआईएन

- सदस्य के रूप में

एसएएफए

- बोर्ड सदस्य के रूप में
- शिक्षा, प्रशिक्षण और सीपीडी संबंधी समिति
- लेखांकन और लेखांकन मानकों संबंधी समिति
- वृत्तिक आचार संहिता और स्वतंत्रता संबंधी समिति
- पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन में सुधार संबंधी समिति
- कारबार में वृत्तिक एकाउन्टेन्टों संबंधी समिति
- क्वालिटी नियंत्रण संबंधी समिति
- लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति
- वित्तीय और टैरिफ व्यवस्था के सुव्यवस्थीकरण संबंधी समिति
- एसएएफए शिखर सम्मेलन आयोजन समिति
- एसएएफए के संविधान के पुनर्विलोकन के लिए कार्यबल
- अध्यक्ष, आईसीएआई, बोर्ड सदस्य के रूप में
- सचिव, स्थायी सचिव के रूप में

6.3 एमओयू/एमआरए

आईसीएआई ने 8 सितम्बर, 2010 को सीपीए आयरलैंड के साथ एमआरए पर हस्ताक्षर किए इस करार पर, पेरिस में हुई आईएफएसी बोर्ड की बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इस एमआरए पर आईएफएसी के अध्यक्ष श्री रॉबर्ट बॉटिंग, सीए वेद जैन, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और आईएफएसी बोर्ड सदस्य की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। यह करार आईसीएआई और सीपीए आयरलैंड के सदस्यों को एक-दूसरे की अर्हता को मान्यता प्रदान करने की अनुज्ञा देगा।

आईसीआई ने 7 फरवरी, 2011 को कनैडियाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के साथ पारस्परिक सदस्यता ठहरावों के लिए समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इस समझ ज्ञापन पर श्री केवीन डेंसी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीआईसीए द्वारा सीए अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, आईसीआई के साथ आईसीआई, कानपुर से ऑडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा वार्तालाप करते हुए हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों निकाय सदस्यों, छात्रों और उनके संगठनों के सर्वोत्तम हित में पारस्परिक फायदाप्रद संबंधों को विकसित करने के लिए एक साथ कार्य करने की वांछा करते हैं। यह एमओयू इस बात का संकेत करता है कि ये दोनों लेखांकन निकाय एक-दूसरे के साथ तारतम्य में कार्य करते हुए परस्पर विकास ऊर्जा का आदान-प्रदान करेंगे। यह करार सीमा के आर-पार सदस्यों की आवाजाही और भारत और कनाडा के बीच संबंधों की आगे और दृढ़ता को सुकर बनाएगा।

आईसीआई ने 4 जनवरी, 2011 को हायर कॉलेजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएई के साथ एक समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए यह एमओयू आईसीआई द्वारा यूएई के राष्ट्रियों के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एकाउंटेंसी के भिन्न-भिन्न स्तरों पर विभिन्न अपेक्षाओं और यूएई में संपरीक्षा वृत्ति को एकीकृत करते हुए, एकाउंटेंसी में एक अंतरराष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार करके एक विशेषीकृत मॉड्यूल की अवधारणा तैयार करने का उपबंध करता है।

आईसीआई ने 6 जनवरी, 2011 को एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एकाउंटेंट्स, यूके के साथ एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए यह संयुक्त घोषणा दोनों लेखांकन संस्थानों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को आरंभ करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए की गई थी। यह उदघोषणा शीघ्र ही एक परस्पर मान्यता के ठहराव द्वारा संपूरित की जाएगी।

आईसीआई ने 12 जनवरी, 2011 को जिबूटी विश्वविद्यालय, जिबूटी गणराज्य के साथ द्विपक्षीय सहयोग और एक अनुपूरक विलेख के कथन पर हस्ताक्षर किए ये हस्ताक्षर सीए अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, आईसीआई के सीए जी. रामास्वामी, उपाध्यक्ष, आईसीआई और श्री राकेश सहगल, अपर सचिव के साथ जिबूटी दौर के दौरान किए गए थे। इस द्विपक्षीय सहयोग का आशय जिबूटी गणराज्य के आशयित छात्रों के लिए आईसीआई का लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम आरंभ करने की संभावनाओं का पता लगाना था, जिसमें लेखांकन, संपरीक्षा, कराधान, विधि, अंग्रेजी शासन और संबद्ध क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न स्तरों की विभिन्न अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं को एकीकृत करके लेखांकन संबंधी पाठ्यचर्या तैयार की जाएगी। उन्होंने प्रगति की मॉनिटरि करने के लिए संयुक्त रूप से विचार-विमर्श करके दोनों पक्षों की ओर से चार-चार प्रतिनिधियों के साथ एक कार्यान्वयन समूह भी बनाया था।

आईसीआई ने कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज, ओमान के साथ समझ ज्ञापन का नवीकरण किया आईसीआई ने कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज (सीबीएफएस) ओमान के साथ समझ ज्ञापन का नवीकरण किया था। इस एमओयू के अधीन, सीबीएफएस आईसीआई के मस्कट स्थित चैप्टर का प्रायोजन करेगा और उसके कार्यकरण को सुकर बनाएगा, जो ओमान की सल्तनत में डोमिसाइल प्राप्त करने वाले या निवास करने वाले सभी राष्ट्रियताओं के एकाउंटेंटों के फायदे के लिए वृत्तिक विकास क्रियाकलाप और प्रशिक्षण कार्यक्रम करेगा और इस प्रक्रिया में सीबीएफएस की सहायता करेगा। आईसीआई सीबीएफएस को इस एमओयू के अधीन वित्त, लेखा, संपरीक्षा, आईटी, निगम शासन और संबद्ध क्षेत्रों में ओमानी राष्ट्रियों की सक्षमता निर्माण में सहायता और समर्थन प्रदान करेगा।

ऐसे एमओयू जिनके संबंध में बातचीत चल रही है :

निम्नलिखित लेखांकन संस्थानों के साथ एमओयू/एमआरए पर हस्ताक्षर करने के लिए द्विपक्षीय वार्तालाप चल रहे हैं:-

- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ न्यूजीलैंड
- इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए, सिंगापुर

इस संबंध में प्रगति विकास के विभिन्न चरणों पर है।

6.4 भारत के प्रवासी नागरिकों (ओसीआई) को फायदा

आईसीआई ने भारत के प्रवासी नागरिकों को सिद्धांत रूप में फायदा प्रदान करने का विनिश्चय किया है। इस

संबंध में पद्धतियों पर कार्य किया जा रहा है और अर्हता के बीच में अंतर को कम करने वाले तंत्र को शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा।

6.5 प्रतिनिधिमंडलों के दौरे

• आईसीए से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

2009 में एमओयू पर हस्ताक्षर के पश्चात् आईसीएआई और आईसीए के बीच सृजित सहबद्धता को और मजबूत करने के लिए श्री ग्राहम मेयर, सीईओ, आस्ट्रेलियाई चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान और श्री बिल पामर, निदेशक एशिया, आईसीए से युक्त एक प्रतिनिधिमंडल ने 12 और 13 अप्रैल, 2010 के दौरान आईसीएआई का दौरा किया था। भारत में अपने दौरे के दौरान, उन्होंने भारत के उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और साथ ही आईसीएआई के कृत्यकारियों के साथ बैठकों की थीं। इन बैठकों के अनुक्रम में प्रतिनिधिमंडल को दो संस्थानों के बीच संयुक्त सहयोग को अग्रसर करने और परस्पर फायदे के लिए भविष्य में और निकटता से साथ मिलकर कार्य करने की संभावनाओं का पता लगाने और प्रत्येक निकाय की संबंधित अधिकारिता के भीतर उसके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ था।

• आईएफएसी से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

श्री रॉबर्ट बंटिंग, अध्यक्ष, आईएफएसी, श्री इयान बाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईएफएसी और श्री मैथ्यू बोहुन, तकनीकी प्रबंधक, शासन और प्रचालन से युक्त आईएफएसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने हैदराबाद, भारत में वर्ष 2014 में होने वाली प्रस्तावित 19वीं विश्व एकाउंटेंट कांग्रेस के लिए 10-12 मई, 2010 के दौरान भारत का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कृत्यकारियों और सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ भी दिल्ली में बैठकों की थीं।

इसके अतिरिक्त श्री गोरान टिडस्ट्रॉम, आईएफएसी के अध्यक्ष और श्री इयान बेल, आईएफएसी के मुख्य कार्यपालक से मिलकर बने आईएफएसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 29 जुलाई, 2011 को, प्रमुख उभरते मुद्दों के संबंध में वैश्विक परिप्रेक्ष्य से संबंधित विचार प्राप्त करने और उनपर आईएफएसी के विचार प्रस्तुत करने के लिए आईसीएआई का दौरा किया था। परिचर्चाओं में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित पर बल दिया गया था।

- आईएफआरएस में उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी मानक
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेखांकन और आश्वासन मानकों में अभिसरण को सुकर बनाना
- वृत्तिक एकाउंटेंटों के महत्व में संवर्धन करना
- शिक्षा, व्यवहारिक अनुभव और वृत्तिक सक्षमता की परीक्षाओं के संबंध में मानक स्थापित करना
- आईपीएसएस और शासकीय लेखांकन का संवर्धन करना
- विकासशील देशों में लेखांकन वृत्ति को विकसित करना
- सदस्यों के बीच आचार संबंधी उच्च मानकों को अपनाना और विश्व भर में उत्तम आचार व्यवहारों का संवर्धन करना

इस प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, महालेखानियंत्रक के कार्यालय में भी बैठकों की थीं।

• जियामन नेशनल एकाउंटिंग इंस्टिट्यूट से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

श्री जांग जुन, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र में पीएचडी, जियामन नेशनल एकाउंटिंग इंस्टिट्यूट के नेतृत्व में जियामन नेशनल एकाउंटिंग इंस्टिट्यूट के एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें जांग मिंग, उप महानिदेशक, कार्मिक और शिक्षा विभाग, वित्त मंत्रालय, शेनयी, निदेशक, साधारण कार्यालय, जियामन नेशनल एकाउंटिंग इंस्टिट्यूट, जांग जियालिन, प्रोफेसर, जियामन नेशनल एकाउंटिंग इंस्टिट्यूट, सीएओ यांगजई, सहबद्ध प्रोफेसर, जियामन नेशनल एकाउंटिंग

इंस्टिट्यूट और ये हुई, उप वरिष्ठ स्टाफ, सूचना प्रबंध विभाग, जियामन नेशनल एकाउंटिंग इंस्टिट्यूट ने आईसीएआई के कृत्यकारियों से परस्पर क्रिया करने और आईसीएआई के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए 11 जून, 2010 को आईसीएआई का दौरा किया था।

• आईसीएआईडब्ल्यू से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

श्री जस्टिन वेस्ट, न्यू बिजनेस ऑपरचुनिटीज के प्रधान, आईसीएआईडब्ल्यू ने 11-12 नवम्बर, 2010 के दौरान, नवम्बर में, हस्ताक्षरित किए जाने वाले एमओयू के संबंध में प्रगति का संवर्धन और जांच करने तथा इस एमओयू के आशय को अग्रसर करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आईसीएआई का दौरा किया था।

• आईसीएआईडब्ल्यू का दौरा

सीए अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, आईसीएआई ने उपाध्यक्ष सीए जी. रामास्वामी के साथ 14 सितम्बर, 2010 को लंदन में, दोनों संस्थानों के बीच एमआरए को आरंभ करने तथा उसे आगे और सुदृढ़ बनाने के विचार से अध्यक्ष, आईसीएआईडब्ल्यू से बैठक की थी। प्रतिनिधिमंडल ने आईसीएआईडब्ल्यू के आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, आईएफआरएस संबंधी ई-पठन मॉड्यूलों, नीतिगत वित्त संबंधी साहित्य में आईसीएआई की दिलचस्पी के संबंध में विचार-विमर्श किया था। दोनों पक्षों ने सिद्धांत रूप में संबंधित संस्थान के सदस्यों को विद्यमान एमआरए के अधीन एक-दूसरे की सदस्यता प्राप्त करने में प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की थी।

• आईसीएआई के प्रतिनिधिमंडल का यूके और आयरलैंड का दौरा

आईसीएआई ने अध्यक्ष सीए जी. रामास्वामी और अपर सचिव, श्री राकेश सहगल ने 14-16 जून, 2011 के दौरान यूके और आयरलैंड का दौरा किया था और उन्होंने यूके लेखांकन वृत्ति और आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड के चार्टर्ड एकाउंटेंसी निकायों के विभिन्न संघटकों के साथ बैठकें की थी। आईसीएआई और आईसीएआईडब्ल्यू के नेतृत्व, जिसमें श्री मार्क स्पाॅफोर्थ, उपाध्यक्ष और श्री माइकल इज्जा, सीईओ ने अपने प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान किया था और सदस्य-दर-सदस्य तथा फर्म-दर-फर्म नेटवर्किंग को, दोनों ओर के वृत्तिक विस्तार को व्यापक बनाने के लिए संवर्धित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया था। प्रतिनिधिमंडल को आईसीएआईडब्ल्यू के अधिकारियों, जिनमें शिक्षा के प्रधान और अंतरराष्ट्रीय कार्यों संबंधी प्रधान सम्मिलित थे, से बैठक करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था, जिसके दौरान दो संस्थानों के बीच निष्पादित एमओयू से उद्भूत होने वाले मुद्दों के बारे में ब्यौरेवार वार्तालाप किया गया था। इस दौर के दौरान, यूके की वित्तीय रिपोर्टिंग परिषद् के साथ भी क्वालिटी आश्वासन और वृत्तिक दूरदर्शिता तथा यूके में अनुज्ञापन सहित पूर्णरूपेण परस्पर आदान-प्रदान के तत्वों संबंधी मुद्दों पर गहन समझ बनाने के लिए परस्पर क्रिया की गई थी तथा आईसीएआई ने उनकी ओर से विनियामक स्थिति के बारे में भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए थे। इस विचार-विमर्श के दौरान, निगम शासन, एलएलपी के उभरते प्रतिमान और आईएफआरएस तथा समान विषयों से उद्भूत होने वाले मुद्दों पर विचार किया गया था और साथ ही ऐसे क्षेत्रों के बारे में, जिनमें भारत और यूके पक्ष उत्साहवर्द्धक बातचीत कर सकते हैं, एक-दूसरे के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया गया था।

• आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल का आईसीएआई का दौरा

श्री मैट क्रुक, आस्ट्रेलिया के मिनिस्टर काउंसलर ने 1 मार्च, 2011 को आईसीएआई के अध्यक्ष के साथ एक बैठक की थी और इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आईएफआरएस के कार्यान्वयन/ आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के भारत दौरे/राष्ट्रमंडल लेखांकन मंच के संबंध में संयुक्त कार्यवाही करने के मद्दे मिलजुलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की थी।

• दुबई और आबुधाबी का दौरा

माननीय मंत्री श्री सलमान खुशीद, कारपोरेट कार्य और अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें माननीय श्री आर. बंधोपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सीए अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए जी. रामास्वामी, उपाध्यक्ष, आईसीएआई और श्री राकेश सहगल, अपर सचिव, आईसीएआई सम्मिलित थे, 2-5 अप्रैल, 2010 के दौरान दुबई का दौरा किया था। इस दौरान हुई बैठकों में हायर कॉलेजेज ऑफ टेक्नोलॉजीज ने स्थानीय विधियों के साथ लेखांकन तकनीकीय कार्यक्रम के एक विशेष मॉड्यूल में

यूआई के राष्ट्रियों को एक सक्षमता विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराने के आईसीएआई के प्रस्तावित मिशन में उसके साथ संयुक्त रूप से कार्य करने की इच्छा अभिव्यक्त की थी। दुबई के उक्त दौरे से पूर्व सीए अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए जी. रामास्वामी, उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने 1 अप्रैल, 2010 को आईसीएआई के दोहा चैंप्टर में आईसीएआई के सदस्यों को भी संबोधित किया था।

● जापान से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

श्री नोरीआकी शीमाजाकी, अध्यक्ष, आंतरिक कार्य समिति, जापान आईएफआरएस परिषद् के नेतृत्व में एक जापानी प्रतिनिधिमंडल ने आईएफआरएस के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग विकसित करने के लिए 22 अप्रैल, 2010 को आईसीएआई का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत श्री सलमान खुशीद, माननीय कारपोरेट कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री आर. बंधोपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और आईसीएआई के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में आईसीएआई के अधिकारियों की उपस्थिति में हुई थी। उसके अनुसरण में, श्री आर. बंधोपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत-जापान मंच, 2010 के लिए टोकियो का दौरा किया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में सीए जी. रामास्वामी, उपाध्यक्ष, आईसीएआई, सीए मनोज फडनीस, अध्यक्ष, एसबी, आईसीएआई, श्री सुनील वर्मा, सचिव, संपरीक्षा बोर्ड, सीएंडएजी कार्यालय, श्री सी. बी. भावे, अध्यक्ष, सेबी, श्री आर.के. नायर, सदस्य, आईआरडीए, श्री पी.आर. रविमोहन, मुख्य महाप्रबंधक, आरबीआई, श्री पवन कुमार, निदेशक, वित्त मंत्रालय, श्री रवि नारायण, एमडी और सीईओ, एनएसई, श्री एम.डी. पई, निदेशक बोर्ड, इन्फोसिस आदि सम्मिलित थे। श्री आर. रामानुजम, मंत्री (आर्थिक और वाणिज्यिक), जापान स्थित भारत के दूतावास, सर डेविड ट्वीडी, अध्यक्ष, आईएसबी ने इस अवसर पर अपने संबोधन प्रस्तुत किए थे और भारत-जापान की बातचीत और इस पहल को समर्थन करने वाले आश्वासन पर संतोष व्यक्त किया था। इस अवसर पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित आईएफआरएस संबंधी कोर समूह और आईएफआरएस परिषद्, जापान के बीच ऐतिहासिक समझ ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। सीए अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, आईसीएआई और श्री नोरीआकी शीमाजाकी, अध्यक्ष, आंतरिक कार्य समिति, जापान आईएफआरएस परिषद् ने श्री आर. बंधोपाध्याय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे।

इसके अतिरिक्त, आईएफआरएस के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर 27 जुलाई, 2010 को एक भारत-जापान मंच, 2010 का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय पक्ष के विनियामक आईसीएआई और जापानी विनियामकों द्वारा प्रस्तुतिकरण किए गए थे। “भारत-जापान मंच, 2010”, एक ऐसा महत्वपूर्ण स्रोत था, जिसमें दोनों देशों के बीच आईएफआरएस के कार्यान्वयन पर बातचीत के द्वारा जागरूकता का सृजन किया गया था। इस आयोजन में 300 से अधिक जेआईसीपीए वृत्तियों ने और जापान के अन्य उद्योगों से व्यक्तियों ने भाग लिया था। इस अवसर पर लेखांकन वृत्ति, लेखांकन मानकों, स्टॉक एक्सचेंजों, विनियामक मुद्दों और उद्योग संबंधी 5 उप समूहों ने भी बैठक की थी और संयुक्त कार्यकारी समूह के समक्ष अपनी प्रस्तुतियां रखी थीं। इस प्रतिनिधिमंडल को श्री मिकउनिया, आयुक्त, जापान वित्तीय सेवा अभिकरण (एफएसए) से भी 28 जुलाई को बैठक करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें दोनों के वित्तीय सेवा बाजार से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

भारत और जापान, दोनों यह महसूस करते हैं कि वे आईएफआरएस के साथ अभिसरण के मुद्दों पर समानता रखते हैं तथा वे ऐसी अग्रणी भूमिका को भी मान्यता प्रदान करते हैं, जिसे दोनों देश क्षेत्र के भीतर अदा करेंगे। भारत और जापान ने आईएफआरएस के उपयोजन/या उनके साथ अभिसरण से संबंधित मुद्दों पर एक संयुक्त कार्यकारी समूह स्थापित किया है।

इसके अनुसरण में 3-5 अगस्त, 2011 के दौरान जापान के एक प्रतिनिधिमंडल ने आईएफआरएस के साथ उपयोजन/या उनके साथ अभिसरण के संबंध में उदभूत होने वाले विधिक और विनियामक तथा अन्य मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए और पिछले वर्ष हुई बातचीत को जारी रखने और अग्रसर करने के लिए आईसीएआई का दौरा किया गया था। 3 अगस्त, 2011 को आईसीएआई ने बंगलौर में दूसरी भारत-जापान आईएफआरएस और सीएफओ बैठक का आयोजन किया था और प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री और सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ बैठक की थी।

इसका उद्देश्य आईएफआरएस के उपयोजन/या उनके साथ अभिसरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना और परस्पर रूप से सहमत परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से आम सहमति बनाना, वृत्ति की भूमिका का संवर्धन करना, एकाउंटेंसी वृत्ति के हितों को अग्रसर करने संबंधी उत्तरदायित्व और उपलब्धियां तथा लोक हित में सेवा प्रदान करना, उभरते मुद्दों पर नेतृत्व उपलब्ध कराकर एक सुदृढ़ और ससंजक वृत्ति की स्थापना करना, वैश्विक, अन्य प्रादेशिक, अंतराप्रादेशिक संगठनों, सदस्य निकायों और सहबद्धों से, समुचित नीतिगत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समन्वय करना।

उक्त मंच में विभिन्न विनियामकों, अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, लेखाओं के महानियंत्रक, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और उद्योग चैम्बरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

● सिंगापुर का दौरा

सीए अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, आईसीएआई, श्री टी. कार्तिकेयन, सचिव, आईसीएआई और श्री राकेश सहगल, अपर सचिव, आईसीएआई के साथ कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत-सिंगापुर सीईसीए के संदर्भ में दूसरी पुनर्विलोकन बैठक के पहले चक्र में भाग लेने के लिए सिंगापुर का दौरा किया था। बैठकों के अनुक्रम के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आईसीपीएस कृत्यकारियों, अर्थात् डॉ. अर्नेस्ट कान, अध्यक्ष, आईसीपीएस, श्री बॉन यंग और श्री खाओ होतोंग, एक्सको सदस्यों के साथ परस्पर क्रियाएं की थीं। यह बैठक एक महत्वपूर्ण गतिरोध समाप्त करने वाले उपकरण के रूप में सिद्ध हुई थी जब दो संस्थान अपने-अपने प्रस्तावों के साथ सामने आए थे, यह बैठक व्यापार और उद्योग मंत्रालय, सिंगापुर सरकार के पदधारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई थी। सिंगापुर एक्ष को नागरिकता की परिभाषा के संबंध में एक प्रमुख आक्षेप था, जिसके बारे में आईसीएआई द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि वह सीईसीए के खंड 7 के अधीन नैसर्गिक व्यक्तियों की परिभाषा तक निर्बंधित रहेगी।

सीए अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, आईसीएआई और सीए जी. रामास्वामी, उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने सिंगापुर एकाउंटेंसी अभिसमय, 2010 में भाग लेने के लिए 2 नवम्बर, 2010 को सिंगापुर का दौरा किया था। 1200 से अधिक व्यक्तियों ने सिंगापुर एकाउंटेंसी अभिसमय में भाग लिया था जिसके कारण यह आयोजन आईसीपीएस का सबसे बड़ा और सर्वाधिक सफल आयोजन बनने में समर्थ हो सका था। मरिना बे सैंड्स एक्सपो और कन्वेंशन केन्द्र में आयोजित इस आयोजन ने विश्व भर से गणमान्य वक्ताओं और पैनलबद्ध व्यक्तियों को एकत्रित किया था। अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं और पैनलबद्ध व्यक्तियों में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल एकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड और इंटरनेशनल इथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर एकाउंटेंट्स के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

द्विपक्षी वार्तालाप को आगे बढ़ाने के लिए श्री टैन बोइन इंग, परिषद् सदस्य, आईसीपीएस, सुश्री रेजिना टैन, व्यापार और उद्योग मंत्रालय और सुश्री जेनेट टैन, कार्यपालक निदेशक, आईसीपीएस ने 1 अगस्त, 2011 को आईसीएआई का दौरा किया था ताकि परस्पर मान्यता संबंधी करार से जुड़ी बातचीत को अग्रसर किया जा सके। उनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि सिंगापुर अर्हता कार्यक्रम (क्यूपी) को आरंभ करने के लिए प्रक्रियाएं की जा रही हैं और यह कार्यक्रम सदस्यता प्राप्त करने के लिए एकमात्र अर्हता होगी और साथ ही एमआरए पर बातचीत करने का आधार भी होगी तथा उन्होंने यह अनुरोध भी किया था कि 2012 में क्यूपी के कार्यान्वयन तक द्विपक्षीय सहयोग के वार्तालाप को रोक दिया जाए।

● टर्की में संपरीक्षा संबंधी बालकान सम्मेलन और लेखांकन इतिहास संबंधी सम्मेलन

सीए अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, आईसीएआई ने सीए जी. रामास्वामी, उपाध्यक्ष, आईसीएआई और निदेशक, अध्ययन बोर्ड, श्री विजय कपूर के साथ 15-18 सितम्बर, 2010 के दौरान इस्ताम्बुल में आयोजित दूसरे बालकान और मध्यपूर्व देशों के संपरीक्षा और लेखांकन इतिहास संबंधी सम्मेलन में भाग लिया था। सीए अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, आईसीएआई को आंतरिक संपरीक्षा विषय पर एक सत्र की अध्यक्षता करने का गौरव भी प्राप्त हुआ था। 55 देशों के लगभग 600 शिक्षाविदों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और चर्चा के लिए 240 पत्र प्रस्तुत किए थे।

● रूस का दौरा

सीए जी. रामास्वामी, तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई और निदेशक, अध्ययन बोर्ड ने श्री आर. बंधोपाध्याय, सचिव,

कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल के भागरूप में 22-24 सितम्बर, 2010 के दौरान रूस का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने सरकारी कृत्यकारियों और लेखांकन वृत्तिकों के साथ परस्पर संवाद किए थे।

इस दौरे के कारण निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चाएं की गई थीं :

- भारत और रूस में वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रबंधकीय लेखांकन, संपरीक्षा के क्षेत्रों की वर्तमान प्रास्थिति और नवीनतम घटनाएं।
- आईएफआरएस के साथ अभिसरण।
- शैक्षणिक कार्यक्रमों, प्रमाणपत्रों और सदस्यता की किस्म की मान्यता के विषयों पर संस्थानों के बीच सहयोग की संभावनाएं।
- वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रबंधकीय लेखांकन, संपरीक्षा के क्षेत्रों में भावी अनुसंधान परियोजनाएं। लेखांकन संबंधी अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुभव का आदान-प्रदान।
- बीआरआईसी मंच पर भारत और रूस के बीच संभाव्य सहयोग और समन्वय के प्रयास।

• सीपीए के मंगोलियाई संस्थान को सहायता का हाथ बढ़ाने के लिए आईसीएआई का मंगोलिया दौरा

परिषद् सदस्य सीए चरणजोत सिंह नंदा और सीए विजय गर्ग ने सीपीए मंगोलिया के साथ परस्पर क्रियाएं करने के लिए 4-5 अक्टूबर, 2010 के दौरान मंगोलिया का दौरा किया था। चूंकि सीपीए, मंगोलिया आईएफएसी की सदस्यता प्राप्त करने की वांछा कर रहा है, जिसमें उन्हें आईएफएसी एसएमओ के अनुरूप बनाने में तकनीकी सहयोग अपेक्षित है, इसलिए इस विषय में आईसीएआई की सहायता मांगी गई थी।

उपरोक्त दौरे को संपूरित करते हुए सीए महेश पी सरदा, परिषद् सदस्य, सीए नीलेश एस. विक्रमसे, परिषद् सदस्य और श्री राकेश सहगल, अपर सचिव ने भी आईएफएसी का पूर्ण सदस्य बनने के लिए सदस्यता बाध्यताओं के कथन संबंधी उनके आवेदन पर तकनीकी समर्थन प्रदान करने के लिए 1-2 जून, 2011 को मंगोलिया दौरा किया था। मोन आईसीपीए के कार्यकरण में सुधार लाने की संभावना का पता लगाने के लिए चर्चाएं की गई थीं। मोन आईसीपीए को उसके विभिन्न क्रियाकलापों, अर्थात् परीक्षा, अनुशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, आईएफआरएस आदि में भी सहायता का प्रस्ताव किया गया था।

• एकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस, 2010 में भाग लेने के लिए मलेशिया का दौरा

सीए अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, आईसीएआई ने सीए जी. रामास्वामी, उपाध्यक्ष, आईसीएआई के साथ एकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस, 2010 में भाग लेने के लिए मलेशिया का दौरा किया था। सीए अमरजीत चोपड़ा ने “भ्रष्टाचार और धनशोधन के विरुद्ध संघर्ष - एकाउंटेंटों के लिए चालू संघर्ष” विषय पर एक वक्ता के रूप में भाग लिया था। “आंतरिक संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड” संबंधी एक सत्र की अध्यक्षता आईसीएआई के उपाध्यक्ष द्वारा की गई थी। सीए वेद जैन, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई ने “वैश्विक रूप से वृत्ति का विकास : आईएफएसी उत्प्रेरक शक्ति” विषय पर एक सत्र की अध्यक्षता की थी।

• भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सिडनी और कैनबेरा का दौरा

श्री आर. बंधोपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने 9 नवम्बर से 12 नवम्बर, 2010 के दौरान सिडनी और कैनबेरा का दौरा किया था तथा वरिष्ठ फेडरल आस्ट्रेलियाई सरकार के कृत्यकारियों के साथ गहराई से परस्पर संवाद किए थे। भारत से गए प्रतिनिधिमंडल में आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूआई और आईसीएसआई, तीन वृत्तिक निकायों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। आईसीएआई से सीए विनोद जैन, परिषद् सदस्य और सीए अभिजीत बंधोपाध्याय प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित हुए थे।

परस्पर संवादों के दौरान निगम रिपोर्टिंग, मानक कारबार रिपोर्टिंग, निगम शासन और निवेशकों की संरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। श्रीमती सुजाता सिंह, आस्ट्रेलिया स्थित भारत की उच्चायुक्त ने भी डॉ. के.एन. हेनरी, सचिव, आस्ट्रेलिया ट्रेजररी श्री जेफ लूसी, अध्यक्ष, एफआरसी, आस्ट्रेलिया के साथ परस्पर संवाद में भाग लिया था।

यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि वर्तमान में उभरते व्यापार परिदृश्य में दोनों पक्षकारों ने परस्पर सहक्रियाओं और नियमित रूप से परस्पर संवाद करने पर सहमति अभिव्यक्त की थी जिससे कि दोनों के समक्ष समान मुद्दों पर संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा सके।

6.6 आईसीएआई द्वारा आईसीएआई के ऐसे सदस्यों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जो एमओयू के अधीन आईसीएईडब्ल्यू की परीक्षा दे रहे हैं

आईसीएआई अनन्य रूप से भारत में प्रत्यायित प्रशिक्षण प्रदाताओं और प्रकाशकों, गेट थ्रू गाइडों (जीटीजी) द्वारा अग्रिम मामला अध्ययन के लिए प्रशिक्षण का प्रस्ताव कर रहा है। जीटीजी और आईसीएआई ने संयुक्त रूप से आईसीएईडब्ल्यू सदस्यता प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध कराने के लिए आईसीएआई के सदस्यों के लिए सितम्बर/अक्टूबर, 2010 मासों के दौरान एक दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन किया था।

6.7 आईसीएईडब्ल्यू-आईसीएआई के संयुक्त कार्यक्रम

आईसीएआई ने 20 नवम्बर, 2008 को आईसीएईडब्ल्यू यूके के साथ एक-दूसरे की अर्हता को मान्यता प्रदान करने के ठहराव पर हस्ताक्षर किए थे जिससे कि दोनों संस्थानों के सदस्य, दूसरे संस्थान की सदस्यता प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। आईसीएआई के अधिकाधिक सदस्यों को विद्यमान एमओयू के अधीन फायदा प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के लिए आईसीएईडब्ल्यू ने आईसीएआई के साथ क्रमशः 16, 22 और 28 मार्च को चेन्नई, नई दिल्ली और मुंबई में संयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इन आयोजनों को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई थी। आईसीएईडब्ल्यू ने अपने सदस्यों के बीच आईसीएआई अर्हता का संवर्धन करने का अनुरोध भी किया है।

6.8 विकासशील देशों के लेखांकन संस्थानों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि करने के लिए पहल

आईसीएआई ने विकासशील देशों के, उन देशों में एकाउंटेंसी वृत्ति के संस्थाकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का हार्दिक समर्थन करने के प्रस्ताव की पहल की है। कुछ देशों जैसे कि जिबूटी, श्रीलंका, मंगोलिया और अन्यो ने आईसीएआई का समर्थन प्राप्त भी किया है।

आईसीएआई यह महसूस करता है कि उसे बिना लाभ या हानि के आधार पर विकासशील देशों में लेखांकन वृत्ति के विकास में, अपनी विशेषज्ञता का प्रस्ताव करके एक बृहत्तर भूमिका अदा करनी है। आईसीएआई परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओं में, लेखांकन के क्षेत्र में उनके वृत्तिक ज्ञान में कमी को पूरा करने के लिए सक्षमता निर्माण करने हेतु उत्सुक है। आईसीएआई ने विकासशील देशों से द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि करने का अनुरोध किया है और उसे विभिन्न देशों से ऐसी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें आईसीएआई के प्रयासों के प्रति दिलचस्पी दर्शित की गई है।

श्रीलंका के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया है कि वह उसे श्रीलंका के गुणवत्ता पुनर्विलोकन और आश्वासन प्रक्रिया के क्षेत्र में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं और आईसीएआई ने उक्त कार्य को करने के लिए उपाय प्रारंभ किए हैं।

6.9 सम्मेलन

• एसएएफए क्षेत्रीय मानक नियतकों (आरएसएस) का सम्मेलन

आईसीएआई ने इंडिया हैबीटेड सेन्टर, नई दिल्ली में 30 नवम्बर-1 दिसम्बर, 2010 के दौरान एसएएफए क्षेत्रीय मानक नियतकों (आरएसएस) के सम्मेलन का आयोजन किया था। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से 30 व्यक्तियों सहित 150 व्यक्तियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय श्री के. रहमान खान, उपाध्यक्ष, राज्य सभा थे। सर डेविड ट्वीडी, अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएसबी) और श्री प्रभाकर कल्वचेरला, सदस्य आईएसबी भी इस सम्मेलन में माननीय अतिथि थे। इस सम्मेलन ने एसएएफए क्षेत्र के मानक नियतकों के लिए आईएसबी के साथ क्षेत्र विनिर्दिष्ट विभिन्न बाधाओं, जो

आईएफआरएस के साथ अभिसरण करते समय उनके समक्ष आ रही थी, पर विचार-विमर्श करने और उनका समाधान करने के लिए मंच उपलब्ध कराया था। आईसीएआई के आईएफआरएस के साथ अभिसरण संबंधी दृष्टिकोण पर भी ब्यौरेवार चर्चा की गई थी। सम्मेलन में महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि एसएएफए देशों का अभिसरण अनुभव, एसएमई के लिए आईएफआरएस, आईएफआरएस के कार्यान्वयन में विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना और समान मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया था।

• लेखांकन संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

आईसीएआई की अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 4-6 जनवरी, 2011 के दौरान “लेखांकन वृत्ति : संवहनीय आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक” विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन श्री प्रणव मुखर्जी, भारत के माननीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन के लिए श्री सलमान खुर्शीद, कारपोरेट कार्य के लिए संघ के माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और सीए के. रहमान खान, माननीय उपसभापति, राज्य सभा सम्मानित अतिथि थे। श्री आर. बंधोपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, श्री विनोद राय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, श्री सी.आर. सुंदरामूर्ति, भारत के लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, श्री अरूण मायरा, सदस्य, योजना आयोग, भारत सरकार ने इस सम्मेलन में विशेष संबोधन प्रस्तुत किए थे। इस सम्मेलन में लगभग 40 वक्ता थे तथा इसमें आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाईटेड किंगडम, यूएसए, यूएई, जापान, आयरलैंड, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से 50 से अधिक विदेशी अतिथियों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन अत्यधिक सफल रहा था और इसके दौरान 4 जनवरी, 2011 को हायर कॉलेजिज ऑफ टेक्नॉलोजी, यूएई के साथ समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और 6 जनवरी, 2011 को एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एकाउंटेंट्स, यूके के साथ एक संयुक्त घोषणा की गई थी। विदेश से आने वाले विख्यात वक्ताओं में श्री इयान बॉल, मुख्य कार्यपालक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स, श्री डीनू हैरी, अध्यक्ष, न्यूजीलैंड, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, श्री बिल पामर, निदेशक एशिया, आईसीएए आस्ट्रेलिया, नोरियाकी शीमाजाकी, न्यासी, आईएफआरएस फाउंडेशन, श्री मार्क स्पाॅफ़ोर्थ, उपकुलपति, आईसीएईडब्ल्यू, यूके, प्रभाकर कल्वेरेला, बोर्ड सदस्य, आईएसबी, इयान मैकिनटोष, अध्यक्ष, एसबी, वित्तीय रिपोर्टिंग परिषद्, यूके, लिव वाटसन, उपाध्यक्ष, एक्सबीआरएल इंटरनेशनल, डायना हिलीयर, आईएसबी उपाध्यक्ष, आईएफसी सम्मिलित थे। विदेश से आने वाले वक्ताओं में आस्ट्रेलिया से अध्यक्ष (सिडनी), श्री यतीन्द्र गुप्ता, श्री विकास पुरी, आईसीएआई के आबुधाबी चैप्टर, श्री सुरेन्द्र जैन, आईसीएआई के दुबई चैप्टर, श्री एन.के. सोमानी, आईसीएआई के नाइजीरिया चैप्टर और श्री गिरीश जैन, आईसीएआई के दोहा चैप्टर सम्मिलित थे। अन्य वक्ताओं में ग्रैंट थोर्नटन इंटरनेशनल, आईसीआरए, एक्सप्रो लिमिटेड, क्वात्रो बीपीओ सेवाएं, वीप्रो टेक्नालॉजिज लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नालॉजिज लिमिटेड और समान से आने वाले गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित थे।

• भारत में स्थित मिशनों के व्यापार पदधारियों का कॉनक्लेव

समिति ने आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यूटीओ समिति के साथ संयुक्त रूप से 11 जुलाई, 2011 को भारत में स्थित मिशनों के व्यापार पदधारियों के एक कॉनक्लेव का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। इस कॉनक्लेव में लगभग 37 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस आयोजन में मुख्य संभाषण माननीय श्री एस.एम. कृष्णा, विदेश मंत्री, भारत सरकार ने दिया था। इस मंच पर राजदूतों के प्रतिनिधियों ने अपनी परिचर्चाओं को कराधान अंतरण मूल्य नियतन, भारत में कारबार करने और एकाउंटेंसी वृत्ति के संस्थागतकरण में आईसीएआई की भूमिका और सहयोग के प्रमुख मुद्दों पर केन्द्रित किया था। अनेक अफ्रीकी देशों जैसे कि युगांडा और गाम्बिया ने, उनके देशों में एकाउंटेंसी वृत्ति और संस्थानों के विकास के लिए आईसीएआई का सहयोग प्राप्त करने में दिलचस्पी दर्शित की थी। इस आयोजन में विदेश मंत्रालय के अनेक पदधारियों ने भी भाग लिया था।

7. अन्य गतिविधियां

7.1 मानव संसाधन विकास

किसी भी संगठन का प्रभावी कार्यपालन उसके मानव संसाधनों की गुणवत्ता और सक्षमता पर निर्भर करता है। इस मद्दे आईसीएआई ने न केवल अपना ध्यान अपने उच्च कार्यनिष्पादन करने वाले कार्य बल को अपने पास बनाए रखने

पर केन्द्रित करना जारी रखा, अपितु इस क्षेत्र के सर्वोत्तम और सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को संगठन में लाने के लिए उपाय प्रारंभ किए। इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए कि प्रशिक्षण, सक्षमता के स्तर में वृद्धि और व्यक्तित्व के विकास के लिए शिष्ट की हड्डी के समान है, आईसीएआई के परिसरों के भीतर और बाहर आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में भागीदारी करने पर जोर देना जारी रखा।

कौशल और ज्ञान में और अधिक वृद्धि करने तथा सदस्यों, छात्रों तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों को क्वालिटी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थान में व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए संस्थान के दिल्ली स्थित मुख्यालय और अन्य प्रादेशिक कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर ढांचागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान क्षेत्र की सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, संकाय/शैक्षणिक पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समयबद्ध भर्ती कार्यक्रम चलाए गए थे। 26 और अधिक मानव संसाधनों को नियोजित करने के लिए भी विशेष पहलों की गई हैं, जिन्हें आईसीएआई के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी/शैक्षणिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 72 प्रबंध प्रशिक्षुओं को समुचित स्तरों पर प्रविष्टि प्रदान की गई है। इनमें से, उनके कार्यपालन के आधार पर 9 को ईओ के रूप में और अन्यो को एसओ तथा सहायक (ग्रेड 1) के रूप में नियोजित किया गया है।

शिकायत समाधान, समय पर परामर्शी सेवाओं, विकसित प्रसुविधा प्रबंध आदि के उद्देश्य से रिपोर्ट की अवधि के दौरान की गई और मानव संसाधन पहलों में बेहतर और क्वालिटी संकर्म वातावरण, साप्ताहिक विभागीय बैठकें, आवधिक कर्मचारी परामर्शी सेवा, शिकायत समाधान तथा कठिनाइयों को दूर करने वाले उपायों के साथ नए मास की शुरुआत करना सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त, दीवाली और नववर्ष के अवसरों पर शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए आईसीएआई के मुख्यालय में क्रमशः 4 नवम्बर, 2010 और 3 जनवरी, 2011 को सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया था। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भी भाग लिया था।

4 फरवरी, 2011 को आईसीएआई कर्मचारी संघ द्वारा एक सुविधा-सह-सामाजिक एकत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यालय द्वारा उक्त सुविधा-सह-सामाजिक एकत्रण कार्यक्रम के लिए 2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए) की राशि मंजूर की गई थी।

21 मार्च, 2011 को आईसीएआई अधिकारी संघ द्वारा एक सुविधा-सह-सामाजिक एकत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यालय द्वारा उक्त सुविधा-सह-सामाजिक एकत्रण कार्यक्रम के लिए 2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए) की राशि मंजूर की गई थी।

7.1.1. छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट से संबंधित सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए मानव संसाधन समूह, जिसे परिषद् द्वारा 12-13 जनवरी को हुई 292वीं बैठक, जो 3 और 4 फरवरी, 2010 को भी जारी रही थी, में गठित किया गया था और जिसकी संरचना निम्नानुसार है:

1. सीए. जयंत गोखले, परिषद् सदस्य और संयोजक
2. सीए. विनोद जैन, परिषद् सदस्य
3. सीए. जयदीप नरेन्द्र शाह, परिषद् सदस्य
4. सीए. पंकज इंदरचंद जैन, परिषद् सदस्य

इस समूह ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 7 बैठकें की थीं।

परिषद् द्वारा अधिकथित नीति पैरामीटरों के आधार पर सीए. जयंत गोखले ने आईसीएआई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ संबंधित मामलों/मुद्दों पर चर्चा की थी और उसके पश्चात् उन पर कार्यकारी अध्यक्ष के साथ परामर्श किया गया था और तदनुसार चतुर्थ वर्ग के समतुल्य पद धारण करने वाले और उनके समतुल्य कर्मचारियों को, जिनमें अनुभाग अधिकारी (एसओ) तक के और उसे सम्मिलित करने वाले अधिकारी सम्मिलित थे, जून, 2010 के मास से पुनरीक्षित वेतन प्रदान किया गया था और कार्यपालक अधिकारी का पद धारण करने वाले अधिकारियों

और अपर सचिव स्तर तक के उनके समतुल्य अधिकारियों को सितम्बर, 2010 मास से पुनरीक्षित वेतन प्रदान किया गया था ।

7.1.2 संबंधित वर्गों द्वारा उठाए गए विभिन्न मानव संसाधन संबंधी मुद्दों/ किए गए निर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए एचआर समूहों का पुनर्गठन - संबंधित वर्गों द्वारा उठाए गए विभिन्न मानव संसाधन संबंधी मुद्दों/ किए गए निर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करने के विचार से अध्यक्ष ने, 10 से 12 फरवरी, 2011 के दौरान हुई परिषद् की 303वीं बैठक में उसे दिए गए प्राधिकार के निबंधनानुसार निम्नलिखित पुनरीक्षित संरचना वाले विभिन्न एचआर समूहों का पुनर्गठन किया था :

1. सीए. जयंत पी. गोखले, संयोजक
2. सीए. विनोद जैन, परिषद् सदस्य
3. सीए. पंकज आई.सी. जैन, परिषद् सदस्य
4. सीए. एस. संधानाकृष्णन, परिषद् सदस्य
5. सीए. मनोज फड़नीस, परिषद् सदस्य
6. सीए. अभिजीत बंधोपाध्याय, परिषद् सदस्य

इस समूह की पहली बैठक 28 जुलाई, 2011 को की गई थी ।

7.1.3 संगठन संबंधी मामलों का अध्ययन करने के लिए एचआर समूह, जिसे मार्च, 2011 में हुई समिति की 489वीं बैठक में, संगठन संबंधी विभिन्न मामलों जिनके अंतर्गत नियमित कर्मचारिवृंद, प्रबंध प्रशिक्षुओं, अनियमित कर्मचारिवृंद और आउटसोर्स अभिकरण के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों की स्वीकृत संख्या भी है, का पुनर्विलोकन करने के लिए कार्यपालक समिति द्वारा गठित किया गया था । इस समूह की संरचना निम्नानुसार है :

1. सीए. सुमंत्रा गुहा, परिषद् सदस्य और संयोजक
2. सीए. एम. देवराजा रेड्डी, परिषद् सदस्य
3. सीए. के. रघु, परिषद् सदस्य
4. सीए. संजय कुमार अग्रवाल, परिषद् सदस्य

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस समूह ने अनेक औपचारिक और अनौपचारिक बैठकें की थीं ।

इस समूह द्वारा तैयार की गई प्रारूप रिपोर्ट को अक्टूबर, 2010 में हुई परिषद् की 299वीं बैठक में उसके समक्ष रखा गया था और परिषद् ने उस पर विचार करने के पश्चात् उस पर अपने मत रखे थे तथा समूह के संयोजक से यह अनुरोध किया गया था कि वह परिषद् के सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त मतों और सुझावों के आलेख में उसे अंतिम रूप प्रदान करे । तदनुसार, इस रिपोर्ट को पुनरीक्षित किया गया था और संयोजक ने इस प्रकार पुनरीक्षित रिपोर्ट को 31 दिसम्बर, 2010 को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया था । अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिपोर्ट को समितियों के विभागाध्यक्षों/सचिवों और प्रादेशिक कार्यालयों के प्रधानों के बीच, उनकी जानकारी के लिए तारीख 10 जनवरी, 2011 के एक पत्र द्वारा परिचालित किया गया था ।

इसके अतिरिक्त सभी शाखा अध्यक्षों को, तारीख 20 जनवरी, 2011 के एक पत्र द्वारा समूह की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न शाखाओं की स्वीकृत जनशक्ति अपेक्षाओं के संबंध में एक परिपत्र भेजा गया था । इस संबंध में 2 फरवरी, 2011 को हुई परिषद् की एक बैठक में एक विशेष उल्लेख भी किया गया था ।

7.2 प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति

प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति ने अप्रैल, 2010 से अगस्त, 2011 तक की अवधि के दौरान प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य का संवर्धन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमलाप किए थे जिससे कि चार्टर्ड एकाउंटेंट वृत्ति को अपेक्षित ज्ञान और कौशल के साथ भारतीय निगमों को, उनके संसाधनों का और बेहतर ढंग से प्रबंध करने

तथा वैश्विक प्रतियोगिता की चुनौतियों का सामना करने के लिए सर्वोत्तम संभव सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उनमें से कुछ का उल्लेख करते हुए, समिति ने आईएफएसी की पीएआईबी समिति द्वारा, उक्त समिति की सिफारिशों को अपनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने और विशेष रूप से आईएफआरएस के साथ अभिसरण के परिणामस्वरूप उभरने वाले लेखांकन परिदृश्य में, दिए गए सुझाव के अनुसार एकीकृत लागत प्रणाली के उपयोगन संबंधी एक अध्ययन प्रारंभ किया है। इसके अलावा, यह लागत और संकर्म लेखा संस्थान को भारत में सर्वोत्तम प्रबंध लेखांकन व्यवहारों को स्थापित करने के लिए लागत लेखांकन मानकों को विकसित करने हेतु उत्तम अंतःनिवेश और समर्थन भी उपलब्ध करा रही है। समिति कारबार वित्त में मास्टर संबंधी एक एक-वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन भी कर रही है जिससे कि सदस्यों को भारत में अवस्थित विभिन्न उद्योगों के लिए सर्वोत्तम संभव व्यवहारों को तैयार करने के लिए सदस्यों द्वारा अपेक्षित बौद्धिक क्षमता और विशेषज्ञता को समर्थ बनाने के लिए उन्हें आधुनिक वित्तीय प्रबंध व्यवहारों संबंधी ज्ञान और विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जा सके। समिति ने उत्कृष्टता केन्द्र, हैदराबाद में एक आवासी कार्यक्रम का भी संचालन किया था जिससे कि इस पाठ्यक्रम से विख्यात विशेषज्ञों मामला अध्ययनों और परियोजना कार्यों के द्वारा व्यवहारिक विश्व के संबंध में उदभासन प्रदान करने के निबंधनों में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें।

7.3 उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति

चार्टर्ड एकाउंटैंसी पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ इसके सदस्यों में बहुमुखी प्रतिभा विकसित करती है। इसके परिणामस्वरूप, चार्टर्ड एकाउंटेंट न केवल लेखांकन और कराधान के क्षेत्र में व्यवसायी वृत्तियों के रूप में और उद्योग में वृत्तिक कार्यपालकों के रूप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपितु समाज के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी अपने महत्व को सिद्ध करते हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंटों की एक बड़ी संख्या है, जो अब सफल उद्यमी बन गए हैं। इसी प्रकार संसद् सदस्यों या विधान सभाओं के सदस्यों, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, अधिकरणों के सदस्यों आदि के रूप में लोक सेवा के क्षेत्र में भी चार्टर्ड एकाउंटेंटों का योगदान उल्लेखनीय बन चुका है।

वृत्तिक विकास समिति और उद्योग में कार्यरत सदस्यों संबंधी समिति आईसीएआई और वृत्ति में लगे और उद्योग में लगे सदस्यों के बीच लगे एक महत्वपूर्ण लिंक का कार्य करती है। आईसीएआई और ऐसे सदस्यों के बीच, जो उद्यमी हैं अथवा लोक सेवक हैं, ऐसा ही एक लिंक उपलब्ध कराने के विचार से, उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति नामक एक नई समिति का गठन किया गया था। इस समिति का उद्देश्य आईसीएआई और ऐसे सदस्यों के बीच, जो उद्यमी हैं अथवा लोक सेवक हैं, एक परस्पर फायदाप्रद जीवन्त संबंध बनाना है। इस समिति के कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे सदस्यों, जो उद्यमी हैं अथवा लोक सेवक हैं, को आईसीएआई के क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी में वृद्धि करके आईसीएआई की मुख्य धारा में लाया जाएगा। समिति ऐसे सदस्यों और आईसीएआई के अन्य सदस्यों के परस्पर फायदों को पूरा करने संबंधी पहलुओं के क्षेत्र में कार्य करेगी, जिससे कि युवा चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त अवसरों का सृजन हो सके और इस प्रकार अन्य बातों के साथ वृत्ति का आगे और विकास हो सके।

समिति ने 12 मार्च, 2011 को हुई अपनी पहली बैठक में यह विनिश्चय किया था कि वह समिति की पहली परियोजना के रूप में ऐसे सीए सदस्यों का एक डाटाबेस विकसित करेगी, जो उद्यमी हैं अथवा लोक सेवक हैं। इस संबंध में एक उद्घोषणा सीए जर्नल के मई, 2011 अंक में प्रकाशित की गई है और साथ ही उसे न केवल ऐसे सदस्यों, जो उद्यमी हैं अथवा लोक सेवक हैं, के लिए अपितु साधारण सदस्यों की जानकारी के लिए भी चार्टर्ड एकाउंटेंटों की वेबसाइट पर रखा गया था जिससे कि ऐसे सदस्य, जो उद्यमी हैं अथवा लोक सेवक हैं, आईसीएआई के पास रखे उनके अभिलेख में अपने प्रोफाइल को अद्यतन बना सकें और साथ ही अन्य सदस्य भी ऐसे सदस्यों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध करा सकेंगे, जिनसे वृत्तियों के ऐसे वर्ग के साथ व्यवहार करते समय उनकी मुलाकात होती है।

रजिस्ट्रार, आयकर अपील अधिकरण और सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपील अधिकरण को भी इस अनुरोध के साथ एक संसूचना भेजी गई है कि वे ऐसे अपील अधिकरण के ब्यौरे उपलब्ध कराएं जो चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं।

आज की तारीख तक समिति ने ऐसे लगभग 60 सीए सदस्यों के डाटाबेस का संकलन किया है जो लोकसेवा में हैं और 25 ऐसे अन्य सदस्य भी डाटाबेस में सम्मिलित किए गए हैं, जो उद्यमी सदस्य हैं।

उपरोक्त सदस्यों के एक कॉनक्लेव को 22 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। इस कॉनक्लेव का उद्देश्य ऐसे सीए सदस्यों, जो उद्यमी हैं अथवा लोक सेवक हैं, को संवहनीय आधार पर आईसीएआई के मुख्य धारा में लाना है। यह कॉनक्लेव आईसीएआई की उनके प्रति आशाओं को परस्पर शेयर करने और साथ ही हमारे से उनकी प्रत्याशाओं को जानने के लिए भी एक मंच उपलब्ध कराएगा।

7.4 सहकारिताओं और एनपीओ क्षेत्रों संबंधी समिति

सहकारिताओं और एनपीओ क्षेत्रों संबंधी समिति वर्ष 2011 में गठित एक नई समिति है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. सहकारिताओं और एनपीओ के संबंध में कानूनों में समुचित सुधारों का सुझाव देना।
2. सहकारिताओं और एनपीओ के लिए एक समान लेखांकन ढांचे का संवर्धन करना।
3. संबंधित प्राधिकारियों के साथ परस्पर क्रिया करने के लिए संपरीक्षकों को राज्यवार पैनलबद्ध करने हेतु दिशानिर्देश तैयार करना।
4. सहकारिताओं और एनपीओ क्षेत्रों/ परस्पर रूप से सहायता प्राप्त सहकारी सोसाइटियों (एमएसीएस)/ स्व सहायता समूहों/ झुंडों और संघों में सुशासन, सर्वोत्तम व्यवहारों और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंध का संवर्धन करना।
5. एनपीओ और सहकारी क्षेत्रों में सामाजिक संपरीक्षा अवधारणा का संवर्धन करना और पणधारियों के फायदे के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
6. सहकारिताओं और एनपीओ क्षेत्रों के प्रबंध कार्मिकों और उनके शासन से संबंधित सदस्यों को प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, संसाधन सामग्रियों, प्रकाशनों आदि के माध्यम से तकनीकी और शासन संबंधी अंतःनिवेश उपलब्ध कराना।
7. किसी एनपीओ/सहकारिता/निगम द्वारा की गई किसी निगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी पहल के लिए कोई पुरस्कार/किसी मान्यता को स्थापित करना।
8. इस क्षेत्र में राज्य और केन्द्रीय सरकार तथा निगमों की पहलों का समर्थन करना।
9. सहकारी बैंकों, को-शिफ्टों और प्रत्यय सोसाइटियों और राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सहकारिताओं के फायदे के लिए आवश्यक तकनीकी गाइडें और प्रकाशन विकसित करना।
10. राज्य और केन्द्रीय सरकार से एनपीओ को प्राप्त होने वाली सहायिकियों और अन्य समर्थनों के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाला एक ज्ञान पोर्टल विकसित करना, जिस पर एनपीओ क्षेत्र की विभिन्न सामाजिक कल्याण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सहकारी पहलों का संवर्धन भी किया जाएगा और साथ ही वित्तीय प्रबंध में शासन, विधिक अनुपालन और सर्वोत्तम व्यवहारों के संबंध में जानकारी के आदान-प्रदान को भी सुकर बनाया जाएगा।
11. पारदर्शिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को, जिनके अंतर्गत किए गए वास्तविक कार्य का दस्तावेजीकरण और साक्ष्य भी सम्मिलित है, विहित करके एनपीओ क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन की मानीटर करने में सरकार की सहायता करना और सरकार को एनपीओ के प्रशासनिक और अन्य व्ययों पर, विशेष रूप से सरकारी अनुदानों में से उपगत व्ययों पर अधिरोपित की जाने वाली परिसीमाओं के संबंध में सलाह देना।
12. विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 और तदधीन विरचित नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों तथा इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अन्य विधियों से संबंधित मुद्दों पर सुझावों की

सिफारिश करना जिससे कि एक ओर निधियों के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय संरक्षा और राष्ट्र हित के प्रयोजन को भी सिद्ध किया जा सके ।

7.4.1 विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों के साथ विभिन्न क्रियाएं

- गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेशी व्यष्टिकों संबंधी) के साथ विदेशी अभिदाय (विनियमन) विनियम, 2011 की अधिसूचना के संबंध में परस्पर क्रिया की गई है । यह विनिश्चय किया गया था कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 और विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के बारे में सदस्यों के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए देशभर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ।
- आईसीएआई का प्रतिनिधित्व एक अधिकारी द्वारा किया गया था जिसने गृह मंत्रालय के साथ एक परस्पर संवाद के सत्र में एनपीओ क्षेत्रों द्वारा अपनाई जाने वाले आधारिक लेखांकन के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण भी किया था । इस परस्पर संवाद का उद्देश्य निम्नलिखित था :
 1. विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के कार्यान्वयन के संदर्भ में सामान्य अनियमितताओं/विसंगतियों के बारे में चार्टर्ड एकाउंटेंटों को अवगत कराना ।
 2. एनपीओ क्षेत्र में वित्तीय, लेखांकन और संपरीक्षा के मुद्दों के संबंध में साधारण बिन्दु ।

7.4.2 कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन

इस अवधि के दौरान, समिति ने वाराणसी में एक आवासी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया था और नई दिल्ली में एनपीओ विषय पर एक पूर्ण दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया था ।

7.5 लोक हित सलाहकार समिति

लोक हित सलाहकार समिति को आईसीएआई के, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यक्रमों को अग्रसर करने के लिए सृजित किया गया है -

1. समाज की आवश्यकताओं का तदनुभूतिकरण और उनकी आशाएं तथा अपेक्षाएं और उनकी तुलना में चार्टर्ड एकाउंटेंसी की वृत्ति और इस प्रकार आशाओं के बीच पड़ने वाली खाई को भरना ।
2. आईसीएआई और पणधारियों के बीच उभरते न्यायशास्त्र के संबंध में अंतरापृष्ठ जिससे कि आईसीएआई की संघर्षात्मक भूमिका को स्थापित किया जा सके । स्पष्टीकारक, जो निगमों के सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय लेखांकन तक ही सीमित नहीं है और उनका जो गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग पैरामीटरों से संबंधित है ।
3. नई विधियों, उभरते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य, भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के संदर्भ में पणधारियों को वृत्तिक सलाह प्रदान करना जिसके अंतर्गत मिलेनियम विकास उद्देश्यों की पूर्ति में आईसीएआई की भूमिका भी सम्मिलित है ।
4. व्यापार संवर्धन चैंबरों जैसे विनियामकों और अन्य पणधारियों के एक मंच का सृजन करना और इस प्रक्रिया में आईसीएआई से उनकी अपेक्षाओं को जानना ।
5. उद्योग (उद्योगों) की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना और राष्ट्रीय हित के सकल संदर्भ में उभरते क्षेत्रों के संबंध में उनका मार्गदर्शन और समर्थन करना ।
6. प्रमुख राय निर्माताओं की पहचान करना और उन्हें वृत्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनाना ।
7. विधायी, न्यायपालिका और कार्यपालिका के साथ समुचित रूप से सहबद्ध होकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में सेवा अर्पित करना और सहयोग देना तथा और अधिक सार्थक रूप से राष्ट्रीय लक्ष्यों/कार्यसूची को पूरा करना तथा जनहित के मद्दे सेवा प्रदान करना ।

समिति उपरोक्त आज्ञापक विषयों के संबंध में कार्य कर रही है ।

7.6 वृत्ति के गौरवान्वित क्षण

- पूर्व अध्यक्ष, सीए टी.एन. मनोहरन 'पद्मश्री' से सम्मानित : यह इस वृत्ति के लिए गौरव का एक क्षण था जब आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष सीए टी.एन. मनोहरन को 'व्यापार और उद्योग' प्रवर्ग में 7 अप्रैल, 2010 को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों 'पद्मश्री' की उपाधि प्राप्त हुई थी। यह अतीव संतोषप्रद, प्रेरक और उत्साहवर्द्धक है कि हमारे वृत्तिक भाइयों में से किसी एक के योगदान को भारतीय राजनीति के शीर्षस्थ गलियारों में मान्यता प्राप्त हुई है।
- सीए पीयूष गोयल का राज्य सभा में निर्वाचन : सीए पीयूष गोयल, आईसीएआई के सदस्य को महाराष्ट्र से राज्य सभा के लिए निर्वाचित किया गया था। उनकी इस सराहनीय उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देते हुए आईसीएआई उनसे यह आशा करती है वे इस वृत्ति के मामले को उठाते रहेंगे।
- पूर्व अध्यक्ष, सीए कमलेश एस. विक्रमसे का यूएनडीपी संपरीक्षा समिति में सम्मिलित होना : पुनः यह एक अच्छा समाचार है कि सीए कमलेश एस. विक्रमसे को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संपरीक्षा सलाहकार समिति (एएसी) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जहां उनसे यह आशा की जाती है कि वे एक पारदर्शिता और जबाबदेही की सुदृढ़ संस्कृति बनाने में योगदान करेंगे।
- तमिलनाडु की एक सड़क का आईसीएआई पर नामकरण : यह एक गौरव और उल्लास का मामला है कि तमिलनाडु में शंकराबेरी पंचायत यूनियन ने एक मार्ग को जिसपर आईसीएआई की एसआईआरसी की तूतीकोरिन शाखा अवस्थित है, आईसीएआई सलाई (मार्ग) के रूप में नामित करने के लिए अनुमोदन और मंजूरी दे दी है।
- आईसीएआई मुख्यालय के साथ लगी लेन का प्रोफेसर टी.एस. ग्रेवाल, पूर्व अध्ययन निदेशक, आईसीएआई के नाम पर नामकरण : भारत में वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर टी.एस. ग्रेवाल के अति महत्वपूर्ण योगदान को श्रद्धांजलि देते हुए आईसीएआई मुख्यालय के भवन के साथ लगी लेन को प्रोफेसर टी.एस. ग्रेवाल लेन के रूप में नामित किया गया है। दिल्ली की मेयर प्रोफेसर रजनी एबी की अध्यक्षता में 6 जुलाई, 2011 को एक समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें दिल्ली से बड़ी भारी संख्या में अनेक सदस्यों, अनेक परिषद् सदस्यों, आईसीएआई के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया था। स्वर्गीय ग्रेवाल के परिवार के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

7.7 परिवर्तन परियोजना

- परिवर्तन परियोजना एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसे आईसीएआई के कार्यकरण में प्रतिमानी परिवर्तन लाने के लिए आरंभ किया गया है। "परिवर्तन" का एकमात्र उद्देश्य, आईसीएआई का आईटी रूपांतरण करके एक अति आधुनिक वर्चुअल संस्थान का सृजन करना है।
- यह कार्यक्रम आईसीएआई को कतिपय वैश्विक बैंचमार्कों के आधार पर विश्व के अन्य समान संगठनों, सरकारी पणधारियों और अन्य अस्तित्वों की तुलना में पणधारियों की आवश्यकताओं का पूरा करने में विद्यमान प्रक्रिया की प्रभाविकता का पूर्ण रूप से आकलन करने में समर्थ बनाता है।
- सभी पणधारियों के लिए स्व-सेवा पोर्टल और इसके अतिरिक्त आईसीएआई के विभिन्न विभागों के कार्यकरण में उद्योग के सर्वोत्तम व्यवहारों का अनुसरण, ये ऐसे उद्देश्य हैं, जिन्हें आईसीएआई एक प्रमुख पहल के रूप में पूरा करना चाहती है।
- पणधारियों तक पहुंच बनाने के लिए नए और सुगम चैनल, जो मांगों को पूरा करने में सेवा की प्रभाविकता में सुधार कर सकते हैं।
- एक ऐसे संतुलित अंकीय मंच की स्थापना करना, जो विनियामक और अनुपालन प्राधिकारियों की मांग को पूरा कर सकता है।

- पिछले कुछ वर्षों में छात्रों और सदस्यों की बढ़ती संख्या के कारण आईसीएआई के प्रचालनों के स्केल में वृद्धि का समाधान करना ।
- आईसीएआई छात्रों, सदस्यों, सरकार और पणधारियों को एक केन्द्रीकृत अंकीय मंच उपलब्ध कराएगा, जो सेवा में सुधार करने और उसे उपलब्ध कराने में लगने वाले समय में कमी करने को सुनिश्चित करते हुए आईसीएआई के साथ उनकी परस्पर क्रियाओं में सुधार करेगा और उन्हें संतुलित बनाएगा ।
- आईसीएआई पूर्ण विश्वसनीयता और सत्यता को सुनिश्चित करते हुए प्राधिकृत अंत उपयोक्ताओं को जानकारी उपलब्ध कराने में पूर्ण पारदर्शिता और सुगम पहुंच को सुनिश्चित करेगा ।
- आईसीएआई एक विश्वसनीय, सुगमता से उपलब्ध और सुरक्षित अवसंरचना मंच तैयार करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगा, जो विभिन्न कार्यालयों में कागज के उपयोग में कमी लाने के अपने प्रयास में मूल्य श्रृंखला में ग्रीन संगणना सिद्धांतों को अपनाएगा । आईसीएआई विश्व में ग्रीन संगणना को अपनाने और अपने पियर संस्थानों में बैचमार्क स्थापित करने में अग्रणी बनेगा ।
- आईसीएआई अपने एचओ, आरओ और शाखा कार्यालयों के कर्मचारियों को, सभी स्पर्श बिन्दुओं में सर्वोत्तम उपयोक्ता अनुभव के साथ स्पष्टता और सूचना तक पहुंच बनाने में समर्थ बनाएगा ।
- आईसीएआई, अपने सभी कार्यालयों में अनुज्ञप्त सॉफ्टवेयर को स्थापित करके और इस प्रकार स्केल की दक्षता को बेहतर रूप से संतुलित करते हुए, अपने अंकीय प्रौद्योगिकी मंच का एक आदर्श प्रचालन वातावरण स्थापित करेगा ।
- आईसीएआई, जहां कहीं संभव हो प्रक्रियाओं और उप प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाएगा, जिससे कि मामुली/गैर-उत्पादक कार्यों में उसके कर्मचारियों की ऊर्जा को बचाकर उसका उपयोग आईसीएआई के अन्य उत्पादक कार्यों में किया जा सके ।
- आईसीएआई लेखांकन और संपरीक्षा वृत्ति के उभरते क्षेत्रों में छात्रों और सदस्यों को समर्थ बनाने के लिए कड़े प्रयास करेगा, जिससे कि बाजार में समय पर वृत्तिक कौशलों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और जिसके परिणामस्वरूप आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के बीच अवसरों का बेहतर रूप से वितरण होता है ।
- आईसीएआई इस रूपांतरण यात्रा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को एक प्रमुख समर्थकारी उपकरण के रूप में देखता है और इसलिए उसने एक आईटी रणनीति और योजना तैयार की है, जिससे उसके स्वप्न को पूरा किया जा सके ।
- आईसीएआई एक संतुलित, सुरक्षित, सुगम, मॉड्यूलर और विश्वसनीय संगठनात्मक आईटी अवसंरचना स्थापित करने की आशा करता है ।

7.8 आईसीएआई के ई-साहित्य का शुभारंभ

सदस्यों और छात्रों के बढ़ते आधार को शीघ्र सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आईसीएआई अपनी ई-साहित्य सेवा आरंभ कर रहा है । ई-साहित्य, आईसीएआई के संपूर्ण छात्रों और सदस्यों तथा वृत्ति के अन्य पणधारियों के लिए एकमात्र ऐसे ई-चैनल के रूप में कार्य करता है, जहां दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण के संबंध में उनके सभी प्रश्नों/शिकायतों/व्यथाओं को स्वीकार किया जाता है, उनपर कार्रवाई की जाती है और उनकी प्राप्ति की तारीख से 3 से 7 दिनों के भीतर आईसीएआई द्वारा उनका समाधान किया जाता है । इस सेवा का मुख्य प्रयोजन चार्टर्ड एकाउंटेंटसी की शिक्षा प्रक्रिया में बाधाओं को दूर करके उसे सुगम बनाना है । यह पूरे विश्व के वृत्ति के पणधारियों को, 'लंबित रखने के लिए शून्य सहिष्णुता' के आदर्श वाक्य के साथ समय पर, सेवाएं उपलब्ध करा रहा है । यह आईसीएआई की एक प्रमुख पहल है, जहां प्रश्न/शिकायत/व्यथा को प्रणाली में प्रविष्ट करने की तारीख से उसका समाधान करने की तारीख तक का सारा पूर्ववृत्त भावी संदर्भ के लिए उपलब्ध रहता है । इस सेवा में, उपयोक्ता के पास, उपलब्ध कराई गई सेवा के बारे में उसका समाधान न होने की दशा में उसे पुनः प्रक्रियाधीन करने का विकल्प भी है ।

7.9 अवसंरचना विकास

- आईसीएआई को रोहिणी, अर्थात् उत्तर-पश्चिम दिल्ली में 2,128.50 वर्गमीटर माप की भूमि का एक प्लॉट आबंटित किया गया है।
- कानपुर विकास प्राधिकरण ने आईसीएआई को लगभग 2,460 वर्गमीटर माप की एक भूमि आबंटित की है।
- एर्नाकुलम शाखा के लिए भूमि का क्रय किया गया है।
- कानपुर प्रादेशिक कार्यालय में और अहमदाबाद, अजमेर, एलेप्पी, अमृतसर, भीलवाड़ा, एरोड, ग्वालियर, जोधपुर, मंगलौर, पटना, सहारनपुर और तिरुनेलवेल्ली शाखाओं में भूमि पूजन/शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया था।
- कोयम्बटूर और हिसार शाखाओं में भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।
- भिलाई, फरीदाबाद (प्रशासनिक खंड), हुबली (प्रथम तल), काकीनाडा और संगरूर शाखाओं में नए भवनों का उद्घाटन किया गया था।

7.10 प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं में जयंती समारोह

अभी कुछ वर्ष पहले, हमारे लिए तब ऐसा विशेष समय आया था, जब हमने बड़े उत्साह से आईसीएआई का हीरक जयंती वर्ष मनाया था। इस वर्ष भी मनाए जाने के लिए हमारे समक्ष ऐसा अवसर आया था, जब हमारी सभी प्रादेशिक परिषदों ने हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश किया था। हमारे पास प्रसन्नता के कुछ और कारण भी हैं क्योंकि हमारी कई शाखाओं ने अपने स्वर्ण और रजत जयंती वर्ष में भी प्रवेश किया है।

8. अन्य मामले

8.1 आईसीएआई का वार्षिक समारोह

आईसीएआई का 61वां वार्षिक समारोह 11 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली स्थित अशोक होटल के कंवेन्शन हॉल में हुआ था। श्री डी.के. मित्तल, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय इस समारोह के मुख्य अतिथि थे और सीए सुरेश पी. प्रभु, संघ के पूर्व विद्युत मंत्री सम्मानित अतिथि थे। उक्त समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा आईसीएआई द्वारा संचालित परीक्षाओं में मेधावी छात्रों को पुरस्कार तथा मेडल और आईसीएआई की उत्कृष्ट प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को शील्ड तथा प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड, वित्तीय बाजार और निवेशकों की संरक्षा संबंधी समिति, आर्थिक, वाणिज्यिक विधि और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति, प्रत्यक्ष कर समिति, आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड, अप्रत्यक्ष कर समिति, अनुसंधान समिति और आईसीएआई के लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा निकाले गए विभिन्न नए प्रकाशनों का विमोचन भी किया था। इस समारोह में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, सदस्यों, छात्रों, आईसीएआई के अधिकारियों तथा कर्मचारियों सहित बहुत बड़ी संख्या में आमंत्रितियों ने भाग लिया था।

8.2 1 जुलाई, 2011 - चार्टर्ड एकाउंटेंट दिवस समारोह

जुलाई के प्रथम दिवस को, जिस दिन इस वृत्ति का जन्म हुआ था, पूरे देश में और विदेशों में भी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई, 2011 को सीए दिवस समारोह का प्रारंभ नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में प्रातः अध्यक्ष द्वारा संस्थान के ध्वजारोहण और स्वर्गीय श्री जी.पी.कापड़िया, आईसीएआई के पहले अध्यक्ष, के बुत को मालार्पण से प्रारंभ हुआ था। दिल्ली की मेयर प्रोफेसर रजनी एबी इस समारोह में मुख्य अतिथि थी। तत्पश्चात् सांय काल में इस दिवस की गरिमा के अनुरूप विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक भव्य आयोजन किया गया था। सीए रामेश्वर ठाकुर, मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल और आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष इस समारोह में मुख्य अतिथि थे और सीए के. रहमान खान, माननीय उप सभापति, राज्य सभा और श्री आर.पी.एन. सिंह, माननीय राज्यमंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भी सम्मानित अतिथियों के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई थी और सदस्यों, छात्रों और अन्य गणमान्य/आमंत्रित व्यक्तियों को संबोधित किया था। श्री डी.के. मित्तल, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय भी इस समारोह में उपस्थित हुए थे और उन्होंने एक विशेष संबोधन प्रस्तुत किया था। इस अवसर पर

माननीय मुख्य अतिथि ने आईसीएआई के वेबटीवी का भी शुभारंभ किया था। इस समारोह में “परिवर्तन परियोजना “ओ” बीटा” और “एसएमपी और सक्षमता निर्माण” के लिए आईसीएआई की वेबसाइट का शुभारंभ माननीय सीए के. रहमान खान, “सीपीटी पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकरण के लिए ऑन लाइन प्ररूप” का शुभारंभ माननीय श्री आर.पी.एन. सिंह और “वेब कनेक्ट” का शुभारंभ श्री डी.के. मित्तल द्वारा किया गया था।

इस समारोह के पश्चात् “सीए व्यवसाय का एलएलपी प्ररूप” और “पुनरीक्षित अनुसूची 6” विषयों को सम्मिलित करते हुए सदस्यों हेतु सतत वृत्तिक शिक्षा संबंधी एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। सीए कमलेश एस. विक्रमसे, एफसीए, आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष और सीए डैल्फी डीसूजा, एफसीए इस कार्यक्रम के लिए मुख्य संकाय सदस्य थे। इस समारोह में सदस्यों, छात्रों, आईसीएआई के अधिकारियों तथा कर्मचारियों सहित बहुत बड़ी संख्या में आमंत्रितियों ने भाग लिया।

8.3 केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व से जुड़ा है, पूर्णतया कंप्यूटरीकृत और क्रियाशील है। पुस्तकों, पत्रिकाओं और लेखों के डाटाबेस सहित पुस्तकालय सामग्री की खोज, विषय, लेखक, शीर्षक, प्रसंग, प्रमुख-शब्द और प्रकाशक-वार की जा सकती है। यह अभिलेख इंटरनेट ऑन लाइन सेवा www.icai.org पर “**नो यूअर इंस्टीट्यूट-सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी**” - पुस्तकों, जर्नलों, लेखों आदि के लिए पुस्तकालय में ऑन लाइन सर्च ओपीएसी - लिबर्टी के अधीन उपलब्ध है। वेबसाइट के अधीन ये सेवाएं स्व-स्पष्टीकारक हैं। इनमें से कुछ लिंक, जैसे कि ऑन लाइन जर्नलों, ई-पुस्तकों, चार्टर्ड एकाउंटेंट जर्नल से लेखों की सूची और पुस्तकों का ऑन लाइन डाटाबेस, पुस्तकालय में जर्नलों और लेखों की सूची उपर्युक्त ऑन लाइन डाटाबेस में आगे और सर्च का विकल्प उपलब्ध कराते हैं। कोई व्यक्ति आईसीएआई के विचारार्थ “पुस्तकों/जर्नलों के सुझाव का स्तंभ” के अधीन नई पुस्तकों/जर्नलों के लिए सुझाव भी दे सकता है। यह उल्लेखनीय है कि “एकाउंटेंट्स ब्राउजर” पिछले बारह वर्षों से महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों की अभिलेखागार के साथ एक अनुक्रमणीका है। निर्देश सेवा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और विद्वानों को तथा विशेष मामले के रूप में आईसीएआई का सीपीटी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है। आईसीएआई के प्रत्येक निदेशालय को दिए गए केन्द्र पुस्तकालय के साथ, संस्थान के नोएडा कार्यालय और विश्वास नगर छात्र पुस्तकालय को भी केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, पुस्तकालय ने केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय परिसरों और विभिन्न विभागों में, छात्रों, सदस्यों, संकाय सदस्यों और अनुसंधान विद्वानों द्वारा अपेक्षित सामग्री के लिए सर्च को सुकर बनाने के लिए, अनेक आईसीएआई डाटाबेस प्रतिष्ठापित किए हैं। केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय के डाटाबेस को सभी प्रादेशिक पुस्तकालय डाटाबेस के साथ जोड़ने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर - लिबर्टी अर्जित किया गया है। केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय, सभी समितियों और साथ ही आईसीएआई द्वारा प्रस्थापित विद्यमान पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रकाशन/पुस्तकों का भी चंपापन कर रहा है।

www.icai.org - Central Council Library पर वेब सेवाएं उपलब्ध हैं।

अनेक ऑन लाइन डाटाबेस पुस्तकालय में प्रतिष्ठापित किए गए हैं। पुस्तकालय ने अनेक ऑन लाइन जर्नलों की ग्राहकी भी प्राप्त की है।

आईसीएआई, अधिकतम संभव संग्रहण का अंकीकरण करके, ई-पुस्तकों, ई-जर्नलों और अन्य ऑन लाइन डाटाबेसों की ग्राहकी प्राप्त करके केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय को आधुनिक बनाने के लिए और साथ ही हाल ही में अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित रूप में केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय की सुसज्जा करने के लिए कार्यवाही कर रहा है।

8.4 संपादकीय बोर्ड

आज के तेजी से बढ़ते हुए सार्वभौमिक युग में, विभिन्न विषयों, नए-नए उभरते क्षेत्रों, वृत्ति के पहलुओं और चुनौतियों से आईसीएआई के सदस्यों और चार्टर्ड एकाउंटेंट पत्रिका के अन्य पाठकों को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादकीय मंडल ने 2010-2011 के दौरान अनेकों महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं।

यह आईसीएआई का ब्रांड अम्बेसेडर है और सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं के लिए संस्थान के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज चार्टर्ड एकाउंटेंट विश्व की ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं से टक्कर ले रहा है चाहे वह अंतर्वस्तु की गुणवत्ता हो, गहन ट्रैपिकल कवरेज, परस्पर क्रियात्मक फीचर, अंतरराष्ट्रीय मानक ले आउट/डिजाइनिंग, पेपर क्वालिटी, बाहरी आवरण या समय से लोगों तक पहुंच हो, सबसे अधिक विश्वसनीय और पाठक मैत्रिक के रूप में इसकी मान्यता लगातार बढ़ती जा रही है। यदि हमारे पाठकों की प्रतिक्रिया से यह सब उपदर्शित होता है तो यह न केवल सदस्यों के लिए बल्कि सहयुक्त वृत्तिकों, संस्थाओं और भारत तथा विदेशों में आर्थिक जगत के हर वर्ग में अद्यतन वृत्तिक ज्ञान का उपकरण बन गया है।

इसकी व्यापक पहुंच और पाठन आधार की दृष्टि से इस पत्रिका का कुल परिचालन, आज 2,10,000 से अधिक हो गया है।

अंतर्वस्तु और ई-जर्नल :

- **व्यापक रूप से विषयों को सम्मिलित किया जाना** : मार्च, 2010 से जून, 2011 तक की अवधि के दौरान, विभिन्न विषयों पर 200 से अधिक लेखों का मुद्रण किया गया था।
- **नए फीचर** : - जर्नल में 'टेक फॉर यू', 'एकाउंटिंग लिजेंड', 'इंटरनेशनल टैक्सेशन', 'इश्युरेंस', 'आउटसोर्सिंग', 'फॉरेन ट्रेड', 'वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाइजेशन', 'ट्रेसिंग दि रूट्स', 'ग्लोबल पर्सपेक्टिव', 'सीएबीएफ डोनर' आदि जैसे नए फीचर प्रारंभ किए गए थे। कुछ विद्यमान फीचर, जैसे कि 'फ्राम द प्रेजिडेंट', 'लीगल अपडेट', 'नेशनल अपडेट' और 'इंटरनेशनल अपडेट' को, सदस्यों को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए और समृद्ध बनाया गया था। जर्नल के प्रसार में और अधिक वृद्धि करने के लिए यह विनिश्चय किया गया था कि जर्नल की प्रत्येक तिमाही में वृत्तिक दिलचस्पी के 20 क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाए।
- **विशेष ध्यान** : आईसीएआई के, वृत्ति से संबंधित विषयों के संबंध में सदस्यों को अद्यतन बनाए रखने के सकल प्रयास के भाग रूप में, संपादक बोर्ड ने मार्च, 2010 और फरवरी, 2011 में 'बैंक शाखा संपरीक्षा' विषय पर विशेष अंक निकाले, साथ ही अप्रैल, 2010 और अप्रैल, 2011 के अंकों में संघीय बजट, 2010-11 और 2011-12 को व्यापक रूप से कवरेज प्रदान की गई थी। जून, 2010 के अंक में 'आईएफआरएस के साथ अभिसरण' विषय पर विशेष ध्यान दिया गया था जबकि अगस्त, 2010 के अंक में '1 जुलाई को सीए दिवस समारोह' और 'प्रत्यक्ष कर संहिता पर पुनरीक्षित परिचर्चा पत्र' विषयों को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया था। अक्टूबर, 2010 और जून, 2011 के अंकों को 'एक्सबीआरएल' विषय को समर्पित किया गया था। जनवरी, 2011 के अंक में नई दिल्ली में कंपनी विधेयक पर साफा प्रादेशिक मानक नियतकों और आईसीएआई के पूर्व अध्यक्षों की बैठक में वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी और सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री एस.एस.एन. मूर्ति के भाषण पर विशेष ध्यान दिया गया था। मई, 2011 के अंक में 'आंतरिक संपरीक्षा' के विषय पर विशेष ध्यान दिया गया था।
- **रिपोर्टाधीन वर्ष की प्रमुख उपलब्धि** जुलाई, 2010 का प्रमुख अंक था। आईसीएआई के स्थापना दिवस के साथ-साथ सीए दिवस मनाए जाने की परंपरा के अनुरूप, संपादक बोर्ड ने जुलाई, 2010 मास के लिए दि चार्टर्ड एकाउंटेंट जर्नल का एक विशेष अंक निकाला था। इस विशेष अंक में नियमित फीचरों के साथ कुछ अनन्य फीचर भी सम्मिलित किए गए थे जैसे कि सीएंडएजी श्री विनोद राय, राज्य सभा के उपसभापति सीए के. रहमान खान, कारपोरेट कार्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद के साथ साक्षात्कार; आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के राज्यपाल सीए रामेश्वर ठाकुर का संदेश; विनियामकों, प्रमुख उद्योगपतियों और बैंकरों, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन के क्षेत्र में अगुआ व्यक्तियों और विशेषज्ञों, कुछ चुनिंदा पूर्व अध्यक्षों के विशेष लेख; सभी पूर्व अध्यक्षों के उद्धृत किए जाने योग्य उद्धरण; 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता - भारत में एकाउंटेंसी वृत्ति की भूमिका' विषय पर आईसीएआई की चुनिंदा समितियों के लेख सम्मिलित किए गए थे। इस अंक में 'एकाउंटेंसी वृत्ति की जड़ों का पता लगाना'

नामक एक अनन्य फीचर भी सम्मिलित किया गया था, जिसमें लेखांकन के क्षेत्र में सीए जी.पी. कपाडिया और सीए एस.बी. बिलीमोरिया जैसे दिग्गज व्यक्तियों के लेख, वर्ष 1949 में चार्टर्ड एकाउंटेंट पदनाम पर हुए वाद-संवाद की मुख्य विशिष्टियां ; आईसीएआई के संस्थापक सदस्यों द्वारा पूर्व में अनुमान लगाई गई ऐसी चुनौतियों, जो लेखांकन वृत्ति के समक्ष आ सकेंगी, के बारे में उद्घरण और भारत में लेखांकन वृत्ति के उदभव के संबंध में लेख सम्मिलित थे। इस अंक में 'आईसीएआई के प्रारंभ से चित्रों में कैद स्मरणीय क्षण' को भी सम्मिलित किया गया था।

- **फेस 2 फेस /संवाद स्तंभ को पुनरुज्जीवित किया गया :** बोर्ड ने जर्नल में फेस 2 फेस स्तंभ को पुनरुज्जीवित किया (इसे इन-कन्वर्सेशन के रूप में पुनःनामित किया गया) और इसके अंतर्गत भारतीय राजनीति और उद्योग से प्रेरक व्यक्तियों के साक्षात्कारों को प्रकाशित किया गया था। इस स्तंभ के अधीन सीएंडएजी श्री विनोद राय, राज्य सभा के उपसभापति सीए के. रहमान खान, तत्कालीन कारपोरेट कार्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद, मध्य प्रदेश के राज्यपाल सीए रामेश्वर ठाकुर, वित्त सचिव, श्री अशोक चावला, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री मुकेश अंबानी और यूआईडीएआई के अध्यक्ष श्री नंदन निलकेणी और आईएफएसी के सीईओ श्री इयान बेल के साथ साक्षात्कारों का प्रकाशन किया गया था।
- **साहित्यिक चोरी की घटनाओं के विरुद्ध भयपरक कार्रवाई :** जर्नल की अंतर्वस्तु की क्वालिटी और विश्वसनीयता में वृद्धि करने के लिए, जर्नल हेतु प्रस्तुत लेखों के कुछ लेखकों के संबंध में सूचना में आई साहित्यिक चोरी की घटनाओं को देखते हुए लेखों की संपूर्ण जांच की प्रक्रिया को साहित्यिक चोरी के व्यवहार को दूर करने के लिए प्रारंभ किया गया था। संपादक बोर्ड साहित्यिक चोरी रोधी नीति के संबंध में एक व्यापक दस्तावेज तैयार कर रहा है और साहित्यिक चोरी रोकने के लिए लेखों की जांच के लिए एक सॉफ्टवेयर भी अर्जित किया जा रहा है।
- **नवीनतम उच्च प्रौद्योगिकी वाले ई-जर्नल का शुभारंभ :** पाठकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित प्रयास के रूप में हमारे ई-जर्नल का एक नवीनतम उच्च प्रौद्योगिकी संस्करण (ई-मैग प्रो) का शुभारंभ किया गया है, जो इस प्रकार का अनुभव प्रदान करता है मानो उसे पढ़ने वाला व्यक्ति पृष्ठ-दर-पृष्ठ उलटते हुए उसकी हार्ड प्रति का पठन कर रहा है। अपनाई गई नवीनतम प्रौद्योगिकी ने हमारे ऑन लाइन जर्नल को और अधिक उपयोक्ता मित्र बना दिया है और साथ ही उसमें सुगम सर्च, नेविगेशन, डाउनलोड, ई-मेल सुविधाओं आदि ने उसे और अधिक नेट सौम्य और सुविधापूर्ण बना दिया है। इससे अतिरिक्त, ई-जर्नल के इस नए संस्करण में कोई व्यक्ति अन्य अनेक सुविधाओं का उपयोग करते हुए अंतर्वस्तु को सुन भी सकता है। तथापि, ऑन लाइन पढ़ने वाले व्यक्तियों को और अधिक तथा वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जर्नल को पीडीएफ प्ररूप में भी रखा गया है।

ले आउट और डिजाइन :

- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार संपूर्ण जर्नल के ले आउट और डिजाइन तथा फॉन्ट टाइप फेस को और अधिक समुन्नत किया गया था।
- आवरण पृष्ठ और अंदरूनी पृष्ठों के मास्ट हैड और आधारिक टेम्पलेट में और सुधार किया गया था।

अन्य पहलें

- **सदस्यों की सुविधा :** जर्नल के पठन में अतिरिक्त सुगमता प्रदान करने के लिए, सदस्यों को, यदि वे वांछ करते हैं तो उनके आवास के पते पर उनकी जर्नल की प्रति प्राप्त करने का विकल्प दिया गया था।
- **फोकस फोटोग्राफ नीति :** यह विनिश्चय किया गया है कि वृत्तिक दिलचस्पी की अधिकतम अंतर्वस्तु के प्रकाशन को सुकर बनाने के लिए जर्नल में आईसीएआई के विभिन्न आयोजनों के फोटोग्राफों को केवल दो पृष्ठों तक सीमित किया जाना चाहिए।

- **जर्नल में आईसीआई के विभिन्न आयोजनों के लिए फोकस्ड उदघोषणाएं** : आयोजनों से संबंधित उदघोषणाओं को और अधिक फोकस्ड और वस्तुपरक कवरेज प्रदान करने के लिए जर्नल में उनसे संबंधित उदघोषणाओं के प्ररूप को पुनरीक्षित किया गया था ।
- **सीएबीएफ अदाताओं को अभिस्वीकृति** : चार्टर्ड एकाउंटेंट फायदा निधि में किए गए अभिदायों की अभिस्वीकृति प्रदान करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि 50,000 रुपए और अधिक की राशि को दान करने वाले व्यक्तियों के नामों को फोटोग्राफ सहित और 5100 रुपए या अधिक का अभिदाय करने वाले व्यक्तियों के नामों को मासिक रूप से जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा । पाठकों को सीएबीएफ में उदास्तापूर्वक दान करने में प्रोत्साहित करने के लिए सुसंगत विज्ञापनों का प्रकाशन किया गया था ।
- **और अधिक सुविधा के लिए पृष्ठों के पैटर्न में परिवर्तन** : इसके अतिरिक्त कतिपय डाक विभाग के प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए आक्षेपों पर ध्यान देते हुए और जर्नल के सुगम और समय पर प्रेषण और प्रदाय में किन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए पृष्ठों को क्रमबद्ध करने के प्रकार में उपांतरण किया गया है, जिसमें अब प्रत्येक पृष्ठ पर अंकवार पृष्ठ संख्या और जिल्दवार पृष्ठ संख्या को मुद्रित किया जाता है ।
- **भारतीय डाक विभाग के साथ अनुज्ञप्ति का नवीकरण** : जर्नल के निर्बाध, सुगम और समय पर प्रदाय को सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयास के भाग रूप में रियायती दर पर जर्नल के डाक प्रेषण की अनुज्ञप्ति और मुंबई से भारतीय डाक विभाग द्वारा बिना संदाय के डाक प्रेषण करने की अनुज्ञप्ति को नवीकृत किया गया है ।

8.5 उच्च स्तरीय समिति/ समिति द्वारा गठित समूह

सत्यम कंप्यूटर सर्विसिज लिमिटेड में एक बहुत बड़ी रकम को अंतर्विष्ट करने वाले निगम कपट के परिणामस्वरूप, जिससे न केवल भारतीय निगम क्षेत्र अपितु भारतीय निगम में शासन प्रणाली पर भी गंभीर रूप से दुष्प्रभाव पड़े हैं, गंभीर रूप से चिंतित आईसीआई की परिषद् ने साधारण जनता में लेखांकन और लेखा परीक्षा वृत्ति के प्रति विश्वास पुनःस्थापित करने की आवश्यकता को महसूस किया और इसलिए उसने सत्यम कांड के संदर्भ से वित्तीय रिपोर्टिंग, लेखांकन और संपरीक्षा पहलुओं की संपूर्ण रूप से जांच करने का विनिश्चय किया, जिसके अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए जा रहे अन्वेषणों में सहायता/सहयोग करना, समस्या की जड़ तक जाना, विद्यमान प्रणाली की प्रभाविकता, प्रणाली संबंधी मुद्दे, इसमें संलिप्त/सहबद्ध व्यक्तियों सहित मूल कारणों की पहचान करना और जहां कहीं अपेक्षित हो, केन्द्रीय सरकार, सेबी और अन्य विनियामकों को उपयुक्त सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए परिवर्तनों का सुझाव देना है ।

उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी और परिषद् द्वारा उस पर विचार किए जाने के पश्चात् उसे दो भागों - रिपोर्ट (भाग 1) को 17 जुलाई, 2009 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था । रिपोर्ट (भाग 2) को परिषद् द्वारा गठित एक समूह द्वारा 13 मार्च, 2010 को हुई उसकी बैठक में तैयार किया गया था और उसे 24 मई, 2010 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था ।

अपने इस कार्य के दौरान इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने विभिन्न अभिकरणों/ प्राधिकारियों से बैठकें की थी । 27 फरवरी, 2009 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ हुई ऐसी एक बैठक के दौरान, मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था कि वे संपरीक्षकों की भूमिका के संबंध में लोक छवि, उस रीति, जिसमें प्रतिनिधि फर्मों को जनता द्वारा प्रतिधारित कराया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड नाम के उपयोग से संबंधित मुद्दों और अनेकों अन्य संबद्ध मुद्दों पर विचार करें । ऊपर उल्लिखित समूह ने उसे निर्दिष्ट मुद्दे पर विचार किया था और भारत में बहुराष्ट्रीय नेटवर्क लेखांकन फर्मों के प्रचालन के विषय में अपनी तारीख 29 जुलाई, 2011 की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, जिसे परिषद् द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् 8 अगस्त, 2011 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था ।

ऊपर उल्लिखित समूह अब चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 के बहुव्यापार/फर्म नामों, एक समान और समान व्यापार/फर्म नामों, फर्म के नामों का अनुमोदन और विनियामक अनुपालन से संबंधित विनियम 190 में अंतर्विष्ट उपबंधों की समीक्षा कर रहा है ।

8.6 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 में संशोधन

8.6.1 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में संशोधन

फरवरी, 2009 में सत्यम कंप्यूटर सर्विसिज लिमिटेड से उद्भूत होने वाले मामले की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अन्यो के साथ निम्नलिखित सिफारिशों की थी :-

“जहां किसी संपरीक्षा दल के भागीदार और सदस्य लापरवाही/कपटपूर्ण क्रियाकलापों के दोषी पाए जाते हैं वहां फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करने, जिसके अंतर्गत प्रतिबंध अधिरोपित करना भी है, के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, विनियम और नियम में संशोधन करना।”

उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (भाग 1) जुलाई, 2009 में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई थी। केन्द्रीय सरकार ने अक्टूबर, 2009 में आईसीएआई को यह कहा था कि वह सरकार को उसके विचारार्थ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में विनिर्दिष्ट धारा-वार प्रारूप संशोधनों को प्रस्तुत करे। परिषद् ने मार्च, 2010 में हुई अपनी बैठक में अधिनियम में प्रारूप संशोधनों का सुझाव देने के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष सीए जी. रामास्वामी के संयोजन के अधीन एक समूह का गठन किया था। समूह द्वारा दी गई सिफारिशों पर परिषद् ने अगस्त, 2010 में हुई अपनी बैठक में विचार किया था और इस प्रकार परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में किए जाने वाले अंतिम प्रारूप संशोधनों को दिसम्बर, 2010 में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार सरकार को प्रस्तुत प्रारूप संशोधन, अन्य बातों के साथ, आईसीएआई के अनुशासन तंत्र को और मजबूत करने, सीए फर्मों को उसके अनुशासन तंत्र के अधीन लाने, परिषद् को फर्मों के संबंध में अनुशासन अधिकारिता का प्रयोग करने और दिए जाने वाले दंड के विस्तार क्षेत्र को, उसमें वित्तीय जुर्माने और शास्ति को सम्मिलित करके और अधिक विस्तृत करने की ईप्सा करते हैं। ये संशोधन सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।

8.6.2 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में संशोधन

सदस्यों और छात्रों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आईसीएआई की परिषद् ने समय-समय पर केन्द्रीय सरकार को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में कतिपय प्रारूप संशोधनों का सुझाव दिया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई वांछा के अनुसार जुलाई, 2011 में विनियमों में प्रारूप संशोधनों के एक समेकित सेट को उसे प्रस्तुत किया गया था। ये संशोधन सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं और यह आशा की जाती है कि सरकार उन्हें शीघ्र ही सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान करेगी। केन्द्रीय सरकार की सैद्धांतिक अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ये प्रारूप संशोधन जनता की टीका-टिप्पणियों के लिए अधिसूचित किए जाएंगे। अन्य बातों के साथ, ये प्रारूप संशोधन निम्नलिखित उपबंध करने के लिए हैं -

- विनिर्दिष्ट प्रतिशत में अंक प्राप्त करने वाले स्नातकों और स्नातकोत्तरों को और भारत के लागत और संकर्म लेखा संस्थान तथा भारत के कंपनी सचिव संस्थान के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को चार्टर्ड एकाउंटेंटसी पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश उपलब्ध कराना।
- वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम और एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम को क्रमशः इंटरमीडिएट पीसीसी और इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के रूप में पुनःनामित करना।
- विनियम 48 के अधीन आर्टिकलड सहायकों को संदेय वृत्तिका की दरों में वृद्धि करना।
- ऐसी अवधि के सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी अग्रिम पाठ्यक्रम के लिए उपबंध करना, जो 100 घंटों से न्यून नहीं होगा और जो 500 घंटों से अधिक नहीं होगा और जिसमें फाइनल परीक्षा से पूर्व प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
- कतिपय ऐसी प्रबंध परामर्शी सेवाओं के, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कतिपय निधि जुटाने वाली सेवाओं, ऋण वसूली सेवाओं, लागत को अनुकूल बनाए जाने संबंधी सेवाओं और ऐसी अन्य सेवाओं या संपरीक्षा, जैसा कि परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए, के मामले में प्रतिशत के आधार पर फीस प्रभारित करना।

- प्रबंध लेखांकन, निगम प्रबंध, कर प्रबंध, सूचना प्रणाली, संपरीक्षा, बीमा और जोखिम प्रबंध तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन से संबंधित अर्हतापश्च पाठ्यक्रमों से संबंधित नियमों और पाठ्यचर्या में संशोधन करने के लिए परिषद् को सशक्त करना ।

9. सदस्य

9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा 9094 नए सदस्यों को दर्ज किया गया था जिससे 1 अप्रैल, 2011 को आईसीएआई की कुल सदस्यता संख्या 170610 हो गई है ।

पूर्व वर्ष में 3211 की संख्या की तुलना में 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 2449 सहयोजित सदस्य अध्येता के रूप में प्रविष्ट किए गए ।

1.4.2011 को सदस्यों की कुल संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	अध्येता (1)	सहयोजित (2)	स्तंभों का योग (1) और (2)
पूर्णकालिक व्यवसाय में	54997	21456	76453
अंशकालिक व्यवसाय में	3164	5001	8165
जो व्यवसाय में नहीं हैं	10813	75179	85992
	68974	101636	170610

9.2 दीक्षांत समारोह

संस्थान, नवम्बर, 2008 से अपने नए नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है । दीक्षांत समारोह का आयोजन पांचों प्रादेशिक मुख्यालयों में प्रत्येक में वर्ष में दो बार किया जाता है जिससे कि मार्च से अगस्त और सितम्बर से फरवरी तक की अवधि को उसमें सम्मिलित किया जा सके, इन समारोहों में उक्त अवधि के दौरान सदस्यता में लिए गए सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं । इस संबंध में मार्च, 2010 और अगस्त, 2010 के बीच सम्मिलित किए गए सदस्यों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन संस्थान के प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय में जनवरी, 2011 और फरवरी, 2011 के दौरान किया गया था । सितम्बर, 2010 और मार्च, 2011 के बीच सम्मिलित किए गए सदस्यों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन जुलाई, 2011 में किया गया था और शेष बचे स्थानों के लिए यह आयोजन शीघ्र ही किया जाएगा ।

9.3 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि ऐसे जरूरतमंद लोगों, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को, उनके भरण-पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है । निधि की वित्तीय विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :-

सदस्यता के ब्यौरे

1. 31 मार्च, 2010 को कुल आजीवन सदस्य = 97564
2. 31 मार्च, 2011 को कुल आजीवन सदस्य = 102110
3. नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि = 4546

(31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान)

4. 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान दी गई कुल वित्तीय सहायता = रु. 20,855,500

वित्तीय विशिष्टियों के ब्यौरे*

	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान
1. दी गई कुल वित्तीय सहायता	22,975,500	20,855,500
2. प्रशासनिक खर्च	17,142	20,723
3. निधि में अधिशेष (कमी)	(10,480,363)	(3,765,059)
4. निधि का अतिशेष	9,428,627	5,663,568
5. कोरपस का अतिशेष	88,107,800	100,103,645

9.4 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान, 500 रुपए प्रतिमास के मूल्य की 72 छात्रवृत्तियां, चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को दी जा रही थी। निधि की आजीवन सदस्यता 31 मार्च, 2010 को 2129 के मुकाबले 31 मार्च, 2011 को बढ़कर 3656 हो गई थी। निधि के पास जमा शेष 31 मार्च, 2010 को 1,599,441/- रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2011 को 2,337,975/- रुपए हो गया है।

9.5 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएसबीएफ)

आईसीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत छात्रों को वित्तीय और अन्य अनुषंगी प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य और उद्देश्यों से अगस्त, 2008 में इस निधि की स्थापना की गई थी। 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में एक वर्ष के लिए 1500 रुपए प्रति मास मूल्य की 200 छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई गई थी। 31 मार्च, 2010 को 7,802,562 रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2011 को साधारण निधि में 17,361,063 रुपए का अतिशेष जमा था।

10. छात्र

समिति ने कई वर्ष पूर्व, 1954 में चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों को सैद्धांतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 'कोचिंग बोर्ड' की स्थापना की थी। ऐसे किसी अभिकरण की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि इसे निजी संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली पर निर्भर रहने की बजाय छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक अधिक प्रभावी उपाय समझा गया था।

प्रारंभ में, सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकरण स्वैच्छिक था। तथापि, वर्ष 1956 से इसे अनिवार्य बना दिया गया था। उस समय से, किसी आर्टिकल या संपरीक्षा सहायक (पूर्व में आर्टिकल या संपरीक्षा लिपिक) के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने वाले किसी छात्र से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह स्वयं को कोचिंग बोर्ड के छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत करे। चूंकि पाठ्यक्रम को करने वाले छात्र पूरे देश में बिखरे हुए थे, इसलिए कोचिंग बोर्ड द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से एकसमानता को सुनिश्चित किया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 1973 में कोचिंग बोर्ड के नाम में परिवर्तन करके उसे "अध्ययन बोर्ड" नाम दिया गया था। वर्तमान में, यह बोर्ड चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को सैद्धांतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यचर्या के प्रशासन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

वर्ष 1955 से आईसीएआई द्वारा दूरस्थ-शिक्षा पद्धति अपनाए जाने के साथ ही और पांच से अधिक दशकों से उसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन को देखते हुए, आईसीएआई इस क्षेत्र में अग्रणी के रूप में उभरा है। इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करके उसने समय-समय पर अत्यधिक सस्ती कीमतों पर शिक्षा सामग्री और अन्य शैक्षिक अंतःनिवेशों को उपलब्ध कराके सर्वोत्तम क्वालिटी और संगतता को सुनिश्चित किया है। सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक प्रशिक्षण को एकीकृत करने वाले मॉडल को अपनाकर, यह न केवल अधिकाधिक संख्या में छात्रों के बीच वृत्तिक ज्ञान, अपितु कौशल के विकास को भी सुकर बनाने में समर्थ रहा है, साथ ही यह उनमें वृत्तिक मूल्यों, आचार और सही व्यवहारों को भी उत्पन्न करने में सफल रहा है। अध्ययन बोर्ड छात्रों को परीक्षाओं के लिए पर्याप्त रूप से तैयारी करने में समर्थ बनाने के लिए शैक्षणिक अंतःनिवेशों का एक व्यापक पैकेज उपलब्ध कराता है। देशभर और साथ ही विदेशों में बिखरे बड़ी संख्या में छात्रों को ध्यान में रखते हुए, यह छात्रों के फायदे के लिए प्रौद्योगिकी और वर्चुअल पद्धति के माध्यम से सैद्धांतिक शिक्षा को एकीकृत करने का उद्देश्य रखता है। इसने देश भर में कंप्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, जिनमें सीए के छात्र सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। छात्रों को प्रस्तुतीकरण संबंधी कौशल से लैस करने और उनके सकल व्यक्तित्व के विकास हेतु उन्हें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से रूबरू कराने के लिए बोर्ड अनुकूलन कार्यक्रमों और साधारण प्रबंध और संचार कौशल (जीएमसीएस) संबंधी पाठ्यक्रम का आयोजन करता है।

अध्ययन बोर्ड ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ परस्पर समझ ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सीए के छात्रों को बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए डिग्रियां प्राप्त करने में समर्थ बनाते हैं। बोर्ड, छात्रों के विभिन्न वृत्तिक विषयों में नवीनतम ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सभाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन भी करता है।

वर्ष के दौरान बोर्ड की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

10.1 प्रत्यायन स्कीम

31 मार्च, 2011 को प्रत्यायित संस्थाओं की संख्या 87 थी जिसमें से 62 सामान्य प्रवीणता परीक्षा: सीपीटी हेतु कोचिंग प्रदान करने के लिए हैं और 25 वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी)/एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी) हेतु कोचिंग प्रदान करने के लिए हैं।

10.2 आईपीसीसी और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए हिन्दी में अध्ययन सामग्री का गहन पुनरीक्षण

पुनरीक्षित अंग्रेजी अध्ययन सामग्री के आधार पर, हिन्दी में आईपीसीसी पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री का भी पुनरीक्षण किया गया है और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए यह पुनरीक्षण चल रहा है और यह संभावना है कि अगस्त, 2011 के अंत तक इसकी अध्ययन सामग्री को जारी कर दिया जाएगा।

10.3 सुझाए गए उत्तर

छात्रों के लिए परीक्षाओं की बेहतर तैयारी को सुकर बनाने और उनके मार्गदर्शन के लिए वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी), एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी), लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम (एटीसी), फाइनल (पुराना) पाठ्यक्रम (केवल मई, 2010 के लिए) और फाइनल (नया) पाठ्यक्रम की मई/जून, 2010 और नवंबर/दिसम्बर, 2010 में कराई गई परीक्षाओं के लिए सुझाए गए उत्तरों को पर्याप्त समय पूर्व मुद्रित किया गया था और उन्हें छात्रों को उपलब्ध करा दिया गया था। इन सुझाए गए उत्तरों को आईसीएआई की वेबसाइट (निःशुल्क डाउनलोड के विकल्प के साथ) पर परिणामों की घोषणा से काफी समय पूर्व रखा गया था।

10.4 पुनरीक्षण परीक्षा पत्र

पीसीसी, आईपीसीसी/एटीसी और फाइनल परीक्षाओं के लिए पुनरीक्षण परीक्षा पत्रों (आरटीपी) को समय से प्रकाशित किया गया था जिससे कि छात्रों को परीक्षाओं के लिए भलीभांति तैयारी करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। इन्हें आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था जिसमें उन्हें निःशुल्क डाउनलोड करने का विकल्प उपलब्ध था।

10.5 अध्ययन सामग्री का पुनरीक्षण

छात्रों की जानकारी को अद्यतन करने की सतत प्रक्रिया के भागरूप में विभिन्न अध्ययन सामग्रियों की अंतर्वस्तु को

अद्यतन किया गया है और समुचित परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया गया है। आईपीसीसी की अध्ययन सामग्री को जुलाई और दिसम्बर, 2010 में दो बार पुनरीक्षित किया गया था। शेष बचे विषयों - कारबार विधियां तथा आचार और संचार, संपरीक्षा और आश्वासन, सूचना प्रौद्योगिकी और नीतिगत प्रबंध तथा कराधान के लिए भी अभ्यास मैनुअल निकाले गए थे। इस कार्यवाही द्वारा आईपीसीसी के सभी विषयों के अभ्यास मैनुअल अब अध्ययन सामग्री किट का भाग हैं। इसी प्रकार फाइनल पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री का जनवरी, 2011 में गहन पुनरीक्षण किया गया था और फाइनल परीक्षा के सभी विषयों के अभ्यास मैनुअल भी निकाले गए थे जो अब अध्ययन सामग्री किट का भाग हैं।

10.6 चयनित मामलों का संकलन

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मामलों का संकलन, 2010, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियों से संबंधित चयनित मामले अंतर्विष्ट हैं, प्रकाशित किया गया है।

10.7 कराधान विषयों में अनुपूरक अध्ययन सामग्री

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में अनुपूरक अध्ययन सामग्री एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में नवीनतम परिपत्रों के साथ वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन अंतर्विष्ट हैं। तदनुसार, वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा किए गए संशोधनों और 1 मई, 2009 और 30 अप्रैल, 2010 के बीच जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं/परिपत्रों को अंतर्विष्ट करने वाली अनुपूरक अध्ययन सामग्री को, जो आईपीसीसी और फाइनल पाठ्यक्रमों के लिए कराधान से संबंधित है, छात्रों के फायदे के लिए निकाला गया था।

10.8 अध्ययन बोर्ड के प्रकाशन

अध्ययन बोर्ड द्वारा निकाले गए प्रकाशनों में सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी), एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी) और फाइनल परीक्षाओं के संबंध में अध्ययन सामग्री सम्मिलित थी। बोर्ड ने सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के संबंध में पाठ्यक्रम सामग्री, वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी), एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी) और फाइनल परीक्षाओं के लिए सुझाए गए उत्तरों का संकलन निकाला था।

10.9 100 घंटे का सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण

वर्तमान में आईसीएआई द्वारा स्थापित 151 सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र पूर्णतया कार्यरत हैं और अन्य 4 ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए कार्यवाही की जा रही है। वर्ष के दौरान इन केन्द्रों में प्रतिष्ठापित कंप्यूटरों और प्रशिक्षित किए गए छात्रों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

पूर्णतया कार्यरत कंप्यूटर प्रयोगशालाएं	151
ऐसी प्रयोगशालाएं जिनकी स्थापना के लिए कार्यवाही की जा रही है	4
प्रतिष्ठापित कंप्यूटरों की संख्या	4880
अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 तक प्रशिक्षित किए गए छात्रों की संख्या	62,919
आईसीएआई प्रयोगशालाओं में छात्रों को प्रशिक्षित करने की वार्षिक क्षमता	1,77,840

100 घंटे की सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन सामग्री को पूर्णतः पुनरीक्षित और अद्यतन किया गया है। अध्ययन सामग्री और प्रयोगशाला मैनुअल पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति, जिसके अंतर्गत व्यवहारिक समस्याएं और मामलों का अध्ययन भी है, अंतर्विष्ट करने वाली एक सीडी, 100 घंटे आईटीटी करने वाले सभी छात्रों को प्रदान की जा रही है। वर्ष के दौरान 115 से अधिक आईटीटी केन्द्रों का पुनर्विलोकन आईएसए अर्हताप्राप्त सदस्यों द्वारा किया गया था और छात्रों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के क्वालिटी आश्वासन के लिए उपचारात्मक कार्यवाहियां प्रारंभ की गई थीं।

10.10 साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम

अप्रैल, 2010 से जून, 2011 के दौरान, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा देश भर में (दुबई केन्द्र सहित)

66 केन्द्रों पर साधारण प्रबंध और संचार कौशल पर 15 दिवसीय पाठ्यक्रमों के 503 बैचों का आयोजन किया गया था और इन कार्यक्रमों में, वर्ष 2009-2010 के दौरान 13,168 छात्रों की तुलना में 22,260 छात्रों ने भाग लिया था।

10.11 एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी) और लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम (एटीसी) के लिए अनुकूलन कार्यक्रम

ऐसे छात्रों को, जिन्होंने एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी) और लेखांकन तकनीशियन पाठ्यक्रम (एटीसी) के लिए रजिस्ट्रीकरण किया है, अनिवार्य रूप से 35 घंटे के अनिवार्य अनुकूलन कार्यक्रम में भाग लेना होता है। अप्रैल, 2010 से जून, 2011 के दौरान 102 केन्द्रों पर अनुकूलन कार्यक्रम के 1082 बैचों का आयोजन किया गया था और वर्ष 2009-2010 के दौरान 52,606 छात्रों की तुलना में 51,574 छात्रों ने भाग लिया था।

10.12 छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियां

बोर्ड ने इस वर्ष के दौरान छात्रों को गुणता, गुणता एवं आवश्यकता आधृत और आवश्यकता आधृत तथा कमजोर वर्गों के अधीन कुल 211 छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं।

10.13 छात्रों का जर्नल

अध्ययन बोर्ड वर्ष 1997 से छात्रों के लिए 'दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टूडेंट' नामक एक मासिक जर्नल का प्रकाशन करता रहा है। दिसम्बर, 2009 तक स्टूडेंट न्यूजलेटर के नाम से ज्ञात छात्रों के इस जर्नल में सीए छात्रों से सुसंगत विषयों पर उपयोगी लेख, शैक्षणिक अद्यतन और अन्य महत्वपूर्ण उद्घोषणाओं जैसे विषयों पर लेखों जैसे नियमित फीचर अंतर्विष्ट होते थे। यह जर्नल छात्रों और साथ ही आईसीएआई के सदस्यों में लोकप्रिय और उनके लिए उपयोगी बना हुआ है।

10.14 सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए पुरस्कार

दो विख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों से मिलकर बनने वाली एक निर्णय समिति ने 1 जून, 2009 और 31 मई, 2010 के बीच सीए छात्रों के जर्नल में प्रकाशित 15 लेखों पर सर्वोत्तम और द्वितीय सर्वोत्तम पुरस्कार दिए जाने के लिए विचार किया। श्री भरत तुलसीयान द्वारा लेखबद्ध "एसए 11 - विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" लेख को सर्वोत्तम लेख और सुश्री हेमाली दीपक ठक्कर द्वारा लेखबद्ध "अंतरण कीमत नियतन के आधार" को द्वितीय सर्वोत्तम लेख का पुरस्कार प्रदान किया गया था। लेख के लेखकों को आईसीएआई के वार्षिक समारोह में प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

10.15 छात्र आदान-प्रदान स्कीम

श्रीलंका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आईसीएएसएल) द्वारा 6 अप्रैल, 2011 को कोलंबो में आयोजित 25वें वार्षिक सीए छात्र सम्मेलन में आईसीएआई के 8 छात्रों ने भाग लिया था। आईसीए श्रीलंका के 12 छात्रों, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान के 5 छात्रों और आईसीए बांग्लादेश के 1 छात्र ने 23-24 जुलाई, 2011 को नागपुर में अध्ययन बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सीए छात्र सम्मेलन में भाग लिया था, जिसकी मेजबानी डब्ल्यूआईआरसी की नागपुर शाखा और डब्ल्यूआईसीएसए की नागपुर शाखा द्वारा की गई थी।

10.16 सीए पाठ्यक्रम को पीएच.डी कार्यक्रम के लिए मान्यता

विभिन्न विश्वविद्यालयों से निरंतर संपर्क करने के बाद अध्ययन बोर्ड शिक्षा बोर्ड पीएचडी/फेलो कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए 5 भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अलावा 82 विश्वविद्यालयों से सीए पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रहा है।

10.17 एकदिवसीय संगोष्ठियां

वर्ष के दौरान, 24 शाखाओं द्वारा 72 एकदिवसीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था।

10.18 वक्तृता प्रतियोगिता

5 प्रादेशिक परिषदों, जिन्होंने शाखा स्तरीय वक्तृता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, सहित 49 शाखाओं द्वारा

शाखा स्तरीय वक्तृता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसके अलावा 5 प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में 12 जनवरी, 2011 को किया गया था।

10.19 क्विज प्रतियोगिताएं

5 प्रादेशिक परिषदों, जिन्होंने शाखा स्तरीय क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, सहित 51 शाखाओं द्वारा शाखा स्तरीय क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसके अलावा 5 प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में 12 जनवरी, 2011 को किया गया था।

10.20 अंतरराष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन

आईसीएआई के इतिहास में पहली बार, “भारतीय एकाउंटेंसी वृत्ति-वैश्विक केन्द्र बिन्दु के रूप में उभरना” विषय पर 28-29 दिसम्बर, 2010 को एक अंतरराष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में न केवल देश के विभिन्न भागों से अपितु नेपाल से भी 1000 से अधिक छात्रों ने भागीदारी की थी।

10.21 सीए छात्रों के राष्ट्रीय अभिसमय

वर्ष के दौरान 10 राष्ट्रीय अभिसमयों का आयोजन जयपुर, कानपुर, विजयवाड़ा, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, इंदौर, कोयम्बटूर, बंगलौर और पुणे में किया गया था।

10.22 प्रादेशिक/उप प्रादेशिक/राज्य स्तरीय सम्मेलन

राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन लुधियाना, एर्नाकुलम, भुवनेश्वर और हैदराबाद में किया गया था। प्रादेशिक स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन कोटा, बड़ौदा, एर्नाकुलम, तिरुपति और भीलवाड़ा में किया गया था। उप प्रादेशिक स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन वसई, बीकानेर, सलेम, जलगांव, जामनगर और राजकोट में किया गया था।

10.23 आर्टिकल सहायकों का कैम्पस नियोजन

अध्ययन बोर्ड द्वारा ऐसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों, जिनका प्रधान कार्यालय/शाखा कार्यालय दिल्ली/ नई दिल्ली में है और साथ ही भावी आर्टिकल सहायकों, दोनों के फायदे के लिए एक अग्रणी परियोजना के रूप में, आर्टिकल सहायकों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में 27-28 अगस्त, 2010 के दौरान किया गया था।

10.24 ऑन लाइन आर्टिकल नियोजन पोर्टल

अखिल भारतीय आधार पर आर्टिकलों को सीए फर्मों में नियोजित करने के लिए 5 अक्टूबर, 2010 को एक ऑन लाइन आर्टिकल नियोजन पोर्टल- <http://bosapp.icaai.org> को कार्यरत बनाया गया था। यह पोर्टल ऐसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों के लिए, जिनके पास आर्टिकल सहायकों हेतु शक्तियां हैं, आर्टिकल सहायकों के चयन के लिए पात्र छात्रों को सूचीबद्ध करने और अपने कार्यालयों में उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाने में सक्षम बनाने हेतु एक मंच उपलब्ध कराता है। पात्र सीए फर्मों और ऐसे अभ्यर्थियों से, जो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं, यह अपेक्षा की जाती है कि वे आर्टिकल नियोजन पोर्टल के माध्यम से स्वयं को ऑन लाइन रजिस्टर करें।

10.25 विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियां

वर्ष के दौरान, अनेक विश्वविद्यालयों अर्थात् कोचीन विश्वविद्यालय, एम.एस.विश्वविद्यालय, बड़ौदा, कालीकट विश्वविद्यालय और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के समन्वयन से शाखाओं द्वारा 4 संयुक्त संगोष्ठियां आयोजित की गई थी।

10.26 कैरियर काउंसелиंग कार्यक्रम

पाठ्यविवरणों के बहुत से विषयों में अनेक विद्या संबंधी शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए छात्रों की सहायता हेतु और सीए पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रादेशिक मुख्यालयों और शाखाओं में कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 1 अप्रैल, 2010 से 30 जून, 2011 की अवधि के दौरान देश भर में विभिन्न

अवस्थानों पर 84 करियर परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।

10.27 वृत्तिक कौशल विकास संबंधी छह सप्ताह का आवासी कार्यक्रम

अध्ययन बोर्ड द्वारा सीए के ऐसे सभी छात्रों, जिन्होंने चार्टर्ड एकाउंटेंसी फाइनल/आईपीसीसी /पीसीसी/पीई -II परीक्षा उत्तीर्ण की है और आर्टिकल प्रशिक्षण का अंतिम वर्ष पूरा कर रहे हैं या जिन्होंने आर्टिकल प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, के फायदे के लिए वृत्तिक कौशल विकास (साधारण प्रबंध, व्यक्तित्व का विकास और संसूचना कौशल) संबंधी छह सप्ताह के आवासी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था । यह कार्यक्रम सीए के छात्रों और नए अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंटों की, कारबार संगठनों और वृत्ति में प्रभावी कार्यक्रम के लिए अपेक्षित वृत्तिक कौशल प्राप्त करने में सहायता कर रहा है । वर्ष के दौरान छह बैचों का आयोजन किया गया है ।

10.28 भतृहार विश्वविद्यालय के साथ परस्पर समझ ज्ञापन

भतृहार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर और आईसीएआई के बीच एक परस्पर समझ के ज्ञापन पर 4 दिसम्बर, 2008 को कोयम्बटूर में हस्ताक्षर किए गए हैं । एमओयू के अनुसार, सीए छात्र और साथ ही अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों को भतृहार विश्वविद्यालय से बी.काम, एम.काम, बीबीए और एमबीए उपाधियां प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे । वर्तमान में 521 चार्टर्ड एकाउंटेंटों/ चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को बीयू- आईसीएआई के संयुक्त शिक्षा कार्यक्रम के अधीन विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान किया गया है ।

10.29 छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निःशुल्क फोन नम्बर

छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नोएडा में एक निःशुल्क टेलीफोन नम्बर 1800-200-2501 प्रतिष्ठापित किया गया है । उक्त समर्पित फोन लाइन अध्ययन बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है और शिक्षा संबंधी प्रश्नों का उत्तर संबद्ध संकाय सदस्यों द्वारा दिया जा रहा है ।

10.30 सीपीटी और आईपीसीसी पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए लाइव वर्चुअल कक्षाएं

सीपीटी और आईपीसीसी पाठ्यक्रमों के छात्रों के फायदे के लिए 22 नगरों के 25 केन्द्रों में 2 फरवरी, 2011 से लाइव वर्चुअल कक्षाओं के अग्रणी बैच का आयोजन विशेषज्ञों के व्याख्यानों के साथ किया गया था । देश के विभिन्न भागों के छात्रों ने प्रादेशिक कनेक्टिविटी और वीसेट के माध्यम से दोनों तरफ के श्रव्य-दृश्य परस्पर क्रियाशील सत्रों के माध्यम से विशेषज्ञ संकाय के साथ परस्पर क्रियाएं कीं और व्याख्यानों को सुना ।

10.31 छात्रों के आंकड़े

2003-2004 से 2010-2011 तक के पिछले आठ वर्षों और 1 अप्रैल, 2011 से 30 जून, 2011 के दौरान रजिस्ट्रीकृत छात्रों के संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	फाइनल (पुराना और नया)	सीपीटी	पीसीसी	आईपीसीसी	एटीसी (अनन्य रूप से रजिस्ट्रीकृत)
2003-2004	11,390	-	-	-	-
2004-2005	11,061	-	-	-	-
2005-2006	13,010	-	-	-	-
2006-2007	11,838	1,29,110 (13/9/2006 के आगे से)	24,041 (13/9/2006 के आगे से)	-	-
2007-2008	19,558	1,42,612	61,186	-	-
2008-2009	11,562	1,39,140	33,764	18,318 (10/12/2006 के आगे)	8 (10/12/2006 के आगे)

				से)	से)
2009-2010	24,109	1,63,397	1,204 (1/7/2009 से रजिस्ट्रीकरण सेक दिया गया)	81,833	4
2010-2011	38,084	1,57,403	-	79,523	9
1 अप्रैल, 2011 से 30 जून, 2011	3,479	28,575	-	1,403	1
योग	1,44,091	7,60,237	1,20,195	1,81,077	22

11. प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं

आईसीएआई की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं अर्थात् पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद् जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं।

प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 126 है। इस समय, संस्थान के विदेश स्थित 12 चैप्टर विद्यमान हैं और देश भर में 27 संदर्भ पुस्तकालय हैं।

11.1 शाखाओं के लिए भवन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रादेशिक परिषदों की अनेक शाखाएं अपने निजी परिसर बनाने में रुचि दिखाती रही हैं। कुल मिलाकर 74 शाखाओं के अपने भवन हैं।

11.2 चल शील्ड

आईसीएआई सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् को हर वर्ष चल शील्ड प्रदान करता है। पुरस्कार सम्पूर्ण कार्यों को देखकर दिया जाता है। इसी प्रकार हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ शाखा को एक पृथक चल शील्ड प्रदान की जाती है। पुरस्कार स्थापित सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है। अखिल भारतीय आधार पर सर्वश्रेष्ठ सीए छात्र संघ को और प्रादेशिक आधार पर छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा को चल शील्ड प्रदान करने की योजना वर्ष 1999 से चलाई गई है। वर्ष 2010 के लिए ये शील्डें 11 फरवरी, 2011 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी :-

- सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद्

पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद् को संयुक्त रूप से।
- प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा
 - लघु आकार शाखा प्रवर्ग

मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की भिलाई शाखा और मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की बीकानेर शाखा
 - मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग

एसआईआरसी की सलेम शाखा
 - बड़ी शाखा प्रवर्ग

एसआईआरसी की एर्नाकुलम शाखा और सीआईआरसी की इंदौर शाखा
- छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा :
 - पश्चिमी क्षेत्र

डब्ल्यूआईसीएएसए की बड़ौदा शाखा और नागपुर शाखा
 - दक्षिण क्षेत्र

एसआईसीएएसए की एर्नाकुलम शाखा और कोयम्बटूर शाखा

31 मार्च, 2011 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा जो परिषद् द्वारा अनुमोदित है, संलग्न है।

13. अनुशंसा

परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 2006 के अधीन गठित संस्थान के बोर्डों/समितियों में सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे और उस रूप में कार्य किया था और वह उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जो व्यवसाय के सदस्य नहीं हैं लेकिन जिन्होंने परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में वर्ष 2010-2011 के दौरान परिषद् की सहायता की।

परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2010-2011 में केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

परिषद् महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, भारत की राष्ट्रपति; महामहिम सीए रमेश्वर ठाकुर, मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल; महामहिम श्री देवानंद कुंवर, बिहार के राज्यपाल; महामहिम श्री मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, उड़ीसा के राज्यपाल; महामहिम श्री बी.एल. जोशी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल; श्री सलमान खुशीद, तत्कालीन कारपोरेट कार्य मंत्री; उनके उत्तरवर्ती श्री मुरली देवड़ा तथा वर्तमान मंत्री श्री वीरप्पा मोइली; श्री आर.पी.एन.सिंह, कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री; श्री प्रणव मुखर्जी, वित्त मंत्री; श्री एस. एम. कृष्णा, विदेश मंत्री; श्री कपिल सिब्बल, मानव संसाधन विकास मंत्री; श्री विलास राव देशमुख, तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री; प्रो० के.वी. थॉमस, तत्कालीन कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और लोक वितरण राज्य मंत्री; डॉ० एम.एम. पालम राजू, रक्षा राज्य मंत्री; सीए के. रहमान खान, उपसभापति, राज्य सभा; श्री नरेन्द्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री; श्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री; श्री छगन भुजबल, महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री; श्री विनोद राय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक; डॉ० एस.वाई. कुरेशी, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री आर. बंधोपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, उनके उत्तरवर्ती श्री डी. के. मित्तल और वर्तमान सचिव श्री नवेद मसूद; श्री अजित कुमार सेठ, मंत्रिमंडल सचिव; श्री अशोक चावला, तत्कालीन वित्त सचिव; श्री राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य मंत्रालय; श्री पी.सी. चतुर्वेदी, तत्कालीन सचिव, श्रम मंत्रालय; श्री आर. रामचंद्रन, तत्कालीन सचिव, शहरी विकास मंत्रालय; श्री शशिकांत शर्मा, तत्कालीन सचिव, वित्तीय सेवा विभाग तथा उनके उत्तरवर्ती श्री आर. गोपालन; सुश्री विभा पुरी दास, सचिव, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय; श्री पी.जे. थॉमस, तत्कालीन सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; श्री एस.एस.एन मूर्ति, तत्कालीन अध्यक्ष, सीबीडीटी, उनके उत्तरवर्ती श्री सुधीर चंद्रा; श्री एस. दत्त मजूमदार, अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड; डा० पार्थसारथी सोम, वित्त मंत्री के पूर्व सलाहकार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का, जिन्होंने आईसीएआई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, दिल से आभार व्यक्त करती है। परिषद् राज्य स्तर पर विभिन्न कृत्यकारियों की भी, जिन्होंने जिन्होंने आईसीएआई के विभिन्न अंगों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, सराहना करती है।

परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक गतिविधियों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रुचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारी वर्ष 2010-2011 के दौरान अपने निष्ठापूर्ण और अनथक प्रयासों के लिए परिषद् द्वारा प्रशंसनीय है।

सदस्य

(1 अप्रैल, 2001 से)

सारणी - 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1 अप्रैल, 2001	सहयुक्त	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	अध्येता	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	योग	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1 अप्रैल,	सहयुक्त	20771	13456	5872	5493	9074	54666

2002	अध्येता	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	योग	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1 अप्रैल, 2003	सहयुक्त	23194	14446	6374	6318	10287	60619
	अध्येता	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	योग	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1 अप्रैल, 2004	सहयुक्त	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	अध्येता	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	योग	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1 अप्रैल, 2005	सहयुक्त	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	अध्येता	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	योग	42185	28693	12931	15759	23978	123546
1 अप्रैल, 2006	सहयुक्त	28528	16,700	7172	8480	12898	73778
	अध्येता	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	योग	44913	30058	13485	17019	25471	130946
1 अप्रैल, 2007	सहयुक्त	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	अध्येता	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	योग	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 अप्रैल, 2008	सहयुक्त	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	अध्येता	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	योग	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1 अप्रैल, 2009	सहयुक्त	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	अध्येता	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	योग	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1 अप्रैल, 2010	सहयुक्त	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	अध्येता	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	योग	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1 अप्रैल, 2011	सहयुक्त	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	अध्येता	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	योग	58439	38610	16560	23511	33490	170610

सदस्य

(1 अप्रैल, 1950 से)

सारणी 2

	सहयुक्त	अध्येता	योग
1 अप्रैल, 1950 को	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951 को	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961 को	4,059	1,590	5,649

1 अप्रैल, 1971 को	7,901	3,326	11,227
1 अप्रैल, 1981 को	16,796	8,642	25,438
1 अप्रैल, 1991 को	36,862	22,136	58,998
1 अप्रैल, 2001 को	51,603	44,789	96,392
1 अप्रैल, 2002 को	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003 को	60,619	49,637	1,10,256
1 अप्रैल, 2004 को	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005 को	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006 को	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007 को	81,049	58,792	1,39,841
1 अप्रैल, 2008 को	84,193	61,288	1,45,481
1 अप्रैल, 2009 को	89,682	63,918	1,53,600
1 अप्रैल, 2010 को	94,991	66,525	1,61,516
1 अप्रैल, 2011 को	1,01,636	68,974	1,70,610

छात्र रजिस्ट्रीकरण प्रगति चार्ट

(31 मार्च, 1998 से)

पाठ्यक्रम वर्ष के दौरान	फाउंडेशन /पीई (पाठ्यक्रम-I)	इंटरमीडिएट /पीई (पाठ्यक्रम-II)	फाइनल	सीपीटी	पीसीसी	आईपीसीसी	एटीसी	योग
1997-98	37,052	24,652	9,394	-	-	-	-	71,098
1998-99	43,809	28,253	12,227	-	-	-	-	84,289
1999-2000	44,180	27,508	10,787	-	-	-	-	82,475
2000-01	35,999	23,405	9,026	-	-	-	-	68,430
2001-02	34,215*	29,403**	11,524	-	-	-	-	75,142
2002-03	35,524	33,283	11,102	-	-	-	-	79,909
2003-04	38,188	34,232	11,390	-	-	-	-	83,810
2004-05	39,000	34,190	11,061	-	-	-	-	84,251
2005-06	38,901	39,467	13,010	-	-	-	-	91,378
2006-07	45,617	32,339	11,838	1,29,110***	24,041** *	-	-	2,42,945
2007-08	-	-	19,558	1,42,612	61,186	-	-	2,23,356

2008-09	-	-	11,562	1,39,140	33,764	18,318****	8****	2,02,792
2009-10			24,109	1,63,397	1,204	81,833	4	2,70,547
2010-11	-	-	38,084	1,57,403	-	79,523	9	2,75,019

* इसमें 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-I) में रजिस्ट्रीकृत छात्र सम्मिलित हैं : 5006

** इसमें 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-II) में रजिस्ट्रीकृत छात्र सम्मिलित हैं : 11848

*** 13 सितम्बर, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक

**** 10 दिसम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक

परिषद् की संरचना (2011-12)

		परिषद् (2011-12) के सदस्य
अध्यक्ष	निर्वाचित सदस्य	
	सीए जी. रामास्वामी	सीए अभिजीत बंधोपाध्याय कोलकाता
		सीए अमरजीत चोपड़ा नई दिल्ली
उपाध्यक्ष	सीए अनुज गोयल	गाजियाबाद
	सीए अतुल चुन्नीलाल भेड़ा	मुम्बई
	सीए जयदीप एन. शाह	सीए भावना दोशी मुम्बई
अवधि	सीए चरणजोत सिंह नन्दा	नई दिल्ली
	सीए देवराजा रेड्डी एम.	हैदराबाद
	सीए दीनल अश्विनभाई शाह	अहमदाबाद
12 फरवरी, 2011 से आगे	सीए जी रामास्वामी	कोयम्बटूर
	सीए जे. वेंकटेश्वरलू	हैदराबाद
	सीए जयंत गोखले	मुम्बई
सचिव	सीए जयदीप नरेन्द्र शाह	नागपुर
	सीए के रघु	बंगलौर
	सीए मधुकर नारायण हीरगंगे	बंगलौर
श्री टी. कार्तिकेयन	सीए महेश पी. शारदा	जामनगर
	सीए मनोज फड़नीस	इन्दौर
	सीए नवीन एन.डी. गुप्ता	नई दिल्ली
	सीए निलेश शिवजी विक्रमसे	मुम्बई
	सीए पंकज इन्द्रचंद जैन	मुम्बई
	सीए पंकज त्यागी	नई दिल्ली
	सीए राजेन्द्र कुमार पी.	चैन्नई

	सीए राजकुमार एस. अदुकिया	मुम्बई
	सीए रविन्द्र होलानी	ग्वालियर
	सीए एस संधानाकृष्णन्	चैन्नई
	सीए संजय कुमार अग्रवाल	नई दिल्ली
	सीए संजीव महेश्वरी	मुम्बई
	सीए शिवाजी भीकाजी जावरे	पुणे
लेखा परीक्षक	सीए सुबोध कुमार अग्रवाल	कोलकाता
सीए. अशोक कुमार जैन	सीए सुमन्त्रा गुहा	कोलकाता
सीए. पुष्पेन्द्र सुराना	सीए वी.मुरली	चैन्नई
	सीए विजय कुमार गर्ग	जयपुर
	सीए विनोद जैन	नई दिल्ली
	नामनिर्दिष्ट सदस्य	
	श्री अनिल के. अग्रवाल	नई दिल्ली
	श्री आशुताष दीक्षित	नई दिल्ली
	श्री दीपक नारायण	नई दिल्ली
	श्री के.पी. शशिधरन (30 सितंबर, 2010 तक)	नई दिल्ली
	श्री पृथ्वी हल्दिया	नई दिल्ली
आंतरिक लेखा परीक्षक	श्रीमती रेणुका कुमार (31 अगस्त, 2010 तक)	नई दिल्ली
भसीन धवन एंड कंपनी	श्री सिद्धार्थ कुमार बिड़ला	नई दिल्ली
राजेन्द्र कुमार सिंघला एंड एसोसिएट्स	डा. टी.वी. सोमनाथन (1 सितम्बर, 2010 से)	नई दिल्ली
	श्रीमती उषा नारायण	मुंबई
	श्रीमती उषा शंकर (1 अक्टूबर, 2010 से)	नई दिल्ली

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

नई दिल्ली

1.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा

संपरीक्षक की परिषद् को रिपोर्ट

1. हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के 31 मार्च, 2011 को यथा विद्यमान संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण की संपरीक्षा की है। इसमें अन्य संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केन्द्रों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के लेखाओं को सम्मिलित किया गया है एवं हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय उनकी रिपोर्टों पर सम्यक्तः विचार किया गया है। ये वित्तीय विवरण, संस्थान के प्रबंध मंडल का दायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी संपरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत संपरीक्षा मानकों के अनुसार संपरीक्षा की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए संपरीक्षा की योजना बनाएं और उसके अनुसार संपरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण किसी तात्त्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं। किसी संपरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की परीक्षण आधारित जांच करना सम्मिलित है। संपरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का निर्धारण और प्रबंध मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों तथा संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमारा यह विश्वास है कि हमारी संपरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

3. हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि :-

(क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

(ख) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुसार हैं ;

(ग) हमारी राय में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की अपेक्षाओं के अनुपालन में समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं ;

(घ) हमारी राय में तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण सुसंगत लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं ;

(ङ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये लेखा लेखाकरण नीतियों के साथ पठित संलग्न अनुसूचियां और साथ ही लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुपालन में, निम्नलिखित के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं :

(i) तुलन पत्र की दशा में, 31 मार्च, 2011 को संस्थान के मामलों की स्थिति ;

(ii) आय और व्यय लेखा की दशा में, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष ; और

(iii) नकद प्रवाह विवरण की दशा में, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण।

ह/-

सीए पुष्पेन्द्र सुराना

चार्टर्ड एकाउंटेंट

सदस्यता सं.-504087

ह/-

सीए अशोक कुमार जैन

चार्टर्ड एकाउंटेंट

सदस्यता सं.-080008

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 12-09-2011

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2011 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

	अनुसूची	31.3.2011 को रकम	(लाख रु. में) 31.3.2010 को रकम
निधियों के स्रोत :			
आस्थितियाँ और अधिशेष	I	52778.78	35602.89
उद्दिष्ट निधियाँ	II	11544.63	11369.16
योग		64323.41	46972.05
निधियों का उपयोगन :			
नियत आस्तियाँ :			
सकल ब्लॉक	III	32159.76	21162.34
घटाएँ : अवक्षयण और परिशोधन		8042.19	6550.88
शुद्ध ब्लॉक		24117.57	14611.46
चालू पूँजी संकर्म (पूँजी अग्रिमों सहित)		6190.93	8698.73
निवेश :			
उद्दिष्ट निधि निवेश	IV	11544.63	11369.16
कर्मचारी फायदाप्रद निवेश		3141.63	2283.48
अन्य निवेश		28318.23	16979.60
योग		43004.49	30632.24
चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम :			
वस्तु-सूचियाँ	V	655.18	701.72
नकद और बैंक अधिशेष	VI	5777.85	6149.25
ऋण और अग्रिम	VII	2679.37	2147.08
निवेशों पर प्रोदभूत व्याज		2604.78	2463.36
सकल योग		11717.18	11461.41
घटाएँ : चालू दायित्व और प्रावधान			
चालू दायित्व	VIII	16928.50	16252.24
कर्मचारियों के फायदों के लिए प्रावधान		3778.26	2179.55
सकल योग		20706.76	18431.79
शुद्ध चालू आस्तियाँ (दायित्व)		(8989.58)	(6970.38)
योग		64323.41	46972.05
संवत्सपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण			
लेखाओं का माग बनने वाले टिप्पण	XII		
ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।	XIII		

ह/-
सीए महेश कुमार शारदा
अपर निदेशक

ह/-
श्री टी. कार्तिकेयन
सचिव

ह/-
सीए जयदीप एन. शाह
उपाध्यक्ष

ह/-
सीए जी. रामास्वामी
अध्यक्ष

हमारी संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
सीए पुष्पेन्द्र सुराना
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-504087

ह/-
सीए अशोक कुमार जैन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-080008

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 12-09-2011

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
आय और व्यय लेखा
31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

अनुसूची	रकम 31.3.2011 को समाप्त वर्ष	रकम (लाख रु. में) 31.3.2010 को समाप्त वर्ष
आय :		
फीस IX	36070.46	31643.56
संगोष्ठियां	4241.80	3821.95
अन्य आय X	3902.01	2579.91
योग	44214.27	38045.42
व्यय :		
वेतन और भत्ते	5944.87	6258.59
मुद्रण और लेखन सामग्री	4918.10	4332.60
संगोष्ठियां	3420.24	3382.87
अन्य प्रचालन व्यय XI	12097.37	10515.01
अवकाश और परिशोधन	1518.04	1322.61
योग	27899.12	25811.67
शुद्ध आधिक्य	16315.15	12233.75
निधियों/आरक्षितियों को विनियोग :		
शिक्षा निधि [पॉलिसी सं.3 (ग)] XII	4635.39	4077.76
कर्मचारी कल्याण निधि [पॉलिसी सं.3(घ)] XII	23.90	22.86
साधारण आरक्षित	11655.86	8133.13
योग	16315.15	12233.75
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण XII		
लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण XIII		
ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं।		

ह/-
सीए महेश कुमार शारदा
अपर निदेशक

ह/-
श्री टी. कार्तिकेयन
सचिव

ह/-
सीए जयदीप एन. शाह
उपाध्यक्ष

ह/-
सीए जी. रामास्वामी
अध्यक्ष

हमारी संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
सीए पुष्पेन्द्र सुराना
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-504087

ह/-
सीए अशोक कुमार जैन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-080008

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 12-09-2011

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
नकद प्रवाह विवरण
31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

	(रकम लाख रुपए में)	
	2010-2011	2009-2010
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शुद्ध अधिशेष	16315.15	12233.75
नियत के लिए सभायोजन :		
अवशयण और परिशोधन	1518.04	1322.61
निवेशों पर व्यय	(1904.06)	(1203.80)
	(386.02)	118.81
कार्य पूरा के परिवर्तन के पूर्व प्रचालन अधिशेष	15929.13	12352.56
वस्तु सूची में (वृद्धि)/कमी	46.54	(21.88)
ऋण और अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(532.29)	360.08
कार्य कारित्वों में वृद्धि/(कमी)	676.26	6150.06
कर्मचारी कायदों संबंधी उपबंध में वृद्धि/(कमी)	1598.71	(93.38)
	1789.22	6394.88
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद	17718.35	18747.44
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
भारू पूंजी संकर्म सहित नियत आस्तियों का अर्जन (शुद्ध)	(5516.35)	(9836.84)
निवेशों का अर्जन (शुद्ध)	(12372.25)	(8982.40)
निवेशों पर व्यय	2305.09	1513.53
पूजी प्राप्ति	57.70	241.77
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद	(18495.81)	(17063.94)
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
नए सदस्यों के लिए प्रवेश शुल्क	109.64	117.14
सदस्यों से अभिदाय	296.42	276.14
	406.06	393.28
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी	(371.40)	2076.78
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	6149.25	4072.47
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य - अनुसूची सं. VI का संदर्भ ले	5777.85	6149.25

टिप्पण :

- उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण को आईसीएआई द्वारा जारी एस-3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।
- संलग्न अनुसूची I से XIII नकद प्रवाह विवरण का अभिन्न भाग है।

ह/-
सीए नरेश कुमार शारदा
अध्यक्ष

ह/-
श्री टी. कार्तिकेयन
सचिव

ह/-
सीए जयदीप एन. शाह
उपाध्यक्ष

ह/-
सीए जी. रामास्वामी
अध्यक्ष

हस्ताक्षर संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
सीए धनंजय सुराना
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-504087

ह/-
सीए अशोक कुमार जैन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-080008

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 12-09-2011

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची I
आरक्षितियां और अधिशेष

	शिक्षा		अवसंरचना		साधारण		अन्य *		योग	
	निम्नलिखित तारीख को रकम	31.03.2010	निम्नलिखित तारीख को रकम	31.03.2011	निम्नलिखित तारीख को रकम	31.03.2010	निम्नलिखित तारीख को रकम	31.03.2011	निम्नलिखित तारीख को रकम	31.03.2010
प्रारंभिक अधिशेष	10,772.05	8,064.49	2,645.75	2,161.11	21,789.75	14,416.91	395.34	254.09	35,602.89	24,896.60
आय और व्यय लेखा से विनियोग	-	-	-	-	11,655.86	8,133.13	-	-	11,655.86	8,133.13
साधारण आरक्षितियां, अवसंरचना आरक्षितियां और अन्य आरक्षितियां से/(को) अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	5,498.71	2,707.56	2.28	50.00	(65.79)	(108.03)	63.51	58.03	0	-
दाखिला फीस और आर्बिट्र प्रवेश फीस	-	-	109.64	117.14	(348.52)	(507.86)	(0.39)	27.02	5,149.98	2,226.72
भवनों के लिए प्राप्त संवदन शुद्ध (कमी)/परिवृद्धियां	-	-	296.42	276.14	-	-	-	-	109.64	117.14
योग	16,270.76	10,772.05	3,057.11	2,645.75	32,959.76	21,789.75	491.15	395.34	52,778.78	35,602.89

*टिप्पण : अन्य आरक्षितियां ऐसी आरक्षितियां हैं जैसे कि पुस्तकालय आरक्षितियां और शिक्षण कक्ष आरक्षितियां, जैसी कि वे प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं की बहियों में विद्यमान हैं।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची II उद्दिष्ट निधियां

लाख रुपए में

	प्रारंभिक अभियोग		आय और व्यय लेखा से		आवृत्तियों और अभियोग से (को)		वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान/परिवृद्धि		वर्ष के दौरान आय		वर्ष के दौरान संवय		योग	
	निम्नलिखित तारीख को रकम	01.04.2009	निम्नलिखित तारीख को	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	31.03.2011	31.03.2010
अनुसंधान निधियां	1,233.73	1,140.44	-	-	-	-	-	98.39	93.29	-	-	-	1,332.12	1,233.73
लेखांकन अनुसंधान भवन निधि	427.85	394.77	-	-	-	-	-	34.68	32.88	-	-	-	462.33	427.85
शिक्षा निधि	8,027.13	6,145.05	4,077.76	4,835.39	(5,498.71)	(2,707.56)	-	651.00	511.88	-	-	-	7,814.81	8,027.13
बैठक और पुस्तकालय निधि	156.24	151.10	-	-	-	-	0.10	9.23	9.05	(4.55)	(4.01)	-	160.92	156.24
छात्रों की छात्रवृत्ति निधि	78.71	73.28	-	-	-	-	5.01	6.38	6.10	(1.75)	(2.12)	-	98.35	78.71
कर्मचारी कल्याण निधि	187.56	153.12	22.86	23.90	-	-	-	15.21	12.76	(0.63)	(1.18)	-	228.04	187.56
अन्य निधियां (प्रादेशिक पारिषद और शालाएँ)	1,258.14	1,095.22	-	-	348.73	480.84	118.68	64.28	46.38	(329.78)	(651.36)	-	1,460.06	1,258.14
योग	11,369.16	9,152.98	4,100.62	4,659.29	(5,149.98)	(2,226.72)	123.70	879.17	712.34	(336.71)	(658.67)	-	11,544.63	11,369.16

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची III
नियत आस्तियां

लाख रुपए में

आस्तियां	सकल ब्लॉक			अवशेष और परिशिष्टन			शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.2010 को लागू	वर्ष के दौरान परिशिष्टियां	समावोजन/ अंतरण/ विक्रय	31.3.2011 को लागू	वर्ष के लिए	समावोजन/ अंतरण/ विक्रय	31.3.2011 को शुद्ध ब्लॉक	31.3.2010 को शुद्ध ब्लॉक
क. मुद आस्तियां								
1. भूमि - पूर्ण स्वामित्व	2,767.86	4,347.92	-	7,115.78	-	-	7,115.78	2,767.86
2. भूमि - पट्टावत स्वामित्व	3,259.75	-	(33.75)	3,226.00	219.26	(1.23)	2,987.68	3,040.49
3. मकान	5,119.07	5,688.14	(4.40)	10,802.78	953.17	(4.40)	9,586.16	4,165.90
4. विद्युतीय संस्थापन और फिटिंग	1,043.95	62.89	(9.94)	1,097.00	236.92	(0.66)	445.22	807.03
5. कंप्यूटर	3,242.73	232.11	(13.68)	3,461.16	2,585.14	(5.65)	3,028.28	657.59
6. वातावरण	757.71	82.66	(2.03)	838.34	319.86	(0.32)	392.71	437.85
7. फर्नीचर और फिक्सचर्स	2,024.91	360.77	(8.33)	2,377.35	578.64	(5.67)	742.59	1,446.27
8. लिफ्टें	235.27	9.82	-	245.09	68.36	-	85.46	166.91
9. कार्यालय उपकरण	1,491.83	237.26	(26.04)	1,703.05	452.98	(4.72)	636.56	1,038.85
10. वाहन	67.17	18.45	(0.30)	85.32	39.33	(0.15)	45.47	27.84
11. पुस्तकालय पुस्तकें	567.72	53.42	-	621.14	567.72	(3.93)	621.14	-
ख. अमूर्त आस्तियां								
सामग्री	584.37	2.38	-	586.75	529.50	-	569.82	54.87
योग	21,162.34	11,095.89	(98.47)	32,159.76	1,518.04	(26.73)	24,117.57	14,611.46
पूर्व वर्ष के आंकड़े	15,747.23	5,560.53	(145.42)	21,162.34	1,322.61	(47.01)	14,611.46	10,471.95

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची IV

निवेश

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31-03-2011 को	31-03-2010 को
क. दीर्घकालीन निवेश (लागत पर)			
बंधपत्र			
(i) भारत सरकार - 8% (कराधेय) बॉण्ड - 2003		2350.00	3650.00
अन्य			
(ii) अनुसूचित बैंकों में सावधि निक्षेप		6700.00	5400.00
ख. अन्य निवेश			
अनुसूचित बैंकों में लघु अवधि निक्षेप (जिनकी अवधि एक वर्ष तक है)		33954.49	21582.24
	कुल निवेश	43004.49	30632.24
निम्नलिखित को आबंटित :			
उद्दिष्ट निधि निवेश		11544.63	11369.16
कर्मचारी कल्याण निवेश		3141.63	2283.48
अन्य निवेश		28318.23	16979.60
	योग	43004.49	30632.24

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान**अनुसूची V****वस्तु सूचियां**

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31.03.2011 को	31.03.2010 को
प्रकाशन और अध्ययन सामग्री		610.19	645.04
उपभोज्य भंडार		44.99	56.68
	योग	<u>655.18</u>	<u>701.72</u>

अनुसूची VI**नकद और बैंक अतिशेष**

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31.03.2011 को	31.03.2010 को
हाथ में नकदी		14.40	13.13
बैंक में नकदी		5763.45	6136.12
	योग	<u>5777.85</u>	<u>6149.25</u>

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान**अनुसूची VII****ऋण और अग्रिम (जिन्हें सुरक्षित माना गया है)**

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31.03.2011 को	31.03.2010 को
ऋण और अग्रिम - कर्मचारिवृंद		232.67	263.15
कर्मचारिवृंद ऋण से वसूलनीय ब्याज		104.64	116.83
प्रतिभूति जमा		142.51	110.26
प्राप्य लेखे		1400.86	1133.22
अन्य - अग्रिम और पूर्व भुगतान		798.69	523.62
	योग	2679.37	2147.08

अनुसूची VIII**चालू दायित्व**

लाख रुपए में

		रकम		रकम
		31.03.2011 को		31.03.2010 को
अग्रिम में प्राप्त फीसें				
परीक्षा फीसें	2269.18		2044.98	
पत्रिका अभिदाय	20.26		29.24	
सदस्यता फीस	466.23		669.49	
शिक्षा फीस	7648.02		6338.36	
अर्हतापश्च पाठ्यक्रम (पीक्यूसी)	115.20		114.50	
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	5.75		11.75	
संगोष्ठी फीसें और अन्य संग्रहण	845.40	11370.04	956.18	10164.50
खर्चों के लिए क्रेडिटर्स		4609.84		5,097.37
अन्य दायित्व		948.62		990.37
योग		16928.50		16252.24

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची IX

लाख रुपए में

फीस	रकम	रकम
	31/3/2011 को समाप्त वर्ष	31/3/2010 को समाप्त वर्ष
शिक्षा	22497.08	20933.31
परीक्षा	8659.06	6269.88
सदस्यता	3272.40	3126.23
छात्र पंजीकरण	388.88	181.23
प्रवेश	34.22	34.59
छात्र संघ	238.89	126.74
अर्हतापश्च पाठ्यक्रम (पीक्यूसी)	221.50	219.24
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	758.43	752.34
योग	36070.46	31643.56

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची X

अन्य आय

लाख रुपए में

	रकम	रकम
	31/3/2011 को समाप्त वर्ष	31/3/2010 को समाप्त वर्ष
प्रकाशन	1014.32	750.99
निवेशों पर ब्याज	1904.06	1,203.80
छात्र-न्यूजलेटर	2.11	1.59
पत्रिका-अभिदाय	149.72	143.43
न्यूजलेटर्स (प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं)	66.99	51.20
कैम्पस साक्षात्कार (प्रत्यक्ष व्ययों का शुद्ध)	518.25	160.82
विशेषज्ञ सलाहकार फीस	3.25	11.99
कर्मचारिवृंद ऋण पर ब्याज	18.66	15.75
अन्य	224.65	240.34
योग	3902.01	2579.91

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान**अनुसूची XI****अन्य प्रचालन व्यय**

लाख रुपए में

	रकम	रकम
	31/3/2011 को समाप्त वर्ष	31/3/2010 को समाप्त वर्ष
डाक, टेलीफोन और तार	1548.60	1,221.43
किराया, दर और कर	1183.15	864.25
यात्रा और वाहन - अंतर्देशीय	1181.88	1,069.43
<u>विदेशी संबंध</u>		
- यात्रा	213.53	129.19
- विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस	61.28	60.14
- अन्य व्यय	38.77	23.66
मरम्मत और अनुस्क्षण	914.17	651.96
प्रकाशन	520.96	342.48
परीक्षकों, परामर्शियों और अन्यो को फीस और व्यय	3823.24	3169.80
कक्षा प्रशिक्षण व्यय	1797.20	1792.96
विज्ञापन और प्रचार	254.18	275.66
कार्यालय बैठक व्यय	42.31	76.91
योग्यता छात्रवृत्ति	46.99	37.98
<u>संपरीक्षा फीस</u>		
- प्रधान कार्यालय	4.14	4.14
- अन्य कार्यालय	14.80	11.76
अन्य व्यय	452.67	783.26
योग	12097.87	10515.01

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XII

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विवरण

I. लेखांकन प्रथा

ये लेखा ऐतिहासिक लागत आधार पर बनाए गए हैं और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा जब तक अन्यथा कथित न हो प्रोद्भवन आधार पर हैं।

II. राजस्व मान्यता

क. सदस्यता फीस :-

- (i) प्रवेश फीस, किसी व्यक्ति के सदस्य के रूप में प्रवेश के समय प्राप्त की जाती है और उसके एक तिहाई को आय के रूप में उस वर्ष मान्यता दी गई है।
- (ii) वार्षिक सदस्यता तथा व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस को, जब वे देय हो जाएं, उसी वर्ष में मान्यता दी जाती है।

ख. दूरस्थ-शिक्षा और अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम फीस को पाठ्यक्रम की अवधि में मान्यता दी जाती है।

ग. परीक्षा फीस को परीक्षा संचालन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

घ. जर्नल के लिए अभिदाय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है, जब वह देय हो जाए।

ङ. प्रकाशन के विक्रय से राजस्व को, विक्रय बिल तैयार किए जाने के समय मान्यता दी जाती है, अर्थात् जब संपत्ति माल के रूप में और साथ ही महत्वपूर्ण जोखिम और संपत्ति के फायदे क्रेता को अंतरित होते हैं।

च. ब्याज धारित प्रतिभूतियों और सावधि जमा में ब्याज से आय को समय अनुपात आधार पर बकाया रकम और लागू दर को ध्यान में रखते हुए मान्यता दी जाती है।

III. आरक्षितियों और अधिशेष तथा उद्दिष्ट निधियों को आबंटन /अंतरण

क. अध्येता सदस्यों से दाखिला फीस और सदस्यों के रूप में प्रविष्ट व्यक्तियों से प्रवेश शुल्क का 2/3 भाग अवसंरचना आरक्षिती में ले जाया जाता है।

ख. भवनों और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त संदान सीधे अपने-अपने आरक्षिती लेखा में संगणित किए जाते हैं।

ग. दूरस्थ-शिक्षा फीस का 25%, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50% से अधिक न हो, शिक्षा निधि में अंतरित किया जाता है।

घ. वर्ष के दौरान सदस्यों से प्राप्त सदस्यता फीस का 0.75% (वार्षिक तथा व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस) कर्मचारी कल्याणकारी निधि को आबंटित किया जाता है।

ङ. निम्नलिखित उद्दिष्ट निधियों से शिक्षा आरक्षिती को अंतरण :-

- i. लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से लेखांकन अनुसंधान भवन से संबंधित भवन में परिवर्धन की लागत (शुद्ध कटौतियों) का 100%
- ii. शिक्षा निधि से अन्य नियत आस्तियों की परिवृद्धि (कटौतियों के शुद्ध) का 50%।
- च. उद्दिष्ट निधियों के निवेशों से आय, भारित औसत पद्धति के आधार पर उद्दिष्ट निधियों को संबंधित उद्दिष्ट निधियों के आरंभिक अतिशेष पर आबंटित की जाती है।

IV. स्थिर आस्तियां/अवक्षयण और परिशोधन

- क. भूमि को छोड़कर नियत आस्तियां, अवक्षयण घटाकर ऐतिहासिक लागत पर वर्णित की जाती हैं।
- ख. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि लागत पर वर्णित की जाती है। पट्टाधृत भूमि, पट्टा अधिकार अर्जित करने के लिए संदत्त प्रीमियम की रकम पर कथित होती है। इस प्रकार संदत्त प्रीमियम का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया जाता है।
- ग. अवक्षयण, संबंधित आस्तियों के उपयोगी समय के आधार पर परिषद द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों से अवलिखित मूल्य पर प्रदान किया जाता है :-
- | | |
|---|-----|
| भवन | 5% |
| वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर | 15% |
| लिफ्ट, विद्युतीय संस्थापन, फर्नीचर और फिक्सचर | 10% |
| वाहन | 20% |
| कंप्यूटर | 60% |
- घ. अभिवृद्धियों पर अवक्षयण मासिक यथानुपात आधार पर दिया जाता है।
- ङ. पुस्तकालय पुस्तकों पर क्रय वर्ष में अवक्षयण 100% की दर पर होता है।
- च. अमूर्त आस्तियां (साफ्टवेयर) तीन वर्षों में समान रूप से परिशोधित की जाती हैं।

V. निवेश

- क. दीर्घकालिक निवेश, लागत पर अवधारित किए जाते हैं और अस्थाई से भिन्न मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है।
- ख. चालू निवेश लागत या उचित मूल्य के निम्नतर पर वहन होते हैं।

VI. वस्तु-सूचियां

कागज, उपभोज्य सामग्रियों, प्रकाशन और अध्ययन सामग्री की वस्तु-सूचियां लागत या शुद्ध वसूलनीय मूल्य के निम्नतर पर मूल्यांकित होती हैं। लागत का अवधारण फीफो रीति से होता है।

VII. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- क. विदेशी मुद्रा संव्यवहार, संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनमय दर की रकम पर विदेशी मुद्रा उपयोजित करके रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर अभिलिखित किए जाते हैं।

- ख. सभी आय और व्यय औसत दर पर निष्पादित होते हैं। सभी धनीय आस्तियां/दायित्व वर्षांत दरों पर निष्पादित होते हैं जबकि गैर-धनीय आस्तियां संव्यवहार की तारीख वाली दर पर निष्पादित होती हैं।
- ग. विनिमय दर अंतर के कारण किसी आय या व्यय को आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

VIII. कर्मचारियों को फायदे

- क. अल्पकालिक कर्मचारी फायदों को उस वर्ष में प्रभारित किया जाता है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- ख. नियोजन पश्च और दीर्घकालिक कर्मचारी फायदों को उस वर्ष में प्रभारित किया जाता है, जिसमें कर्मचारी ने अपनी सेवा प्रदान की है। प्रभारित रकम को, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवधारित संदेय रकमों के वर्तमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है। बीमांकिक मूल्यांकन प्रक्षेपित यूनिट प्रत्यय पद्धति के अनुसार किया जाता है। नियोजन पश्च और अन्य दीर्घकालिक फायदों के संबंध में बीमांकिक अभिलाभ और हानियों को आय और व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।
- ग. भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति फायदे एक परिभाषित अभिदाय स्कीम है और भविष्य निधि न्यास को किए गए अभिदाय को, उस अवधि के लिए जब संबंधित निधि में अभिदाय शोध्य हो जाता है, आय और व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है।

IX. आस्तियों का हानिकरण

- क. यदि आंतरिक/ बाह्य कारकों के आधार पर किसी हानिकरण का कोई संकेत प्राप्त होता है तो आस्तियों की अग्रणीत रकमों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को पुनर्विलोकित किया जाता है। किसी हानिकरण हानि को वहां मान्यता दी जाती है, जहां किसी आस्ति की अग्रणीत रकम उसकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है। आस्ति की वसूलनीय रकम उसकी शुद्ध विक्रय कीमत और उपयोग में मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का निर्धारण करते समय, प्राक्कलित भावी नकद प्रवाह को पूंजी की भांति लागत पर उसके वर्तमान मूल्य में पट्टा प्रदान किया जाता है।
- ख. हानिकरण के पश्चात्, आस्तियों को, उसके शेष बचे उपयोगी समय के लिए, पुनरीक्षित अग्रणीत रकम पर अवक्षयण प्रदान किया जाता है।

X. प्रावधान

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है जब किसी पूर्व घटना के कारण उद्यम के पास कोई विद्यमान बाध्यता है ; यह संभावना है कि उस बाध्यता के समाधान के लिए संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है। प्रावधानों को, उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं दिया जाता है और उनके संबंध में तुलनपत्र की तारीख को बाध्यताओं के समाधान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम प्राक्कलनों के आधार पर अवधारण किया जाता है। इनको प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को पुनर्विलोकन किया जाता है और वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XIII

लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण

1. आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धता :

	(राशि लाख रुपए में)	
	2010-11	2009-10
i) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के अधीन मांग	642.07	642.07
ii) पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध)	3977.80	3943.50

2. अन्य टिप्पण

2.1 क) संस्थान अधिनियम की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसकी आय आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अधीन छूट के लिए पात्र है। सीआईटी (ए) ने वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए धारा 11 का फायदा मंजूर किया था, जिसे निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान नामंजूर कर दिया था। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों में धारा 11 का फायदा मंजूर किया गया है। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के संबंध में सीआईटी (ए) के आदेश के विरुद्ध आईटीएटी में अपील फाइल की है, जो अभी लंबित है। संदत्त/परिदत्त/समायोजित मांग का प्रतिदाय संस्थान को कर दिया गया है।

ख) आय-कर अधिनियम की धारा 10(23ग) (iv) के अधीन वर्ष 2008-09 के लिए छूट को पुनः मंजूर करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई रिट चायिका अभी लंबित है।

2.2 1 अप्रैल, 2009 से रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक छात्र के लिए 250 रुपए प्रति छात्र की एक राशि को, जो छात्र की सहबद्धता फीस का एक भाग है, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि में जमा किया जा रहा है।

2.3 पट्टाधृत भूमि में 6.17 लाख रुपए सम्मिलित है जो भूमि और विकास प्राधिकरण से आई.पी.स्टेट, दिल्ली में विद्यमान प्रधान कार्यालय के प्लॉट के साथ लगी भूमि से संबंधित है, जिसके लिए करार और पट्टाभिलेख के ज्ञापन के निष्पादन संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

2.4 भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी “कर्मचारियों के फायदे” संबंधी लेखांकन मानक - 15 (पुनरीक्षित) के अधीन अपेक्षित प्रकटन नीचे दिए गए हैं :-

परिभाषित अभिदाय योजना

मान्यताप्राप्त परिभाषित अभिदाय योजना में किया गया अभिदाय अर्थात् भविष्य निधि में कर्मचारी के अभिदाय को वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित कल्याण योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित कर्मचारी उपदान निधि एक परिभाषित फायदा योजना है। बाध्यता के वर्तमान मूल्य को, अंतिम बाध्यता संगणित करने के लिए प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन पर अवधारित किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण और पेंशन की बाध्यता को भी उसी आधार पर मान्यता दी जाती है, जो आधार उपदान के लिए है।

परिभाषित कल्याण योजना की प्रास्थिति

पुनरीक्षित लेखांकन मानक-15 द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार परिभाषित फायदा योजना की स्थिति निम्नानुसार है :

लाख रुपए में

	उपदान (निधि पोषित)		छुट्टी - नकदीकरण (गैर निधि पोषित)		पेंशन (गैर निधि पोषित)	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
परिभाषित फायदा बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान						
वर्ष के आरंभ में परिभाषित फायदा बाध्यता	771.82	742.15	1039.26	936.14	1163.65	1224.76
चालू सेवा लागत	97.63	75.89	157.98	162.23		
ब्याज लागत	60.81	59.89	81.68	75.12	95.91	100.94
बीमांकिक (अभिलाभ/हानि)	720.49	(73.52)	606.06	(82.91)	(27.37)	(159.44)
संदत्त फायदे	(69.36)	(32.48)	(98.36)	(51.31)	(2.11)	(2.60)
वर्ष के अंत में परिभाषित फायदे बाध्यता	1581.39	771.82	1786.62	1039.26	1230.08	1163.65
योजना आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान						
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	875.73	675.35				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	80.89	68.87				
बीमांकिक अभिलाभ/ (हानि)	0.11	1.22				
नियोजक का	-	160.99				

योजना आस्तियों से आय	09.30% वार्षिक	09.30% वार्षिक				
शेष बची औसत कार्यावधि	18.17 वर्ष	17.94 वर्ष	18.17 वर्ष	17.94 वर्ष	18.17 वर्ष	17.94 वर्ष
निवेश के ब्यौरे	100% निवेश एलआईसी में	100% निवेश एलआईसी में	1911.54 *	1119.83 *	1230.08 *	1163.65 *

* निवेश संस्थान द्वारा कए जाते हैं ।

2.5 कैपस साक्षात्कार आय को शुद्ध प्रत्यक्ष रूप से होने वाले व्ययों के रूप में दर्शित किया गया है और सामान्य व्ययों को व्ययों के संबंधित शीर्षों में विकलित किया गया है ।

2.6 प्रकाशन और संगोष्ठियों की गतिविधियों के केवल प्रत्यक्ष रूप से लक्षणीय व्ययों को क्रमशः इन व्यय शीर्षों पर प्रभारित किया गया है और इन गतिविधियों पर अप्रत्यक्ष व्यय, व्यय के कृत्यकारी शीर्षों पर प्रभारित किए गए हैं ।

2.7 पूर्व अवधि आय में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

	लाख रुपयों में	
	2010-11	2009-10
संगोष्ठी आय	—	22.78
अन्य	9.52	30.89
योग	9.52	53.67
पूर्व अवधि खर्चों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-		
मुद्रण और लेखन सामग्री	—	0.82
परीक्षा व्यय	0.07	7.04
मरम्मत और अनुस्क्षण	0.20	2.05
यात्रा और वाहन	—	12.06
वेतन और भत्ते	—	0.51
वृत्तिक सेवाएं	—	6.80
किराया, दरें और कर	1.05	—
अन्य	46.49	42.52
योग	47.81	71.80

2.8 संस्थान मुख्यतः भारत में और एक खंड में प्रचालन करता है, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंसी की वृत्ति को बढ़ावा देने ।

2.9 जहां कहीं, पूर्व वर्ष के आंकड़ों की तुलना चालू वर्ष के प्रस्तुतिकरण से करना आवश्यक समझा गया, इन्हें पुनः समूहबद्ध और पुनः वर्गीकृत किया गया है ।

टी. कार्तिकेयन, सचिव

[विज्ञापन III/4/104/11/असा.]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2011

(Chartered Accountants)

No.1-CA(5)/62/2011 – In pursuance of sub-section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Audited Accounts and Report of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India for the year ended 31st March, 2011 is hereby published for general information.

62nd ANNUAL REPORT

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India (hereinafter referred to as the "Council") has immense pleasure in presenting its 62nd Annual Report for the year ended 31st March, 2011.

The Council, at the outset, commends the members and students for the position which the Chartered Accountancy profession occupies and the role it plays today in the growth and development of Indian economy.

While highlighting through this Report, the important activities of the Council and its various Committees for the year 2010-2011, besides the accounts of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for the year 2010-2011, the Council also takes this opportunity to cover in this Report major initiatives, important events, statistical profile relating to members, students, details of seminars, conferences, workshops and training programmes organised during the period upto July, 2011.

The prestige which the Chartered Accountants profession has acquired is on account of discipline, diligence and dedication, which have become the hallmark of the profession. The members of the ICAI have been able to transmit that sense of discipline and diligence to much of the financial transactions of the Indian economy. The profession has made rapid strides in the last few decades and by virtue of that, the ICAI has been able to spearhead the economic growth. The ICAI which had a mere 1,700 members, sixty two years ago, has now on its rolls more than 1,70,000 members and 8,60,000 students. It is not just the numerical strength that is impressive. The Indian Chartered Accountants have succeeded in meeting the rapidly changing demands of the Indian economy in the era of liberalisation and globalisation. This could not have been possible without the ICAI laying special emphasis on continuous education and training of its members and students. This progressive mindset provides a model for other professions. Another feature of the ICAI which is noticeable is that it is perhaps the only Institute in the world which undertakes the complete range of activities relating to its members and students, besides articulating accounting and auditing standards and improving the quality of corporate functioning.

We are living in the age of professionalism. This is the age in which not only the economy but more and more areas of social life also are being managed by professionals. It is the professionals' expertise and skill that lend the cutting edge to the level of technology which

has assumed the greatest importance in the modern societies. The efficiency with which the nation moves is the direct result of the skill and knowledge of its professionals which indeed have become vital in the overall scheme of nation building.

Professional ethics is an integral part of professionalism. The ICAI has developed the ethical standards of its members to the levels comparable with international standards. Indeed the standards of Indian Chartered Accountancy match global standards. The profession provides an atmosphere that attracts the best people and encourages trust, team spirit and personal commitment to excellence, and at the same time, there is no laxity with regard to ethical standards, for the very existence of the society is dependent on them. The principles of integrity and objectivity are as important as competence.

The profession of Chartered Accountants has been paying greater attention to increasing efficiency at all levels in the national economy. The success of a nation depends much more on its ability to build a modern corporate structure, an efficient infrastructure and a motivated and dedicated human capital. The nation requires mobilisation of economic resources by enhancing investors confidence, optimal utilisation of available resources and management of risk associated with growth. It is in this process that the profession of Chartered Accountants acts as the catalyst. The focus obviously should not only be on the corporate sector, but to ensure the success of national schemes for improving the lot of those who are yet to receive the benefit of economic reforms. Much will depend upon the performance of the rural and informal sectors of the economy. As the Government spends vast sums of money every year, the need to introduce transparency and accountability cannot be ignored. Today, the ICAI has been advising the Government in the areas of monitoring the end-use of the public funds and devising ways and means which will improve systems of local institutions.

Today, India has Chartered Accountancy firms, which are world class. The need of the hour is to extend the operations beyond the national boundaries. Indian accounting firms today are offering a wide range of consultancy services as is done by the big global names in the field. In this context, the ICAI has taken an initiative to develop the profession of accountancy in other countries where the profession is in its infancy, particularly in Asia and Africa. Initiatives like these will not only help the profession, but will also earn a lot of goodwill for India in the years to come.

1. THE COUNCIL

The twenty-first Council composed of 32 elected members and 8 members nominated by the Central Government, was constituted on 12th February, 2010 for a period of three years. The composition of the Council for the year 2011-12 has been shown separately.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949, constituted on 12th February, 2011, three standing and various Non-Standing Committees/Boards to deal with matters concerning the profession. The Council also constituted a Board of Discipline and a Disciplinary Committee in pursuance to the provisions of Sections 21A and 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 respectively. Satyam Bench of Disciplinary Committee was also constituted to deal with Satyam related disciplinary cases. Further, a Disciplinary Committee, a Standing Committee, was also constituted under Section 21D of the said Act.

to deal with disciplinary cases falling under the erstwhile disciplinary mechanism. With a view to deal with contemporary issues, certain new Committees were constituted during the year viz. Committee for Cooperatives and NPOs, Ind AS (IFRS) Implementation Committee, Committee for Members in Entrepreneurship & Public Service and Public Interest Advisory Committee. During the year ended 31st March, 2011, 203 meetings were held of various Committees of the Council as compared to 194 meetings held during the year ended 31st March, 2010.

3. AUDITORS

CA. Pushpendra Surana, FCA and CA. Ashok Kumar Jain, FCA were the joint auditors of the ICAI for the financial year 2010-11. The Council wishes to place on record its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEES

4.1 Executive Committee

This Committee is responsible for all regulatory functions, e.g., maintenance of various registers pertaining to students/members/firms, admission, removal and restoration of members, matters relating to members including issue of certificate of practice, matters relating to students including according permission, wherever required, condonation of delay on the part of students/members/firms, matters connected with Branches including setting up of new Branches, opening of new Chapters, Students Associations at the Branch level and overseas offices and those connected with employees etc. The functions of the Committee also include developing infrastructural facilities at all levels all across the country, proposals for amendments in the Chartered Accountants Act, 1949 and the Regulations/Rules made thereunder, and any other matter touching upon the realm of policy of the ICAI.

Some of the important decisions taken/recommendations made by the Committee during the period under Report related to matters on:

- Facilitating a special window on the home page of the website of the ICAI, through designated URL, to members/firms to view the opinions issued by the Expert Advisory Committee or any other publications of the ICAI
- Exemption (partial) from payment of registration fee to the Post Qualification Courses of the ICAI to physically challenged members
- Providing sending of SMS in the procedure followed in the matter of reminder for payment of membership fee
- Procuring office management and documentation software [with ready made templates/check-list related to Accounting Standards, Audit Documentation, CARO, Income Tax Correspondence etc.], Tax Compliance Software, and MCA 21 Compliance Software for circulation to members and firms free of cost to facilitate their capacity building
- Memorandum of understanding entered with United Stock Exchange of India Limited for knowledge sharing and use of expertise and infrastructural facilities
- Taking up of assignments on charging fee on success or percentage basis for work related to raising of debt, placement of equity and cost reduction etc. recommended

- Office procedure regarding noting of reconstitution of firms consequent to joining/retirement of partners/paid assistants reviewed
- Modification in the office procedure in dealing with the cases of condonation of Regulation 65
- Setting up of Branch(es) of Chartered Accountants Students' Association at Agra, Beawar, Bellary, Bhilai, Erode, Gwalior, Kakinada, Kumbakonam, Nellore, Noida, Pondicherry, Rajamahendravaram, Sambalpur, Tirunelveli, Tirupati, Tirupur, Tuticorin, Udupi, Vellore
- Shortening of the duration of the Three Months' Residential programme to 45 days with appropriate modules covering all topics
- Enhancement in the rate of stipend recommended
- Pilot Project on Live Virtual Classes
- Requirement for passing the Common Proficiency Test reviewed to provide for minimum passing requirement in each subject
- Scholarship scheme reviewed and the number of scholarships and the amount of such scholarships enhanced. Also, the amount of endowment by individual donors enhanced from Rs. 10 Lakhs to Rs. 20 Lakhs.
- Certain topics excluded from the Chartered Accountants Final (N) Course Syllabus
- Periodic renewal of their registration by the students
- Entry requirement for Chartered Accountancy Course reviewed to exempt, inter-alia, Graduates with specified percentage of marks in their Graduation examination from the requirement of passing the Common Proficiency Test
- Setting up of Certified Students' Registration Centres to facilitate service to those desirous of joining the Chartered Accountancy Course at their door step
- Reimbursement of travel expenses and daily allowance to outstation Student-Paper Presenters at the National Conventions/All India Conferences
- Grants to Regional Councils/Branches organising of CA Students' Festivals
- Setting up of a Chapter of the ICAI in Ras-Al-Khamah, UAE, and the in-principle approval given earlier with regard to formation of Chapter at Dublin, Switzerland, South Africa and New Zealand withdrawn
- Airing views on Government budget or any other policy announced by the Government by the Council Members only in their individual/personal capacity
- Modification in the guidelines on installation of inaugural stones/plaques in the premises of the ICAI
- Review of scheme for employing and regulating Regional Councils' Branch Employees
- Extending implementation of the recommendations of the Sixth Pay Commission, to the extent accepted by the Government of India, in the ICAI
- Modification in the Advisory on the Newsletters published by the Regional Councils and Branches of Regional Councils
- Enhancement of grants to Regional Councils and Branches of Regional Councils for organising Career Counselling Programmes
- Permitting publication of Directory by the Regional Councils and Branches of Regional Councils in the specified format/with the specified contents
- Permitting constitution of specified additional committees, if deemed necessary, by the Regional Councils and Branches of Regional Councils
- Popularising Bharathiar University-ICAI Joint Education Programme
- Manpower Planning for various Committees and Departments at Head Office, Branches, Decentralised Offices and Regional Offices
- Guidelines for utilisation of funds and compliance to specifications and requirements by Branches with regard to Information Technology Training Centres
- Renovation/refurbishment of the auditorium at the head office

- Finalisation of Mission and Vision Statement of the ICAI
- Enhancement in the grant for Social Get-together of employees
- Scheme of incentives for recognising meritorious employees and disincentives for dealing non-performers put in place
- Formulation of criteria for award of Best Chapter of the ICAI outside India
- Honorarium to faculty taking ISA classes enhanced and reimbursement of travelling expenses to them for the purpose provided
- Enhancement in the amount of pension for retired employees
- Opening of extension counters at Faridabad Branch as well as other Branches having membership of more than 1000
- Formulation of terms of references of Committees constituted for the first time in 2011-2012, viz., Committee for Cooperative and NGO Sectors, IFRS Implementation Committee, Committee for Members in Entrepreneurship & Public Service, and Public Interest Advisory Committee
- Advisory on minimum scale of fees for different professional assignments undertaken by chartered accountants/firms of chartered accountants
- Amount Honorarium of upto Rs. 1 Lakh provided [to be determined by the Research Committee on merits on a case to case basis] to author of a research publication
- Special Grant to Regional Councils commemorating their Diamond Jubilee and to concerned branches commemorating their Silver/Golden Jubilee sanctioned
- Enhancement in the grant payable to Regional Councils/Branches for organising one-day seminars, Regional/sub-regional/State level Conferences, National Convention, International Conferences

4.2 Finance Committee

The Finance Committee – one of the Standing Committees of the Council – came into existence consequent to the amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. The said Committee controls, implements and supervises the activities related with and incidental, inter alia, to maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, investment of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both revenue and capital.

4.3 Examination Committee

The Chartered Accountants Professional Education-II (PE-II), Professional Competence Examination (PCE), Integrated Professional Competence Examination (IPCE) and Final (Old and New Course) examinations were smoothly conducted all over the country and abroad in 168, 241, 226 and 222 centres respectively from 3rd to 17th May, 2010. The total number of candidates who appeared in the PE-II, PCE, IPCE and Final (Old and New Course) examinations held in May, 2010 were as follows:

	Both Group	Group I	Group II
PE - II	4338	6912	9357
PCE	44687	56071	62461
IPCE	20135	52923	22416
Final (Old Course)	13242	20049	26517
Final (New Course)	7424	8840	8670

Further, examinations of Management Accountancy Course (MAC) (Part-I), Corporate Management Course (CMC) (Part-I), Tax Management Course (TMC) (Part-I), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organization (ITL & WTO) were conducted in May, 2010.

The next Chartered Accountants Professional Competence Examination (PCE), Integrated Professional Competence Examination (IPCE) and Final (Old and New Course) examinations were smoothly conducted all over the country and abroad in 225, 272 and 233 centres respectively from 8th to 22nd November, 2010. The total number of candidates who appeared in the PCE, IPCE and Final (Old and New Course) examinations held in November, 2010 were as follows:

	Both Group	Group I	Group II
PCE	34476	45141	52539
IPCE	31547	82005	39567
Final (Old Course)	10203	16162	22942
Final (New Course)	18227	25140	23013

Further, examinations of Management Accountancy Course (MAC) (Part-I), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organization (ITL & WTO) were conducted in November, 2010.

During the year under report, for the convenience of candidates, the following initiatives were taken:

- For the November 2010 CA Examinations, new examination centre was opened at Sirsa. For the May 2010 CA Examinations, new examination centres were opened at Aligarh, Anand, Bilaspur, Karnal, Tirupur, Ratlam, Tirupati, Vapi, Bharauch, Gandhidham and Sikar.
- For the December 2010 CPT Examinations, a new examination centre was opened at Bhagalpur. For the June 2010 CPT Examinations, new examination centres were opened at Tirupati, Berhampore, Vapi, Bharauch, Sikar and Dundlod.

The Online Common Proficiency Test [CPT] was successfully conducted at 20 cities at Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Delhi NRO, Delhi Rohini, Ernakulam, Guntur, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Pune, Surat, Thiruvananthapuram, Udaipur and Visakhapatnam on the following dates:

July 24th and 25th, 2010
 September 18th and 19th, 2010
 October 22nd to 26th, 2010

The Paper-Pencil mode Common Proficiency Test [CPT] was held successfully on June 20th, 2010 across the country and abroad at 310 examination centres located in 140 cities. The total number of candidates who appeared in the Paper-Pencil mode Common Proficiency Test [CPT] held on June 20th, 2010 was 1,27,643.

The Paper-Pencil mode Common Proficiency Test [CPT] was held successfully on December 19th, 2010 across the country and abroad at 279 examination centres located in 140 cities.

The total number of candidates who appeared in the Paper-Pencil mode Common Proficiency Test [CPT] held on December 19th, 2010 was 1,22,639.

Besides the aforesaid students' examinations during the year, Information Systems Audit – Assessment Test was held successfully on June 18th, 2010 all over the country in 48 examination centres and another Information Systems Audit – Assessment Test was held successfully on December 23rd, 2010 all over the country in 45 examination centres for Old Pattern and 31 examination centres for New Pattern.

During the year, the Examination Committee had taken the following significant initiatives:

- **Automation:** For the first time in the history of the examination system of the ICAI, the Examination Department has implemented an automation process covering the coding, attendance data capturing, reconciliation and capturing of marks (after evaluation by examiners), tabulation from May 2011 examination.
- **Workshops for Experts associated with the Examination Activities of the ICAI:** The Examination Committee has successfully conducted six batches of Workshops for Examiners focusing on the theme, 'Enhancing the uniformity in evaluation of answer books' at Chennai, Noida, Mumbai and Kolkata during May, 2011. Apart from sensitizing these experts on the values of ICAI in general and examination system in particular, an element of continuing examiner education has been inbuilt in these workshops wherein the examiners had the occasion to interact with subject experts. Around 2260 examiners have benefited by this endeavour which was repeated after a gap of 6 years. Special focus was given to newly enrolled examiners.
- **Reading and Planning Time:** In line with the international best practices in the area of testing students, a 15-minute reading time allowance was given to candidates in the Chartered Accountants Examinations before the scheduled commencement of the examinations with effect from May 2011 Examinations.
- **Online Examination Application Form:** The candidates who opted to fill up the examination form through online were exempted to pay the cost of application forms. Every effort is being taken to popularize the Online Examination Application submission so that the same will be made only mode of application in the near future.
- **Special Examination:** Arising out of the Mutual Recognition Agreement/Memorandum of Understanding with the following foreign professional accounting bodies, the first Special Examination was successfully conducted on July 21st and 23rd, in New Delhi.
 - The Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW)
 - The Institute of Chartered Accountants of Australia (ICA Australia)
 - The Institute of Certified Public Accountants in Australia (CPA Australia)
 - The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (CPA Ireland)
 - Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA)
- **Support to International Accounting Institute:** The Examination Committee has provided the technical assistance and support for the conduct of ISA Assessment test to the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka.

- **Admit Cards:** It is proposed to introduce an e-admit card w.e.f. November 2011 Examination wherein the admit card of the students concerned with photographs and signature would be hosted on ICAI web portal and can be easily downloaded by them.

4.4 Disciplinary Committee

- **Disciplinary Committee under Section 21D of the Chartered Accountants Act, 1949**

This Committee assists the Council in the maintenance of the status and standards of professional qualification awarded by the ICAI. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary inquiries against members whose cases have been referred to it by the Council upon *prima facie* opinion, during the year 1st April, 2010 to 31st March, 2011 this Committee held sittings on 12 occasions for a period spanning 17 days and at venues covering the various regions of the country. During the year under review, the Committee concluded its enquiry in 70 cases, which included cases, referred to it in previous years.

- **Board of Discipline under Section 21A of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006**

The Board of Discipline has been constituted by the Council of the ICAI under Section 21A of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. The scope of work of the Committee includes:

- To consider the *prima facie* opinion of the Director (Discipline) in respect of all Information and Complaints where opinion of the Director is that the member is *prima facie* guilty of professional or other misconduct mentioned in the First Schedule to the Act and all cases where *prima facie* opinion is that the member is not guilty of any professional or other misconduct irrespective of Schedules and passing of Orders.
- To enquire into, arrive at a finding and thereafter award punishment in respect of guilty cases of any professional or other misconduct mentioned in The First Schedule to the Act.
- To consider letter of withdrawal from Complainants and permit withdrawal if the circumstances so warrant.
- **Disciplinary Committee under Section 21B of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006**

The Disciplinary Committee has been constituted by the Council of the ICAI under Section 21B of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. The scope of work of the Committee includes:

- To consider the *prima facie* opinion of the Director (Discipline) in respect of all Information and Complaints where opinion of the Director is that the member is *prima facie* guilty of professional or other misconduct mentioned in the Second Schedule or in both the Schedules to the Act and passing of Orders.

- To enquire into the allegations of professional or other misconduct, issuing notices to the witnesses and their examinations, arrive at a finding and award punishment in respect of guilty cases of any professional or other misconduct mentioned in Second Schedule or in Both the Schedules to the Act.
- To consider letter of withdrawal from Complainants and permit withdrawal if, the circumstances so warrant.

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

5.1 Accounting Standards Board

The ICAI has been continuously working to provide a sound, reliable and high-quality accounting and financial reporting system in the country. For harmonising the diverse accounting policies and practices in India, the ICAI had set up the Accounting Standards Board (ASB) in 1977 for formulating the Accounting Standards. Since its inception, ASB has been working in this direction by formulating new Accounting Standards as well as revising the existing Accounting Standards from time to time with the objective to bring the Indian Standards in line with the International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS), as issued by the International Accounting Standards Board (IASB). The ASB also issues various announcements from time to time to provide guidance on matters pertaining to uniform application of the Accounting Standards and their implementation.

The legal recognition to the Accounting Standards formulated by the ICAI was granted in October, 1998 with insertion of Section 211(3A), (3B), and (3C) in the Companies Act, 1956. As per Section 211(3C) of the Act, Accounting Standards issued by the ICAI may be prescribed by the Central Government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS). As per the proviso in the section, till the notification of the Accounting Standards by the Government, the Accounting Standards issued by the ICAI are required to be followed by companies. In the year 2006, Accounting Standards 1 to 7 and 9 to 29 were prescribed by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 vide its notification dated December 7, 2006 in the Gazette of India. These were made effective in respect of accounting periods commencing on or after the publication of these Accounting Standards (i.e., December 7, 2006). Further, Limited Revision to Accounting Standard (AS) 15 was notified under Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2008 vide its notification dated March 27, 2008. Amendment to the Accounting Standard (AS) 11 has been notified under Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2009 vide notification dated March 31, 2009 and Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2011 vide notification dated May 11, 2011, by the Central Government in consultation with NACAS.

With globalisation and liberalisation, world economies have gone global. Firms seeking to tap foreign capital markets often have to prepare two sets of accounts; one to adhere to the home requirements and the other to conform to the foreign market in which capital is raised. Multiple standards constrain the volume and efficiency of capital allocation since the investors cannot easily compare financial information of companies in different jurisdictions. Thus, a need for a single set of globally accepted and high-quality Accounting Standards has often been felt. The International Financial Reporting Standards being issued by the IASB are increasingly being recognised as the global financial reporting standards. Many

countries have either adopted or have permitted adoption of IFRS for preparing financial statements of various entities. Though the Accounting Standards issued by ICAI are primarily based on IAS/IFRS, in certain cases, the Accounting Standards have departed from IASs/IFRSs in view of legal and regulatory requirements apart from the economic conditions prevailing in the country. -

Convergence with International Financial Reporting Standards has gained worldwide momentum in recent years. About 123 countries currently require or permit the use of or have a policy of convergence with IFRS. Certain other countries have announced their intention to adopt IFRS, for example, Argentina, Malaysia and Mexico from 2012. Financial Accounting Standards Board (FASB) of USA and IASB are also working towards convergence of US GAAP and IFRS. The Securities and Exchange Commission (SEC) of USA has decided to permit filing of IFRS-compliant financial statements without requiring presentation of a reconciliation statement between the US GAAP and IFRS. In this scenario, with India being an important emerging global economy, the ICAI decided in 2007 to converge with IFRS from 1st April 2011 for certain class of companies. The Ministry of Corporate Affairs also agreed to do so. Convergence, among other things, would help Indian entities raise capital from abroad at a low cost. It will also benefit the chartered accountants with opening of increased opportunities abroad for the Indian professionals.

To consider convergence with IFRS and making India IFRS-compliant, ASB had constituted a Task Force in the year 2006 with a mandate to explore the approach for convergence with IFRS and lay down a road map for achieving such convergence. The Task Force prepared a Concept Paper, which was accepted by the ASB and the Council of the ICAI. The principal recommendation in the Concept Paper was convergence with IFRS by large-sized companies and public interest organisations from accounting periods beginning on or after 1st April 2011. The MCA also supported the decision of the ICAI.

ICAI accomplished the task of formulation of IFRS converged Indian Accounting standards. These converged Indian Accounting Standards have been placed on its website by the MCA after the recommendation of the NACAS. The date of Implementation of Ind AS will be notified by ministry at a later date. The Indian Accounting Standards placed on MCA website correspond to all IAS/IFRS except IFRS 9, *Financial Instruments*, which has not been issued because Indian Accounting Standard corresponding to IAS 39 on Financial Instruments has been issued. IAS 26, *Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans*, which has not been considered relevant for companies, and IAS 41, *Agriculture*, which is being redrafted keeping in view the Indian conditions and circumstances.

While formulating these Indian Accounting Standards, as a policy, efforts have been made not to make any changes in IAS/IFRS except where changes were considered extremely necessary keeping in view the Indian conditions and circumstances in the national interest. Accordingly, there are a few departures from the IAS/IFRS. Indian concerns in this regard are being raised before the IASB so that these are properly addressed at international level also. It is believed that over a period of time these departures will be phased out.

IFRS-converged Indian Accounting Standards are generally based on the premise that the financial statements should be transparent and should faithfully represent the actual financial position and performance of the entity. In order to fairly present the financial position and performance of an entity, IFRS-converged standards would require greater use of fair valuation approach. Another concept which has been given more importance in these Standards is substance over form, as these Standards require to look into the economic reality of a transaction. Accordingly, financial statements prepared on the basis of these

Standards would be comparable, globally understandable and transparent. It would also help in providing valuable information and would reveal new information which is not being provided at present. This will help the investors to better understand the risks and rewards associated with the investment in a company and, therefore, it would be easier to draw conclusions.

For the purpose of considering the issues arising in the implementation of Indian Accounting Standards (Ind ASs) and to carry on the educational training on IFRS smoothly (IFRS Certification Course), a separate IFRS Implementation Committee has been formed by ICAI.

A brief overview of other activities of the Accounting Standards Board during the period under report is as follows:

5.1.1 Formulation of Indian Accounting Standards (Ind ASs)

During the year, Accounting Standards Board has finalised the 35 Indian Accounting Standards (Ind ASs) corresponding to IAS/IFRS which are also hosted on the website of Ministry of Corporate Affairs.

5.1.2 Contribution to the Activities of the International Accounting Standards Board (IASB) and Participation in Other International Developments

The Board interacts with the IASB at various levels, such as:

- Active participation in the meetings of the World Standard-Setters with IASB, other National Standard Setters and Regional Standard-Setters with the IASB.
- The Board circulated and hosted on the website, various Exposure Drafts/Discussion Papers issued by the IASB for comments by various stakeholders.
- To play a more influential role pending convergence with the IFRS, the Board constitutes from time to time Study Groups to analyse Discussion Papers or Exposure Drafts issued by the IASB. After analysis, the Groups send their comments listing the India-specific concerns, which are reviewed by the ASB prior to its submission to the IASB.

5.1.3 Interaction with Regulatory Bodies

Being the premier accounting body, the ICAI, through ASB, interacts with various regulatory bodies from time to time and expresses its views on various accounting matters. In addition to the above, regular meetings are held with MCA on various accounting issues.

5.1.4 Other Projects

Guidance Notes under revision or formulation

- Guidance Note for Accounting for Self-generated Certified Emission Reductions (CERs)
- Guidance Note for Accounting for Rate Regulated Entities
- Revision of Guidance Note on Recognition of Revenue by Real Estate Developers

Indian Accounting Standards under formulation

- Indian Accounting Standard corresponding to IAS 41 *Agriculture*
- Indian Accounting Standards corresponding to IFRS 10 *Consolidated Financial Statements*
- Indian Accounting Standards corresponding to IFRS 11 *Joint Arrangements*

- Indian Accounting Standards corresponding to IFRS 12 *Disclosure of Interests in Other Entities*
- Indian Accounting Standard on corresponding to IFRS 13 *Fair Value Measurement*
- Indian Accounting Standard for *Extractive Industries*

Indian Accounting Standards being revised to bring them in par with revised IAS/IFRS

- Indian Accounting Standard (Ind AS 1, 12, 19, 27, 28)

Other documents under consideration

- Revision of Preface to Existing Indian Accounting Standards (ASs)
- Preparation of the Preface to Indian Accounting Standards (Ind ASs)
- Consideration of *Framework of Presentation of Management Commentary* issued by IASB
- Consideration of *Conceptual Framework for Financial Reporting* issued by IASB

Comments on the following IASB Exposure Drafts/Discussion Papers were sent to the IASB

- Exposure Draft on *Assets and Liability Offsetting*
- Exposure Draft on Supplement Document on *Financial Instruments: Impairment*
- Exposure Draft on *Hedge Accounting*
- Final draft of the proposed IFRS on *Joint Arrangements*
- Request for views on *Effective Dates and Transition Methods*
- Exposure Drafts on *Revenue from Contracts with Customers*

5.2 Committee on Accounting Standards for Local Bodies

The ICAI in the year 2005 constituted a Committee on Accounting Standards for Local Bodies to formulate the Accounting Standards for Local Bodies. The Committee has been established with the primary responsibility to conceive and suggest areas in which Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs) need to be developed, formulate ASLBs, integrate the ASLBs to the extent possible, with the International Public Sector Accounting Standards issued by the International Public Sector Accounting Standards Board, provide implementation guidance on ASLBs, review and revise the ASLBs, assist Local Bodies in adoption of accrual system of accounting, and propagate the ASLBs among the stakeholders in preparation and presentation of financial statements.

The ASLBs formulated by the CASLB are sent to the Technical Committees on Budget and Accounting Standards for Local Bodies for ULBs and PRIs constituted by the Ministry of Urban Development and Ministry of Panchayati Raj respectively, for recommending the same for implementation by the State Governments concerned.

Since its inception, the CASLB has issued the following Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs):

1. Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 1, '*Presentation of Financial Statements*' (under publication)
2. Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 3, '*Revenue from Exchange Transactions*' (published)

3. Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 4 '*Borrowing Costs*' (published)
4. Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 5, '*Property, Plant & Equipment*' (published)
5. Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 6, '*Events After the Reporting Date*' (published)
6. Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 7, '*Inventories*' (under publication)

Other publications of the CASLB includes '*Preface to the Accounting Standards for Local Bodies*', English and Hindi version of booklet on '*Accrual Accounting for Local Bodies: Elected Representatives and Stakeholders*' and Status Paper on '*Accounting Reforms in Local Bodies in India and Role of Chartered Accountants*'.

Apart from above, various projects undertaken by the CASLB during the last and previous years for preparation of ASLBs corresponding to International Public Sector Accounting Standards are in progress.

The ICAI is a member of the Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) and is also represented on its various Sub-Committees formulated from time to time by GASAB. The representatives of the ICAI participate in the meetings of GASAB and contribute to the technical activities of the Board.

The important activities undertaken by the Committee during the period are as under:

5.2.1 Publications released:

- Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 5, '*Property Plant & Equipment*'.
- Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 6, '*Events after the Reporting Date*'.

5.2.2 Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs) issued during the period:

- Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 1, '*Presentation of Financial Statements*'
- Accounting Standard for Local Bodies (ASLB) 7, '*Inventories*'

5.2.3 Draft exposed for comments of ICAI's Council Members and specified outside bodies:

- The draft of proposed ASLB on '*Construction Contracts*'

5.2.4 Drafts under consideration of the Committee:

- Framework for Preparation of the Financial Statements by the Local Bodies.
- Proposed ASLB on '*Segment Reporting*'
- Proposed ASLB on '*Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*'
- Proposed ASLB on '*Revenue from Non-Exchange transactions*'
- Proposed ASLB on '*Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*'
- Proposed ASLB on '*Presentation of Budget Information in Financial Statements*'

5.2.5 Drafts of proposed ASLBs which are under preparation by various Study Groups:

- The draft of Proposed ASLB on '*The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*'
- The draft of Proposed ASLB on '*Cash flows statement*'
- The draft of Proposed ASLB on '*Intangible Assets*'
- Preparation of Basic draft of proposed ASLB on '*Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting*'
- Preparation of Basic draft of proposed ASLB on '*Leases*'
- Preparation of Basic draft of proposed ASLB on '*Investment Property*'
- Preparation of Basic draft of proposed ASLB on '*Employee Benefits*'

5.2.6 Other projects:

The GASAB has sought the assistance of the ICAI in formulation of some of the IGFRSs to accelerate the process of formulation of Standards for Government of India. For this purpose, a Study Group was constituted to formulate the following Indian Governmental Financial Reporting Standard (IGFRS) for GASAB:

- Proposed IGFRS corresponding to IPSAS 1, Presentation of Financial Statements – Basic draft has been submitted to GASAB.

5.3 Audit Committee

In the year 2001, the ICAI had constituted Central Audit Committee for the first time as a non-standing Committee to overview the ICAI's reporting process and disclosure of its financial information as also the adequacy of internal control systems, as well as to ensure the independence and integrity of auditors at the Decentralized Offices and Head Office of the ICAI.

Since its inception, the Committee is continuously striving to further improve the reporting process of the ICAI and to bring in greater transparency in the working of the ICAI, as also to making the internal controls more stringent. The Committee is also striving to bring about more transparency in the appointment of auditors and providing them with a more comprehensive scope of audit while at the same time giving them more independence in their work. The Committee holds regular interaction with the auditors as well as with the auditee Departments/Committees/Regional Councils/Decentralized Offices/Branches/Overseas Offices so that the lacunae/weaknesses, if any, pointed out by the auditors can be mitigated. During the period under report, the significant achievements of the Committee included the following:

- Appointment of Internal Auditors of newly formed Decentralised Offices - 13 Decentralised Offices covered: With a view to ensure more control over the functioning of the Decentralised Offices, so as to improve their efficiency, the Audit Committee had brought the newly formed Decentralised Offices under its purview and has appointed auditors reporting directly to it.
- Bringing branches having more than 1000 members under the scope of Audit Committee for appointment of auditors and review of work: The branches of the ICAI having more than 1000 members have also been brought under the purview of the Audit Committee.

The Audit Committee has appointed auditors for such branches reporting directly to the Audit Committee.

- Auditors have been appointed for Centre of Excellence, Hyderabad since the Centre has started functioning independently and large number of activities is now being organized at the centre regularly.
- With a view to give more power to the Regions, the Audit Committee has strengthened the Regional Audit Committees, assigned their powers while keeping a control of the Regional Audit Committee and ensuring that they function properly.
- Analysis of audited half yearly and yearly accounts of Branches, Decentralised Offices and Regional Councils: The half yearly and yearly accounts received from Branches, Decentralised Offices and Regional Councils are reviewed.
- Analysis of Regional Audit Committee minutes and steps taken to solve the issues raised: The minutes of the Regional Audit Committee meetings are also reviewed regularly to ensure that all the issues raised and discussed at the meetings have been resolved and also to set guidelines for the other Regional Councils for future.
- Steps taken to implement the use of Tally Accounting software at all Regional Councils, Decentralised Offices and Branches having more than 1000 members.
- Review of the audit reports received from various Regional Councils, Decentralised Offices, Branches and Head Office and of the observations made by the Internal Auditors for rectification of the same and to ascertain that the units are functioning properly and following all the specified procedures.

During the year 2010-11, the following initiatives have been taken by the Committee:

- Updation of the Accounts Manual and incorporating all relevant policies of the ICAI in the Accounts Manual
- Decrease the time taken for preparation of accounts

5.4 Auditing and Assurance Standards Board

Audit plays an important role in serving and protecting the public interest by strengthening accountability and reinforcing trust and confidence in financial reporting. Audit helps enhancing the economic prosperity, expanding the variety, number and value of transactions that people enter into. However, in the recent years, due to the growing complexity of the business environment and business models and their geographical spread, the auditing profession is witnessing a quantum leap in the expectations from the profession.

The ICAI too recognizes the pressing need to respond to these expectations proactively. The ICAI through its Auditing and Assurance Standards Board (AASB) develops high quality standards on auditing, review, other assurance, quality control and related services. The Board also develops Guidance Notes on generic as well as industry specific issues in auditing. These documents, after a rigorous due process of the Board, are issued under the authority of the Council. The auditing standards issued by the ICAI are harmonized with the International Standards. The latter are recognized for their high quality and have a global

acceptance. The Board also formulates Technical Guides, Practice Manuals, Studies and Other Papers which are issued under its own authority for the guidance of the members. To provide guidance to the members in implementation of Standards on Auditing (SAs) issued under the Clarity Project, the Board is also bringing out Implementation Guides to those Standards on Auditing. The following is a comprehensive overview of the important achievements of the Board till date:

Engagement & Quality Control Standards

Quality Control Standards

- ♦ Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements"

Engagement Standards

- ♦ 37 Standards on Auditing, including 35 Standards issued under the Clarity Project
- ♦ 2 Standards on Review Engagements (SREs)
- ♦ 2 Standards on Assurance Engagements (SAEs)
- ♦ 2 Standards on Related Services (SRSs)

Statements on Auditing and Guidance Notes

- ♦ 2 Statements on Auditing
- ♦ 28 Guidance Notes on Auditing

Industry-specific Guidance Notes

- ♦ Audit of Banks (Revised 2011 edition)
- ♦ Audit of Accounts of Members of Stock Exchanges
- ♦ Audit of Companies Carrying on General Insurance Business
- ♦ Audit of Companies Carrying on Life Insurance Business

Implementation Guides

- ♦ Implementation Guide on Reporting Standards (SA 700, SA 705 and SA 706)
- ♦ Implementation Guide to SQC 1
- ♦ Implementation Guide to Risk-based Audit of Financial Statements

Technical Guides

- ♦ Technical Guide on Audit of Non-Banking Financial Companies
- ♦ Technical Guide on Audit in Hotel Industry
- ♦ Technical Guide on Audit in Automobile Industry
- ♦ Technical Guide on Audit in Telecom Industry – Revenue, Fixed Assets and Related Operating Costs
- ♦ Technical Guide on E-Commerce - Considerations for Audit of Financial Statements

Studies

- ◆ A Study on Money Laundering: An Accountant's Perspective
- ◆ A Study on Basel II and Risk-based Supervision

Other important publications

- ◆ Handbook of Auditing Pronouncements 2010 Edition
- ◆ Background Material for Audit Training Workshops and Seminars (A Manual of Presentations on Standards on Auditing and Other Engagement Standards)
- ◆ Practitioner's Guide to Audit of Small Entities (2010 Edition)
- ◆ What is an Audit – Understanding an Audit of Financial Statements
- ◆ Issues on the Companies (Auditor's Report) Order, 2003

5.4.1 The year 2010-11

During the year 2010-11, seven meetings of the Board were held. During the year, the Board brought out a number of publications, e.g., Handbook of Auditing Pronouncements 2010 Edition, Background Material for Audit Training Workshops and Seminars, Implementation Guide on Reporting Standards, Revised Practitioner's Guide to Audit of Small Entities, Technical Guide on Audit of Non-Banking Financial Companies, Technical Guide on Audit in Hotel Industry, Technical Guide on Audit in Automobile Industry, Guidance Note on Audit of Banks 2011 Edition. During the year, the Board organised a number of seminars/training programmes/conferences/workshops relating to auditing standards and auditing aspects at various places across the country. Programmes were held at Mathura, Indore, Udaipur, Kolkata, Gwalior, Baroda, Coimbatore, Visakhapatnam and Allahabad. The Board also organised Four Days Training Workshop on Audit Excellence at New Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkata and Pune. During the year, the Board issued the "Glossary of Terms" used in the Engagement and Quality Control Standards issued by the ICAI. During the year, the Board issued the Revised Standard on Review Engagements (SRE) 2400, "Engagements to Review Financial Statements", Standard on Review Engagements (SRE) 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", Standard on Assurance Engagements (SAE) 3402, "Assurance Reports on Controls at a Service Organisation" and the "Guidance Note on Audit of Property, Plant and Equipment".

5.4.2 Projects under progress

In addition to these, the Board also undertook several other projects during the year relating, among others, to Engagement and Quality Control Standards, Revision of Guidance Notes, Implementation Guides and Technical Guides.

5.4.3 Other initiatives and development

• Interaction with regulatory bodies

The Board, from time to time, interacts with the regulators and Government institutions such as, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Ministry of Corporate Affairs (MCA), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Comptroller and Auditor General of India (C&AG), etc., to discuss critical issues relating to auditing standards and other aspects relating to auditing.

- **Contribution to the IAASB activities and responding to international developments**

The ICAI is actively involved in the developments made at international level. The ICAI being the founder member of the International Federation of Accountants (IFAC), the Board, through its Chairman and Secretary, remained in touch with the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) of the IFAC and provided its inputs to the IAASB from time to time. The IAASB organized the IAASB-NSS meeting on April 28-29, 2011 at Toronto. Chairman, AASB and Secretary, AASB represented the ICAI at the said meeting. Chairman, AASB and Secretary, AASB also represented the ICAI at the Federation of European Accountants (FEE) Conference on Audit Policy held on June 30, 2011 at Brussels.

- **Creating awareness and capacity building**

Creating awareness on auditing standards among the members was one of the main agenda for the Board during the year 2010-11. In this process, to facilitate one-to-one interaction with the members on issues faced by them in auditing and also to impart knowledge on the auditing standards issued by the ICAI, the Board organised a number of seminars/training programmes/conferences/workshops on auditing standards and other aspects relating to auditing at Mathura, Indore, Udaipur, Kolkata, Gwalior, Baroda, Coimbatore, Visakhapatnam and Allahabad. The Board also organised Four Days Training Workshop on Audit Excellence at New Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkata and Pune.

- **Future strategy and work programme**

The Board will focus on creating awareness about the new/revised Standards on Auditing (SAs) issued under the Clarity Project. For this purpose, the Board will adopt two prong strategies. It will organise seminars/conferences/training programs/workshops on auditing standards and other auditing aspects and will continue to issue implementation guides to new/revised SAs so as to help the members to better understand and implement the Standards. The Board will also bring out other literature on auditing like Guidance Notes, Technical Guides, Studies, Other Guides to guide the members on the auditing issues, generally as well as in specific industry sectors.

5.5 Committee on Banking, Insurance & Pension

Publications

The Committee on Banking, Insurance & Pension brought out the following publications during the period under report:

- A book viz. '*Practical Approach to General Insurance Management – A Handbook for Insurance Professionals*' was published by the Committee. The book was released by the Hon'ble Finance Minister of India at the International Conference at New Delhi on 4th January, 2011.
- An article viz. '*Internal/Concurrent Audit of Investment Functions of Insurance Companies*' was prepared by the Secretariat of the Committee and published in the June, 2010 issue of the CA Journal.

- The Secretariat of the Committee with the support of a ICAI Technical Group and in due consultation with Technical Director, ICAI, had prepared the Accounting Norms for Pension Fund Managers and submitted to the Pension fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) for its consideration and use.

Programmes

The Committee has conducted three programmes on Banking, Insurance and Pension sectors during the year.

With the technical/financial support of the Committee, some of the Regional Councils and their Branches held programmes on banking, insurance and pension at Amritsar, Bhopal, Lucknow, Nagpur, Thrissur, Hyderabad and Mumbai.

DIRM course related

- The Committee has conducted three Orientation Programmes (an integral part of the DIRM Course Curriculum) for the DIRM Technical Examination passed members of the ICAI to enable them to complete the last phase of the Course and make them eligible to award the DIRM Pass Certificate:
- Suggested Answers to the DIRM Technical Examination held in May and November, 2010 has been prepared and hosted at the website of the ICAI www.icai.org for the benefit of the DIRM Course pursuing members.
- The number of registrations to the DIRM Course has reached to 3858 till 14th March, 2011. Region-wise break-up of the Members enrolled to the course is as under:

Candidates registered upto 14 th March, 2011	Region					Total
	Central	Eastern	Northern	Southern	Western	
	808	423	568	1206	853	3858

Miscellaneous

- On considering the proposal of the Committee, the Executive Committee has decided to grant fee exemption to the members of the ICAI on the ground of the physical disability to the extent of fifty percent of the registration fee payable to the various Post Qualification Courses of the ICAI.
- An expression of interest has been sent to the Reserve Bank of India for offering the service of the ICAI towards the endeavour of the RBI on spreading the 'Project Financial Literacy' in the country.

5.6 Committee for Capacity Building of CA Firms & Small and Medium Practitioners

5.6.1 Overview

The Committee for Capacity Building of CA Firms and Small & Medium Practitioners is a non-standing Committee of the ICAI formed under regulatory provisions of Chartered Accountants Act, 1949. This Committee was formed in the month of February, 2010 under nomenclature 'Committee for Capacity Building of CA Firms and Small & Medium Practitioners' by combining previously formed Committees, Committee for Capacity Building of CA Firms and Committee on Small & Medium Practitioners. The Committee aims at strengthening CA firms as well as Small & Medium Practitioners to rejuvenate their practice portfolio. Primarily, the Committee conceptualizes and implements various means for strengthening their capacity and postulates guidelines for consolidation of CA firms.

5.6.2 Major initiatives of the Committee

- The Committee has developed a Website www.icai.org.in where the Small & Medium Practitioners may create their portals. The CA Firms may upload the details of their firms on the website it will provide them an opportunity to reach out to the other practitioners.
- The Committee has made an arrangement to provide a Tax compliance software, namely 'ICAI-Tax Suite' to CA members and firms with free of cost initial license for 2 years, to assist the members in areas of Income tax, TDS, Audit Reports, Project Report/CMA, Form Manager, Annual Information Return (AIR), Service Tax and Document Manager and thereby improve their productivity and efficiency.
- The Committee has made an arrangement to provide software for MCA compliance, namely, 'ICAI-ROC' to CA members and firms to enable them to ensure timely compliances under MCA-21.
- To address the professional issues for SMPs, the Committee has revised the Minimum Scale of Fees to be charged by Chartered Accountants in rendering of professional services.
- The Committee has arranged for providing Insurance on Professional Indemnity to members of the ICAI for taking care of their social security concern.
- The Committee has arranged for financial assistance for SMPs and CA firms through Corporation Bank for providing special loan scheme at concessional rate of interest without collateral security for setting up and expansion of their profession.
- The Committee arranged for Capitaline TP Corporate Database (online version) at discounted price for all CA members helping them to access Company's database in 24x7 mode at their convenience. Use of this database will make transfer pricing easy and comparable. CA members will find it useful in many respects.
- The Committee arranged for an audit tool kit containing software – KDOC and eSecretary circulated to all CA members and firms free of cost. The software will facilitate easy and handy preparation of audit reports with the help of inbuilt readymade Accounting Standard templates enhancing productivity and reducing time

in service delivery. This software also will help in managing documents and secretarial practices at CA Firms.

- The Committee organized interactive sessions with partners of CA Firms for exploring new professional avenues. In this series, Meeting & Brainstorming Session was held in Chennai on 12th July 2010, in Mumbai on 11th August 2010 and at New Delhi on 17th August, 2011.

5.7 Continuing Professional Education Committee

During the year, the Continuing Professional Education Committee has taken a number of initiatives and significant decisions for effectively organizing the CPE Programmes and also to extend the reach of the CPE Programmes to a larger section of members.

5.7.1 E-learning activities

- E-learning activities under the banner of ICAI has been recognized as Structured learning instead of the present category of Unstructured learning.
- The Committee decided to bring out new e-learning modules on various professional topics.

5.7.2 Steps taken to streamline the CPE programmes throughout the country

The Committee reconstituted the Regional CPE Monitoring Committees for all the five Regions and in order to make them more effective and revised its Terms of Reference in this regard.

The following communication was sent to all the Programme Organising Units (POUs) with a request to follow the below guidelines in letter and spirit:-

1. A CPE Programme shall always start at the announced time and punctuality shall be adhered to.
2. No time shall be spent on introduction purposes. The CPE programme shall start directly with the Technical session by the Faculty.
3. Mementos shall be given preferably in the form of useful books.
4. Details of the Programme should be uploaded on the CPE Portal well in advance (i.e. at least 3 days prior to the programme).
5. Back dated events would not be considered for approval of CPE Hours (i.e. programme details uploaded after holding of the event).

5.7.3 Guidelines for revival of derecognized Study Circles

- On the recommendations of the Committee, the following guidelines for the revival of the de-recognised CPE Study Circles have been finalised by the Council:

1. It submits list of members with names, details of membership no., e-mail id, and the signatures of the respective members in original.
 2. The number of members should satisfy the minimum requirements as laid down in the CPE norms.
 3. Such a request should invariably be routed through the respective Regional Councils with appropriate recommendations from the Chairman of the Regional Council for revival.
 4. The concerned derecognized Study Circle should submit the audited accounts for the calendar year/s for which default had been made.
 5. The Study Circle undertakes to submit audited accounts regularly.
 6. The Study Circle undertakes to comply with the guidelines laid down by the ICAI for the proper functioning of the Study Circles.
- A list of Members holding COP (excluding senior members), who have complied with the minimum CPE requirements for the calendar years 2008, 2009 and 2010 has been hosted on the website of the ICAI for information of the members.
 - The Committee has brought out a CD on Power Point Presentations on Management Consultancy Courseware and the same is available at ICAI Sale Counter @ Rs. 50/-.
 - To promote programme through Web-cast, the Committee decided to organise nearly 24 CPE Teleconferencing programmes during the calendar year.
 - To attract more and more members for the CPE Teleconferencing programmes, a new initiative has been taken by the Committee towards sending SMS to all the members across the country, 3 days before every CPE Teleconferencing Programme.
 - The Committee decided to provide the special grant of Rs.50,000/- for each programme (2 programmes per Region during the Calendar year) to the hosting Branch for conducting the programmes on XBRL, Forensic Audit, Ethical Standards, Advanced Training workshops on GST, IFRS, DTC and New Companies Bill.
 - The Committee finalised the revision in CPE Statement and the related Advisories. The recommendations of the Committee have been sent to Council for its approval.

5.7.4 Publication

The Committee has brought out its Publication on 'Concept paper - Goods & Services Tax in India & Role of Chartered Accountants'.

5.7.5 E-Newsletter

The CPE has decided to bring out its periodical e-newsletter.

5.7.6 Mandatory CPE requirements for members

CPE credit requirements for members of the ICAI for the block of three years (1.1.2011 to 31.12.2013) stood as follows:

- **All the members who are holding Certificate of Practice (except those members who are residing abroad), unless exempted, are required to:**
 - a) Complete at least 90 CPE credit hours in each rolling three-year period of which 60 CPE credit hours should be of structured learning.
 - b) Complete minimum 20 CPE credit hours of structured learning in each year.
- **All the members who are not holding Certificate of Practice or are residing abroad (whether holding Certificate of Practice or not), unless exempted, are required to:**
 - a) Complete at least 45 CPE credit hours of structured/unstructured learning in each rolling three-year period
 - b) Complete minimum 10 CPE credit hours of structured/unstructured learning in each year.
- **All the members (above 60 years of age) who are holding Certificate of Practice, unless exempted, are required to:**
 - a) Complete at least 70 CPE credit hours (structured/unstructured) in each rolling three-year period.
 - b) Complete minimum 10 CPE credit hours of structured/ unstructured in the first year i.e. 2011.
 - c) Complete minimum 20 CPE credit hours of structured/ unstructured in the second and third year i.e. 2012 & 2013.
- **All the members (above 60 years of age) who are not holding Certificate of Practice are required to:**
 - a) Complete at least 35 CPE credit hours (structured/unstructured) in each rolling three-year period.
 - b) Complete minimum 5 CPE credit hours of structured/unstructured in the first year i.e. 2011.
 - c) Complete minimum 10 CPE credit hours of structured/unstructured in the second and third year i.e. 2012 & 2013.

An Advisory on Unstructured CPE Learning Activities has also been issued. The said advisory has been hosted on the ICAI website (www.icaai.org) and on the CPE Portal (www.cpeicai.org). This Advisory would serve as a guidance and direction to the members to avail CPE Hours Credits through Unstructured Learning Activities. The advisory includes

the details about the unstructured learning activities and the ways in which these can be undertaken.

5.7.7 In-house Executive Development Programmes (IHEDP) organized

The Committee is committed to impart quality education with a view to hone the skills of officials of and cater to the needs of the business houses on areas of their interest at affordable cost. The Committee conducts about 15 such events during the year at various organizations across the country on topics of contemporary relevance such as Internal Audit, Indirect Taxation, IFRS, ISA, Service Tax, VAT and GST etc. More than 1500 officials took benefit of such courses to upgrade their knowledge, during the year.

5.7.8 Teleconferencing programmes organised

Since long, teleconferencing remained one of the cost effective modes to disseminate knowledge. The CPE Committee is arranging the teleconferencing with the object that CPE Programmes should reach maximum number of our members in general and members in remote and mofussil areas in particular. Now a days, the Committee holds one or two such events every month on topics related and relevant to Chartered Accountancy Profession in collaboration with the Indira Gandhi National Open University (IGNOU), Delhi. The topics so far covered are: Current issues of Professional Relevance, Preparation & Analysis of Project Report and Revised discussion paper on Direct Taxes Code – A threadbare analysis, Road Map to IFRS, Introduction to International Taxation, Companies Bill, Overview of Auditing Standards, Clause By Clause Analysis of Budget 2011, Service Tax, Bank Audit, XBRL, Ethical Standards, Overview of IndAS, Direct Tax Code, Revised Schedule VI etc.

Taking into consideration the overwhelming responses that have continually been received from the members, the CPE Committee is making DVDs of every Teleconferencing Programme. The members could get these DVDs on payment of Rs. 50 per unit and by viewing these DVDs, members could also claim 2 hours (unstructured) CPE Credit.

5.7.9 Mega programmes organised

The Committee organized 11 mega programmes in various locations in the country which included an All India CA Conference, Residential Refresher Courses, National Conferences, Seminars and Workshops.

5.7.10 CPE Calendar

The Committee issues every year a calendar of topics for CPE Programmes having regard to fast paced developments with a view to facilitating POUs maintaining uniformity while conducting CPE Programmes. The said Calendar issued for the year 2011-12 included a variety of Obligatory topics under the broad heading (a) Accounting And Auditing, (b) Cost & Financial Management, (c) Information Technology, (d) Taxation, (e) Indirect Taxes, (f) Business Management, (g) Corporate Laws, (h) Code Of Conduct, (i) Finance and Capital Market, (j) Corporate Governance, (k) Insurance and Risk Management, (l) Public Finance, (m) Soft Skills, and Other topics, amongst others, on Consultancy and Advisory Services, Right to Information Act and XBRL. The aforesaid Calendar, containing also the Optional topics of professional and contemporary interest, is available on the website of the ICAI www.icaai.org and on www.cpeicai.org.

5.8 Corporate Laws and Corporate Governance Committee

Corporate laws is a key driver that makes the economy to become international, diverse and dynamic. The subject of Corporate Governance supplements the same and so is in-built in the Corporate laws. Both are like two sides of a coin and are inseparable. Considerable review and progress has been made in making Indian Corporate laws and corporate governance at par with international laws and best practices. Keeping in view of the mandate of the Committee, initiatives of the Ministry of Corporate Affairs of the Government of India from time to time on these twin subjects and the commitment and responsibility of the members of the profession who are day-in and day-out dealing with various matters relating to company law and corporate governance, the Committee desired that following should form part of major action plan for the current year:

- performance by participation in the regulatory discussions
- reviewing the existing legal framework through revisiting
- empowering members through educating on the emerging newer areas of practice

The Committee had extensively participated in the various forum deliberations on the proposed Companies Bill, 2009 and submitted its views/suggestions to the Government and we are happy to state that most of the suggestions were welcomed and accepted and to find a place in the Bill, 2009. Besides the above, several suggestions were given to the Ministry of Corporate Affairs on a continuous basis relating to circulars/notifications on Sections of the Companies Act, 1956, Limited Liability Partnership Act and rules thereon. Consequent to the notification of Revised Schedule VI to the Companies Act, 1956, the Committee constituted Study Group for bringing out a Guidance Note on the same and is currently under final stages. Besides, the Committee made a presentation before the Parliamentary Committee on Public Undertakings on the Horizontal Study on Corporate Governance in PSUs and submitted response to the various queries raised during interaction. The Committee is also liaising with the National Foundation for Corporate Governance for conduct of various programmes on Corporate Social Responsibility. Programmes have been drawn up for organizing at the branch level on emerging newer areas and changes in the Corporate Laws and matters of interest to the members.

The Certificate Course on Valuation has now been spread to Tier I, II and III cities and the registration for these course were received with overwhelming response. Plans are underway to introduce e-learning course in Valuation. Besides, the Committee is contemplating to introduce a new Certificate Course on M&A very shortly.

Significant Achievements

• Suggestions/Representation

(a) Submission to Ministry of Corporate Affairs in respect of the following:

- Views/Suggestions on Companies Bill 2009 and on the Report of the Parliamentary Standing Committee on Finance on Companies Bill 2009.
- Comments/suggestions on Draft International Standard ISO 26000 (Guidance on Social Responsibility).
- Comments/suggestions on Applicability of Foreign Direct Investments in LLP and also the response on the issues raised by the Department of Policy and

Promotion through its fifth discussion paper on Foreign Direct Investments in LLP.

- Suggestions to check the genuineness of the activity (objects) to be carried out by a company under incorporation.
 - A backgrounder note covering technical guidance note on liquidation and concept paper for provisioning CAs as private liquidators.
 - Views/suggestions on the Circular issued by MCA on the proposal to prohibit filing of forms in case of non filing of annual returns.
 - Views/suggestions on the Companies (Cost Accounting Records) Rules, 2011 and the Companies (Cost Audit Report) Rules, 2011.
 - Views/suggestions on the Horizontal Study on Corporate Governance in Public Sector Undertakings (PSUs).
 - Comments on the Draft Code for Independent Directors.
- (b) An oral hearing of the representatives of ICAI on its suggestions on Companies Bill 2009 was held before the Parliamentary Standing Committee on Finance on Companies Bill 2009.
- (c) The ICAI suggestions on the Horizontal Study on Corporate Governance in PSUs were presented before the Parliamentary Committee on Public Undertakings.
- (d) The Committee has submitted to National Foundation for Corporate Governance (NFCG) a Work Plan for the year 2011-2012 for conducting Joint programmes.
- (e) Inputs on the issues on regulatory overlaps or gaps, on LLPs and on the procedures as laid down under the Companies Act, 1956 were submitted to National Foundation for Corporate Governance.

• **Peak filing of Balance Sheets/Annual Reports in October/November, 2010**

To facilitate the Ministry of Corporate Affairs in creating awareness among the members about the filing of company's Balance Sheet and Annual Return for the current year as per the alphabetical order given by them, the Committee posted an announcement and a pop up message on the website of the ICAI on their request.

• **Citizen Charter and Grievances Redressal mechanism**

The Committee contributed to the meeting conveyed by the Ministry of Corporate Affairs on the topic "*Citizen Charter and Grievances Redressal mechanism*", wherein the key issue was the timely disposal of the forms filed by the Corporates under MCA-21.

• **Statement/Guidance Note to the Revised Schedule VI to the Companies Act 1956**

The Committee is in the process of bringing out the Statement/Guidance Note to the Revised Schedule VI to the Companies Act, 1956 for guidance of members. In this

regard, a Study Group was constituted to prepare the Critical Issues as well as the Draft Statement/ Guidance Note to the Revised Schedule VI.

- **Renewal of Certified Filing Centres (CFCs) scheme by MCA**

Since CFCs outreach is greater and extended to the length and breadth of the country and is operated by professionals whose support is continuous to the MCA program, the Ministry considered it appropriate to renew the Scheme for a further period of three years from 1st July, 2010 unless renewed end revised further. The Ministry of Corporate Affairs has identified ICAI also for collecting, processing and verification of applications. In this regard, the Committee had received 401 CFC applications (122 new application & 279 applications for renewal of existing CFCs) from the members. All the applications received were recommended to the MCA for renewal/fresh registration as Lot 1 to 10.

- **Certificate Course on Valuation**

The Committee has successfully completed 18 batches of the Certificate Course on Valuation at Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and Hyderabad. Course also recently started at Ahmedabad and Pune and new batches soon going to commence at Delhi, Rajkot and Coimbatore. Till date, 1193 members had been registered for the course.

- **Programmes organized**

(i) As part of "*India Corporate Week*" during December 14th-21st, 2010 being observed by the Ministry of Corporate Affairs, ICAI had jointly organized with MCA half day Seminars on the theme "*Sustainable Business*", coordinated by the Committee and hosted by the respective branches of ICAI at 25 locations in the country.

(ii) With a view to create awareness among members, the Committee organized six programmes on the Easy Exit scheme and Company Law Settlement scheme introduced by MCA in August, 2010 at Patna, Bangalore, Rajkot, Jamnagar, Alleppey and Navi Mumbai.

- **Initiatives/Projects in progress**

- The Committee is contemplating to start the Certificate Course on Mergers & Acquisitions and Insolvency.
- To bring out appropriate technical publication of the Committee for student community.
- To develop an e-learning module of the Certificate Course on Valuation.
- To organize one-day programmes on Corporate Governance/Corporate Laws/LLP etc.
- Conduct Training Programmes on Independent Directors

5.9 Direct Taxes Committee

5.9.1 Representation to CBDT on various issues related to Direct Taxes

- On the basis of requests received from members all over the country, a representation posing the difficulty being faced by Indian/Foreign Companies with regard to use of PAN encrypted DSC was made by the ICAI to the Central Board of Direct Taxes.
- In view of the same, the Central Board of Direct Taxes had relaxed the requirement of using encrypted PAN on DSC for non-resident signatories of Foreign Companies.
- A representation posing practical difficulties faced by assesseees being 100% Export Oriented Units approved by Development Commissioner while claiming deduction under section 10B of the Income-tax Act, 1961 was made by the ICAI.
- In order to have better quality control over tax audits undertaken by Chartered Accountants, the Chairman, CBDT has been requested to allow uploading of tax audit report along with the income tax return, digitally signed by the Chartered Accountants.

5.9.2 Budget - 2011

a) Pre-Budget Memorandum, 2011

An announcement was hosted on the website of the ICAI inviting suggestions of the members for the Pre-budget memorandum 2010-11. Suggestions were also invited from all Branches/Regions. After considering the important suggestions, the Pre-budget memorandum was submitted to the Ministry of Finance. The same was also hosted on the website of the ICAI.

Further, the Committee received a letter from the Ministry of Finance wherein the ICAI was requested to nominate its representatives to outline the gist of their recommendations in the pre-budget meeting convened by the Department of Revenue with various trade and industry associations on 13th December, 2010 at North Block, New Delhi. Accordingly, CA. Sanjay Kumar Agarwal, Council Member, ICAI presented the suggestions of ICAI on Direct Taxes which were well received by the Chairman, CBDT and other senior officials of CBDT present in the meeting.

b) Budget Viewing Session

The Committee organised a Budget Viewing Workshop jointly with Indirect Taxes Committee and Committee on International Taxation at the Head Office, New Delhi on 28th February, 2011. After the Budget was presented by the Hon'ble Finance Minister, the proposals were discussed in detail by the members and a press release was issued thereafter giving the views of the ICAI on the budget proposals. The highlights of the significant direct taxes proposals were prepared on the same day and hosted on the website.

c) Budget 2010 - Articles for the Journal

As a general practice, eminent members were requested to contribute articles on various clauses to be published in the Journal. Accordingly, the following articles were contributed:

Sr.No.	Author	Topics
1.	CA. Ved Jain	Salient features of the Finance Bill, 2011
2.	CA. Padam Chand Khincha	Section 94A-A light on proposed changes
3.	CA. K.K. Chattanya	Alternate Minimum tax on LLP

The same were published in the April 2011 issue of the Journal.

d) Live Webcast on Union Budget, 2011

The Committee organised a 'Live webcast' on Union Budget, 2011 jointly with Indirect Taxes Committee on 28th February, 2011 at 7.30 PM wherein the expert discussed the budget proposals at length. A mass mail and a mass sms were sent well in advance to all the members informing about the said Webcast. The webcast was well received by the members.

e) Post Budget memorandum - 2011

For the purpose of inviting the suggestions to be included in the Post Budget Memorandum-2011, an announcement was hosted on the website requesting the members to send their suggestion on the direct taxes proposals arising out of the Finance Bill, 2011. Also, e-mails were sent to all the branches, regions and Council Members for sending their suggestions on the Union Budget – 2011. Further, a mass mail was also sent to all members inviting suggestions for inclusion in the Post Budget memoranda. The suggestions so received were compiled and considered by the Committee. The memorandum so finalised was submitted to the Ministry of Finance.

It may be noted that two suggestions of ICAI contained in Post Budget memorandum have been accepted. The suggestions so considered have been hosted on the website

5.9.3 Direct Tax Code

a) Suggestions of the ICAI on the Direct Taxes Code Bill, 2009

After detailed analysis and deliberations by the sub-groups formed by the Committee, a report on the Direct Taxes Code Bill, 2009 was submitted to the Ministry of Finance on 4th May, 2010.

A majority of suggestions made were accepted and incorporated in the Revised Discussion Paper and in the Direct Taxes Code Bill, 2010.

b) Suggestions of the ICAI on Revised Discussion Paper on the Direct Taxes Code

The Revised Discussion Paper on the Direct Taxes Code was released by the CBDT on 15th June, 2010. The same was hosted on the website of the ICAI along with the announcement inviting suggestions of the members on the Revised Discussion Paper.

The Committee had formed sub-groups in each region and had allocated each topic in the Revised Discussion Paper to each sub-group with a request to the convenors of these sub-groups to form study-groups locally within their city to discuss the same and send the final comments/suggestions on the Revised Discussion Paper. These suggestions were

considered by the Committee in depth. Thereafter, the suggestions on the Revised Discussion Paper on the Direct Taxes Code were finalized and submitted to the Ministry of Finance on 30th June, 2010.

Further, a letter was received from Ministry of Finance, Department of Revenue, CBDT wherein the ICAI was invited to participate in an Interactive session on the Revised Discussion Paper on Draft Direct Taxes Code. Accordingly, the Chairman, Direct Taxes Committee, along with other members of the Committee participated in the interactive session held on 30th June, 2010. The suggestions made were well received by the Ministry of Finance.

A majority of suggestions made were accepted and incorporated in the Direct Taxes Code Bill, 2010.

c) Direct Taxes Code Bill, 2010

The Direct Taxes Code Bill, 2010 was introduced in the Parliament on 30th August, 2010. An announcement was made on the website inviting comments of the members on the Bill.

- A Live web cast was conducted by the Committee on 1st September, 2010. The recorded web cast is available on the website of the ICAI to enable maximum number of members to reap the benefits of this knowledge sharing initiative of the Committee.
- The Committee received a letter from Joint Secretary, Lok Sabha Secretariat inviting suggestions of the ICAI on the Direct Taxes Code Bill, 2010. Thereafter, study-groups were formed all over the country to identify the issues arising from the Direct Taxes Code Bill, 2010 for making suitable recommendations to the Standing Committee on Finance. Accordingly, after due deliberations in the Committee meetings, an interim report was submitted to the Standing Committee on Finance on 30th November, 2010. The final consolidated report on the Direct Taxes Code Bill, 2010 was also submitted to the Parliamentary Standing Committee on Finance on 12th January, 2011. Thereafter, the said Committee desired to have an oral hearing of ICAI representatives on 19th January, 2011 on the Bill. Accordingly, the representatives of the ICAI appeared before the Committee at the hearing held on 19th January, 2011. The views of the ICAI on the Direct Taxes Code Bill, 2010 were favourably considered.
- The Central Board of Direct Taxes had requested the ICAI to assist them in framing the process flow of the important chapters under the Direct Taxes Code so that internal inconsistencies, if any, between the various provisions of the Direct Taxes Code may be located and the provisions may be harmonized. Accordingly, a study group has been constituted for considering the same. The report of the group is expected to be submitted shortly.
- The ICAI had the privilege of the esteemed presence of Shri R. Bandyopadhyay, Secretary, Ministry of Corporate Affairs and some senior officials from the Ministry on 22nd June, 2010 in its Head office wherein a presentation on the Direct Taxes Code and the Revised Discussion Paper was made by the Chairman, Direct Taxes Committee. The presentation, besides covering the contents of the RDP, also highlighted the objectives and salient features of the Direct Taxes Code and the fundamental changes in approach adopted while drafting the Direct Taxes Code. The presentation was appreciated by Secretary, MCA and other senior officials.

5.9.4 Direct Taxes issues arising from convergence of Indian Accounting Standards (ASs) with International Financial Reporting Standards (IFRSs)

A Group for identifying direct tax issues arising from convergence of Indian Accounting Standards (IAS) with International Financial Reporting Standards was constituted by the ICAI, which comprised both of members of the Council and of the CBDT.

Thereafter, the said Group decided to form two sub-groups as follows:

- A sub-group under the Chairmanship of Chairman, International Taxation Committee, ICAI to study the status of tax provisions in other countries where IFRS has already been implemented.
- Another sub-group under the Chairmanship of Chairman, Direct Taxes Committee to study the specific differences arising out of IFRS implementation, in each of the Accounting Standard with respect to the tax laws.

On the basis of suggestions received from both the sub-groups some major tax issues arising out of convergence with IFRS were identified in form of Position paper. Suggestions were also received from NACAS & senior government officials. These views were suitably incorporated in the position paper which was duly considered by the group. The Position Paper was submitted to the Ministry to assist the concerned ministries in policy formulation

5.9.5 Meeting with CIT (TDS) for clearing of TDS Credits in Suspense Account

The Hon'ble Commissioner of Income Tax (TDS), Mr. Shreekant Chatterjee had invited representatives of the ICAI, BCAS, RBI, SBI, Bank of India, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, NSDL and other officers of ITD-Systems to resolve the issue relating to huge TDS credit lying in Suspense Account with the Income Tax Department (ITD) on account of mismatch of PAN & other data between TDS challans and TDS Returns. Accordingly, Chairman, Direct Taxes Committee along with other representatives of ICAI participated in the meeting. The suggestions given by the ICAI were well received by the Hon'ble CIT (TDS).

5.9.6 Assistance to the National Academy of Direct Taxes in organising lectures on Accounting Standards, IFRS, Assessment of Corporate Business Income etc.

The Committee has proposed to the National Academy of Direct taxes (NADT), Nagpur an ongoing programme of collaboration between the ICAI and the NADT. There has been an in-principle agreement that such an approach would be helpful in improving tax administration in the country. Pending finalisation of the modalities, the NADT had proposed to organise lectures for the 63rd batch of IRS probationers on the topics which are currently of utmost importance like Accounting Standards, Direct taxes Code, Assessment of Corporate Business income etc. In this regard, NADT sought assistance of ICAI for providing best of the faculties. Accordingly, the Committee has made available the programme structure for the same along with the faculties. The training programme was organized from 17th January, 2011 to 19th January, 2011.

5.9.7 Assistance to the National Judicial Academy in organizing training for Judges of High Court

During the course of National Conference on Direct Taxes organized by the Committee on 8th-9th January, 2011 at Pune, the Chairman, Direct Taxes Committee was made to understand that the National Judicial Academy desires to organize a two day capsulated introductory course on how concepts of taxable income are impacted by application of mandatory Accounting Standards for the judges of High Courts. It was felt that such input is particularly important for those judges who are on the tax benches. Accordingly, the Committee had written to National Judicial Academy proposing to provide assistance to the Academy by making available eminent faculties for the training of sitting judges of the High Court and a separate module for familiarisation of other judicial officers who are undergoing training at the National Judicial Academy.

5.9.8 Revision of publication, 'A Study on succession/wills, family arrangements/settlements and HUF partitions'

The aforesaid publication was forwarded by the Committee on Economic, Commercial Laws & WTO to the Direct Taxes Committee for revision as it was felt that the same fell under the jurisdiction of the Direct Taxes Committee. Thus, the said publication was revised by the Committee.

5.9.9 Providing 'Indian Direct Tax Tracker' to all members

The Committee had entered into an agreement with CCH, a division of Wolters Kluwer for providing one year free subscription of their online product, "The Indian Direct Tax Tracker". It is a current awareness subscription product published and distributed by them throughout the world. The said mail is stand-alone, timely, comprehensive, and quality product which would cover many features including AAR rulings; ITAT orders; High Court and Supreme Court Judgments; all notifications and circulars; and noteworthy news. As per the agreement, the Company would offer mailer and free subscription of the tracker to all members for one year and thereafter at a discounted rate of 25 per cent on Rs. 3,550.00 for the immediately succeeding year.

5.9.10 Group to consider issues involved in convergence between Companies Act, IFRS, GST and DTC

On the request of the Ministry of Corporate Affairs, an in-depth study for locating issues involved in convergence between Companies Act, IFRS, GST and DTC was made by the group formed specifically for this purpose. A report considered by group was submitted to the Ministry of Corporate affairs within the desired time. The report of the group was duly considered by the Ministry and was forwarded to Ministry of Finance for appropriate action at their end.

5.9.11 Interaction with Mr. Sanjai Verma, CIT of CPC, Bengaluru

The Chairman, Direct Taxes Committee visited CPC, Bengaluru and had an interactive session with Mr. Sanjai Verma, CIT, CPC. In the discussion, the Chairman, DTC had put forth the problems associated with e-filing of returns. He had also put forth the proposal to set up groups to study the specific problems related to e-filing and possible solutions to such problems. The said visit was followed by special address of Mr. Sanjai Verma, CIT, CPC in the Bengaluru branch of SIRC of ICAI.

5.9.12 Issues in claiming TDS – Representation to Standing Committee on TDS

To locate the issues being faced by the assesseees in claiming credit of Tax deducted at source, the Committee had formed various the Study Groups all over India. The issues so received from the sub-groups were edited, compiled and submitted to the Standing Committee on TDS formed by the Directorate of Income Tax (TDS) for exchange of ideas on enhancing voluntary TDS/TCS compliance, strengthening partnership with tax practitioners, tax deductors/collectors and third party partners, promoting education and awareness of TDS/TCS provisions amongst the deductors/collectors and tax payers and minimizing the scope for grievances. Certain issues of immense import were flagged by representatives of ICAI in a meeting of the said Committee. These issues were discussed in detail and well taken by the Standing Committee. The said issues have also been submitted to the Chairman, Central Board of Direct Taxes for his consideration.

5.9.13 Study groups formed all over India to formulate draft forms and rules relating to Direct Taxes Code Bill, 2010

In order to provide assistance to the CBDT in framing draft Rules and Forms in respect of Direct Taxes Code Bill, 2010, various study groups have been formed all over India. These study groups are expected to submit report on the chapters allocated to them shortly.

5.9.14 Study group to revive the Post qualification - Tax Management course

A study group has been formed to revise the syllabus of the Post qualification Tax Management Course and also to revise the list of suggested books which are relevant in present context so that this course can be made more useful.

5.9.15 Guidelines for empanelment of an accountant, if any, adopted to conduct special audit under section 142(2A)

The Committee is of the opinion that bringing uniformity in the guidelines adopted for empanelment of an accountant would add value to the objective of conducting an audit under section 142(2A). Thus, CCIT, Delhi has been requested to provide the guidelines for empanelment of an accountant, if any, adopted to conduct special audit under this sub-section so that the same can be analyzed and country-wide general guidelines can be suggested.

5.9.16 Review of the Publication, "Deemed dividend-A Study"

The Committee reviewed the draft publication, "Deemed dividend - A Study" of Direct Taxes Committee of WIRC of ICAI which was sent to the Committee for review and approval. The suggestions so made by the Committee have been communicated to WIRC.

5.9.17 Letter to Chairman, CBDT regarding panel on HNIs

With regard to the panel constituted to monitor the earnings of High net worth individuals (HNIs), the Chairman, CBDT had been requested to nominate a representative from the ICAI, having vast experience and practical knowledge in the field of taxation, in the panel to add value to its proceedings.

5.9.18 Programme Structure to Federation of Indian Export organizations (FIEO) on Direct Taxes Code Bill, 2010

The FIEO (Set up by the Ministry of Commerce, Government of India) had requested the Committee to provide a programme structure along with speakers on the Direct Taxes Code Bill, 2010 for organizing a series of Workshops at Delhi, NCR, Mumbai, Chennai, Bangalore and Kolkata. The same has been provided to them.

5.9.19 Seminars and Conferences

The Committee organized 15 Seminars and Conferences at various locations in the country which included National Conferences, National Seminars, All India Conference and Workshops.

5.10 Committee on Economic, Commercial Laws & WTO

The Committee on Economic, Commercial Laws & WTO is a non-standing technical Committee of ICAI and its mandate inter alia includes serving the multifunctional task of analysis, knowledge dissemination, inputs to policy formulation, organization of various programs on contemporary issues in the fields of Economic, Commercial & Business Laws and WTO.

The following initiatives were taken by the Committee during the year:

5.10.1 Workshops/Seminars/Programmes

The Committee organized 14 Workshops, Residential Refresher Courses, Conferences and Seminars at various locations in the country.

5.10.2 Representations to various Government Authorities/Regulators

The Committee had submitted the following representations to various Government Authorities/Regulators:

- A representation has been made to the Secretary, Information Technology, Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology, Government of India requesting the Ministry to allow Chartered Accountants to represent matters before Cyber Appellate Tribunal. The Ministry has also been requested to consider nomination of the members of ICAI in the Cyber Regulations Advisory Committee.
- The ICAI's comments on the draft Discussion Paper on National Anti Corruption Strategy issued by the Central Vigilance Commission have been sent to Central Vigilance Commission.
- The Comments on the issues in the Discussion Paper on Foreign Direct Investment (FDI) In Multi-Brand Retail Trading had been submitted to the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry.

- The views of ICAI for conclusion in the pre-budget Economic Survey on the performance and emerging issues of Accountancy Sector were submitted to Senior Economic Advisor, Ministry of Finance.
- A representation has been made to the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks with a suggestion to exempt Chartered Accountants to pass examination prescribed under Rule 154 of the Trade Mark Rules, 2002 to become a Registered Trade Mark Agent.
- A representation has been made to the Joint Secretary (IF), Department of Financial Services, Ministry of Finance suggesting that the DRT Act and Rules may suitably be amended, so as to provide for inclusion of Chartered Accountants, besides legal practitioners or other agents, for representing their constituents before DRTs, since they have the necessary expertise and experience in appearing before Legal authorities.

5.10.3 WTO Public Forum

The WTO Public Forum under the title, "The Forces Shaping World trade" was held at Geneva from September 15-17, 2010. Forum was attended by nearly 800 delegates from all across the globe and provided an apt occasion to discuss the emerging paradigm of world trade and *inter-alia* dwelt upon issues faced by the Services Sector, Trade and Inclusive Growth, Achievement of Millennium Development Goals through Trade, Right to Development, Role of Non State Actors at WTO and alike. From ICAI side, the Chairman and Secretary of the Committee attended the programme.

5.10.4 Interaction with Trade officials of Embassies /High Commissions

In order to developing ways and means to foster and promote bilateral cooperation and to explore areas whereby ICAI can collaborate with similar placed organizations/institutions for positioning brand Indian Chartered Accountants globally, an interaction with the trade officials of various embassies in India was organized by the Committee on 8th December, 2010 at ICAI, New Delhi. CA. Amarjit Chopra, the then President, ICAI chaired the programme. Representatives from the embassies of 15 countries viz, United States of America, Colombia, Mauritius, Iraq, Israel, Italy, Kenya, Malawi, Maldives, Paraguay, Tunisia, United Arab Emirates, Congo, Bangladesh and Kyrgyz Republic participated at the interactive session. The various Trade Envoys shared their perspective on their existing trade and investment scenario in the context of India and also touched upon the areas where the ICAI can help in promoting the mandate of providing "One Stop" information on the socio-economic legal and regulatory environment.

5.10.5 Publications:

During the year, the Committee brought out the following publications:

- A Study on Drafting, Conveyance, Stamping and Registration of Commercial and other documents
- A Study on Prevention of Money Laundering Act, 2002
- A Ready Referencer on indicative Professional Opportunity Areas in select Commercial & Economic Laws

- A Handbook on Special Economic Zones (SEZ) (Revised & Updated Second Edition)

5.10.6 Post-Qualification Course in International Trade Laws & WTO/Certificate Course on Arbitration

- The Committee organised the VIII batch of the Certificate Course on Arbitration at Bhopal in the month of January-February 2011, where 19 participants attended the course. The IX batch of the Course was organised at New Delhi in the month of June 2011, where 32 participants attended the Course.
- There are at present 358 members who have successfully empanelled their names on the ICAI Panel of Arbitrators and efforts are being made to apprise the user bodies of the availability of Chartered Accountants for appointment as Arbitrators within the country and globally. User bodies such the High Courts, Registrars of Cooperative Societies, Chambers of Commerce/Trade Bodies/Associations and Federation of Commerce etc. are requested for utilizing the services of the members empanelled on the ICAI Panel of Arbitrators for the appointment as Arbitrators.
- The second batch of the 30 days Personal Contact Programme (PCPs) was organised again in two phases of 15 days each. The first phase of classes was held during December 1-15, 2010 and the second phase was held from January 3-17, 2011 at New Delhi for the members registered for the International Trade Laws & WTO Course, willing to be eligible in Part – I examination of the course.

5.11 Ethical Standards Board

In the circumstances that the today's society faces in terms of economic turmoil, environmental disasters, fundamentalism and cut-throat competition to earn a livelihood, there is a silver lining in the midst of this bleak scenario: that of ethics and individuals living by the principles of ethics. The system that we live and depend on today is in place because of such individuals.

Ethics today is not the secluded domain of religion or spirituality. It is very much relevant in profession, business, employment and elsewhere. The profession of accountancy is one of the areas where ethics is indispensable. This is because literally everyone in the society relies on the services of the Chartered Accountants and is affected by them. Of course, we have a Chartered Accountants Act exclusively to govern the profession, but ethics as a guide and mentor of the profession, is a vibrant counterpart of law. Moreover, ethics in the profession has assumed highly specialized form today, and is a must for every Chartered Accountant to keep abreast of.

Like elsewhere in the world, in India too it was required to have a vigilant system of ethics for the profession. For updation of ethical standards for members, ICAI established the Ethical Standards Board (earlier known as Committee on Ethical Standards). The mission of the Board is *"To work towards evolving a dynamic and contemporary Code of Ethics and ethical behaviour for members while retaining the long cherished ideals of 'excellence, independence, integrity' as also to protect the dignity and interests of the members"*. The Board formulates standards of ethics for members, stringent enough to guarantee the confidence building in the public. It reviews and revises its publications 'Code of Ethics', 'FAQ on Ethical Issues', 'Guidance Note on Independence of Auditors' and 'Guidance Note on Revision of the Audit Report' from time to time. The Board promotes public awareness and

confidence in the fundamental principles viz. integrity, objectivity, competence and professionalism for members. It also examines and deals with the complaints of members against their unjustified removal as auditors of an entity, as per procedure evolved, and takes necessary steps to protect the interest of its members.

5.11.1 Activities/initiatives

- The Board has considered the changes/modifications required in the ICAI Code of Ethics, 2009 in view of the revised edition (2010) of IFAC Code of Ethics for professional accountants, and the process for convergence of ICAI Code of Ethics with the revised IFAC Code is on the verge of completion.
- The Board has examined the issue of activities permissible for a blind Chartered Accountant with CoP, in general, and with regard to signing the General Purpose Financial Statements and carrying out other attest functions, in particular.
- The Board has finalized the Know Your Client (KYC) norms for members, which have been approved by the Council.
- The Board is engaged in bringing awareness of the provisions of *Code of Ethics* among the members and devise ways to acquaint the members belonging to all areas of the country, including the remote areas. The Board is pursuing programmes, seminars, workshops, symposia etc. on various ethical issues of interest to the members across the country, ensuring that all the Branches/Regional Councils hold at least one programme on ethics in one quarter, there being total four quarters in the year. Further, a regular feature on Ethics '*Know Your Ethics*' is being published in the CA Journal.
- The databank of Codes of Ethics of various countries, professional bodies etc. is being updated and maintained, with the purpose of understanding provisions of other Codes of Ethics and visualizing possibility of further development of our Code of Ethics through this exercise.
- The Board has examined the issue of Code of conduct for elected and nominated representatives of the Central Council, Regional Councils and Branches.
- The Board is undertaking revision of 'FAQs' and '*Guidance Note on Independence of Auditors*', publications of the Board.
- The Board is examining Model Code of Conduct for members of ICAI who are Independent Directors in the Companies.
- The Board is examining the issue as to whether a practising Chartered Accountant can be a partner or designated partner in a LLP which is not doing professional work but is in the commercial activities.
- The Board is examining actions suggested to be taken by it as per recommendations made by High Powered Committee vide Report (Part-I).
- The Board is reviewing the Advertisement and Website Guidelines of ICAI.

- The Board is engaged in resolving grievances/queries/clarifications of members, on ethical/legal-ethical issues received vide different modes, including e-sahayataa. All the queries are disposed off within 48 hours.

5.11.2 Important decisions on various issues

- Transfer Pricing is only a certification work and not an audit and an assignment of certification may not be linked with the issue of independence. As such, the Transfer Pricing certification Services may be undertaken by any Auditor of an entity.
- There is no restriction for the consultancy work if it is undertaken by a member along with the assignment of internal audit.
- Interference with the practices prevailing for requirement of EMD/Deposit is not required. However, on having received any specific complaint, the Board may look into the matter on case to case basis.
- The Council accepted the recommendations of the Board also recommended that a cost sheet be maintained by members of ICAI responding to tenders, incorporating details of the costs being incurred therein having regard to number of persons involved, hours to be spent, etc, so that the same may be called for by ICAI for perusal.
- Permitting a member working as a paid assistant in CA firm and holding part-time CoP to represent his client before Income Tax authorities, prepare and file income tax return for his clients under his signature as CA.
- It is permissible for Chartered Accountant in practice to accept an assignment of investigation as the work of investigation is akin to audit.
- It is not permissible for a CA firm providing Internal Audit and Tax Consultancy services to a holding company accepting appointment as the statutory auditor in the subsidiary company, since there is possibility of independence of the auditor being compromised and of dilution in the perception of ethics from the view point of the public.
- Use of images of non-personal items such as books etc. on the websites by members are not violative of website guidelines. As regards the use of images of people, the images of the people who are not the members of the firm are not permissible.
- A CA in practice can be a 'Director Simplicitor', which includes an independent director. The independent directors are part of the Board where the Accounts are approved, they being party to approval of financial statement. As such, there is no bar in their signing the financial statement. However, they can not be involved in the day to day affairs of the company.

5.12 Expert Advisory Committee

In recent years, the Indian economy has witnessed considerable changes across various sectors due to globalisation. Financial reporting sector has also faced various changes owing to globalisation. With the changing economy, the enterprises are entering into complex business transactions while capturing the opportunities available world wide. This has made the task of financial reporting intricate and challenging.

In such a scenario, accounting professionals sometimes face dilemma in the preparation and presentation of financial statements. To guide and assist the members of ICAI in this scenario, the Council has constituted Expert Advisory Committee to address the difficulties faced by the members of the ICAI while discharging their duties in the implementation/application of accounting and/or auditing principles and allied matters. Since its inception, the Committee has been playing a creditable role in providing advisory services to the members of ICAI and in the present times, it has become all the more significant.

The Committee answers the various queries raised by the members in accordance with the Advisory Service Rules framed for this purpose. The Advisory Service Rules are available on the web-site of the ICAI, at its hyperlink, http://www.icaai.org/new_category.html?c_id=142 or can be obtained from the ICAI's Head Office at New Delhi.

Although, the Committee has been appointed by the Council and the Committee takes every effort to provide an objective and expert opinion after taking into consideration the national and international literature available on the matter referred to it, an opinion given or view expressed by the Committee represents only an opinion or view of the Committee and not the opinion of the Council of the ICAI. The opinions so issued, however, carry an authoritative guidance which is well recognised by various government/regulatory bodies, such as, the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Ministry of Corporate Affairs etc. The opinions issued by the Committee are based on the facts and circumstances of the query as supplied by the querist, the relevant laws and statutes and the applicable accounting/auditing principles prevailing on the date the Committee finalises the particular opinion. The date of finalisation of each opinion is indicated along with every opinion. The Committee is making every effort to issue its duly researched opinions in the shortest possible time so as to facilitate its timely application by the querist.

During the period from 01.04.2010 to 30.06.2011, the Committee finalised 26 opinions received from the members of ICAI and 3 opinions on different accounting issues received from the Regulators/Government authorities. Various issues on which the Committee opined during the period were revenue recognition, segment reporting, accounting for leave liability, accounting for expenditure incurred during construction period of project, ESOP accounting, accounting treatment of Minimum Alternative Tax (MAT) credit in case of carried forward losses, etc.

All the opinions finalised by the Committee during a year are published in the Compendium of Opinions. Till now, twenty-eight volumes of the Compendium including a CD containing 1128 opinions contained in the twenty-eight volumes of Compendium of Opinions with user-friendly features for easy referencing have been released for sale. The next volumes of the Compendium in the series are under compilation and are likely to be released for sale shortly.

Some of the opinions finalised by the Committee are published in every issue of the ICAI's Journal, 'The Chartered Accountant'. Recent opinions of the Committee are also hosted on the website of the ICAI.

5.13 Committee on Financial Markets and Investors' Protection

To educate investors about their rights and responsibilities, informing them about grievance redressal mechanism and importance of fundamental analysis based on balance sheets and other financial statements specially notes and other disclosures is one of the focus area of the Committee on Financial Markets & Investors' Protection. The Ministry of Corporate Affairs has entrusted the Committee to educate the investors in relation to the Capital Market under the aegis of Investor Education and Protection Fund (IEPF) of Govt. of India. The Committee has been organising several programmes/workshops across the country with an aim to provide knowledge in various components of Capital Market.

In addition to above, the Committee also plays a pro-active role in conducting various other programmes such as Seminars on Capital Markets, Investor Summit and Private Equity workshops etc. The Committee has also published various publications such as Booklets & Pamphlets on Investors Awareness, Hand Book on Capital Market Regulations, Background Material on Private Equity and Guidance Note on Certification of Corporate Governance (Revised), A Beginner's Guide to the Capital Market and Hand Book for Investing & Investor Protection.

5.13.1 Projects

Interface with Regulatory Authorities – RBI, SEBI & MCA – Submissions/Suggestions on Policy/Discussion Papers

- **Comments on SEBI Report on Takeover Regulations**

In the year 2009, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) has constituted the Takeover Regulations Advisory Committee (TRAC) under the Chairmanship of Mr. C. Achutan with the mandate to examine and review the Takeover Regulations of 1997 and to suggest the suitable amendments as deemed fit. The TRAC submitted its report on July 19, 2010.

The Committee has compiled and submitted clause wise exhaustive comments, recommendations including suggestions on the above said Report of the Takeover Regulations Advisory Committee and submitted for kind consideration of SEBI with the approval of the President. The Committee has also submitted its comments to the Ministry of Finance and Ministry of Corporate Affairs.

- **Comments on the Report on Review of Ownership and Governance of Market Infrastructure Institutions**

Dr. Bimal Jalan Committee constituted by the SEBI to examine issues arising from the ownership and governance of Market Infrastructure Institutions (MIIs) namely Stock exchanges, Depositories and Clearing Corporations has submitted its report to SEBI on November 22, 2010 and the same was released by SEBI for Public Comments.

The report besides other issues mainly deals with the Ownership and Structure of MIIs, their Board composition and Listing of MIIs. In that way, the report is having far reaching implications and needs to be considered appropriately. The Committee has compiled and submitted for kind consideration of SEBI with the approval of

The MCA has assigned to the Committee the task to get the publication translated into Assamese and Punjabi languages and print the same in these languages also. The Task as assigned has been completed and the booklet has been translated and printed in the Punjabi and Assamese languages along with the English language.

The publication is also hosted on Committee's homepage in all the three languages.

- **Hand Book for Investing & Investor Protection**

The hand book has been developed by the Committee for providing information to the investors about Capital markets and different investment avenues available to them for investment. The English version of the book has been published.

5.14 Financial Reporting Review Board

The ICAI, continuing with its endeavours to improve the financial reporting practices in the country, has constituted the Financial Reporting Review Board (FRRB). The FRRB reviews the General Purpose Financial Statements of various enterprises and the auditors' report thereon either suo-motu or on a reference made to it by any regulatory body(ies) or where serious accounting irregularities have been highlighted by the media reports with a view to determine, to the extent possible:

- a) Compliance with the generally accepted accounting principles in the preparation and presentation of the financial statements;
- b) Compliance with the disclosure requirements prescribed by the regulatory bodies, statutes and rules and regulations relevant to the enterprise; and
- c) Compliance with the reporting obligation of the enterprise as well as the auditors.

As per the Operating Procedures of the FRRB, the Board is assisted by Technical Reviewers and Financial Reporting Review Groups in review of the General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon. The preliminary review of the General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon selected for review is conducted by the Technical Reviewers selected from the panel maintained by the Board. Preliminary review reports of Technical Reviewers on review of the General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon are considered and finalised by Financial Reporting Review Groups before the same are finally examined by the Board.

5.14.1 Review of General Purpose financial statements and auditors' report thereon

During the year 2010-11, the Board has completed the review of 101 cases.

5.14.2 Constitution of Financial Reporting Review Groups

The Board constituted eighteen (18) Financial Reporting Review Groups for the Council Years 2010-11 for consideration and finalisation of the preliminary review reports submitted by the Technical Reviewers on General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon.

5.14.3 Publications

With a view to apprise the members of ICAI, the Board had published articles on 'Enhancing Audit Quality' in the May, 2010 and on 'Ensuring Overall Quality of General Purpose Financial Statements' in the July, 2010 in issue of the ICAI's Journal, 'The Chartered Accountant'.

5.14.4 Conduct of Training Programmes/Workshops

In order to cope up with increasing volume of work, the Board felt the need to enhance the number of technical reviewers empanelled with it. Accordingly, the Board conducted various training programmes/workshops at various regional branches to impart training to the members of the ICAI for review of the general purpose financial statements of the enterprises and finally to empanel them with the Board. During the period, the Board conducted a Two-day "National Workshop on Compliance Aspects of Accounting Standards and Other Reporting Requirements" on 23rd-24th December, 2010 at Mumbai. The Board had also organised a conference on "Excellence in Audit & Financial Reporting" jointly with Auditing & Assurance Standards Board at Udaipur on July 24, 2010.

5.15 Indirect Taxes Committee

5.15.1 Activities relating to Annual Budget, 2011

- **Pre-Budget Memorandum, 2011**

The Pre-Budget Memorandum, 2011 containing the suggestions of ICAI on law relating to central excise duty, customs duty and service tax was submitted to the Finance Ministry on 6th December, 2010.

- **Presentation on suggestions made in Pre-Budget Memorandum, 2011 before the CBEC Officials**

The suggestions made in the Pre-Budget Memorandum were explained in detail by the Chairperson, Indirect Taxes Committee in a meeting organised by the Ministry of Finance in response to the submission of Pre-Budget Memorandum, 2011. The opportunity was used to respond to the queries raised by the officials examining the Pre-Budget Memorandum proposals.

- **Budget Viewing Workshop**

The Committee organised a Budget Viewing Workshop jointly with Direct Taxes Committee and Committee on International Taxation at the Head Office, New Delhi on 28th February, 2011 to analyse the Budget Proposal of 2011-12. After the Budget was presented by the Hon'ble Finance Minister, the proposals were discussed in detail by the members and a press release was issued giving the views of the ICAI on the budget proposals.

- **Live webcast on Union Budget, 2011**

The Committee organised a 'Live webcast' on Union Budget, 2011 jointly with Direct Taxes Committee wherein the expert discussed the budget proposals at length. The webcast was well received by the members.

- **Workshop on Indirect Tax Proposals of the Budget, 2011**

The Committee organised a Workshop on Indirect Tax Proposals of the Budget, 2011 on 17th March, 2011 at Head Office, New Delhi to discuss the Indirect Tax proposals with the officials of the CBEC. The Workshop was addressed by Shri S. Dutt Majumder, Chairman, Central Board of Excise and Customs. Shri Y.G. Parande, Member, CBEC, Shri V.K. Garg, Joint Secretary (TRU), CBEC and Shri Roopam Kapoor, Officer on Special Duty, CBEC also participated in the Workshop and interacted with the members and experts of the field of indirect taxes. The Members pointed out various issues arising out of the Budget proposals. The workshop was received very well.

- **Articles on Indirect Taxes Proposals of Union Budget, 2011 for the Budget Special issue of CA Journal**

The Committee invited members to contribute articles on the indirect tax proposals of the Finance Bill, 2011. The related articles published in the Journal of ICAI, 'The Chartered Accountant' included: New Products Notified under Central Excise Levy, Amendment in CENVAT Credit Rules, 2004, Service Tax Proposals in Budget 2011-12, Amendment in Taxable Services, Point of Taxation Rules, 2011.

- **Post-Budget Memorandum, 2011**

The Committee submitted the Post-Budget Memorandum, 2011 on Indirect Taxes to the Government on 21st March, 2011. Many of the suggestions of ICAI have been accepted by the Government. The most significant of which is with respect to Point of Taxation Rules, 2011 where Chartered Accountants have been allowed to pay service tax on receipt basis as per the suggestion of the Committee given in the Post-Budget Memorandum, 2011.

- **Post-budget changes in service tax**

With a view to apprise the members with the latest developments, a note summarising all the significant post-budget changes made in service tax, with particular reference to Point of Taxation Rules, 2011, was prepared and hosted on website. The note was also sent to all the Council Members and the registrants of IDT Net, a networking portal for the members practising in the field of indirect taxes.

5.15.2 Suggestions/Comments/Other inputs submitted to CBEC

- **Submission of a "Concept Paper on Determination of Value of taxable services in respect of Industrial Construction and Construction of Residential Complex" to the Government**

In view of the fact that the Finance Bill, 2010 had proposed to make significant amendments in the industrial and residential construction services, a "Concept Note on Determination of Value of taxable services in respect of Industrial Construction and Construction of Residential Complex" was submitted to the Ministry of Finance on 20th April, 2010. The Note contained suggestions for smooth implementation of the proposed amendment.

- **A Report on Legal Provisions and Practices followed by different States under VAT Laws for Audit and Scrutiny**

In response to the letter received from Central Board of Excise and Customs seeking information on Legal Provisions and Practices followed by different States under VAT Laws for Audit and Scrutiny, senior officials of the Ministry were invited to attend the 11th meeting of the Committee held on 12th May, 2010 for interaction with the Committee Members. In the meeting, inputs on various aspects were provided to the Official and detailed Report containing information on each of the items mentioned in the letter was submitted to the Ministry in respect of eighteen States.

- **Suggestion on "Draft Point of Taxation (for Services Provided or Received in India) Rules, 2010"**

The Central Board of Excise & Customs issued "Draft Point of Taxation (for Services Provided or Received in India) Rules, 2010" on 5th August, 2010 for public comments and suggestions. The comments/suggestions of ICAI were submitted to the CBEC on 13th September, 2010. This was followed by discussion with the senior Officials of the Ministry who were invited to ICAI. The deliberations at the meeting were very useful and also led to recognition of the contribution by ICAI in policy making especially keeping in mind the impending GST implementation.

5.15.3 Representations made to CBEC

- **Representation on "Taxation of Services by Chartered Accountants to individuals and representation services"**

The Committee submitted a representation to the Chairman, CBEC on taxation of services by Chartered Accountants to individuals and representation services. The President, ICAI, Vice President, ICAI, Chairperson, IDTC and Secretary, ICAI met the Chairman, CBEC on 4th May, 2011 and explained ICAI's viewpoint in this regard and requested to take steps to ensure level playing field.

- **Representation for not imposing penalty for delay in e-filing of service tax returns considering first time mandatory e-filing and teething troubles**

In view of the fact that e-filing was made mandatory for large number of assesses for the first time and the operationalising of Facilitation Centers under ACES Project was in progress, a representation was made to the Chairman, CBEC suggesting that the Department may consider issuing instructions/circular for not imposing any penalty for delay in filing of service tax returns for one month i.e., from 25th April, 2010 to 25th May, 2010.

- **Representation for extension of exemption to works contract services when provided wholly within the airport**

A representation was made to CBEC on 6th August, 2010 to extend the exemption to works contract services when provided wholly within the airport with retrospective effect (01.07.2010) to eliminate the anomaly created by *Notification Nos. 31/2010 ST dated 22.06.201* and *40-43/ 2010 ST dated 28.06.2010*.

5.15.4 Programmes/Seminars/Workshops

The Committee organized 11 programmes during the year at various locations which included National Conferences, Seminar, Workshops and Round Table.

5.15.5 New Publications

- **Technical Guide to CENVAT Credit**

The Committee brought out a publication titled, "Technical Guide to CENVAT Credit". The Guide provides an overview of the CENVAT Credit Scheme and also deals with the significant aspects of this Scheme.

- **Directional Guide to Service Tax Audit**

The Committee brought out a new publication titled, "Directional Guide to Service Tax Audit". It is proposed to use this publication as background material for the programmes to be organised on Service Tax Audit - a management tool to monitor Service Tax Cost and Compliance.

5.15.6 Others

- **Extension Agreement for the MOU between ICAI and CBEC**

The ICAI and CBEC had entered into a MOU on 31st March, 2010 to facilitate setting-up of Certified Facilitation Centres by the Chartered Accountants in practice under the ACES Project of CBEC. The scheme has been renewed through an extension agreement for a further period of 2 years. As on 30th June, 2011, 690 Certified Facilitation Centres (CFC) have been registered under the ACES project of the CBEC.

- **Review of the syllabi relating to Indirect Taxes at various levels in Chartered Accountancy curriculum**

The Committee reviewed syllabi of Paper 8, 'Indirect Tax Laws' of Final (New) Course and Part II, 'Service Tax and VAT' of Paper 4, 'Taxation' of Integrated Professional Competence Course with a view to fine tune the same as per the relative importance of various indirect tax statutes in current times considering the economic growth of the country and the proposed indirect tax reforms as also from the perspective of equitable distribution of marks amongst the various sections of both the papers. Suggestions have been forwarded to the Board of Studies.

- **IDT Net**

The Committee continued to provide updates to the registrants of IDT Net, an on-line networking portal for the members practicing or working in the field of indirect taxes. The portal is linked with the website of ICAI. This year, a search feature was added in this networking portal. Thus, now the members can search the database of the registrants who are practicing in the area of indirect taxes by using appropriate key words.

- **Interaction with Finance Ministry officials**

The Ministry had sought clarifications relating to State Level VAT and meeting for the same was attended by CA. Ashok Batra and CA. Bhavna Doshi, Chairperson, Indirect Taxes Committee. Key provisions relating to registration under State VAT Laws were also provided to the Ministry as a measure of facilitation.

- **Certificate Course on Indirect Taxes**

The Committee has launched a "Certificate Course on Indirect Taxes". The first batch for the course is being organized at Bangalore from 9th July, 2011. The area of coverage is Overview of Indirect Taxes, Value Added Tax, Central Excise Duty, Customs Duty and Service Tax spread over 12 days of class room teaching. There will be assessment test at the end of the Course and Certificate will be awarded to successful candidates based on the result of the test.

- **Updation of e-learning module on service tax**

The Committee updated the e-learning module on service tax with amendments made till 30th April, 2011. The updated module was forwarded to Committee on Information Technology for uploading the same on the e-learning portal.

5.16 Committee on Information Technology

The Committee on Information Technology has been constituted by the Council as a non-standing Committee in the year 2000 to identify Information Technology challenges facing the profession and convert them into gainful professional opportunities for members by conducting Conferences, Seminars, and Practical Workshops, Training programmes, ERP/IT courses apart from Practice Guides, Training Aids, Software's and Publications on Information Technology for the benefit of members.

The Committee has strived hard to develop the profession in the IT Area through Post Qualification Course on Information Systems Audit, ISA Meets, e-Learning CD's/ CBT's, Online e- Learning Courses, ERP Courses, release of updated edition of so many Technical Guides and the ISA Background Material, Signing of MOU with ISACA for using Guidelines, Standards and Guides, IT Conferences/ Seminars and the Introduction of Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection using IT & CAAT's. The details of the courses are mentioned below:

A. Post Qualification Course on Information Systems Audit: The Post Qualification Course on Information Systems Audit has been the first and foremost initiative launched by the Committee to enable members to offer value added services in the field of IS Audit. There is no doubt that Chartered Accountants with ISA qualification will play major role in Information Systems Audit (ISA) in the coming years.

B. E-learning courses/CD's/CBT's:

- i) Online e-Learning Courses
 - a. Service Tax
 - b. IFRS
 - c. Transfer Pricing

- ii) E-Learning CD's/ CBT's
 - a. Using CAATs/ GAS
 - b. Using MS-Excel 2007 as an Audit Tool
 - c. Windows, Network & WiFi Security – An Intro.
 - d. IS Security, Cyber Threats & Review – An Intro.

C. ERP Courses: The ERP courses offered by the Committee offer twin benefits of learning at your convenience and reduced costs - SAP and Microsoft Dynamics NAV.

D. The Committee also organizes ISA Meets, IT Conferences/ Seminars/ Workshops on emerging IT areas such that members can develop in the sunrise IT sector.

E. Professional Opportunities: The Ministry of Information Technology has a Computer Emergency Response Team (CERT-In) which deals with cyber security in the country and also has a panel of IT Auditors & IS Auditors. Some CA Firms are also on this panel. Computer Emergency Response Team (CERT-In) has recognized D.I.S.A (ICAI) as empanelment for IS auditors.

The ICAI had taken up with Reserve Bank of India for recognizing the DISA (Diploma in Information System Audit) offered by ICAI as equivalent to CISA (Certified Information System Auditor) of ISACA. This objective has now been fulfilled and RBI has advised that system audits may be conducted by the D.I.S.A. (ICAI) qualified members.

D.I.S.A. (ICAI) Recognized for Empanelment of Auditors for Auditing Infrastructure of Certifying Authorities

The significant achievements of the Committee have been as under:

ISA course at Srilanka

The Committee facilitated conducting ISA Course for members of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka as per MOU with ICASL. ISA Eligibility Test was also conducted on 13th November, 2010 at Srilanka.

Revamped ISA Background Material

The Committee on Information Technology has launched the revised ISA Background Material which was inaugurated in the 292nd Council Meeting and the same is used by IT Committee in the ISA Professional Training Batches starting April, 1, 2010.

ISA Faculty Meet

The Committee has conducted an ISA Faculty Meet at Centre of Excellence, Hyderabad on 18-20 November, 2010 for three days in which the following business is transacted:

- (1) To identify the changes that need to be implemented to make the ISA Course better
- (2) To identify the segments of the Course to be shifted to CA. PCC and Final Level Course
- (3) The Segment of ISS Course and Forensic Accounting Course to be merged to ISA Course
- (4) Propose the Practical aspects to be covered as part of ISA Professional Training
- (5) Identify Additions/Deletions/Changes required in the Syllabus and Background Materials for the ISA PQC, with Justifications

Forensic Accounting Course for RBI Officials

The Committee jointly with College of Agricultural Banking (CAB), Pune has organized one day workshop on Forensic Accounting & Fraud Detection for RBI Officials on 25th June, 2010. CA. Chetan Dalal and Mr. K.K. Mookhey from Mumbai have taken the Sessions of 3.50 hours each. The programme was participated by bank officials. The inaugural address was given by Shri G. Gopalakrishnan, Executive Director of RBI directly from Mumbai through Video Conferencing.

ISA Eligibility Test (ET) on May 08, 2010 and Nov. 13, 2010

The Committee organized ISA Eligibility Test (ET) on May 08, 2010 at 31 centers all over the country in which 1265 candidates appeared and 742 candidates passed this test. The Committee has also organized ISA Eligibility Test (ET) on November 13, 2010 at 28 Centres including Sri Lanka with both Old and New Syllabus. Total 1110 forms have been filled by the candidates, the test was taken by 889 candidates and 538 candidates passed this test.

ISA Professional Training Classes

The Committee on Information Technology has conducted 76 ISA Batches from February, 2010 till date in which about 3000 candidates have completed their Professional Training across the country.

Registration & Activity Statistics of Courses

The following table summarizes the data for Registration in the Courses organized by the Committee since inception:

Sr.	Course Name	Number
1	ISA	32906
2	CAAT	3222
3	SAP	442
4	NAV Dynamics	81
5	E- Learning Service Tax	6313
6	E-Learning IFRS	1234
7	E- Learning Transfer Pricing	6284

5.17 Internal Audit Standards Board

In today's dynamic environment, organisations are constantly reinventing the way business is done, to meet the challenges of rapidly changing marketplace and regulatory framework. This makes it imperative for internal audit function to find innovative means to facilitate organizations to succeed and sustain its performance by imbibing/integrating performance improvement audits in internal audit approach.

With the ICAI's commitment to be partner in nation building and to improve the skill set of the its members in the field of Internal Audit, the ICAI had constituted a non-standing Committee, Committee on Internal Audit on February 5, 2004. The Committee was renamed as "Internal Audit Standards Board" in November 2008. The primary mission of the Board, as approved by the Council in its terms of reference, is to reinforce the primacy

of ICAI as a promoter, source and purveyor of knowledge of internal audit in the country. The basic idea was to enable its members to provide more effective and efficient value added services related to this field to the Industry and others and help the latter to systematise and strengthen their governance process by systematising and strengthening their control and risk management process.

To achieve its above mentioned mission, the Board has set the following as its objectives in its terms of reference:

- To review the existing internal audit practices in India.
- To develop Standards on Internal Audit (SIAs) to be issued under the authority of the Council of ICAI.
- To develop Guidance Notes on the issues relating to internal audit, including those arising from the SIAs, to be issued under the authority of the Council of ICAI.
- To issue Clarifications on the issues arising from the SIAs to be issued under the authority of the Council of ICAI.
- To develop studies, reports, etc., on issues arising from SIAs to be issued under the authority of the Council of ICAI.
- To undertake research in the field of internal audit.
- To organise/provide technical assistance in conferences, workshops, etc. on the topics related to internal audit.

The Board is working relentlessly to bring out high quality technical literature in the form of Standards on Internal Audit and Technical Guides/Studies/Manuals, which constitute important tools in helping the internal auditors to provide effective and efficient internal audit services to the clients and/ or employers.

5.17.1 Standards on Internal Audit

Standards on Internal Audit issued by the Board focus on the principles to be followed, the objectives to be achieved and the essential considerations for the internal auditor in planning, conducting, documenting and reporting on internal audit. The Standards represent the basic principles and practice of internal audit and establish the basis for evaluation of internal audit performance.

The Board has, till date, has issued 17 Standards on Internal Audit (SIAs) which are recommendatory in nature in addition to the Preface and Framework for Standards on Internal Audit.

In order to provide one stop reference of the existing suite of Standards amongst the members, the Board has issued Compendium of Standards on Internal Audit, covering text of all the 17 Standards on Internal Audit issued till date including the latest in tally, i.e., SIA 17, "Consideration of laws and Regulations in an Internal Audit".

5.17.2 Industry Specific Technical Guides and other technical literature on Internal Audit

Apart from codifying internal audit best practices in the form of Standards on Internal Audit, it has also been the endeavor of the Board to help the members possess an always expanding tool-kit of technical kits. In this direction, the Board has been working relentlessly to issue generic and industry-specific technical guides, which comprehensively

cover detailed procedures to be undertaken by the internal auditor in respect of industry specific and other contemporary areas.

The Board has, till date, issued a number of industry-specific Technical Guides such as Oil and Gas (downstream and upstream), Aluminum, Telecommunication, Construction, Educational institutions and BPO, that help the members of ICAI as well as others working as internal auditors in the respective industries to understand the basic operations undertaken by the industry and also the internal audit aspects relating to the same.

Some of the crucial industries for which the Board is planning to issue the Technical Guides are Life Insurance Companies, Mutual Funds, Non Profit Organizations, Power, petrochemical, etc.

In addition to it, the Board, through research literature, has been able to address many contemporary areas of interest of members such as, Social Audit, Investigative Audits and Coordination of Internal Auditor with Functional Heads. The Board is also planning to issue Study on Benchmarking Techniques, Handbook on Professional Opportunities in Internal Audit, etc.

During the year 2010-11, the Board has issued the following Technical Guides and other Generic Guides:

1. Technical Guide on Internal Audit of Sugar Industry

The purpose of this Technical Guide is to serve as a useful tool for the users in understanding and appreciating the role and responsibility of the internal audit in sugar industry. The Guide also provides guidance regarding internal audit of key processes such as cane survey, procurement process, manufacturing process, sales and marketing process of sugar and also of distillery products.

2. Technical Guide on Internal Audit of BPO Industry

This Guide provides overall approach of internal audit with reference to Standards on Internal Audit and the procedures to be undertaken with regard to peculiar aspects of BPO industry.

3. Technical Guide on Internal Audit of Retail Industry

This Guide is an attempt to provide a consistent and comprehensive coverage of all aspects of the retail industry.

4. Technical Guide on Social Audit

This Guide covers extensive knowledge about need for social auditing, various contexts of social auditing, regulatory and voluntary codes for social audit, framework for social auditing, data for social auditing and operationalizing social auditing in India.

5. Study on Coordination of Internal Audits with Functional Heads

This Study provides guidance on the way coordination and cooperation between internal auditors and functional heads can be achieved with respect to distinctive

functions and professional requirements of both. It provides an overview of the essential qualities an internal auditor must possess to overcome the impediments in co-ordination process.

6. Study on Investigative Audits

The Study aims to provide various facets of an investigative process at a basic level. The Study also covers in detail topics such as types of fraudulent act, accountability for fraud detection, corporate fraud control plan, investigative tools and techniques, etc.

7. Compendium of Technical Guide on Internal Audit

The Compendium is sub-divided into 2 volumes, i.e., Volume I of the Compendium contains the text of all Technical Guides and the Volume II contains the text of all Background Materials and various Studies relating to internal audit issued by the Board till date.

5.17.3 Conferences and Other Programmes

With a view to develop internal audit as one of the core competence area of the members and to update their skills in various contemporary issues related to internal audit, the Board organizes conferences, seminars, training programmes, workshops on internal audit in various parts of the country which are hosted by the concerned Regional Councils/Branches of ICAI. During this period, the Board organized 11 Workshops, Seminars and Conference at various locations in the country.

The Board is planning to organize events in the field of green audit, life insurance business, general insurance business, NBFC, human resource functions, labour laws, forensic accounting and investigative audit, due diligence, etc.

5.17.4 Courses

The Board has successfully completed three batches of the Certificate Course on Enterprise Risk Management - one in New Delhi and two in Mumbai. The prime objectives of this Course is to impart the necessary technical knowledge and expertise and build upon the skill sets of the members of ICAI, thereby assisting them to play a leading role in various facets of Enterprise Risk Management and to develop it as an area of core competence.

Having regard to the professional and personal preoccupations of the participants, the Course is designed as a balanced mix of class room teaching, e-learning as well as self study. The class room teaching comprises of a 6-week class room time framework with classes being held on six Saturdays.

The Board is planning to organize the Residential Certificate Course on Enterprise Risk Management at Centre of Excellence, Hyderabad from July 28, 2011. The class room study of the said course will be from July 28, 2011 to August 2, 2011 followed by a final examination on August 4, 2011.

The Board has also introduced Certificate Course on Internal Audit. The said course will be launched in the month of October, 2011 at Centre of Excellence, Hyderabad.

5.18 Committee on International Taxation

The Volume of Cross Border movement of men, capital and goods has registered phenomenal growth as a consequence of globalization and liberalization. There may be political border but as far as commerce is concerned, world has become small village and borders have for all practical purposes disappeared. There are obviously tax implications of cross border transactions. The ICAI, being a regulator, has an objective of empowering the members so as to facilitate smooth functioning of the profession and service to the stakeholders. As part of the programme for empowering the members, the ICAI has through the Committee on International Taxation taken certain initiatives. One such initiative is the Post Qualification course on International Taxation. It is a structured course comprehensively covering all aspects of International Tax. Eminent faculties with in-depth work experience of the subject are invited to share their knowledge and experience. By now, 14 batches have been conducted in New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad and Ahmedabad. The understanding of the subject attained by the participants is tested through an Assessment Test. The successful participants are awarded certificates. The structure of the course and the manner in which it is conducted has been well received.

The Committee is in process of developing the Advance Course to develop competency amongst members in application of the knowledge of International Tax acquired by them through the basic course. The first batch of Advance course will commence from October 2011.

The Committee recognizes the significance of spreading knowledge of the subject of International Tax throughout the country and, therefore, initiative has been taken to develop E-learning modules to facilitate the learning of the subject by any member residing in remotest area.

Apart from the above activities, the Committee has brought out following Publications on International Taxation for the overall benefit of esteemed members:

- Technical Guide on Taxation of Expatriates (July 2011)
- Technical Guide on Royalty and Fees for Technical Services (July 2011)
- Aspects of International Taxation - A Study (under revision)
- Guidance on Report on International Transactions under Section 92E of the Income Tax Act, 1961 (Transfer Pricing) (under revision)
- Taxation of Non-Residents (under revision)
- Background Study Material on International Taxation (January, 2010)
- ABC of Double Tax Avoidance Agreements (February, 2010)
- Articles on International Taxation in ICAI's Journal
- Structuring of Outbound Investments - Tax, Regulatory & Strategy Issues including Inbound Investment perspective (In progress)
- Digest of Case Studies on International Taxation(In progress)

5.19 Committee for Members in Industry

5.19.1 Overview

The Committee for Members in Industry is involved in encouraging and enhancing close links between ICAI and the Chartered Accountants working in industries in various capacities

so as to provide them, a base of reference in terms of knowledge, expertise, skills and assistance in individual career growth through the development of extensive and intensive relationship with organizations and agencies of the Government, so as to provide the maximum possible exposure to the world of trade, commerce, industry and governance, while simultaneously pursuing the goal of providing the maximum of employment opportunities.

The Committee also provides assistance to members of the ICAI in finding appropriate career opportunities in the industry. In this regard, the Committee is engaged in providing placement services to the following categories of members and students of the ICAI:

- (i) Newly qualified Chartered Accountants through the campus placement programme
- (ii) Experienced Chartered Accountants – who are presently serving in industry
- (iii) Semi Qualified Accounting Professionals

All the above services are being administered through the Placement Portal www.cmii.icai.org and <http://Jobs4CAs.icai.org>. The ICAI placement portal provides an opportunity to (both qualified as well as semi qualified) and the industry to interact with the objective of building capacity for international best practice oriented finance and accounting culture in the Indian industry.

Statistics of the Members working in Industry/ practicing 2010-11

Not in Practice	Part Time Practice	Members in Industry <i>Total of not in practice and part time practice</i>	Full Time Practice	Total
82931	8089	91020	83664	174684

5.19.2 Career Assistance Programmes organised for the benefit of the Members of the ICAI

The Committee organizes Campus Placement Programmes for all level of Chartered Accountants at frequent intervals throughout the year. The Committee is committed to provide world class placement services to the Members and best accounting and finance talents to the industry.

- **Special Campus Placement programme - 15th-16th April, 2010, National Institute of Financial Management (NIFM), Faridabad**

The Committee has organized Special Campus Placement Programme on 15th and 16th April 2010 at NIFM, Faridabad for the participants of three months Residential Programme on Professional Skills. In total, 22 candidates have accepted the offer out of 30 registered candidates.

- **DCO Heads meeting through Video Conferencing/Teleconference held on 28th May, 2010**

In this meet, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi were present through Videoconferencing while Jaipur, Bangalore, Hyderabad and Pune were connected though teleconferencing. The purpose of the meeting is to request centre heads to ensure in best possible way for the successful conduct of the Special Placement Programme for fresh and experienced Chartered Accountants during 22nd-26th June, 2010.

• **Summer Placement Programme for Experienced Chartered Accountants – June 2010**

The Committee has organized Summer Placement Programme for Experienced Chartered Accountants during 22nd-26th June, 2010 in Mumbai, New Delhi, Bangalore, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Jaipur and Pune centres. 198 jobs were offered to the candidates who participated in Special Placement Programme.

5.19.3 ICAI - Industry HR Meets

The Committee has organized ICAI - Industry HR Meets during 6th July to 14th July, 2010 at six centres - Mumbai, Bangalore, Chennai, New Delhi, Hyderabad and Kolkata with the professionals in industry to understand their needs and expectations from the CMII and placement programme.

5.19.4 Campus Placement Programme - August–September 2010

The placement programme was successfully concluded on 25th September, 2010. It was organised at 16 cities. In all 84 recruiting organisations with 152 interview teams participated to offer jobs to 1398 newly qualified Chartered Accountants. There were another 4 companies that have purchased rank holders' list from us and have contacted/recruited the candidates directly. 44.94 per cent of the candidates appeared for the interview got the job offers. Out of the candidates who were offered jobs, 1144 accepted the offers. Highest package for international posting was Rs 21 Lacs p.a. by Tolaram Group and for domestic posting Rs 15 Lacs p.a. by Abhishek Industries. Average salary of Rs. 6.45 Lacs p.a. was offered by the recruiting entities during Campus Placement Programmes held in August – September 2010.

5.19.5 Special Placement Programme for Organizations functioning in Gulf Council Countries (GCC)/ Middle East

The Committee for the first time has organised a Special Placement programme for the organizations functioning in GCC/Middle East countries through Video Conferencing Mode. This initiative has been taken to facilitate the placement of the Chartered Accountants outside India in Gulf and Middle East countries as well as to aid the overseas organizations to conduct the interviews through video conferencing seating in their offices in respective countries.

During this programme, interviews were conducted on 8th December for Qatar Insurance Co. by way of video conferencing between Mumbai and Doha. A total of 16 candidates appeared for the interview. Out of this 2 candidates have been recruited by the organization. The CTC package offered was approx. innately Rs. 16 lacs per annum for the international posting.

5.19.6 Campus Placement Programme – February–March 2011

In its endeavour to provide quality Accounting, Finance, Tax, Audit and Management Consultancy personnel to recruiting entities, the Committee has successfully organized one more round of Campus Placement Programme for newly qualified Chartered Accountants at sixteen centres viz. Ahmedabad, Bangalore, Barqda, Bhubaneswar, Chennai, Coimbatore,

Ernakulam, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Mumbai, Nagpur, New Delhi and Pune in February-March, 2011.

Brief summary of the placement programme of both the phases is as follows:

Number of Candidates Registered	5375
Number of Interview Teams	223
Number of Organisations	111
Number of Jobs Offered	1876
Percentage of jobs offered vis a vis registered candidates	34.90%

Executive Summary

1. Highest salary offered for international posting in the Campus Placement Programme is 120,000 -150,000 USD PA (INR 54,86,412.00 to INR 68,58,015.00, 1 USD = 45.72010 INR).
2. Highest salary offered ever for domestic posting in the Campus Placement Programme is Rs. 13.92 Lacs per annum.
3. The minimum salary paid is Rs 3.27 Lacs per annum.
4. The average salary offered was Rs. 6.747 Lacs per annum.
5. Total 1902 candidates have participated in Phase I interviews and 4963 candidates have participated in phase II interviews after merger of candidates from smaller centres. In all 5375 candidates registered for availing the services of Campus Placement Programme.
6. Around 1876 jobs were offered to the candidates who participated in Campus Placement Programme.
7. In all 34.90% of registered candidates were offered jobs.
8. 1663 candidates accepted the job offers.
9. 111 entities including the corporate organizations and the Chartered Accountancy Firms have participated during the Campus Placement Programme.
10. 223 Interview Panels have participated during this Campus Placement Programme.

Salient features

1. Candidates have been given two choices to meet the recruiting organisations. First at smaller cities and second (if the candidates have not been selected at smaller cities) at bigger cities.
2. The Committee organised Orientation Programme for candidates to sharpen their soft skills and give updates on the Technical side.
3. In this Campus Placement Programme, all the candidates have been permitted to attend the Orientation Programme at any of the centres to avoid the requirement to travel to centres chosen for interviews for attending the Orientation Programme.

The following table shows the statistical information of campus interview at a glance:

Salary Range

Salary Range (per annum)	Number of Candidates Feb-March, 2010	Number of Candidates Aug-Sept, 2010	Number of Candidates Feb-March, 2011
Rs. 9,00,000 and above	43	79	108
Rs. 7,50,000 to Rs. 8,99,000	227	169	413
Rs. 5,00,000 to Rs. 7,49,000	656	756	989
Rs. 3,50,000 to Rs. 4,99,000	272	137	142
Rs. 2,50,000 to Rs. 3,49,000	17	3	11
Total	1215	1144	1663

As apparent from the statistics, there has been a significant rise in the range of CTC offered by the organization in the all three range of more than Rs 5,00,000 lacs per annum to the candidates and the offers accepted by them.

The Table above depicts the comparison between the number of the candidates selected within the various salary ranges offered during Campus Placement Programme February-March, 2010, August-September, 2010 and February-March, 2011. It can be observed that in the recent programme higher salaries were offered to more number of candidates. Less number of candidates were offered lower salaries. This reflects a general rise in the pay packages that is being paid to the newly qualified Chartered Accountants.

5.19.7 Campus Placement Programme exclusively structured for Small & Medium sized Enterprises (SMEs) and Small & Medium Chartered Accountants firms

Exclusively Structured Campus Placement Programme for SME's & SMP's

In its unique endeavour to provide quality Accounting, Finance, Tax, Audit and Management Consultancy personnel to small and medium sized Industries and Chartered Accountant Firms, the Committee has successfully organized, exclusively structured Campus Placement Programme for newly qualified Chartered Accountants at 8 centres across the country as per the following schedule:

Centre	Dates
Bangalore, Chennai	18 th , 19 th May, 2011
Kolkata, Mumbai, New Delhi	18 th May, 2011
Ahmedabad, Pune, Nagpur	19 th May, 2011

Executive Summary of the Exclusively Structured Campus Placement Programme

1. Highest salary offered for domestic posting in the Campus Placement Programme is Rs. 8 Lacs per annum.
2. The Minimum Salary paid is Rs. 2.6 Lacs per annum.
3. Around 41 jobs were offered to the candidates who participated in Campus Placement Programme.
4. The average salary offered to the candidates is about Rs. 4.06 Lacs per annum.
5. 37 entities including the Corporate organizations and the Chartered Accountancy Firms have participated during the Campus Placement Programme.

6. 37 Interview Panels have participated during this Campus Placement Programme.

In all, 116 candidates had the opportunity to avail this service. The bio-data of these professionals were classified centre-wise and they were given an opportunity to meet interview boards of 37 organisations at 8 centres.

Consolidated:

Total for all centres of the Interviews	No. of candidates
Candidates Reported	116
Jobs Offered	41
Percentage of jobs offered vis a vis Attended candidates	35.34%

5.19.8 HR Meets

The Committee has organised ICAI - Industry HR Meet on 27th April, 2011 at India Habitat Centre Habitat World, at IHC, New Delhi.

5.19.9 Formation of CPE Study Circle for Members otherwise than in practice

As a proactive measure to meet the CPE requirements of the members in industry, the Committee was instrumental in formulation of the Norms for the CPE Study Circles for Members in Industry. It has started registering CPE Study Circles for Members otherwise than in practice. 44 CPE Study Circles have been already formed.

5.19.10 Developing Competencies amongst the Members of ICAI in Industry

• **Publications**

- The Committee has brought out revised editions of 'Handbook for Newly Qualified Chartered Accountants' for the benefit of newly qualified Chartered Accountants to enable them to face the interviewing team and at the same time enlighten themselves with matters relating to general knowledge and topics relevant to them.
- The Committee has released three issues of eNewsletters of the Committee 'Corporate Communique'.

• **Programmes Organised**

In its endeavour to provide tailor made technical training to the members in Industry, the Committee successfully organized the 56 programmes at various locations in the country, which included Seminars, Workshops, Residential programmes, Conferences, Orientation programmes, CFO/CEO meets and Outreach programmes.

5.19.11 Meeting with Industrialist

A meeting of President, ICAI was organised on 15th June 2010 with Shri Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director, Reliance Industries. In the meeting CA. Pankaj Inderchand Jain, CA. Bhavna Doshi, CA. Mahesh P. Sarda were also present. The team from ICAI also met with Mrs. Tina Ambani on the same day. The purpose of meetings was to

conduct an interview and also to develop relations between ICAI and Industry. It was also directed towards getting useful suggestions and views for the overall development of the accounting profession and to improve the skill-sets of Chartered Accountants to enable them to take-up newer challenges of the economy.

5.19.12 First Meeting of Real Estate Group

The first meeting of Real Estate Group was held on 4th July, 2010 at Hotel Clarks Amer, Jaipur. The following issues were discussed in the meeting:

1. Real Estate market in general
2. Accounting and Auditing issues faced by Real estate industry
3. Matter related to the members who are employed in Real Estate Sector and their involvement in the ICAI's Activity
4. Service tax recently introduced in Real Estate Industry
5. Various provisions of Income tax Act including TDS provisions applicable to Real Estate Industry and their impact on the industry

5.19.13 Meeting of President, ICAI with Mr. Nandan Nilekani, Chairman, UIDAI

The nation has an ambitious project for the issuance of Unique IDs to its citizens. A meeting was held with Mr. Nandan Nilekani, Chairman of Unique Identification Authority of India (UIDAI) on 20th October in New Delhi. Different issues of mutual interest were discussed. It was discussed how ICAI and its vast base of members spread across the country can be used for implementation of the project. CAs having experience in other endeavours such as in PAN Cards, e-governance and facilitation centres for sales tax and excise are well suited to be part of the project. During the course of meeting, IT system for Goods and service tax were also discussed. It was decided that the ICAI will work with the government for development and implementation of this system. We are also conducting an interview of Mr. Nilekani to print it in Journal.

5.19.14 First CMII Outreach programme

The Committee had organised the first CMII outreach programme at GMR Group Corporate Office, Bangalore. More than 80 CAs on various issues concerning the profession have attended the programme. The response has been encouraging and the Committee proposes to conduct many more such outreach programmes in various corporates across the country. An Outreach programme kit designed by CMII was given to all the participants in the programme.

The Outreach programme has been conceived with the idea of bringing the members in Industry closer to ICAI by:

1. Highlighting the activities of ICAI and the CMII
2. To encourage senior members to renew their membership of ICAI
3. To encourage new members to apply for membership
4. To solicit views from members in industry about what they expect from ICAI
5. Participation of Members in Industry in research projects of ICAI
6. To encourage formation of CMII Study Circles in different areas

5.19.15 Second CMII Outreach programme

The Committee has organised the second CMII outreach programme at Power Finance Corporation of India Ltd., New Delhi. The President, ICAI had the opportunity of interacting with the CAs on various issues concerning the profession along with CA. Jaydeep N. Shah, Vice President, ICAI, CA. K. Raghu, Chairman, CMII, CA. Pankaj Tyagee, Vice-Chairman, CMII, CA. S.B. Zaware, Committee Member CMII, CA. Rajkumar S. Adukia, Central Council Member, ICAI, CA. Raghupathi T. Hegde, Co-opted Member CMII. They also met the Director (Finance), Power Finance Corporation of India Ltd. Shri R. Nagarajan and interacted with him about ICAI and its initiatives.

5.19.16 Third CMII Outreach programme

The Committee organised its Third Outreach programme at Jubilant Life Sciences Ltd. on 27th June 2011 at Noida. Shri R. Shankar Aiyar, Group Finance Director, Jubilant Life Sciences Limited welcomed the Hon'ble Past President, ICAI along with all the dignitaries and thanked the Committee for providing such an opportunity. The programme was attended by CA. Amarjit Chopra, Past President, ICAI, CA. K. Raghu, Chairman- CMII, CA. Pankaj Tyagee, Vice-Chairman, CMII, CA. Vinod Jain, Central Council Member, CA. C.S. Nanda, Central Council Member and CA. Anuj Goyal, Central Council Member. From the side of office, Dr. Surinder Pal, Secretary CMII, Ms. Priyanka Sharma, Ms. Shruti Kalra and Ms. Shweta Verma were also present. The programme was attended by 150 Chartered Accountants.

5.19.17 Launch of ICAI Connect - A Membership Revival Campaign

The ICAI Connect was formally launched by Shri D.K Mittal, Secretary, Ministry of Corporate Affairs on 63rd CA Day held on 1st July 2011 at Vigyan Bhawan. ICAI Connect is a drive to club all the Chartered Accountants who have not opted or renewed their membership of ICAI. Members are the very foundation of an Organisation. ICAI Connect initiative will make the foundation of ICAI even stronger by active participation of our members in Industry and practice. In this dynamic environment, it is important for all Chartered Accountants to remain an active member of the ICAI.

5.19.18 Launch of ICAI Web TV

The Web TV was launched by Hon'ble CA. Rameshwar Thakur, Past president ICAI and H.E Governor of Madhya Pradesh. Considering the fact that members in industry find it difficult to attend Seminars and Conferences due to their work pressures, it was decided that CPE should be offered at their door step.

Educative videos are hosted on a the ICAI Web TV which will enable members to stream lectures of eminent speakers and watch them on their desktops, laptops and mobile phones at their convenience. All important live events of ICAI are being beamed live Web and Mobile platform using cutting-edge technology. Members across the country can participate in the webinars that will be announced by the Committee. It is for the first time in the history of ICAI that an event has been webcasted live across the country. The webcast has been viewed by more than 4200 CAs across the country.

5.19.19 Celebration of 63rd CA Day across the country

The 63rd CA day was celebrated by all the corporates across the country. The programmes and other cultural activities had been organised at the corporates. There were formal and informal gatherings in the corporates. All the Chartered Accountants participated in the events. The CPE Study Circles for Members in industry across the country celebrated the CA Day.

5.19.20 Residential Seminar on XBRL exclusively for Central Council Members

The Committee organised a Residential Seminar on XBRL - Extensible Business Reporting Language on 19th June, 2011 at Centre of Excellence, Hyderabad. This programme was meant exclusively for Central Council Members only.

5.19.21 Campus Placement Programme for Newly Qualified Chartered Accountants –August-September, 2011

The Committee organises Campus Placement Programme for newly qualified Chartered Accountants at various centres all over India. The scheme has been evolved to provide an opportunity both to employing organisations as well as the young professional aspirants to meet and explore the possibility of taking up positions in Industry.

5.19.22 Programmes on contemporary issues

The Committee is holding programmes/meetings on contemporary issues like XBRL, IT Industry, Direct Tax Code, relevance of Indian GAAP in emerging Scenario, IFRS Convergence – Professional Opportunities etc. This will help in updating the knowledge of members in industry.

5.19.23 eNewsletter 'Corporate Communiqué

The Committee has released 6th issue of the eNewsletter 'Corporate Communiqué. This issue of eNewsletter "Corporate Communiqué" will pave way to keep members in industry of the ICAI abreast of the latest developments with regards to initiatives taken by the ICAI through this Committee.

5.19.24 Campus Placement Programme exclusively for ICAI

The Committee conducted Campus Placement Programme for ICAI to appoint Education/Executive Officers in ICAI. More than 1000 CAs registered for the ICAI Campus and more than 400 candidates participated in the written test and more than 100 candidates were shortlisted for the final round of interviews. We shall be recruiting young CAs for various technical and non-technical Committees of ICAI so as to render better services to the growing membership.

5.19.25 Fourth Annual Corporate Forum, 2011 – January 28-30, 2011 – Kolkata

The Committee organized Corporate Forum 2011 - a three day mega event from 28-30 January, 2011 in Kolkata. This is the fourth time in a row that the Committee has organised such an event. These events have been a mix of opportunities for the corporates and members of ICAI. The event comprised of four concurrent programmes - Career Ascent-Mid Career Campus, Corporate Conclave, Capital Advantage and ICAI Awards 2010. The

programmes were conducted simultaneously at different locations from 28th to 30th January, 2011. The first day witnessed three events that started concurrently. On 28th January, 2011, Career Ascent was organised at Rotary Sadan, Kolkata in which a total of 267 candidates participated. It provided Chartered Accountants who were having one year or more of industry experience with growth and career prospects, enabling them to realize their full potential and aspirations and widen their horizon. A total of 7 Companies participated in the career ascent through a span three days and offered on the spot jobs to more than 40 candidates. Another event, Capital Advantage - Invest & Buy Mart was organized at Hotel Hyatt Regency Kolkata. Capital Advantage exhibition acted as a platform where Chartered Accountants and corporates from all over India marked their presence. This enabled various organizations involved in Manufacturing, Banking, Finance and other services to interact with Chartered Accountants, Investors, Finance Fraternity, and Corporate Decision Makers. The third event that marked the beginning of Corporate Forum was Corporate Conclave. It was a three-day knowledge and skills enhancement programme on contemporary topics and it was organised at Hotel Hyatt Regency, Kolkata. The topics covered were Tax and Business planning for the future, Indian stock Market and IFRS & XBRL. It provided the members an opportunity enrich the knowledge and to enhance the skill sets of members. The Corporate Forum concluded with much awaited ICAI Awards - 2010 ceremony in the evening of 30th January, 2011. The glittering event was graced by the valuable presence of eminent guests such as Chief Guest, Shri Dinesh Trivedi, Union Minister of State for Health, Guests of Honour, Shri Shovan Chattopadhyay, Mayor of Kolkata, distinguished Journalist Shri Prabhu Chawla. Dignitaries from the ICAI viz. CA. Amarjit Chopra, the then President and the then Vice President, CA. G. Ramaswamy, Central Council Members, Members of Eastern India Regional Council Members, were also present. The well known Bollywood actor, Mr. Jackie Shroff, Bengali actresses, Ms. Rachna Banerjee and Ms Priyadarshini were also present on the event. The Cultural programme was presented by popular singer Shri Sonu Nigam. The event was cheered and witnessed by a jam-packed audience. The awards honoured the exemplary work of Chartered Accountants in Industry by recognizing those who have demonstrated excellence in the professional life, personal life and are the role models for others in industry. 20 awards were conferred to Chartered Accountants for excellence in various categories including two Special Achievement awards. The prestigious programme ranging three days from 28th-30th January, 2011 was widely covered by local as well as national media encompassing both print media and electronic media particularly DD Bangla for all four events, R Plus - Local TV Channel, Taza TV. The Award Ceremony will also be covered by UTV. The promos of the programme were aired on Red FM. The Committee hopes to continue organizing such events in future also for the benefit of members in industry and corporates.

5.20 Peer Review Board

The Peer Review Board of the ICAI set up by the Council in the year 2002 has been successful endeavor, which has so far been able to achieve its objectives for which it was set up. The Peer Review is a mechanism to proactively pursue, upgrade and maintain the quality standards in India. The Board comprising of Members of the Council and representatives from bodies like the Ministry of Corporate Affairs, C&AG & SEBI is moving forward to maintain and enhance the quality of attestation services and ensuring that the reviews are carried out as per the best global practices.

The Securities & Exchange Board of India (SEBI) has made mandatory with effect from April 1, 2010 for the listed entities, that limited review/statutory audit reports submitted to the concerned stock exchanges shall be given only by those auditors who have subjected

themselves to peer review process and who hold a valid certificate issued by the 'Peer Review Board' of the ICAI.

The Comptroller & Auditor General of India has recognised Peer Review Board's work; as it seeks additional details from the Chartered Accountants firms about their Peer Review Status in the application form for allotment of audit for Public Sector Undertakings. Furthermore, from last few years, the C&AG annually seeks details from ICAI of those firms which have been issued certificate by the Peer Review Board.

In order that there is consistency and uniformity in carrying out reviews by the Reviewers, the Board imparts training to the Reviewers, before assigning them the practice units for review. The training modules specially developed for the purpose as a book titled "Training Modules for Peer Reviewers" is provided as training curriculum for Reviewers and also guidance for the training facilitators on how to conduct reviewer's training. The Reviewers, have the onerous responsibility of ensuring the achievement of the objects for which the Peer Review Mechanism has been introduced. Hence the role of Peer Reviewer is that of a friend, philosopher and guide.

The Peer Review Process aims to cover all firms of Chartered Accountants (PUs) in a phased manner in three stages. PUs covered under Stage I have been selected in 5 phases and those under Stage II have so far been selected for 4 phases. Selection of PUs under Stage III has also been made under phase I thereof. Details of PUs selected, reviews completed and Peer Review Certificates issued will be found elsewhere in this report.

During the last 9 years of its existence, the Board has come a long way and Peer Review Mechanism is being widely accepted by the profession. The Sub-Committee of the Peer Review Board for consideration of the Final Clean, qualified and the follow up reports met during this Council year and in total 5150 Practice Units have been issued Peer Review Certificates by the Peer Review Board till date. The Council has decided to revise the Statement on Peer Review as recommended by the Peer Review Board.

Position regarding selection of Practice Unit

Selection of Practice Unit	No. of PU selected	% of selection	Peer Review completed/ under progress
Selection under Stage 1 (SI)	2755	26.03%	2278
Selection under Stage 2 (SII)	5047	47.47%	4125
Selection under Stage 3 (SIII)	2768	26.50%	1925
Grand Total *	10570	100%	8328

Coverage of Practice Unit (year wise)	No. of PU selected	Selection of Practice Unit (Phase wise)	Stage I	Stage II	Stage III
2003-2005	2016	Phase 1	223	1509	2718
2005-2007	3798	Phase 2	284	1269	50
2007-2008	1647	Phase 3	460	1084	-
2008-2009	1680	Phase 4	732	962	-
2009-2010	1106	Phase 5	1056	223	-

2010 onwards (Suo- motu)	323	-	-	-	-
Grand Total *	10570	Total	2755	5047	2768

Position Regarding Peer Review Reports

Statistics as on	Reports received (Final/ Qualified)	Peer Review Certificates issued	Follow up Review recommended	Reports to be Considered by the Board/Incomplete Reports
Grand Total *	5602	5150	394	58

Second Cycle of Review

Stage	PUs Selected/ Reviewers names intimated	Reviewers selected by PUs	Reviewers consented	Reviewers yet to give consent	Final reports Received	Peer Review Certificates issued
Stage I	349	301	282	19	189	183
Stage II	414	207	151	56	119	109

* As on June 2011

The Number of Reviewers empanelled - 5598
Number of Trained Reviewers - 4284

5.21 Professional Development Committee

The Professional Development Committee was set up in the year 1962 as a non-standing Committee by the ICAI. The Professional Development Committee is one of the most vibrant Committees of the ICAI which has always been making vigorous efforts towards exploring, and making available ample opportunities for the members of the ICAI in different sectors of the economy. It determines the professional development needs and identifies issues and other areas, which can impact the profession. In order to achieve this, the Committee has been striving to generate more professional opportunities for the members of the ICAI by exploring/pursuing new/existing areas where the professional skills of the members could be utilized in a productive and fruitful manner. The Committee has also made considerable efforts to ensure that equitable opportunities are available to all members of the profession. Apart from exploring uncharted territories in the professional development, the Committee strives to strengthen the communication process with multitude of users across the different sections of the society and educate them about the role of Chartered Accountants. With a view to enhance skill sets of Chartered Accountants in the existing and new areas, it also organizes seminars, workshops on contemporary areas of interest.

The Committee took many initiatives during the year, like holding meetings with different officials of Ministry of Finance, in different government departments, regulatory bodies etc. Besides meetings, the Committee organized seminars and workshops with the objective of improving the skills of the members, keeping them abreast of the new rules & regulations and bringing members and regulators closer to each other.

The major achievements/endeavours of the Committee in this reporting period are given below:

- Pursuant to follow-ups, RBI vide its circular dated April 15, 2011 relating to "Submission of system audit reports" has allowed DISA qualified Chartered Accountant to conduct system audit of Authorised Payment System Operators and Entities.
- Both Ministry of Finance and Reserve Bank of India were convinced not to open the complete list of eligible Central Statutory Auditors for the banks to select their auditors and accordingly, list of auditors was released in the ratio of 2:1 as compared to number of available vacancies.
- For the first time, Office of Commissioner for Cooperation and Registrar of Cooperative Societies, Pune took a panel of Maharashtra based CA Firms for conducting the audit of Urban Cooperative Banks and cooperative societies other than UCBs for the State of Maharashtra, which was specifically prepared by the ICAI for the purpose.
- As a result of successive representations and follow up seeking general extension to obtain and submit the U P VAT Audit Report, the Audit Reporting Forms has been revised and notified along with other amendments in Rules.
- The clause pertaining to negotiation of audit fee would be deleted from the policy circular regarding fixation of fees of auditors of State and District Central Cooperative Banks onwards by NABARD from next year. We are sure that the removal of the negotiation clause while fixing fee would ensure more transparency and equitable distribution of work among the auditors of State and District Central Cooperative banks.
- Pursuant to our representation, State Bank of Patiala increased the auditor fees for income audit suitably depending upon category of branch and volume of business at the branch.
- Pursuant to our representation, the Project Coordinator, Diversified Agriculture Support Project (DASP), Uttar Pradesh amended their invitation for EOI from CA firms for the Internal Financial Audit of DASP for the period of year 2007-08, 2008-09, 2009-10 and issued a corrigendum in the newspapers on 25th January, 2011.
- The report on concurrent audit of banks was submitted to Indian Banks' Association and Reserve Bank of India. Pursuant to discussions which took place after that, RBI has now formed a working group to look into all aspects of concurrent audit.
- The Professional Development Committee Knowledge Portal www.pdicai.org continues to provide its services to the members with timely and essential information on practice development and new professional opportunities in different sectors to the members.
- The Portal for CA Networking and consolidation, which is available at the link www.canet.co.in continues to provide a platform to Chartered Accountants to network with the people who share similar ideas, goals and visions and who complement strengths of participants of the Network.

To explore more professional avenues, representations were sent to various Government authorities and meetings were held with various authorities with the objective to explore more professional avenues and to focus on the untouched areas in the existing avenues.

As a result of great stride for ensuring availability of equitable professional opportunities and to provide more and more professional assignments, various authorities/organisations were provided with the panels of Chartered Accountants/firms.

In its endeavour to consider ways and means to provide specific assistance in improvement of skill and talent of our members, the Committee organized various Conferences, Seminars, Workshop and training programmes during the period.

5.22 Committee on Public Finance & Government Accounting

ICAI through its Committee on Public Finance & Government Accounting is focusing not only in the areas of financial reporting, accounting and auditing but is also laying emphasis on issues on Public Finance and Government Accounting and is thus striving to create resources/outcomes of utility to society at large. Through this Committee, ICAI provides assistance to Central and State Governments to develop effective mechanism for financial administration and management of public fund.. The Committee also strives to provide awareness to all stakeholders including employees, media, NGOs and society at large about the benefits and necessity of accounting reforms in Government sector for addressing the issues of transparency, good governance and for meeting challenges posed by consumer activism, citizens rights and RTI etc.

The principal objectives of the Committee are:

- To review, analyze, recommend and suggest measures to the Local, State & Central Government, PSUs and other organizations in Policy assessment, planning and execution in public finance, Reforms in Government Accounting System and Maximizing public fund's utility to augment and vitalize economic growth for end beneficiaries.
- To provide training within the Government bodies, to evolve methods which would enable in use of present day Information technology in assisting the accounting reform process, Collaboration and coordination with Comptroller & Auditor General of India (CAG) and Controller General of Accounts (CGA) to bring improvements in the framework of Government Accounting System.
- To suggest to the Central and State Government the means and ways which would assist in widening the tax base & in better administration of the revenue collection, improve MIS, budgetary control mechanisms, and enhance accountability and transparency.
- Committee also strives to undertake capacity building measures for the profession to enable the profession to assist the Government in the process of implementation of Government Accounting and Public Finance reforms.

The major initiatives of the Committee during the year included launching of book titled, 'Issues in Public Finance' and organising of various training programmes, Conferences, Seminars at various locations in the country.

5.23 Research

Research plays a crucial role in nurturing as well as widening the knowledge base of any profession. The Research Committee was constituted as a Non-Standing Committee by the Council as early as in the year 1955 with a view to undertake research activities to further improve the quality of services rendered by the profession. The Committee formulates Guidance Notes on accounting aspects which are issued under the authority of the Council. It also brings out Technical Guides, Studies, Monographs, etc. on generally accepted accounting and/or auditing principles and practices designed to enhance the value of the services rendered by the profession. The Committee also conducts an annual competition, 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting', with a view to encourage better financial reporting and recognise merit in the preparation and presentation of financial statements.

5.23.1 Achievements of the Committee

The publication of the Committee, 'Excellence in Financial Reporting: Illustrative Guide to Presentation and Disclosures' was released by Hon'ble Union Finance Minister, Government of India, Shri Pranab Mukherjee during the inaugural ceremony of the International Conference on Accountancy Profession: Catalyst to Sustained Economic Growth, hosted by ICAI on January 4, 2011 at Vigyan Bhawan, New Delhi. This publication is a collation of key observations made during the review of the annual reports for past two years received for the annual competition 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' with the endeavour to list the best practices in various aspects of financial reporting to enable preparers of financial statements in benchmarking their own practices.

5.23.2 Important Projects in Progress

Certain other important projects of the Committee in progress are:-

a. Revised Guidance Note on Accounting for Oil and Gas Producing Activities

The Committee felt that due to developments in Oil and Gas Industry and amendments in laws, there is a need to revise the existing Guidance Note on Accounting in Oil & Gas Industry. Accordingly, the Committee has undertaken the project of revision of the Guidance Note.

b. Technical Guide on Revenue Recognition of Telecommunication Operators

This Technical Guide provides guidance to deal with industry-specific accounting issues relating to revenue recognition of Telecommunication Operators with a view to bring about establishment of sound accounting practices.

c. Study on manner of IFRS implementation in EU and Current Status of IFRS Implementation in select countries

This Study provides an insight of the process that was undertaken at the time of implementation of IFRSs by EU as well as the situation prevalent at the time when the IFRSs were implemented and the current status of implementation in select countries.

d. Technical Guide on Accounting for Talent in the Entertainment Industry

The Committee initiated this research project to provide industry specific guidance for this noticeably high growth rate sector particularly with the advent of big corporate in the Entertainment Industry.

e. Technical Guide on Accounting Issues in Retail Sector

Retail sector has emerged lately as the fastest growing sector of the economy. The concept of providing everything from grocery to vegetables to electronic items under single roof has caught the fancy of Indian consumer in a big way as also the need to provide guidance on complex accounting issues involved therein. Besides, the Committee has taken up the Project of revision of the existing guidance notes on accounting aspects which may require revision particularly in view of the developments in accounting after the same have been issued.

5.23.3 ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting

To promote better standards in financial reporting and preparation and presentation of annual reports, the ICAI, through its Research Committee, started the ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting as early as 1958. They were earlier known as "Best Presented Accounts Competition" and the same are being held annually thereafter.

In order to recognise and encourage excellence in the presentation of financial information, the competition for the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' is held annually. For the competition this year, the modalities of the Competition were amended and an external Jury was also constituted apart from the Shield Panel to consider the entries received for the above mentioned competition. A total of 140 entities participated in the competition in ten categories based on functional classification which were further classified on the criteria of turnover. The meetings of the Shield Panel and the external Jury were held on December 13, 2010 and December 14, 2010 respectively wherein the financial statements of the short listed participant entities were meticulously considered and after detailed deliberations the awardees of this year's competition were selected. Meeting of the Jury was chaired by Padma Vibhushan Shri Naresh Chandra, Chairman, National Security Advisory Board. Other members of the Jury who attended the meeting were CA. Piyush Goyal, Member of Parliament (Rajya Sabha), CA. V. Balakrishnan, CFO Infosys Ltd., CA. Ashu Suyash, Managing Director and Country Head-India Fidelity International (participated throughout via conference call), Dr. A.K. Banerjee, Former Deputy C&AG, Smt. K.J. Udeshi, Former Deputy Governor RBI and Chairperson, BCSBI, CA. Pallav Gupta, General Manager (Taxation), ITC Ltd. and Shri Prithvi Haldea, Council Member, ICAI and Chairman and Managing Director, PRIME Database.

A total of 17 awards - Six Gold Shields, eight Silver Shields and three Plaques were distributed at the award function held on January 4, 2011 at Vigyan Bhawan. The Awards were given away by Shri Salman Khurshid, the then Hon'ble Union Minister of State (I/C) for Corporate Affairs and for Minority Affairs. Shri R. Bandyopadhyay, the then Secretary, Ministry of Corporate Affairs was also present on the occasion. The list of awardees is as below:

Awardees for the Year 2009-10

Category		Award	Name of the Entity	Annual Report and Accounts for the year ended
I	Banking Sector	Gold Shield	HDFC Bank Limited	March 31, 2010
		Silver Shield	ICICI Bank Limited	March 31, 2010

		Plaque for Commended Annual Report	Kotak Mahindra Bank Limited	March 31, 2010
II	Insurance Sector	Gold Shield	SBI Life Insurance Co. Ltd.	March 31, 2010
		Silver Shield	Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	March 31, 2010
III	Manufacturing Sector (Turnover equal to or more than Rs. 500 crore)	Gold Shield	Dr. Reddy's Laboratories Limited	March 31, 2010
		Silver Shield	TATA Chemicals Limited	March 31, 2010
IV	Manufacturing Sector (Turnover less than Rs. 500 crore)	Silver Shield	Ganesh Polytex Limited	March 31, 2010
VII	Service Sector (other than banking & insurance) (Turnover equal to or more than Rs. 500 crore)	Gold Shield	Tata Consultancy Services Limited	March 31, 2010
		Silver Shield	Persistent Systems Limited	March 31, 2010
			Infrastructure Development Finance Company Limited	
VIII	Service Sector (other than banking & insurance) (Turnover less than Rs. 500 crore)	Gold Shield	Nucleus Software Exports Limited	March 31, 2010
		Silver Shield	Info Edge (India) Limited	March 31, 2010
IX	Not-for-Profit Sector	Gold Shield	The Akshaya Patra Foundation	March 31, 2010
		Silver Shield	Vidya Dairy	March 31, 2010
		Plaque for Commended Annual Report	Helpage India	March 31, 2010
X	Local Bodies	Plaque for Commended Annual Report	Surat Municipal Corporation	March 31, 2010

5.24 Vision & Perspective Planning Committee

The Vision & Perspective Planning Committee reviews emerging developments nationally and internationally, to improvise the strategic work plan to achieve the long-term vision of building up profession's credibility and create a niche in emerging areas as well, so as to of value to society and expand our horizon.

Significant Achievements and Initiatives: 2010-11

- ✓ The Vision and Perspective Planning Committee, with joint efforts of the Board of Studies organized a "**Round Table Conference on Commerce & Accountancy Education in India: Issues and Challenges**" on 26th September 2010 at New Delhi. The conference invited participation from august dignitaries from academia including the Vice-Chancellors, HODs (Commerce and Finance) and Academicians with distinct contribution to the commerce and finance education field from all the big and recognized universities across the nation. The Conference was intended to foresee the needs and expectations of the young and developing India in the coming decades from the changing equations of economy and its impact on the education sector which will never the less be expected to partner in the development of the country by producing young, dynamic professionals to keep up with the changing economic scenario.

The Workshop has been instrumental in gathering insights on the modalities and mechanisms to improve the existing infrastructure, curriculum, technologies and teaching methodologies for creating worthy education environment for the students in the coming years.

- ✓ The Committee has studied the European Commission Directive on Transition period for audit entities from 3rd Countries. The importance of this directive would be that individual audit firm from 3rd Country conducting audit of companies incorporated outside the EU Community whose transferable securities are admitted to trading on a market regulated within the EU Community would be subjected to file for a registration with EU authorities. The recommendations were forwarded to MCA for necessary action being a significant matter.
- ✓ The Committee is studying the proposal from Ministry of Overseas Indian Affairs regarding granting the licensing rights to Overseas Citizens of India (OCI) as announced by the Hon'ble Prime Minister of India in January, 2008 on Bhartiya Pravasi Divas. The Committee while understanding the feasibility of the said proposal in Indian context, on the basis of comparative statement of the provisions as applicable in the other professions mentioned in the proposal, identified a bridging mechanism for the Overseas Citizens of India combined with the conditions prevailing for the existing MOUs/MRAs with international accounting bodies, which was placed before the Executive Committee and Council for their consideration. The detailed study of the proposal so made by the Committee along with the bridging mechanism is now under consideration of the Special Group of Council, the recommendations of which will be further considered and implemented in the years to come.
- ✓ The Committee is also planning to revise its Mission and Vision Statement and is planning to come out with Vision 2030 document along with the Action plan for the next two years as desired by Ministry of Corporate Affairs (MCA).

5.25 Ind AS (IFRS) Implementation Committee

The ICAI being the premier accounting body in India, since its establishment, has been making relentless efforts for bringing an overall qualitative improvement in the financial reporting in India. Moving forward in this direction, it was decided to converge with International Financial Reporting Standards (IFRSs) issued by the IASB, which are increasingly being recognised as Global Financial Reporting Standards. These IFRS

converged Indian Accounting Standards (Ind AS) have been formulated and are in place. To ensure smooth implementation of these Ind ASs and considering global developments with regard to IFRS, a Committee has been constituted this year, namely, Ind AS (IFRS) Implementation Committee, to get the members and other stakeholders ready for proper implementation of Ind ASs. This Committee will support the members and other stakeholders in proper implementation of these Standards by providing guidance in the form of Background Material for Seminars. Frequently Asked Questions on Ind ASs would form a significant part of the Background Materials. For this purpose, various Study Groups have been constituted for formulation of Background Material on various Ind ASs. Draft Background Material on 4 Ind ASs, namely, Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*, Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, Ind AS 103, *Business Combinations*, and Ind AS 37, *Provisions, Contingent Assets and Contingent Liabilities*, are under consideration of the Committee. The Committee would deal with industry-specific issues involved in implementation of Ind ASs.

This Committee will take adequate steps to enhance the knowledge of the members and other stakeholders in the area of IFRS/Ind ASs. For this purpose, the Committee is conducting an IFRS Certificate Course, which was earlier conducted under the aegis of the Accounting Standards Board. This IFRS Certificate Course is a 100 hours Course on IFRS with sufficient classroom training and e-learning facility to make the members competent in this era of IFRS. IFRS Certificate Course is conducted throughout the country at various locations. Now IFRS Certificate Course is conducted abroad also. 3 batches of IFRS Certificate Course have been conducted at Dubai, and one at Nepal. For the IFRS Course conducted at Nepal only technical support was provided to the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN). More than 3300 Members have already been trained on various standards under IFRS Certificate Course.

IFRS e-learning course is also conducted by the ICAI to educate the members and other stakeholders about IFRSs. The Committee would develop and update Study Material for e-learning course from time to time. A Study Group has already been constituted to update the contents of the IFRS e-learning modules.

In addition to IFRS Certificate Course and e-learning course, this Committee is conducting workshops and seminars on IFRS/Ind ASs to create awareness amongst the members and other concerned stakeholders, which were earlier conducted under the aegis of the Accounting Standards Board. In this regard, all India chain workshops on Indian Accounting Standards converged with IFRS were also conducted in collaboration with the MCA. Under this programme, 30 workshops were organised in various cities of the country to equip the concerned stakeholders with the essential knowledge of IFRS converged Standards. More than 2000 members have been trained in these workshops.

In addition to the above, the Committee would interact with Central Government, State Governments, and other national and international bodies on IFRS converged Indian Accounting Standards with regard to implementation related issues. The Committee would co-ordinate with the Accounting Standards Board and other Committees of the ICAI with regard to various issues in IFRS/ Indian Accounting Standards converged with IFRS.

5.25.1 Detailed Activities:

- Study Groups have been constituted to formulate Background Material for Seminars on various Ind ASs.

- Study Group has been constituted for revision of Study Material for IFRS Certificate Course and IFRS e-learning material.
- Several batches of IFRS Certification Course have been conducted in various locations in India and abroad.
- Workshops have been conducted at 30 locations across the country.

5.26 Public Relation Activities

The Public Relations Activities in the year 2010-11 saw an increased interaction with Media, within the ICAI, with its members, branches and regional offices. Some of the important activities undertaken by the PR division include the following:

- The Media interactions increased through one-on-one interviews, constantly apprising the media of the latest developments regarding the curriculum, profession, introduction of new courses, new guidelines for CAs, visit of foreign delegations, other activities and events etc.
- Promoted the potential & scope of Chartered Accountancy Profession in today's dynamic context by way of articles as well as through interactive meetings/releases issued to the press at national/regional level and through various TV Channels.
- Providing logistic support to various departments within the ICAI, to the Regional Offices and Branches with a view to develop communication link between the ICAI and its offices/related organizations.
- As a part of the PR exercise, organized appropriate coverage in Print and Electronic Media to different Seminars/Programmes/Events of the ICAI.
- The Press and Media continues to be apprised of the emerging developments in the profession through constant interactions and in particular after each of the Council meetings.

6. INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE

6.1 Positioning Brand "Indian CA Globally"

The International Affairs Committee continued its endeavour to provide a strong interface to Indian members for recognition of professional opportunities abroad and this was inter-alia intended to be achieved through rendering technical support to the countries by way of formal accountancy infrastructure recognition of ICAI qualification abroad presenting ICAI's view point through its nominees on International Forums and important conferences/seminars. The ICAI Chapters abroad continue to play a lead role in achieving the said mandate of the ICAI. Further, Government delegations led by Minister and Secretary, Ministry of Corporate Affairs to Dubai, Abu Dhabi, Australia and Japan were helpful in sharing emerging global perspective on issue of economic/global significance.

6.2 ICAI's Representation at International Forums

The prominent role played by the ICAI is evidenced in form of nomination it enjoys in the governing boards of international accounting bodies namely the International Federation of Accountants (IFAC), Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) and South Asian Federation of Accountants (SAFA), IIN in addition to their various functional Committees. Its nominees are currently represented on the following:

Committees of IFAC

- As Board Member
- Small and Medium Practices Committee
- Professional Accountancy Organization Development Committee
- International Public Sector Accounting Standards Board

CAPA

- As Board Member

IIN

- As member

SAFA

- As Board Member
- Committee on Education, Training & CPD
- Committee on Accounting and Auditing Standards
- Committee on Professional Ethics and Independence
- Committee for Improvement in Transparency, Accountability and Governance
- Committee on Professional Accountants in Business
- Committee on Quality Control
- Small and Medium Practices Committee
- Committee on Harmonization of Fiscal and Tariff Regimes
- SAFA Summit Organizing Committee
- Task Force to review Constitution of SAFA
- President ICAI as Board Member
- Secretary as Permanent Secretary

6.3 MOUs/MRAs

The ICAI signed an MRA with CPA Ireland on September 08, 2010. The agreement was signed on the sidelines of the IFAC Board meeting which took place in Paris. The MRA was signed in the presence of Mr. Robert Bunting, President, IFAC and CA. Ved Jain, Past President, ICAI and IFAC Board Member. The agreement would allow members of ICAI and CPA Ireland to recognize each other's qualification.

The ICAI signed a Memorandum of Understanding with the Canadian Institute of Chartered Accountants for reciprocal membership arrangements on February 07, 2011. The Memorandum of Understanding was signed Mr. Kevin Dancey, Chief Executive Officer, CICA along with CA. Amarjit Chopra, President, ICAI through Audio Conferencing at the ICAI, Kanpur. The two bodies wish to work together to develop a mutually beneficial relationship in the best interest of members, students and their organizations. The MoU entails coming together of the two Accounting bodies working in tandem with each other to

provide a synergy. This agreement would facilitate mobility of members across the borders and further strengthen the ties between India and Canada.

The ICAI signed a Memorandum of Understanding with the Higher Colleges of Technology, UAE on January 04, 2011. The MoU provides for conceptualizing of a Specialized Module by ICAI for UAE Nationals by devising an International curriculum in Accountancy by integrating local needs keeping in mind various requirements of different level of Accountancy and audit professionals in UAE.

The ICAI signed a Joint Declaration with the Association of International Accountants, UK on January 06, 2011 to augment & strengthen bilateral co-operation between the two accounting institutes. This is going to be supplemented by a Recognition Arrangement which is on anvil shortly.

The ICAI signed a statement of Bilateral Cooperation and a supplementary deed with the University of Djibouti, Republic of Djibouti on January 12, 2011 during the visit of CA. Amarjit Chopra, President, ICAI alongwith CA. G Ramaswamy, Vice President, ICAI and Shri Rakesh Sehgal, Additional Secretary. The Bilateral Co-operation intends to explore the possibilities to launch ICAI's Accounting Technician Course for intending students of the Republic of Djibouti that would have curriculum in accountancy integrating local needs keeping in mind various requirements of different level of accountancy, Audit, Taxation, Law, English Governance and allied areas. They jointly discussed to have an implementation group of 4 representations each from both sides and monitor the progress.

The ICAI renewed Memorandum of Understanding with the College of Banking and Financial Studies, Oman. The ICAI has renewed MoU with the College of Banking and Financial Services (CBFS) of Oman. Under the MoU, CBFS shall sponsor and facilitate the working of the Chapter of the ICAI at Muscat to undertake professional developmental activities and training programmes for the benefit of accountants of all nationalities domiciled or residing in the Sultanate of Oman, and in that process assist the CBFS. The ICAI shall provide assistance and support to CBFS in capacity building of Omani Nationals in Finance, Accounts, Auditing, IT, Corporate Governance and allied areas under the MoU.

MOU's Dialogue undergoing:

Bilateral talks for signing MOU/ MRA with the following Accounting Institutes is also in progress:-

- Institute of Chartered Accountants of New Zealand
- Institute of CPA, Singapore

The progress is at various stages of development.

6.4 Benefits to Overseas Citizens of India (OCI)

The ICAI has decided in principle to give effect to the Benefits to be provided to Overseas Citizens of India. The modalities for the same are being worked out and a qualification bridging mechanism would soon be put in place.

6.5 Visit of Delegation

• Visit of delegation from ICAA

A delegation comprising Mr. Graham Meyer, CEO, The Institute of Chartered Accountants in Australia and Mr. Bill Palmer, Director Asia, ICAA visited ICAI on 12th and 13th April 2010 to further strengthen the association formed after ICAI and ICAA signed an MOU in 2009. During their visit to India, they had meetings with Deputy Comptroller and Auditor General of India and Secretary, Ministry of Corporate Affairs in addition to ICAI functionaries. During the course of meeting, the delegation had the opportunity to discuss the way ahead for joint collaboration between the two Institutes and explore the possibilities to work together more closely in future for the mutual benefit and also discuss the challenges each body face in their respective jurisdiction.

• Visit of delegation from IFAC

A delegation from IFAC comprising Mr. Robert Bunting, President, IFAC, Mr Ian Ball, Chief Executive Officer, IFAC and Mr Matthew Bohun, Technical Manager, Governance and Operations visited India on 10-12 May 2010 at Hyderabad to visit the site for the proposed 19th World Congress of Accountants due in 2014 in Hyderabad, India. The delegation also met with the Hon'ble Chief Minister of Delhi, State Government Functionaries and also Secretary, Ministry of Corporate Affairs in Delhi.

Further, a delegation from IFAC consisting of Mr. Goran Tidstorm, IFAC President and Mr. Ian Ball, IFAC Chief Executive visited ICAI on July 29, 2011 with a view to have a global perspective and present IFAC view point on key emerging issues. The deliberations *inter alia* emphasized on:

- High Quality Technical Standards in IFRS
- Facilitating the convergence of national and international auditing and assurance standards
- Promoting the value of professional accountants
- Setting up of standards on education, practical experience and tests of professional competence
- Promotion of IPSAS and Government Accounting
- Development of accounting profession in developing Nations
- Adoption of high standards of ethics for members and promotion of good ethical practices globally

The delegation also had meetings with Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Office of Comptroller & Auditor General, Ministry of Commerce & Industry, Controller General of Accounts.

• Visit of delegation from Xiamen National Accounting Institute

A delegation from the Xiamen National Accounting Institute headed by Mr. Zhang Jun Professor, PHD in Economics, Xiamen National Accounting Institute; Zhang Meng, Deputy General Director, Personnel & Education Department of Ministry of Finance; Shen Yi, Director, General Office, Xiamen National Accounting Institute; Zhang Jialin, Professor, Xiamen National Accounting Institute; CAO Yanjie, Associate Professor, Xiamen National Accounting Institute and Ye Hui, Deputy Senior Staff, Information Management Department,

Xiamen National Accounting Institute visited ICAI on June 11, 2010 to interact with the ICAI functionaries and to have an insight about the ICAI.

- **Visit of delegation from ICAEW**

Mr. Justin West, Head of New Business Opportunities, ICAEW visited ICAI on November 11-12, 2010 to promote and check the progress and to explore the possibility to carry forward the intent of the MoU signed in November.

- **Visit to ICAEW**

CA. Amarjit Chopra, President, ICAI along with the Vice-President CA. G. Ramaswamy met the President, ICAEW, on September 14, 2010, in London to augment and further strengthen the MRA between the two Institutes. The delegation discussed ICAI's interest in ICAEW's IFRS certificate course, e-learning modules on IFRS, the literature on Strategic Finance. The two sides agreed in principle to encourage the members of respective institute to take a membership under the existing MRA.

- **Visit of ICAI delegation to UK and Ireland**

CA. G. Ramaswamy, President, ICAI and Shri Rakesh Sehgal, Additional Secretary visited UK and Ireland from 14-16 June, 2011 and met the different constituents of UK accounting profession and the Chartered Accountancy bodies of Ireland and Scotland. The ICAI and ICAEW leadership including Mr. Mark Spofforth, Deputy President and Mr. Michael Izza, CEO shared their flagship programmes and the way forward to promote member to member and firm to firm networking to widen their professional horizon at either end. The delegation also had the opportunity to meet ICAEW officers including the Head of Education and Head of International to work out the detailed issues arising out of the MOU executed between the two Institutes. During the visit, interaction with Financial reporting Council of UK were also held to understand the issues of Quality Assurance and Professional Oversight and the elements of full reciprocity including licencing at UK and the ICAI explained the regulatory position at their end. During the discussion, the emerging paradigm of corporate governance, LLPs and issues emerging out of IFRS and alike were taken up besides thought sharing on the areas in which Indian and UK side have synergetic dialogue.

- **Visit of Australian delegation to ICAI**

Mr. Matt Crooke, Australia's Minister-Counsellor met with President ICAI on 1st March, 2011 and during the meeting the two sides agreed to work towards joint exercise on implementation of IFRS/Australia delegation to India/common wealth accounting forum.

- **Visit to Dubai & Abu Dhabi**

A delegation led by Hon'ble Minister Shri Salman Khurshid, Minister of State (Independent Charge) for Corporate Affairs and Minority Affairs followed by Hon'ble Shri R. Bandyopadhyay, Secretary, Ministry of Corporate Affairs alongwith CA. Amarjit Chopra, President, ICAI; CA. G Ramaswamy, Vice President, ICAI & Shri Rakesh Sehgal, Additional Secretary, ICAI visited Dubai from April 02-05, 2010. During the meeting, the Higher Colleges of Technology expressed their intent to work jointly with ICAI for ICAI's proposed mission to provide a competency development programme to UAE Nationals in special module of Accountancy Technician Program with local laws. Prior to the said visit at Dubai,

CA. Amarjit Chopra, President, ICAI; CA. G Ramaswamy, Vice President, ICAI also addressed the ICAI members at Doha Chapter of ICAI on April 01, 2010.

- **Visit of delegation from Japan**

A delegation from Japan led by Mr. Noriaki Shimazaki, Chairman; International Affairs Committee IFRS Council of Japan had visited ICAI on 22nd April 2010 for formulating coordination between the two countries for the effective implementation of IFRS. The deliberations took place in the presence of Hon'ble Minister for Corporate Affairs (Independent Charge), Shri Salman Khurshid, Shri R. Bandyopadhyay, Secretary, Ministry of Corporate Affairs. In pursuance thereof, a delegation of Ministry of Corporate Affairs led by Shri R. Bandyopadhyay, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Government of India visited Tokyo for India-Japan Forum 2010. The Indian Delegation also comprised of CA. G. Ramaswamy, Vice-President, CA. Manoj Fadnis, Chairman, ASB, ICAI, Shri Sunil Verma, Secretary Audit Board, Office of C&AG, Shri C.B. Bhawe, Chairman SEBI, Shri R.K. Nair Member IRDA, Shri P.R. Ravi Mohan, Chief General Manager RBI, CA. Manoj Fadnis, Chairman ASB of ICAI, Shri Pawan Kumar, Director, Ministry of Finance, Shri Ravi Narian MD & CEO, NSE, Shri M.D. Pai, Director Board Infosys etc. Shri R. Ramanujam, Minister (Economic & Commercial), Embassy of India in Japan, Sir David Tweedie, Chairman IASB also addressed the occasion and expressed satisfaction over the India-Japan dialogue and assurance of supporting this initiative. The occasion also witnessed signing of a historic Memorandum of Understanding between the Core Group on IFRS constituted by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India and the IFRS Council, Japan. CA. Amarjit Chopra, President ICAI and Mr. Noriaki Shimazaki, Chairman, International Affairs Committee, the IFRS Council of Japan signed this MOU in the august presence of Shri R. Bandyopadhyay, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

Further, an India-Japan Forum 2010 on the Issues related to Implementation of IFRS was held on 27th July, 2010, wherein presentations by ICAI, Indian side regulators and Japanese regulators were made. The "India-Japan Forum 2010" was as important source to raise awareness of the dialogue on implementation of IFRS between the two countries. The event was attended by over 300 JICPA professionals and others from industry in Japan. During the occasion, the five sub-groups on Accountancy Profession, Accounting Standard Standards, Stock Exchanges, Regulatory issues and Industry also met and made joint presentations to the Joint Working Group. The delegation had also the opportunity to meet Mr. Mikuniya, Commissioner of Japan Financial Services Agency (FSA) on 28th July, wherein significant issues on the financial services market of both the countries were discussed.

Both India and Japan realize that they have commonality of issues on the convergence with the IFRS and recognizing the leadership role that both the countries play within the region, India and Japan have established a joint working group on the issues relating to application of/or convergence with the IFRS.

In pursuance thereof, a delegation from Japan visited ICAI from August 03-05, 2011 to exchange views on legal and regulatory and other issues arising out of application of or convergence with the IFRSs and to continue further the dialogue which was carried out last year. The 2nd India-Japan IFRS & CFO Meet was hosted by ICAI in Bangalore on August 03, 2011 and the delegation met with the Minister & Secretary, Ministry of Corporate Affairs.

The aim was to address critical issues relating to application of or convergence with IFRSs and reach consensus through process of consultation mutually agreed to; Promote the profession's role, responsibilities and achievements in advancing the interests of

The interactions also focused on various aspects of Corporate Reporting, Standard Business Reporting, Corporate Governance and Investor Protection. Mrs. Sujata Singh, Indian High Commissioner at Australia also joined for interaction with Dr. Ken Henry, Secretary, Australia Treasury and Mr. Jeff Lucy, Chairman, FRC of Australia.

The visit assumes importance in wake of emerging trade scenario and both sides have agreed to leverage upon mutual synergies and regularly interact so as to jointly work on commonality of issues.

6.6 ICAI providing training to ICAI members pursuing examination of ICAEW under the MoU

The ICAI is offering training for the Advanced Case Study in India exclusively through accredited training providers and publishers, Get Through Guides (GTG). GTG and ICAI had jointly designed a 10-day training programme in the month of September/October 2010 for ICAI members to give the candidates the best chance to obtain ICAEW membership.

6.7 Joint Programme of ICAEW-ICAI

The ICAI had signed a qualification recognition arrangement with ICAEW, UK signed on November 20, 2008 to enable the respective member at either end, to take the membership of the other Institute. In order that more and more ICAI members take the benefit of the existing MoU, ICAEW alongwith ICAI organized joint programmes at Chennai, New Delhi and Mumbai on March 16, 22 and 28 respectively. The event generated tremendous goodwill. ICAEW has also been requested to promote ICAI Qualification amongst its members.

6.8 Initiative of augmenting bilateral co-operation between Accounting Institutes of developing countries

ICAI has always taken the initiative to offer its wholehearted support in the endeavours of developing countries in the direction of institutionalization of accountancy profession in those countries. Some of the countries that have received ICAI's support are: Djibouti, Nepal, Sri Lanka, Mongolia and like.

ICAI feels that it has a larger role to play by extending its expertise to develop the accountancy profession in developing countries on no profit no loss basis. ICAI is keen to build capacity in transition economies to help them overcome the lack of professional knowledge in accounting domain. ICAI approached the developing countries for augmenting the bilateral co-operation and received response from various countries that showed interest in ICAI's endeavours.

The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka has requested ICAI for rendering its services in the field on Quality Review and Assurance Process to Sri Lanka and ICAI has initiated steps to undertake the said argument.

6.9 Conferences

• SAFA Regional Standard Setters (RSS) Conference

The SAFA Regional Standard Setters (RSS) Conference hosted by the ICAI was held in New Delhi from November 30–December 1, 2010 at the India Habitat Centre, New Delhi.

Approx. 150 participants including 30 participants from Pakistan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka attended the event. The Chief Guest at the Conference was Hon'ble Shri K. Rahman Khan, Deputy Chairman, Rajya Sabha. Sir David Tweedie, Chairman, International Accounting Standards Board (IASB) and Mr. Prabhakar Kalavacherla, Member, IASB were Guests of Honour. The Conference provided platform to the Standard Setters of SAFA Region to discuss and resolve various region specific hindrances with IASB, that they were facing while converging with IFRS. ICAI's approach towards converging with IFRS was also discussed in detail. The Conference dwelled on important topics such as Convergence Experience of SAFA Countries; IFRS for SMEs; overcoming challenges faced by developing countries in implementing IFRS and like.

- **International Conference on Accountancy**

The International Affairs Committee of ICAI organized an International Conference on the theme "Accountancy Profession: Catalyst to Sustained Economic Growth" from January 4-6 2011 at Vigyan Bhawan, New Delhi. The Conference was inaugurated by Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Finance Minister of India. The Guests of Honour for the Conference were Shri Salman Khurshid, Hon'ble Union Minister of State (I/C) for Corporate Affairs and CA. K Rahman Khan, Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha. Special address was given by Shri R. Bandyopadhyay, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Shri Vinod Rai, Comptroller & Auditor General, Govt. of India, Shri C. R. Sundaramurti, Controller General of Accountants of India, Ministry of Finance, Shri Arun Maira, Member, Planning Commission, Govt. of India. There were more than 40 speakers and the event was participated by more than 50 foreign guests from countries like Australia, New Zealand, United Kingdom, USA, UAE, Japan, Ireland, Nepal and Pakistan. The Conference was a huge success as it also witnessed signing of Memorandum of Understanding with the Higher Colleges of Technology, UAE on January 04, 2011 and a Joint Declaration with the Association of International Accountants, UK on January 06, 2011. Prominent Speakers from abroad included Ian Ball, Chief Executive, International Federation of Accountants, Dinu Hary, President, New Zealand Institute of Chartered Accountants, Bill Palmer, Director Asia, ICAA, Australia, Noriaki Shimazaki, Trustee, IFRS Foundation, Mark Spofforth, Vice- President, ICAEW, UK, Prabhakar Kalvacherla, Board Member, IASB, Ian Mackintosh, Chairman, ASB, Financial Reporting Council, UK, Liv Watson, Vice-Chair XBRL International, Diana Hillier, IAASB Dy. Chair, IFAC. Speakers from abroad also included Chairmen from Australia (Sydney), Mr. Yateender Gupta; Mr. Vikas Puri Abu Dhabi Chapter of Chapter of ICAI; Mr. Surendra Jain, Dubai Chapter of Chapter of ICAI; Mr. N K Somani, Nigeria Chapter of ICAI and Mr. Girish Jain, Doha Chapter of ICAI. Speakers also included eminent personalities from Grant Thornton International, ICRA, Xpro Ltd., Quattro BPO Services, Wipro Technologies Ltd., Infosys Technologies Ltd. and the like.

- **Conclave of trade officials of Missions in India**

The Committee jointly with Committee on Economic, Commercial Laws & WTO had successfully organized a conclave of trade officials of Missions in India on 11th July, 2011. The Conclave witnessed participation of about representatives from 37 countries. The event was graced by a key note address by Hon'ble Shri S.M. Krishna, External Affairs Minister, Government of India. At the Forum, deliberations by representatives of Embassies focused on major issues of taxation, transfer pricing, doing business in India and role and support of ICAI in institutionalization of accountancy profession. Several African countries like Uganda and Gambia expressed their interest to seek support from ICAI to develop accountancy profession and Institute in their countries. The event was also participated by officials from Ministry of External Affairs.

7. OTHER ACTIVITIES

7.1 Human Resource Development

The effective performance of an organisation depends upon the quality and competence of its human resources. Towards this, the ICAI not only continued to focus on retaining its high performance work force, but also initiated steps to attract the best and the brightest talent. Recognizing also the fact that training is the backbone for enhancement in the level of competence and personality development, continued emphasis was laid on participation in training programmes, courses organized within and outside the premises of the ICAI.

Aiming at future sharpening the skills and knowledge and also bringing attitudinal changes for providing quality services to members, students and others concerned, various structured training programmes on different topics were organized in the headquarters in Delhi as well as in regional offices.

In its quest to attract the best and the brightest talent, time-scheduled recruitment drives with focus on faculty/academics were successfully undertaken during the period under report. Special initiatives have been undertaken in recruiting 26 more human resources meant for technical/academics and administrative positions in the different areas of the ICAI. Further, 72 management trainees have been absorbed after taking interviews. Out of these, based on their performance, nine have been absorbed as EO and others as SOs and Assistant (Gr. I).

Further HR Initiatives aiming at grievance redressal, timely counselling, enhanced facility management etc. taken during the period under report include, better and quality work environment, weekly departmental meetings, periodic employee counseling, together with grievance seeking and hardship mitigating steps:

Besides, for exchanging the greetings on Diwali and New Year, get-togethers of all employees were organized on 4th November, 2010 and 3rd January, 2011 respectively at the headquarters of the ICAI which was also participated in by the President and the Vice President.

A felicitation-cum-Social Get-Together by ICAI Employees' Association was organized on 4th February, 2011 and an amount of Rs.2,00,000 (Rupees two lakhs) was sanctioned by the office for the said felicitation-cum-social get-together.

A felicitation-cum-Social Get-Together by ICAI Officers' Association was organized on 21st March, 2011 and an amount of Rs.2,00,000 (Rupees two lakhs) was sanctioned by the office for the said felicitation-cum-social get-together.

7.1.1 HR Group to finalise recommendations relating to the Report on Sixth Pay Commission constituted by the Council at its 292nd meeting held on 12th, 13th January and continued on 3rd and 4th February, 2010 with the following composition:

1. CA. Jayant Gokhale, Council Member and Convenor
2. CA. Vinod Jain, Council Member
3. CA. Jaydeep Narendra Shah, Council Member
4. CA. Pankaj Inderchand Jain, Council Member

The Group had seven meetings during the report period.

Based on the policy parameters laid down by the Council, the respective matters/issues were discussed by CA. Jayant Gokhale with the representatives of the ICAI Employees' Association and thereafter, in consultation with the President-in-office and accordingly revised pay for the employees holding the position from Class IV and their equivalents upto and including the level of Section Officer (SU) and their equivalents was released from the month of June, 2010 and revised pay for the officers holding the position from Executive Officer and their equivalents upto the level of Addl. Secretary and their equivalents was released from the month of September, 2010.

7.1.2 Reconstitution of HR Group to finalise various HR issues raised/references received from concerned quarters – With a view to finalise various HR issues raised/references received, the President, in terms of authority given to him by the Council at its 303rd meeting held from 10th to 12th February, 2011 has reconstituted the HR Group with the following revised composition:

1. CA. Jayant P. Gokhale, Convenor
2. CA. Vinod Jain, Council Member
3. CA. Pankaj I.C. Jain, Council Member
4. CA. S. Santhanakrishnan, Council Member
5. CA. Manoj Fadnis, Council Member
6. CA. Abhijit Bandyopadhyay, Council Member

First meeting of the Group has been held on 28th July, 2011.

7.1.3 HR Group to study organizational matters constituted by the Executive Committee, at its 489th meeting held in March, 2010, for reviewing the various organizational matters including sanctioned strength of regular staff, management trainees, seasonal staff and persons engaged through outsource agency. The composition of the Group is as under:

1. CA. Sumantra Guha, Council Member and Convenor
2. CA. M. Devaraja Reddy, Council Member
3. CA. K. Raghu, Council Member
4. CA. Sanjay Kumar Agarwal, Council Member

The Group had several formal and informal meetings during the report period.

The draft Report of the Group was placed before the Council at its 299th meeting held in October, 2010, and the Council on consideration, offered its views and the Convenor of the Group was requested to finalise the same in light of the views/suggestions expressed by the members of the Council. Accordingly, the Report has been revised and the revised Report has been submitted to the President by the Convenor on 31st December, 2010. After getting approval of the President, Report was circulated among the Heads of Departments/Secretaries to Committees and Heads of Regional Offices vide letter dated 10th January, 2011 for their information.

Further a Circular was also sent to all branches' Chairmen regarding sanctioned manpower requirement of various branches on the basis of the Group's Report vide letter dated 20th January, 2011. A mention in this regard was also made in the Special meeting of the Council held on 2nd February, 2011.

7.2 Committee on Management Accounting

The Committee on Management Accounting during the period of April, 2010 to August, 2011 undertook various activities to promote the research and development work in the field of management accounting so as to empowering the chartered accountant professions with the required knowledge and skill to provide best possible services to the India Inc to manage the resources more effectively and face the challenges of global competition. To mention the few, it has undertaken study on applicability of integrated costing system as suggested by PAIB Committee of IFAC to smoothen the process of adoption of recommendations of the said committee, particularly in the changed accounting scenario out of convergence of IFRS. Moreover, it is continuously providing good input and support to the Institute of Cost and Works Accountants in developing Cost Accounting Standards to evolve best management accounting practices in India.

The Committee has been conducting an one year certificate course on master in business finance to provide the knowledge and expertise on modern financial management practices to enable the members to gain the required acumen and expertise and evolve the best possible practices across the industries in India to the best advantage of stakeholders and the economy. The Committee conducted residential programme at Centre of Excellence, Hyderabad to make the course more result bearing in terms giving exposure to practical world through interaction with eminent experts, case studies and project work.

7.3 Committee for Members in Entrepreneurship & Public Services

The curriculum of the Chartered Accountancy Course coupled with the practical training imbibes versatility in its members. As result thereof, Chartered Accountants successfully play very significant role not only as practicing professional in the field of auditing & taxation and in the Industry as professional executives in charge of financial management but also in various other sections of the society. There are large numbers of Chartered Accountants who have become very successful entrepreneurs. Similarly, the contribution of Chartered Accountants in the field of Public Service as Members of Parliament or Legislative Assemblies, Judge of the Supreme Court or High Courts, Members of Tribunal etc. is well recognized to be described.

The Professional Development Committee & the Committee for Members in Industry act as a useful link between the ICAI and the members in Profession and the members in Industry. With a view to provide such a link between ICAI and the members who are in Entrepreneurship or Public Service, a new Committee for Members in Entrepreneurship & Public Services has been constituted. The objective is to have mutually advantageous live connect between the ICAI and the members in Entrepreneurship or Public Services. Through the functioning of this Committee, the members in Entrepreneurship or Public Services would be brought into the mainstream of the ICAI enhancing their participation in the ICAI's activities. The Committee would work on the aspects realizing mutual benefit of such members as well as the other members of the ICAI; so as to create and enlighten

additional opportunity areas for young Chartered Accountants and furthering the profession, *inter-alia*.

The Committee at its 1st meeting held on 12th March 2011 had decided to develop a database of CA Members who are into Entrepreneurship or Public Services as a first project of the Committee. An Announcement in this regard has been published in the May, 2011 issue of CA Journal and also hosted on the ICAI website for the attention of not only members in Entrepreneurship or in Public Services but membership in general as well so that while members in Entrepreneurship & Public Services update their profile in the record of the ICAI, the other members can provide the details of such members whom they have come across through their dealing with such class of professionals.

Communication has also been sent to Registrar, Income Tax Appellate Tribunal and Custom, Excise and Service Tax Appellate Tribunal with a request to kindly provide the details of Appellate Tribunal Members who happens to be Chartered Accountants.

Till date the Committee has compiled a database of around 60 CA Members who are into Public Services and 25 Entrepreneur members.

A Conclave of above said members is being planned on 22nd September 2011 at New Delhi. The objective of the Conclave is to bring CA Members who are into Entrepreneurship or Public Service, into the mainstream of the ICAI on sustainable basis. The Conclave would also provide a platform to share ICAI expectation from them and to learn what they expect from us.

7.4 Committee for Cooperatives & NPO Sectors

The Committee for Cooperatives & NPO Sectors has been newly constituted in the year 2011 with the following objectives:

1. To suggest suitable reforms in the statutes regarding Co-operatives and NPOs
2. To promote uniform accounting framework for Co-operatives and NPOs
3. To formulate guidelines for statewide auditors empanelment to interact with the concerned authorities
4. To promote good governance, best practices and prudent financial management in the Co-operatives and NPO sectors/mutually aided Co-operative Societies [MACS]/Self help groups/clusters and federations
5. To promote social audit concept in the NPO and Co-operative Sectors and conduct awareness programmes for the benefit of the stakeholders
6. To provide technical and governance inputs through training, workshops, resource materials, publications to the management personnel and members of Governance of Co-operatives and NPO Sectors
7. To constitute an award/recognition for corporate social responsibility initiative by any NPO/Co-operatives/Corporates
8. To support the initiatives of the State and Central Government and corporations in this sector
9. To develop necessary technical guides and publications for the benefit of Co-operative banks, Co-thrifts and credit societies and other Co-operatives as a national movement
10. To develop a knowledge portal providing information regarding subsidies and other support received by the NPOs from the State and the Central Government and to promote various government initiatives to implement social welfare schemes of the NPO

Sector and facilitate sharing of knowledge regarding Governance, legal compliance and best practices in financial management

11. To help the government in monitoring financial discipline in the NPO sector by prescribing transparent guidelines and procedures including documentation and evidence of actual work done and to advise the government on limitations to be imposed on administrative and other expenditures of the NPOs specially those incurred out of government grants
12. To suggest recommendation on issues related to the Foreign Contributions Regulation Act, 2010, Rules, regulations and guidelines framed thereunder and any other laws affecting this sector with a view to ensure smooth flow of funds on one hand and national security and national interest on the other.

7.4.1 Interaction with the various Government Departments/Ministries

- There has been an interaction with the Joint Secretary (Foreigners), Ministry of Home Affairs on the notification of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 by the Ministry. It was decided that programmes would be held across the country in order to create awareness among the members about the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011.
- The office represented the ICAI and made a presentation on the basics of accounting to be followed by NPO sectors in an interactive session with the Ministry of Home Affairs. The objective of the interaction was:
 1. To sensitize the Chartered Accountants regarding common irregularities/discrepancies with reference to implementation of Foreign Contribution (Regulation) Act.
 2. General points regarding financial, accounting and auditing issues of the NPO Sector.

7.4.2 Workshops/Seminars/Conference

The Committee organized one Residential Refresher course at Srinagar and a Full Day Seminar on NPOs at New Delhi, during this period.

7.5 Public Interest Advisory Committee

The Public Interest Advisory Committee has been formed to further the ICAI work programme inter alia in the following areas –

1. Empathization of the needs of the society and their expectations and requirements viz.- a-viz. Chartered Accountancy profession and thus bridging the expectation gap.
2. Interface between ICAI & Stakeholders in emerging jurisprudence so as to establish ICAI in a crusadory role. *Illustratively and not limiting to corporate social responsibility, environmental accounting and those relating to non-financial reporting parameters.*
3. Extending professional advice to the stake holders in context of the emerging laws, socio-economic scenario, various social programmes of Government of India including ICAI's role in achieving Millennium Development Goals.

4. Creating a forum of Regulators and other stakeholders like Trade Promotion Chambers and in process knowing their expectations from ICAI.
5. Assessing the needs of the industry(ies) and guiding and supporting them in emerging areas in overall context of national good.
6. Identifying Key Opinion Makers to act as brand ambassador for the profession.
7. To serve and contribute as a partner in the nation building by associating suitably with the legislative, judiciary and executive and fulfilling National goals/agenda in a more meaningful way and serving towards public good.

The Committee is working towards above mandate.

7.6 Moments of Pride for the Profession

- *Past President, CA. T.N. Manoharan conferred with 'Padma Shri':* It was a moment of pride for the profession, when the ICAI past-President CA. T.N. Manoharan was conferred with the 'Padma Shri' at the hands of Hon'ble President of India Smt. Pratibha Devisingh Patil on April 7, 2010, in 'Trade and Industry' category. It was highly satisfying, inspiring and encouraging to see the contributions of one of our professional brethren being recognised at the highest echelon of Indian polity.
- *CA. Piyush Goyal Elected to Rajya Sabha:* CA. Piyush Goel, a member of ICAI was elected to Rajya Sabha from Maharashtra. While congratulating him for this splendid achievement, the ICAI expects him to take up the case of profession.
- *Past-President, CA. Kamlesh S. Vikamsey on UNDP Audit Committee:* It is again great news that past-President CA. Kamlesh S. Vikamsey has been appointed as the member of Audit Advisory Committee (AAC) of United Nations Development Programme, where he is expected to contribute in building a stronger culture of transparency and accountability.
- *Tamil Nadu Street Named after ICAI:* It is a matter of pride and joy that the Sankaraperi Panchayat Union in Tamil Nadu has approved and sanctioned for naming a street as *ICAI Salai* (road) that houses the Tuticorin Branch of SIRC of ICAI.
- *Lane Adjacent to ICAI Headquarters Named after Prof. T.S. Grewal, former Director of Studies, ICAI:* As a tribute to Prof. T.S. Grewal's immense contribution to the commerce education in India, the lane adjacent to the ICAI Headquarters building has been named as *Prof. T.S. Grewal Lane*. A ceremony was held on 6th July, 2011 under the chairpersonship of the Mayor of Delhi, Prof. Rajni Abbi, which was attended by a large number of members from Delhi, several Council members, officers and staff of the ICAI. Family members of late Prof. Grewal were also present.

7.7 Project Parivartan

- Project Parivartan is a journey embarked on to bring about a paradigm shift in the working of the ICAI. The sole aim of "Parivartan" is to create a truly next generation virtual Institute, brought about by IT transformation of the ICAI.

- The program enables the ICAI to take a fresh 360 degree view of existing processes catering to the needs of the stakeholders, measuring against some of the global benchmarks with other similar organizations around the world, government stakeholders and other entities.
- The Self Service portals to all stake holders and further adherence to industry best practices in functioning of the various departments of the ICAI is what the ICAI aims as a key initiative to be realized as part of this journey.
- New and easy channels to reach out to stakeholders that can improve the effectiveness of servicing the demand.
- Establishing a robust digital platform that can meet the demands from regulatory and compliance authorities.
- Addressing the increase in the scale of operations of the ICAI due to increased number of students and members over the years.
- ICAI will provide students, members, government, stakeholders with a centralized digital platform to improve and optimize the interactions with the ICAI while ensuring high and improved turnaround in service times.
- ICAI will ensure complete visibility and accessibility to the information to the authorized end users ensuring its reliability and accuracy.
- ICAI will actively engage in building a reliable, available and secure infrastructure platform embracing Green computing principles across the value chain in its effort to reduce paper usage across its offices. ICAI will pioneer the adoption of Green Computing and set a benchmark across its peer Institutes in the world.
- ICAI will enable its employees across HO, RO and Branch offices to have visibility and access to the information with best of the breed user experience across all touch points.
- ICAI will establish a standard operating environment of its digital technology platform leveraging licensed software across all its offices thereby better optimizing the efficiencies of scale.
- ICAI will automate the processes and sub-process where possible to release time and energy of its employees from mundane/non-productive tasks into more productive tasks at the ICAI.
- ICAI will aggressively pursue enablement of students and members in the emerging areas of accounting and auditing profession thereby ensuring timely availability of professional skill sets in the marketplace leading to better distribution of the opportunity pie across the members and students of ICAI.
- ICAI considers Information Technology (IT) as one of the key enablers in this transformation journey and has framed an IT Strategy and roadmap to realize the vision.
- ICAI looks forward to establishing a robust, secure, scalable, modular and reliable organizational IT infrastructure.

7.8 Launch of ICAI e-Sahaayataa

In order to provide prompt services to the expanding base of members and students, the ICAI has launching its e-Sahaayataa service. The e-Sahaayataa acts as the only e-channel for the entire base of members and students of the ICAI and other stakeholders of the profession at large wherein all their queries/complaints/grievances pertaining to the day-to-day working are acted upon and resolved by the ICAI within 3 to 7 days from the date of their receipt. The main purpose of this service is to eliminate the operational bottlenecks and smoothen the flow of the education process of chartered accountancy. It has been providing timely services to all the stakeholders of the profession throughout the globe with a motto of 'zero tolerance for pendency'. This is a major initiative of the ICAI wherein the

complete history of the query/complaint/grievance from the date of entering it into the system till the date of resolving it are available for future reference. In this service, the user has an option of reopening the query/complaint/grievance in case of dissatisfaction from the service provided.

7.9 Infrastructure development

- The ICAI has been allotted a plot of land measuring 2,128.50 square meters in Rohini, i.e. North-West Delhi.
- Kanpur Development Authority has allotted a land measuring approx. 2,460 square meters to the ICAI.
- Land has been purchased for Ernakulam Branch.
- Bhoomi puja/Foundation Stone Laying ceremony was held at Kanpur Regional Office and at Ahmedabad, Ajmer, Alleppey, Amritsar, Bhilwara, Erode, Gwalior, Jodhpur, Mangalore, Patna, Saharanpur and Tirunelveli Branches.
- Commencement of construction of buildings at Coimbatore and Hisar branches.
- New buildings were inaugurated at Bhilai, Faridabad (Administration Block), Hubli (first floor), Kakinada and Sangrur Branches.

7.10 Jubilee Celebrations at Regional Councils and their Branches

Just couple of years back it was very special moment for all of us when we celebrated Diamond Jubilee year of the ICAI with great enthusiasm. We had similar occasions to celebrate this year as well in which all of our Regional Councils have entered into their Diamond Jubilee year. More reasons of happiness have come as many Branches have also entered/completed their Golden or Silver Jubilee.

8. OTHER MATTERS

8.1 Annual Function of the ICAI

The 61st Annual Function of the ICAI was held on 11th February, 2011 in the Convention Hall, Hotel The Ashok, New Delhi. Shri D.K. Mittal, Secretary, Ministry of Corporate Affairs was the Chief Guest and CA. Suresh P. Prabhu, former Union Minister for Power was the Guest of Honour. Prizes and Medals to the meritorious students in the examinations conducted by the ICAI, Shields and Certificates of appreciation to the outstanding Regional Council and Branches of the ICAI were given away at the said Function by the Chief Guest. On this occasion, the Chief Guest also released the various new publications brought out by the Auditing and Assurance Standards Board, Committee on Financial Markets & Investors' Protection, Committee on Economic, Commercial Laws & WTO, Direct Taxes Committee, Internal Audit Standards Board, Indirect Taxes Committee, Research Committee and ICAI-Accounting Research Foundation. The Function was attended by a large number of invitees which included, among others, senior government officers, members, students, officers and staff of the ICAI.

8.2 Celebrations of Chartered Accountants Day – 1st July, 2011

The 1st day of July on which the profession was born is celebrated as The Chartered Accountants' Day all over the country and abroad. The CA Day celebrations on 1st day of July, 2011, began in the morning with the hosting of the ICAI's flag and garlanding the statute of Late G.P. Kapadia, the first President of the ICAI, at the Headquarters at New Delhi. The Mayor of Delhi, Prof. Rajni Abbi was the Chief Guest on this occasion. In the evening a grand function befitting the occasion was held at Vigyan Bhawan, New Delhi. CA. Rameshwar Thakur, His Excellency the Governor of Madhya Pradesh and Past President of the ICAI was the Chief Guest. CA. K. Rahman Khan, Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha and Shri R.P.N. Singh, Hon'ble Minister of State for Corporate Affairs also graced the function as Guests of Honour and addressed the members, students and other dignitaries/invitees present. Shri D.K. Mittal, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, was also present on this occasion and gave a special address. On this occasion, the Hon'ble Chief Guest also launched the ICAI Web TV. Other launches made at the function were "Project Parivartan "O" BETA" and "ICAI Website for SMPs & Capacity Building" by Hon'ble CA. K. Rahman Khan, "Online Form for Registration for CPT Course" by Hon'ble Shri R.P.N. Singh and "Web-connect" by Shri D.K. Mittal.

The function was followed by a Special Programme on Continuing Professional Education for members covering the topics of "LLP Form of CA Practice" and "Revised Schedule VI". CA. Kamlesh S. Vikamsey, FCA, Past President of the ICAI and CA. Dolphy D'souza, FCA were the Guest Faculty for this programme. The function was well attended by a large number of members, students and officers and staff of the ICAI.

8.3 Central Council Library

The Central Council Library is globally connected through Internet, fully computerized & operational. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise. This record is available on Internet Online Services www.icai.org under "Know your Institute – Central Council Library"- online search OPAC-Liberty for the books, Journals, articles etc. in the library. The services under the website are self-explanatory. Some of these links such as list of online Journals, E-books, Articles from Chartered Accountants Journals and online database of Books, Journals and Articles in the Library, provide further search in the above online databases. One can even suggest new Books/Journals under "Suggest Books/Journal columns" for consideration by the ICAI. One may note that the "Accountants Browser" is an index of important/Professional Articles with archives for last 12 years. Reference service is also provided to the Researchers & Scholars from different Universities & CPT Course Students as a special case. Noida Office of the ICAI & Vishwas Nagar Students library has also been provided with library facilities by the Central Council Library, along with nucleus Libraries provided to each Directorate of the ICAI and various Committees.

Besides above, Library has installed a number of the ICAI's databases in the Central Council Library premises and at various Departments to facilitate the search for required material by the students, Members, Faculties and the Research Scholars. A New Software – Liberty is acquired connecting the database of Central Council Library with all Regional libraries database. Central Council Library is also procuring necessary publication/books for the various Certificate courses currently offered by ICAI including a provision of publication/Books for all Committees.

The Web Services are available on www.icai.org-Central Council Library.

Several online database have been installed in the Library. Several online journals have been subscribed in the Library.

The ICAI is in the process of modernizing the Central Council Library by digitizing the maximum possible collection, subscribing E-Books, E-Journals and other online databases along with refurbishing the Central Council Library as approved by the President recently.

8.4 Editorial Board

Surging ahead with its mission to keep the ICAI members and other readers of *The Chartered Accountant* journal up-to-date on various subjects, emerging areas, aspects and challenges of the profession in today's age of fast-paced globalisation, the Editorial Board has established many a landmark during 2010-11.

A 'Brand Ambassador' of ICAI and the most visible indicator of the ICAI's profile for the members, students and external audiences, *The Chartered Accountant* today matches the global standards of professional Journals, be it content quality, in-depth topical coverage, interactive features, international standard layout/design, paper quality, overall look and feel or greater reach. It is increasingly being recognised as one of the most reliable and reader-friendly tools of professional knowledge update, not only for the members but also for allied professionals, institutions and a cross-section of the economic world in India and abroad, if our readers' feedback is any indication.

With ever-widening reach and readership base, the total circulation the Journal stands at more than 2,10,000 today.

Contents and e-Journal:

- ♦ **Wide range of topics covered:** During the period from March 2010 to June 2011, more than 200 articles on various topics were printed.
- ♦ **New Features:** New features like 'Tech for You', 'Accounting Legend', 'International Taxation', 'Insurance', 'Outsourcing', 'Foreign Trade', 'World Trade Organisation', 'Tracing the Roots', 'Global Perspective', 'CABF Donors' etc. were introduced in the journal. Existing features like 'From the President', 'Legal Update', 'National Update' and 'International Update' were further upgraded to keep the members better informed. It was decided to cover about 20 areas of professional interest in every quarter in the journal to make its coverage more comprehensive.
- ♦ **Special Focus:** As part of ICAI overall efforts to keep the members up-to-date on matters related to the profession, the Editorial Board brought out the March 2010 and February 2011 issues on 'Bank Branch Audit' while the April 2010 and April 2011 issues gave a comprehensive coverage to Union Budget 2010-11 and 2011-12. The June 2010 issue focused on 'Convergence with IFRS' while August 2010 issue specially covered the 'CA Day Celebrations on July 1', the 'Revised Discussion Paper on Direct Taxes Code'. The October 2010 and June 2011 issues were dedicated to the theme 'XBRL'. The January 2011 issue focused on the Speech of Finance Minister, Mr. Pranab Mukherjee and CBDT Chairman Mr. SSN Moorthy, SAFA Regional Standard Setters Meeting and

ICAI Past Presidents meeting on Companies Bill in New Delhi. The focus of May 2011 issue was on 'Internal Audit'.

- ♦ **Major highlight** of the year under report was July 2010 special issue. In line with the tradition to celebrate 'CA Day' coinciding with the foundation day of the ICAI, the Editorial Board came out with a special issue of *The Chartered Accountant* journal for the month of July 2010. Besides the routine features, this special issue included exclusive features like interviews with C&AG Mr. Vinod Rai, Deputy Chairman Rajya Sabha CA. K. Rahman Khan, Corporate Affairs Minister Mr. Salman Khurshid; Message from ICAI Past President and Governor of Madhya Pradesh CA. Rameshwar Thakur; special write-ups from regulators, top industrialists and bankers, international accounting leaders and experts, some select past presidents; quotable quotes of all past presidents; write-ups from selected Committees of the ICAI on the theme 'Excellence in Financial Reporting - Role of Accountancy Profession in India'. The issue also included an exclusive feature 'Tracing the Roots of Accountancy Profession' which included write-ups on Accounting legends CA. G.P. Kapadia and CA. S.B. Billimoria, highlights of the debate on the designation *Chartered Accountant* in 1949; excerpts about challenges before accountancy profession as foreseen by founding fathers of the ICAI; and write-up on origin of accountancy profession in India. The issue also featured 'Memorable Moments of ICAI in pictures since its inception'.
- ♦ **Face 2 Face/In conversation column revived:** The Board revived the column 'Face 2 Face' (renamed as In-Conversation) in the journal and published interviews of inspiring personalities from Indian polity and industry. Under this column interviews/speeches of C&AG Mr. Vinod Rai, Deputy Chairman Rajya Sabha CA. K. Rehman Khan, the then Corporate Affairs Minister Mr. Salman Khurshid; Governor of Madhya Pradesh CA. Rameshwar Thakur, Finance Secretary Mr. Ashok Chawla, Chairman and Managing Director of Reliance Industries Ltd. Mr. Mukesh Ambani and UIDAI Chairman Mr. Nandan Nilekani and IFAC CEO Mr. Ian Ball were published.
- ♦ **Deterrent Action against instances of Plagiarism:** In order to maintain and enhance the quality and credibility of the journal content, thorough checking of the articles at random was initiated to check the practice of plagiarism, noticed among some authors submitting articles for journal. A comprehensive anti-plagiarism policy document is being prepared by the Editorial Board while a software is being acquired to check the articles against plagiarism.
- ♦ **Latest Hi-tech e-journal launched:** As part of the concerted drive to serve readers better, a new latest hi-tech version (e-mag pro) of our e-journal has been launched which gives a feeling as if the surfer is browsing through the journal in hard copy, turning page after page. The latest technology adopted has made our online journal more user-friendly and convenient for net-savvy by ensuring easy search, navigation, downloads, e-mail facility etc. Further, in the new version of e-journal, one can also 'listen' the contents, besides making use of a range of other facilities. However, for the added and alternative convenience of surfers, the journal continues to be hosted in the PDF format as well.

Layout and Design:

- ♦ The layout-design and font type face of the entire journal were upgraded to match international standards.

- ♦ The Masthead and basic template of the Cover and inside pages were further improved and the Cover of the journal carried quotes from renowned personalities.

Other Initiatives:

- ♦ **Members Convenience:** For added convenience of reading the journal, members were given option to get the copy of their journal at their residential addresses if they so desired.
- ♦ **Focused Photographs policy:** It has been decided that to facilitate publication of maximum content of professional interest, the photographs of ICAI events included in the journal should be limited to two pages of the journal.
- ♦ **Focused announcements for ICAI events in Journal:** With a view to give a more focused and objective coverage, the format of Events related announcements for publication in the journal was revised.
- ♦ **Acknowledging CABF Donors:** To acknowledge the contributions made to the Chartered Accountants Benevolent Fund, it has been decided to publish photographs of those donating Rs 50,000 and above and names of all those contributing Rs 5,100 or more in the journal on monthly basis. Relevant advertisements were published to encourage the readers donate generously towards CABF.
- ♦ **Pagination Pattern changed for more convenience:** Further, taking note of the objections raised by certain postal department authorities and to avoid any hindrance in smooth and timely dispatch and delivery of the journal, the style of numbering of pages has been modified wherein both the Issue-wise page no. and volume-wise page no. are now printed on each page.
- ♦ **Licence from India Post Renewed:** As part of the constant effort to ensure and uninterrupted, hassle-free and timely delivery of the journal, the Licence to post journal at concessional rates and License to post without Prepayment given by India Post from Mumbai have been renewed.

8.5 High Powered Committee/Group constituted by the Council

Consequent to the corporate fraud of huge magnitude coming to light in Satyam Computer Services Ltd., the Council of ICAI had constituted a High Powered Committee at its 284th meeting held on 12th & 13th January, 2009 at New Delhi to look into the entire gamut of financial reporting, accounting and auditing aspects with regard to Satyam fiasco, including helping/co-ordination with the investigation being carried out by various agencies, going into the roots of the problem, effectiveness of the system in place, systemic issues; to identify the root causes including persons involved/associated; and to suggest changes(s), wherever required, for the purposes of making appropriate recommendation(s) to the Central Government, SEBI and other Regulators.

The High Powered Committee prepared its report and the same, after consideration by the Council, was submitted to the Ministry of Corporate Affairs in two parts – Report (Part I) on 17th July, 2009. Report (Part II) was prepared by a Group constituted by the Council at its meeting held on 13th March, 2010, and the same was submitted to the Ministry of Corporate Affairs on 24th May, 2010.

During the course of its task, the members of the High Powered Committee had met various agencies/authorities. During one such meeting with the Ministry of Corporate Affairs held on 27th February, 2009, the Ministry had suggested to look into the issues relating to public image about auditor's role, manner in which surrogate firms hold out to the public, use of international brand name and host of other related issues. The above-mentioned Group considered the issues referred to it and submitted its Report on Operation of Multinational Network Accounting Firms in India dated 29th July, 2011, after consideration by the Council, to the Ministry of Corporate Affairs on 8th August, 2011.

The above-mentioned Group is now examining the provisions contained in Regulation 190 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 relating to multiple trade/firm names, identical and similar trade/firm names, approval of firm names and regulatory compliance.

8.6 Amendment in the Chartered Accountants Act, 1949 and the Chartered Accountants Regulations, 1988

8.6.1 Amendments in the Chartered Accountants Act, 1949

The High Powered Committee constituted by the Council in February, 2009 to look into the matter arising out of Satyam Computer Services Ltd, among others, made the following recommendations:-

"Seek amendment in the Chartered Accountants Act, Regulations and Rules to proceed against the firm, including imposition of ban, where the partners and the members of an audit team are found to be guilty of gross negligence/fraudulent activities."

The Report of the High Powered Committee (Part-I) was submitted to the Central Government in July, 2009. The Central Government in October, 2009 asked the ICAI to submit to the Government specific section-wise draft amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 for its consideration. The Council at its meeting held in March, 2010 constituted a Group under the Convenorship of then Vice-President, CA. G. Ramaswamy for suggesting draft amendments in the Act. The recommendations of the Group were considered by the Council at its meeting held in August, 2010 and the draft amendments in the Chartered Accountants Act, 1949 so finalised by the Council were submitted to the Central Government in December, 2010. The draft amendments so submitted to the Government seeks, among others, to further strengthen the disciplinary mechanism of the ICAI, bringing the CA firms to the disciplinary mechanism, empowering the Council to exercise disciplinary jurisdiction on the firms and enlarging the scope of award of punishment which includes financial fine and penalty. These amendments are under active consideration of the Central Government.

8.6.2 Amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988

In order to provide better services to the members and students, the Council of the ICAI from time to time suggested certain draft amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988 to the Central Government. As desired by the Central Government, a consolidated set of draft amendments in the Regulations were submitted in July, 2011. These amendments are under active consideration of the Government and in-principle approval of the Government is expected to be received shortly. After the in-principle

approval of the Central Government, these draft amendments will be notified for public comments. The draft amendments, among others, seeks to -

- provide direct entry route to graduates and post graduates with specified percentages of marks and Intermediate passed students of the Institute of Cost and Works Accountants of India and the Institute of Company Secretaries of India to Chartered Accountancy Course.
- change in the Nomenclature of Professional Competence Course and Integrated Professional Competence Course to Intermediate (PCC) and Intermediate Course respectively.
- enhance the rates of stipend payable to articled assistants under Regulation 48.
- provide for an Advance Course on Information Technology Training of such duration which would not be less than one hundred hours and not more than five hundred hours before admission to Final Examination.
- charge the fee on percentage basis in the case of certain Management Consultancy Services as may be specified by the Council from time to time, certain fund raising services, debt recovery services, services related to cost optimization and any other services or audit as may be decided by the Council.
- empower the Council to amend rules and syllabus of Post Qualification Courses in Management Accountancy, Corporate Management, Tax Management, Information Systems Audit, Insurance and Risk Management and International Trade Laws and World Trade Organization.

9. MEMBERS

9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2011, 9094 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 170610 as on 1st April, 2011.

During the year ended 31st March 2011, 2449 associates were admitted as fellows, in comparison to the figure of 3211 in the previous year.

Total Members as on 1.4.2011

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	54997	21456	76453
In Part-time Practice	3164	5001	8165
Not in Practice	10813	75179	85992
	68974	101636	170610

9.2 Convocation

Since November 2008, the ICAI has been organising Convocation to confer membership certificates on newly enrolled members. The Convocation is organized at each of five

Regional Headquarters twice a year covering the period from March to August and September to February where at membership Certificates are conferred to members admitted to the membership during the said period. In this regard, for members admitted between March, 2010 and August 2010, the Convocation was organized in January, 2011 and February 2011 at each of the Regional Head quarters of the ICAI. For the members admitted between September, 2010 and March, 2011, the Convocation(s) were held in July 2011 and at remaining places it is to be held shortly.

9.3 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund continues to provide financial assistance to needy persons who are or have been members of the ICAI and their dependents, for maintenance of the dependents, their educational and medical needs etc. The financial and other particulars of the Fund are as follows:

Details of Membership

1. Total Life Members as on 31st March, 2010 = 97564
2. Total Life Members as on 31st March, 2011 = 102110
3. Total Additions of New Life Members during the year ended 31st March, 2011) = 4546
4. Total Financial Assistance given during the year ended 31st March, 2011 = Rs. 20,855,500

Details of Financial Particulars

	During the year ended 31 st March, 2010 (Rs.)	During the year ended 31 st March, 2011 (Rs.)
Total Assistance provided	22,975,500	20,855,500
Administrative Expenses	17,142	20,723
Surplus (Deficit) of the Fund	(10,480,363)	(3,765,059)
Balance of the Fund	9,428,627	5,663,568
Balance of Corpus	88,107,800	100,103,645

9.4 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year ended 31st March, 2011, 72 scholarships of the value of 500 each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy course. The number of life membership of the Fund increased from 2129 as on 31st March, 2010 to 3656 as on 31st March, 2011. The balance in the credit of the Fund was Rs. 2,337,975/- as on 31st March, 2011 as against Rs. 1,599,441/- as on 31st March, 2010.

9.5 Chartered Accountants Student's Benevolent Fund (CASBF)

The Fund was established in August, 2008 with the aim and objective to provide financial assistance, scholarships etc. to the students registered with ICAI. During the year ended 31st March, 2011, 200 scholarships of the value of 1500 each per month for one year in the form of financial assistance are to be given to the students undergoing the Chartered Accountancy course. The balance in the credit of the general fund was Rs. 17,361,063/- as on 31st March, 2011 as against Rs. 7,802,562/- as on 31st March, 2010.

10. STUDENTS

As far back as in September, 1954, the Council established a 'Coaching Board' to impart theoretical education to students registered for the Chartered Accountancy course. Such an agency was established as it was considered more effective way of catering to the needs of the students rather than relying on the system of recognizing private institutions.

To start with, registration for the theoretical training was voluntary. However, from 1956, it was made compulsory. Since then, any student registering as an articled or audit assistant (earlier, articled or audit clerk) was required to register himself as a student of the Coaching Board. Since the students for the course are scattered all over the country, uniformity was ensured through correspondence course conducted by the Coaching Board. Later on in 1977, the name of Coaching Board was changed to "Board of Studies". Today, the Board is solely responsible for the administration of the Chartered Accountancy curriculum imparting theoretical education to students undergoing Chartered Accountancy course.

With the adoption of distance-education mode by the ICAI since 1955 and successful implementation of the same for over five decades, the ICAI has emerged as a pioneer in this field. By undertaking this responsibility, it has ensured the highest quality and consistency by providing education material and other academic inputs from time to time at the most affordable prices. Through the adoption of model of integrating theoretical education and practical training, it has been able to facilitate the development of not only professional knowledge and skills amongst large number of students but also inculcate professional values, ethics and attitudes. The Board of Studies provides a comprehensive package of educational inputs to enable the students to prepare adequately for the examinations. In view of the large number of students scattered throughout the country as well as abroad, it aims to leverage technology and theoretical education through virtual mode for the benefit of students. It has established computer labs all over the country in which CA students are getting training in Information Technology. In order to equip students with the presentation skill and real life environment and to enhance their overall personality, the Board organizes Orientation Programme and Course on General Management and Communication Skills (GMCS).

The Board of Studies has also entered into Memorandum of Understanding with various Universities enabling CA students to acquire BBA, B.Com, M.Com, MBA degrees. The Board also organizes a large number of National Conventions, Seminars and Conferences to update the students with the latest knowledge in different professional subjects.

Some of the significant achievements during the year are as follows:-

10.1 Accreditation Scheme

The number of Accredited Institutions as on 31st March, 2011 is 87, out of which 62 are for imparting coaching for Common Proficiency Text (CPT) and 25 for Professional Competence Course (PCC)/Integrated Professional Competence Course (IPCC).

10.2 Exhaustive revision in Hindi Study Material for IPCC & Final Course

On the basis of Revised English Study Material, the Study Material of IPCC Course in Hindi has undergone revision and for Final Course the revision is under progress and the Study Material is likely to be released by end of August, 2011.

10.3 Suggested Answers

In order to facilitate and guide the students for better preparation for examinations, Suggested Answers for Professional Competence Course (PCC), Integrated Professional Competence Course (IPCC), Accounting Technician Course (ATC), Final (Old) Course (only for May 2010), and Final (New) Course Examinations held in May/June 2010 and November/December, 2010 were printed well in advance and made available to the students. These Suggested Answers were also hosted on the website of the ICAI (with downloadable option, free of cost) much before declaration of the Results.

10.4 Revision Test Papers

The Revision Test Papers (RTPs) for PCC, IPCC/ATC and Final exams were published in time which enabled the students to prepare well for their examinations. These were also hosted on the web site of the ICAI with free of cost downloadable option.

10.5 Revision of Study Materials

As a part of continuous process of updating the knowledge of students, the contents of various study materials have been updated/revised with incorporation of appropriate changes. The Study Material for IPCC was revised twice in July and December 2010. The Practice Manuals for the remaining subjects - Business Laws & Ethics and Communication, Auditing and Assurance, Information Technology & Strategic Management and Taxation were also brought out. By this exercise, the Practice Manuals of all the subjects of IPCC are forming part of the Study Material Kit. Similarly the Study Material for Final Course was also exhaustively revised in January, 2011 and Practice Manuals of all the subjects of Final exam were also introduced and forming part of the Study Material Kit.

10.6 Digest of Select Cases

The digest of select cases in Direct and Indirect Taxes 2010 containing important cases in Direct and Indirect Tax Laws has been published.

10.7 Supplementary Study Materials in Taxation subjects

Supplementary study material in Direct and Indirect Taxes is an annual publication containing amendments made by the Finance Act with latest circulars and notifications issued during the year. Accordingly, the Supplementary Study Material relating to Taxation for IPCC and Final Courses containing the amendments made by the Finance Act, 2010 and important notifications/circulars issued between 1st May, 2009 and 30th April, 2010 was brought out for the benefit of the students.

10.8 List of Publications of Board of Studies

The publications brought out by the Board of Studies included Study Materials in respect of Common Proficiency Test (CPT), Integrated Professional Competence Course (IPCC) and Final Examinations. The Board also brought out Course material on Information Technology Training Programme/Course, Suggested Answers for Professional Competence Course (PCC), Integrated Professional Competence Course (IPCC) and Final Examinations.

10.9 100 Hours Information Technology Training

Presently, 151 Information Technology Centres established by the ICAI are functional and establishment of 4 more such Centres is in process. The details of computers installed in these Centres and the students trained during the year are as under:

Computer Labs fully functional	151
Labs establishment in process	4
Number of computers installed	4880
Number of students trained from April, 2010 to March, 2011	62,919
Annual capacity to train students in ICAI labs	1,77,840

The study material on 100 Hours Information Technology Training has also been thoroughly revised and updated. A CD containing Power Point Presentation on the Study material and the Lab manual covering practical problems and case studies is being supplied to all students undergoing 100 Hours ITT. During the year, the review of more than 115 ITT Centre was undertaken by ISA qualified members and corrective actions were initiated for quality assurance of the training being imparted to students.

10.10 Course on General Management and Communication Skills

During April, 2010 - June, 2011, 503 batches of the 15 days Course on General Management and Communication Skills were organized by Regional Councils and their branches at 66 centres across the country (inclusive of Dubai Centre) and 22,260 students participated in these programmes, as compared to 13,168 during 2009-2010.

10.11 Orientation Programme for Integrated Professional Competence Course (IPCC) and Accounting Technician Course (ATC)

Students registered for Integrated Professional Competence Course (IPCC) and Accounting Technician Course (ATC) have to undergo mandatory Orientation Programme spanning 35 hours. During April, 2010 – June, 2011, 1082 batches of Orientation Programme were organized at 102 centres and 51,574 students participated in these programmes, as compared to 52,606 during 2009-2010.

10.12 Scholarships granted to students

During the year, the Board of studies granted Scholarships to 211 students under Merit, Merit-Cum-Need, and Need based and Weaker Sections categories.

10.13 Students' Journal

The Board of Studies, since June, 1997 has been publishing a monthly Journal for students called, "Chartered Accountant Student". The Students' Journal called Students' Newsletter till December, 2009 includes regular features such as articles on topics relevant to the CA Students, academic updates, and important announcements. The Journal continued to be popular and proved very useful to the student community, as well as members of the ICAI.

10.14 Best Article Award

A Judging Committee comprising of two eminent Chartered Accountants considered 15 articles published in the CA Students' Journal between June 01, 2009 and May 31, 2010 for the best and 2nd best awards. "AS 11-Effects of changes in Foreign Exchange Rates" written by Shri Bharat Tulsian was adjudged the best and "Basics of Transfer Pricing" by Ms. Hemali Deepak Thakkar as the 2nd best. Certificates and Cash Prizes were given to the article writers at the Annual Function of the ICAI.

10.15 Students Exchange Programme

Eight students of the ICAI participated at the 25th Annual CA Students' Conference organized by The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka at Colombo on 6th April, 2011. Twelve students of the ICA Sri Lanka, five students from ICA Nepal and one student from ICA Bangladesh participated at the All India CA Students Conference organized by the Board of Studies of the ICAI on 23rd-24th July, 2011 at Nagpur which was hosted by the Nagpur Branch of WIRC and Nagpur Branch of WICASA.

10.16 Recognition of CA Course for Ph.D Programme

With the constant follow up with various Universities, the Board of Studies has been successful in obtaining recognition for CA Course from 82 Universities, besides 5 Indian Institutes of Management and the Association of Indian Universities for the purpose of pursuit of Ph.D./Fellow Programme.

10.17 One Day Seminars

During the year, 72 One day seminars were organized by 24 branches.

10.18 Elocution Contests

The Branch Level Elocution Contests were organized by 49 Branches, including 5 Regional Councils. Apart from this, 5 Regional level Contests were organized. The All India Elocution Contest was conducted at Delhi on 12th January, 2011.

10.19 Quiz Contests

The Branch Level Quiz Contests were organized by 51 Branches, including 5 Regional Councils. Apart from this, 5 Regional level Contests were organized. The All India Quiz Contest was conducted at Delhi on 12th January, 2011.

10.20 International CA Students' Conference

For the first time in the history of the ICAI, an International Conference of CA Students was organized on 28-29 December, 2010 on the theme "Indian Accountancy Profession - Marching towards Global Centre Stage". The Conference witnessed participation of more than 1,000 Students not only from different parts of the country but also from Nepal.

10.21 National Convention of CA Students

During the year, 10 National Conventions were organized at Jaipur, Kanpur, Vijayawada, Kolkata, Mumbai, Nagpur, Indore, Coimbatore, Bangalore and Pune.

10.22 Regional/Sub-Regional/State Level Conference

The State level Conferences were organized at Ludhiana, Ernakulam, Bhubaneswar, and Hyderabad. The Regional level Conference was organized at Kota, Baroda, Ernakulam, Tirupati and Bhilwara. The Sub-Regional Conferences were organized at Vasai, Bikaner, Salem, Jalgaon, Jamnagar and Rajkot.

10.23 Campus Placements of Articled Assistants

As a pilot project, a campus placement programme for Articled Assistants was organized by the Board of Studies on 27th-28th August, 2010 at New Delhi for the benefit of both the firms of Chartered Accountants having their head office/branch office in Delhi/ New Delhi as well as prospective articled assistants.

10.24 Online Articles Placement Portal

To facilitate placement of Articles in CA firms on pan India basis, an On-line Articles Placement Portal - <http://bosapp.ica.org> was made operational from 5th October, 2010. The portal provides a platform to the Chartered Accountants firms having vacancies for Articled Assistants, to shortlist eligible students for selection of articled assistants, and call them for interview at their offices. Eligible CA Firms and candidates who are willing to avail of this facility are required to register on-line through the articles placement portal.

10.25 Joint Seminars with Universities

During the year, 4 Joint Seminars were held by the Branches with the coordination of various Universities viz. Cochin University, M.S. University, Baroda, University of Calicut and Barkattulah University.

10.26 Career Counseling Programmes

Career Counselling Programmes are being organized at Regional Headquarters and Branches to popularize the CA course and also to help students for getting their academic queries in various subjects of the curriculum resolved. During the period from 1st April, 2010 to 30th June, 2011, 84 Career Counselling Programmes were organized at different locations throughout the country.

10.27 Six Weeks Residential Programme on Professional Skills Development

Six weeks Residential Programme on Professional Skill Development (General Management, Personality Development and Communication Skills) has been organized by Board of Studies for the benefit of all the students who have passed Chartered Accountancy Final/IPCC/PCC/PE-II Examination and pursuing last year of article training or completed Articleship training are invited to join the course. The programme is helping the CA students and newly qualified CAs in imbibing the professional skill required for effective functioning in business organizations and profession. Six batches have been organized during the year.

10.28 Memorandum of Understanding with Bharathiar University

A Memorandum of Understanding between the ICAI and the Bharathiar University, Coimbatore was signed on 4th December, 2008. As per the MOU, CA students as well as

qualified Chartered Accountants will have the opportunity to pursue B.Com., M.Com., BBA and MBA degrees of the Bharathiar University. At present there are 521 Chartered Accountants/Students pursuing Chartered Accountancy Course are admitted in the various courses under BU-ICAI Joint Education Programme.

10.29 Toll free numbers for answering students' queries

A toll free number 1800-200-2501 is dedicated to answer the queries from students. The said dedicated line functions from the Board of Studies and the academic queries are answered by the faculty members concerned.

10.30 Live Virtual Classes for students of CPT and IPCC Courses

The pilot batch of Live Virtual Classes was organized from February 2, 2011 for the benefit of CPT and IPCC Students at 25 centres in 22 cities with lectures by experts. Students from various parts of the country interacted with expert faculty over two way audio-video interactive sessions and lectures over VSAT and Terrestrial connectivity.

10.31 Students' Statistics

The details in respect of students registered during the previous eight years from 2003-04 to 2010-11 and from 1st April, 2011 to 30th June, 2011 are indicated hereunder:

Year	Final (Old & New)	CPT	PCC	IPCC	ATC (Registered exclusively)
2003-04	11,390	--	--	--	--
2004-05	11,061	--	--	--	--
2005-06	13,010	--	--	--	--
2006-07	11,838	1,29,110 (from 13/9/2006 onwards)	24,041 (from 13/9/2006 onwards)	--	--
2007-08	19,558	1,42,612	61,186	--	--
2008-09	11,562	1,39,140	33,764	18,318 (from 10/12/2008 onwards)	8 (from 10/12/2008 onwards)
2009-10	24,109	1,63,397	1,204 (Registration discontinued from 1/7/2009)	81,833	4
2010-11	38,084	1,57,403	--	79,523	9
1 st April, 2011 to 30 th June, 2011	3,479	28,575	--	1,403	1
Total	1,44,091	7,60,237	1,20,195	1,81,077	22

11. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

The ICAI has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively.

11.3 Decentralised Offices

Recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the Council of the ICAI has already set up five decentralised Offices at Bangalore, Hyderabad in Southern Region, Ahmedabad, Pune in Western Region and Jaipur in Central Region besides the decentralised offices already functioning from Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi. Considering the increasing volume of work/activities at the regional level, eight more decentralised offices have been set up at Nagpur, Surat, Vadodara and Thane (Western Region), Ernakulam and Coimbatore (Southern Region), Indore (Central Region) and Chandigarh (Northern Region).

11.4 Branches of Chartered Accountants Students' Association

With a view to actively involving students of the Chartered Accountancy Course in the development of spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the Council of the ICAI has always been encouraging students to set up branches of Chartered Accountants Students' Association. In this process, so far 62 branches of Students' Association have already been set up.

12. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2011 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

13 APPRECIATION

The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/Committees constituted under the Chartered Accountants Act, 2006 and to the non-members who assisted the Council during the year 2010-2011 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2010-2011.

The Council wishes to place on records its heartfelt gratitude to H.E. Shri Pratibha Devisingh Patil, President of India; H.E. CA. Rameshwar Thakur, the then Governor of Madhya Pradesh; H.E. Shri Devanand Konwar, Governor of Bihar; H.E. Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare, Governor of Orissa; H.E. Shri B.L. Joshi, Governor of Uttar Pradesh; Shri Salman Khurshid, the then Minister for Corporate Affairs; his successor, Shri Murli Deora and current Minister, Shri Veerappa Moily; Shri R.P.N. Singh, Minister of State for Corporate Affairs; Shri Pranab Mukherje, Finance Minister; Shri S.M. Krishna, Minister for External Affairs; Shri Kapil Sibal, Minister for Human Resource Development; Shri Vilas Rao Deshmukh, the then Minister for Rural Development & Panchayati Raj; Prof. K.V. Thomas, the then Minister of State for Agriculture, Consumer Affairs, Food & Public Distribution; Dr. M.M. Pallam Raju, Minister of State for Defence; CA. K. Rahman Khan, Deputy Chairman, Rajya Sabha; Shri Narendra Modi, Chief Minister of Gujarat; Shri Nitish Kumar, Chief Minister of Bihar; Shri Chhagan Bhujbul, the then Deputy Chief Minister of Maharashtra; Shri Vinod Rai,

Comptroller & Auditor General of India; Dr. S.Y. Quraishi, Chief Election Commissioner of India; Shri R. Bandyopadhyay, the then Secretary, Ministry of Corporate Affairs, his successor, Shri D.K. Mittal and the current Secretary, Shri Naved Masood; Shri Ajit Kumar Seth, Cabinet Secretary; Shri Ashok Chawla, the then Finance Secretary; Shri Rahul Khullar, Secretary, Ministry of Commerce; Shri P.C. Chaturvedi, the then Secretary, Ministry of Labour; Shri M. Ramachandran, the then Secretary, Ministry of Urban Development; Shri Shashi Kant Sharma, the then Secretary, Department of Financial Services, his successor, Shri R. Gopalan; Ms. Vibha Puri Das, Secretary, Department of Secondary & Higher Education, Ministry of Human Resource Development; Shri P.J. Thomas, the then Secretary, Department of Telecom; Ministry of Communications & Information Technology; Shri S.S.N. Moorthy, the then Chairman, Central Board of Direct Taxes; his successor, Shri Sudhir Chandra; Shri S. Dutt Majumder, Chairman, Central Board of Excise & Customs; Dr. Parthasarathy Shome, ex-Adviser to Finance Minister and other dignitaries who were kind enough to grace the various programmes of the ICAI. The Council also desires to place on record its sincere appreciation to the various functionaries at State level who graced programmes organized by the organs of the ICAI.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/being initiated by them, pursuant to such initiatives.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2010-2011 and thereafter by all officers and staff of the ICAI.

MEMBERS
(From 1st April, 2001)
TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1 st April, 2001	Associate	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	Fellow	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	Total	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1 st April, 2002	Associate	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	Fellow	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	Total	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1 st April, 2003	Associate	23194	14446	6374	6318	10287	60619
	Fellow	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	Total	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1 st April, 2004	Associate	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	Fellow	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	Total	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1 st April, 2005	Associate	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	Fellow	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	Total	42185	28693	12931	15759	23978	123546
1 st April, 2006	Associate	28528	16700	7172	8480	12898	73778
	Fellow	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	Total	44913	30058	13485	17019	25471	130946
1 st April, 2007	Associate	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	Fellow	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	Total	48055	31883	14317	18524	27062	139841

1 st April, 2008	Associate Fellow Total	32364 17646 50010	19203 14034 33237	7939 6738 14677	10045 9472 19517	14642 13398 28040	84193 61288 145481
1 st April, 2009	Associate Fellow Total	34294 18442 52736	20666 14516 35182	8193 7002 15195	10578 10007 20585	15951 13951 29902	89682 63918 153600
1 st April, 2010	Associate Fellow Total	36390 19181 55571	21733 15076 36809	8512 7192 15704	11252 10615 21867	17104 14461 31565	94991 66525 161516
1 st April, 2011	Associate Fellow Total	38608 19831 58439	22998 15612 38610	9154 7406 16560	12329 11182 23511	18547 14943 33490	101636 68974 170610

MEMBERS
(From 1st April, 1950)
TABLE II

	Associate	Fellow	Total
As on 1 st April, 1950	1,120	569	1,689
As on 1 st April, 1951	1,285	672	1,957
As on 1 st April, 1961	4,059	1,590	5,649
As on 1 st April, 1971	7,901	3,326	11,227
As on 1 st April, 1981	16,796	8,642	25,438
As on 1 st April, 1991	36,862	22,136	58,998
As on 1 st April, 2001	51,603	44,789	96,392
As on 1 st April, 2002	54,666	47,064	1,01,730
As on 1 st April, 2003	60,619	49,637	1,10,256
As on 1 st April, 2004	63,384	52,707	1,16,091
As on 1 st April, 2005	68,052	55,494	1,23,546
As on 1 st April, 2006	73,778	57,168	1,30,946
As on 1 st April, 2007	81,049	58,792	1,39,841
As on 1 st April, 2008	84,193	61,288	1,45,481
As on 1 st April, 2009	89,682	63,918	1,53,600
As on 1 st April, 2010	94,991	66,525	1,61,516
As on 1st April, 2011	1,01,636	68,974	1,70,610

STUDENTS GROWTH PROFILE
(From 31st March, 1998)

Course →	Founda- tion/PE (Course-I)	Interme- diate/PE (Course-II)	Final	CPT	PCC	IPCC	ATC	Total
During the year ↓								
1997-98	37,052	24,652	9,394	-	-	-	-	71,098
1998-99	43,809	28,253	12,227	-	-	-	-	84,289
1999-00	44,180	27,508	10,787	-	-	-	-	82,475
2000-01	35,999	23,405	9,026	-	-	-	-	68,430
2001-02	34,215*	29,403**	11,524	-	-	-	-	75,142
2002-03	35,524	33,283	11,102	-	-	-	-	79,909
2003-04	38,188	34,232	11,390	-	-	-	-	83,810
2004-05	39,000	34,190	11,061	-	-	-	-	84,251
2005-06	38,901	39,467	13,010	-	-	-	-	91,378
2006-07	45,617	32,339	11,838	1,29,110***	24,041***	-	-	2,42,945

2007-08	-	-	19,558	1,42,612	61,186	-	-	2,23,356
2008-09	-	-	11,562	1,39,140	33,764	18,318****	8****	2,02,792
2009-10			24,109	1,63,397	1,204	81,833	4	2,70,547
2010-11			38,084	1,57,403	-	79,523	9	2,75,019

* includes PE (Course I) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002: 5006

** includes PE (Course II) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002: 11848

*** from 13th September, 2006 to 31st March, 2007

**** from 10th December, 2008 to 31st March, 2009

COMPOSITION OF THE COUNCIL (2011 – 2012)

		Members of the Council (2011-12)	
President CA. G. Ramaswamy		Elected Members	
Vice-President CA. Jaydeep N. Shah		CA. Abhijit Bandyopadhyay	Kolkata
		CA. Amarjit Chopra	New Delhi
		CA. Anuj Goyal	Ghaziabad
		CA. Atul Chunilal Bheda	Mumbai
		CA. Bhavna Doshi	Mumbai
		CA. Charanjot Singh Nanda	New Delhi
		CA. Devaraja Reddy M.	Hyderabad
		CA. Dhinal Ashvinbhai Shah	Ahmedabad
		CA. G. Ramaswamy	Coinabator
		CA. J. Venkateswarlu	Hyderabad
		CA. Jayant Gokhale	Mumbai
		CA. Jaydeep Narendra Shah	Nagpur
		CA. K. Raghu	Bangalore
		CA. Madhukar Narayan Hiregange	Bangalore
		CA. Mahesh P. Sarda	Jamnagar
		CA. Manoj Fadnis	Indore
		CA. Naveen N.D. Gupta	New Delhi
		CA. Nilesh Shivji Vikamsey	Mumbai
		CA. Pankaj Inderchand Jain	Mumbai
		CA. Pankaj Tyagee	New Delhi
		CA. Rajendra Kumar P.	Chennai
		CA. Rajkumar S. Adukia	Mumbai
		CA. Ravindra Holani	Gwalior
		CA. S. Santhanakrishnan	Chennai
		CA. Sanjay Kumar Agarwal	New Delhi
		CA. Sanjeev Maheshwari	Mumbai
		CA. Shiwaji Bhikaji Zaware	Pune
		CA. Subodh Kumar Agrawal	Kolkata
		CA. Sumantra Guha	Kolkata
		CA. V. Murali	Chennai
		CA. Vijay Kumar Garg	Jaipur
		CA. Vinod Jain	New Delhi
		Nominated Members	
		Shri Anil K. Agarwal	New Delhi
		Shri Ashutosh Dikshit	New Delhi

Internal Auditors Bhasin Raghavaan & Co. Rajender Kumar Singal & Associates	Shri Deepak Narain	New Delhi
	Shri K.P. Sasidharan	New Delhi
	(Upto 30 th September, 2010)	
	Shri Prithvi Haldea	New Delhi
	Smt. Renuka Kumar	New Delhi
	(upto 31 st August, 2010)	
	Shri Sidharth Kumar Birla	New Delhi
	Dr. T.V. Somanathan	New Delhi
	(from 1 st September, 2010)	
	Smt. Usha Narayanan	Mumbai
	Smt. Usha Sankar	New Delhi
	(from 1 st October, 2010)	

ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011**AUDITOR'S REPORT**

- 1 We have audited the attached Balance Sheet of The Institute of Chartered Accountants of India as at 31st March, 2011 and also the annexed Income and Expenditure Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date. The accounts of the Institute's Decentralized Offices, Computer Centers, Regional Councils and their Branches audited by other auditors and that their reports have been incorporated and duly considered while preparing our report. These financial statements are the responsibility of the management of the Institute. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted the audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We further report that :-
 - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
 - c) In our opinion, proper books of account are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949;
 - d) In our opinion the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement comply with relevant Accounting Standards;
 - e) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statements together with the schedules attached and read with the Accounting Policies and Notes Forming Part of Accounts give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India:
 - i) In the case of Balance Sheet, of the state of the Institute's affairs, as at 31st March, 2011;
 - ii) In the case of Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date; and
 - iii) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Sd/-

CA. PUSHPENDRA SURANA
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-504087

Place : New Delhi
Date : 12.09.2011

Sd/-

CA. ASHOK KUMAR JAIN
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-080008

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2011

	Schedule	Amount As At 31/03/2011	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2010
SOURCES OF FUNDS:			
Reserves and Surplus	I	52778.78	35602.89
Earmarked Funds	II	11544.63	11369.16
TOTAL		64323.41	46972.05
APPLICATION OF FUNDS:			
<u>Fixed Assets:</u>			
Gross Block	III	32159.76	21162.34
Less: Depreciation and Amortisation		8042.19	6550.88
Net Block		24117.57	14611.46
Capital Work in Progress (including capital advances)		6190.93	8698.73
<u>Investments:</u>			
Earmarked Fund Investments	IV	11544.63	11369.16
Employee Benefit Investments		3141.63	2283.48
Other Investments		28318.23	16979.60
		43004.49	30632.24
<u>Current Assets, Loans & Advances :</u>			
Inventories	V	655.18	701.72
Cash & Bank Balances	VI	5777.85	6149.25
Loans & Advances	VII	2679.37	2147.08
Interest Accrued on Investments		2604.78	2463.36
Sub - Total		11717.18	11461.41
<u>Less: Current Liabilities & Provisions</u>			
Current Liabilities	VIII	16928.50	16252.24
Provision for Employee Benefits		3778.26	2179.55
Sub - Total		20706.76	18431.79
Net Current Assets (Liabilities)		(8989.58)	(6970.38)
TOTAL		64323.41	46972.05

Statement of significant accounting policies

Notes forming part of Accounts.

Schedules referred to above form an Integral Part of the Balance Sheet.

Sd/-
CA. MAHESH KUMAR SHARDA
ADDITIONAL SECRETARY

Sd/-
SH. T. KARTHIKEYAN
SECRETARY

Sd/-
CA. JAYDEEP N. SHAH
VICE PRESIDENT

Sd/-
CA. G. RAMASWAMY
PRESIDENT

As per our Report of even date attached

Sd/-
CA. PUSHPENDRA SURANA
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER- 504087

Sd/-
CA. ASHOK KUMAR JAIN
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER - 080008

Place : New Delhi
Date: 12.09.2011

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2011

	Schedule	Amount Year ended 31/03/2011	Rs. in Lacs Amount Year ended 31/03/2011
INCOME			
Fees	IX	36070.46	31643.56
Seminars		4241.80	3821.95
Other Income	X	3902.01	2579.91
TOTAL		44214.27	38045.42
EXPENDITURE			
Salaries & Allowances		5944.87	6258.58
Printing & Stationery		4918.10	4332.60
Seminars		3420.24	3382.87
Other Operating Expenses	XI	12097.87	10515.01
Depreciation and Amortisation		1518.04	1322.61
TOTAL		27899.12	25811.67
NET SURPLUS		16315.15	12233.75
Appropriation to Funds / Reserves :			
Education Fund [Policy No. III (c)]	XII	4635.39	4077.76
Employees Benevolent Fund [Policy No. III (d)]	XII	23.90	22.86
General Reserve		11655.86	8133.13
TOTAL		16315.15	12233.75
Statement of significant accounting policies	XII		
Notes forming part of Accounts.	XIII		
Schedules referred to above form an Integral Part of the Income and Expenditure Account			

Sd/- CA. MAHESH KUMAR SHARDA ADDITIONAL SECRETARY	Sd/- SH. T. KARTHIKEYAN SECRETARY	Sd/- CA. JAYDEEP N. SHAH VICE PRESIDENT	Sd/- CA. G. RAMASWAMY PRESIDENT
---	---	---	---------------------------------------

As per our Report of even date attached

Sd/- CA. PUSHPENDRA SURANA CHARTERED ACCOUNTANT MEMBERSHIP NUMBER- 504087	Sd/- CA. ASHOK KUMAR JAIN CHARTERED ACCOUNTANT MEMBERSHIP NUMBER - 080008
--	--

Place: New Delhi
Date 12.09.2011

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
CASH FLOW STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2011

	(Amount Rupees in Lacs)	
	2010-11	2009-10
A.Cash flows from operating activities		
Net Surplus	16315.15	12233.75
Adjustments for:		
Depreciation and Amortisation	1518.04	1322.61
Interest on investments	(1904.06)	(1203.80)
	(386.02)	118.81
Operating surplus before working capital changes	15929.13	12352.56
(Increase)/Decrease in Inventories	46.54	(21.88)
(Increase)/Decrease in Loans & advances	(532.29)	360.08
Increase/(Decrease) in Current Liabilities	676.26	6150.06
Increase/(Decrease) in Provision of Employee Benefits	1598.71	(93.38)
	1789.22	6394.88
Net cash from operating activities	17718.35	18747.44
B.Cash flows from investing activities		
Acquisition of Fixed Assets including Capital Work in Progress (Net)	(8516.35)	(9836.84)
Acquisition of Investments (Net)	(12372.25)	(8982.40)
Interest on investments	2305.09	1513.53
Capital Receipts	87.70	241.77
Net Cash from Investing Activities	(18495.81)	(17063.94)
C.Cash flows from financing activities		
Admission Fees from new members	109.64	117.14
Contribution from members	296.42	276.14
	406.06	393.28
Net Increase/Decrease in cash and cash equivalents	(371.40)	2076.78
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	6149.25	4072.47
Cash and Cash equivalents at the end of the year-Refer Schedule No-VI	5777.85	6149.25

Note:

1.The above Cash Flow Statement has been derived using the Indirect method prescribed in AS-3 issued by the ICAI.

2.Enclosed Schedules I to XIII form an Integral Part of the Cashflow Statement

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. MAHESH KUMAR SHARDA	SH. T. KARTHIKEYAN	CA. JAYDEEP N. SHAH	CA. G. RAMASWAMY
ADDITIONAL SECRETARY	SECRETARY	VICE PRESIDENT	PRESIDENT

As per our Report of even date attached

Sd/-	Sd/-
CA. PUSHPENDRA SURANA	CA. ASHOK KUMAR JAIN
CHARTERED ACCOUNTANT	CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER- 504087	MEMBERSHIP NUMBER - 080008

Place: New Delhi
Date :12.09.2011

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE I

RESERVES AND SURPLUS

Rs. in Lacs

	EDUCATION		INFRASTRUCTURE		GENERAL		OTHERS *		TOTAL	
	Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At	
	31/03/2011	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2010
Opening Balance	10,772.05	8,064.49	2,645.75	2,161.11	21,789.75	14,416.91	395.34	254.09	35,602.89	24,896.60
Appropriation from Income & Expenditure A/C	-	-	-	-	11,655.86	8,133.13	-	-	11,655.86	8,133.13
Transfer from/(to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserves	-	-	-	-	(65.79)	(108.03)	63.51	58.03	0	-
Transfers from/(to) Earmarked Funds	5,498.71	2,707.56	2.28	50.00	(348.52)	(507.86)	(0.39)	27.02	5,149.98	2,226.72
Admission Fees & allocated Entrance Fees	-	-	0.18	-	-	-	-	-	109.64	117.14
Donation received for Buildings	-	-	109.64	117.14	-	-	-	-	296.42	276.14
Net (Depletion)/Addition	-	-	296.42	276.14	(71.54)	(144.40)	32.69	56.20	(36.01)	(46.84)
	-	-	2.84	41.36	-	-	-	-	-	-
Total	16,270.76	10,772.05	3,057.11	2,645.75	32,959.76	21,789.75	491.15	395.34	52,778.78	35,602.89

*Note: Other Reserves are Reserves such as Library Reserves and Class Room Training Reserves as appearing in the books of Regional Councils and Branches.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE II

EARMARKED FUNDS

Rs. in Lacs

	Opening Balances		Appropriation from Income & Expenditure Account		Transfer from/(to) Reserves and Surplus		Contribution received/Addition during the year		Income during the year		Payments during the year		Total	
	Amount As At 01.04.2009	Amount As At 2010-11	Amount As At 2009-10	Amount As At 2010-11	Amount As At 2009-10	Amount As At 2010-11	Amount As At 2009-10	Amount As At 2010-11	Amount As At 2009-10	Amount As At 2010-11	Amount As At 2009-10	Amount As At 2010-11	Amount As At 31.03.2011	Amount As At 31.03.2010
RESEARCH FUNDS	1,233.73	1,140.44	-	-	-	-	-	-	98.39	93.29	-	-	1,332.12	1,233.73
ACCOUNTING RESEARCH BUILDING FUND	427.65	394.77	-	-	-	-	-	-	34.68	32.88	-	-	462.33	427.65
EDUCATION FUND	8,027.13	6,145.05	4,635.39	4,077.76	(5,498.71)	(2,707.56)	-	-	651.00	511.88	-	-	7,814.81	8,027.13
MEDALS AND PRIZES FUNDS	156.24	151.10	-	-	-	-	0.10	-	9.23	9.05	(4.55)	(4.01)	160.92	156.24
STUDENTS SCHOLARSHIP FUNDS	78.71	73.28	-	-	-	-	5.01	-	6.38	6.10	(1.75)	(2.12)	86.35	78.71
EMPLOYEES BENEVOLENT FUND	187.56	153.12	23.90	22.86	-	-	-	-	15.21	12.76	(0.63)	(1.18)	226.04	187.56
OTHER FUNDS (REGIONAL COUNCILS AND BRANCHES)	1,258.14	1,095.22	-	-	348.73	480.84	118.69	297.06	64.28	46.38	(329.78)	(651.36)	1,450.06	1,258.14
TOTAL	11,369.16	9,152.98	4,659.29	4,100.62	(5,149.98)	(2,226.72)	123.70	288.61	879.17	712.34	(336.71)	(656.67)	11,544.63	11,369.16

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE III

FIXED ASSETS

Rs. in Lacs

ASSETS	G R O S S B L O C K			DEPRECIATION AND AMORTISATION			N E T B L O C K			
	Cost as at 1.4.2010	Additions during the year	Adjustments /Transfers / Sale	Cost as at 31.3.2011	Upto 1.4.2010	For the year	Adjustments Transfers/ /Sale	Upto 31.3.2011	W.D.V. as on 31.3.2011	W.D.V. as on 31.3.2010
A.Tangible Assets:										
1.Land - Free Hold	2,767.86	4,347.92	-	7,115.78	-	-	-	-	7,115.78	2,767.86
2.Land -Lease Hold	3,259.75	-	(33.75)	3,226.00	219.26	40.29	(1.23)	258.32	2,967.68	3,040.49
3.Buildings	5,119.07	5,688.11	(4.40)	10,802.78	953.17	267.85	(4.40)	1,216.62	9,586.16	4,165.90
4.Electric Installations & Fittings	1,043.95	62.99	(9.94)	1,097.00	236.92	208.96	(0.66)	445.22	651.78	807.03
5.Computers	3,242.73	232.11	(13.68)	3,461.16	2,585.14	448.79	(5.65)	3,028.28	432.88	657.59
6.Air Conditioners	757.71	82.66	(2.03)	838.34	319.86	73.17	(0.32)	392.71	445.63	437.85
7.Furniture & Fixtures	2,024.91	360.77	(8.33)	2,377.35	578.64	169.62	(5.67)	742.59	1,634.76	1,446.27
8.Lifts	235.27	9.82	-	245.09	68.36	17.10	-	85.46	159.63	166.91
9.Office Equipments	1,491.83	237.26	(26.04)	1,703.05	452.98	188.30	(4.72)	636.56	1,066.49	1,038.85
10.Vehicles	67.17	18.45	(0.30)	85.32	39.33	6.29	(0.15)	45.47	39.85	27.84
11.Library Books	567.72	53.42	-	621.14	567.72	57.35	(3.93)	621.14	-	-
B.Intangible Asset:										
Software	584.37	2.38	-	586.75	529.50	40.32	-	569.82	16.93	54.87
TOTAL	21,162.34	11,095.89	(98.47)	32,159.76	6,550.88	1,518.04	(26.73)	8,042.19	24,117.57	14,611.46
Previous Year Figures	15,747.23	5,560.53	(145.42)	21,162.34	5,275.28	1,322.61	(47.01)	6,550.88	14,611.46	10,471.95

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE IV

INVESTMENTS

	Amount As At 31/03/2011	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2010
<u>A. LONG TERM INVESTMENTS (AT COST)</u>		
<u>Bonds</u>		
(I) Government of India-8% (taxable) Bonds-2003	2350.00	3650.00
<u>Others</u>		
(II) Fixed Deposits with Scheduled Banks	6700.00	5400.00
<u>B. OTHER INVESTMENTS</u>		
Short term deposits with scheduled banks (having duration upto one year)	33954.49	21582.24
Total Investments	43004.49	30632.24
<u>ALLOCATED TO:-</u>		
Earmarked Fund Investments	11544.63	11369.16
Employee Benefit Investments	3141.63	2283.48
Other Investments	28318.23	16979.60
Total	43004.49	30632.24

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE V

INVENTORIES

	Amount As At 31/03/2011	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2010
Publications and Study Materials	610.19	645.04
Consumables Stores	44.99	56.68
Total	655.18	701.72

SCHEDULE VI

CASH AND BANK BALANCES

	Amount As At 31/03/2011	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2010
Cash in Hand	14.40	13.13
Cash at Bank	5763.45	6136.12
Total	5777.85	6149.25

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE VII

LOANS & ADVANCES (Considered Good)

	Amount As At 31/03/2011	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2010
Loans and Advances-Staff	232.67	263.15
Interest Recoverable from Staff Loans	104.64	116.83
Security Deposits	142.51	110.26
Accounts Receivables	1400.86	1133.22
Other - Advances & Pre-payments	798.69	523.62
Total	2679.37	2147.08

SCHEDULE VIII**CURRENT LIABILITIES**

	Amount As At 31/03/2011	Rs. in Lacs Amount As At 31/03/2010
Fees Received in Advance		
Examination Fees	2269.18	2044.98
Journal Subscription	20.26	29.24
Membership Fee	466.23	669.49
Education Fee	7648.02	6338.36
Post Qualification Courses (PQC)	115.20	114.50
Certificate Courses	5.75	11.75
Seminar Fees & Other Collections	845.40	956.18
	11370.04	10164.50
Creditors for Expenses	4609.84	5097.37
Other Liabilities	948.62	990.37
Total	16928.50	16252.24

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE IX****FEES**

	Amount Year ended 31/03/2011	Rs. in Lacs Amount Year ended 31/03/2010
Education	22497.08	20933.31
Examination	6659.06	6269.88
Membership	3272.40	3126.23
Students' Registration	388.88	181.23
Entrance	34.22	34.59
Students' Association	238.89	126.74
Post Qualification Courses (PQC)	221.50	219.24
Certificate Courses	758.43	752.34
Total	36070.46	31643.56

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE X

OTHER INCOME

	Amount Year ended 31/03/2011	Rs. in Lacs Amount Year ended 31/03/2010
Publications	1014.32	750.99
Interest on Investments	1904.06	1203.80
Students' Newsletter	2.11	1.59
Journal -- Subscription	149.72	143.43
News Letters (Regional Councils and Branches)	66.99	51.20
Campus Interview (Net of Direct Expenses)	518.25	160.82
Expert Advisory Fee	3.25	11.99
Interest on Staff Loans	18.66	15.75
Others	224.65	240.34
Total	3902.01	2579.91

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XI

OTHER OPERATING EXPENSES

	Amount Year ended 31/03/2011	Rs. in Lacs Amount Year ended 31/03/2010
Postage ,Telephone & Telegrams	1548.60	1221.43
Rent, Rates & Taxes	1183.15	864.25
Traveling & Conveyance-Inland	1181.88	1069.43
Overseas Relations:		
-Traveling	213.53	129.19
-Membership Fee of Foreign Professional Bodies	61.28	60.14
-Other Expenses	38.77	23.66
Repairs & Maintenance	914.17	651.96
Publications	520.96	342.48
Fees & Expenses to Examiners,Consultants and Others	3823.24	3169.80
Class Room Training Expenses	1797.20	1792.96
Advertisements and Publicity	254.18	275.66
Office Meeting Expenses.	42.31	76.91
Merit Scholarship	46.99	37.98
<u>Audit Fee</u>		
- Head Office	4.14	4.14
- Other Offices	14.80	11.76
Other Expenses	452.67	783.26
Total	12097.87	10515.01

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE XII****STATEMENT ON SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES.****I ACCOUNTING CONVENTION**

These accounts are drawn up on historical cost basis and have been prepared in accordance with the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and are on accrual basis unless otherwise stated.

II REVENUE RECOGNITION**a. Membership Fee:-**

- (i) The Entrance Fee is collected at the time of admission of a person as a member and one third thereof is recognized as income in that year.
- (ii) Annual Membership and Certificate of Practice Fee(s) are recognized in the year as and when these become due.

b. Distant Education and Post Qualification Course Fee are recognized over the duration of the course.

c. Examination Fee is recognized on the basis of conduct of examination.

d. Subscription for Journal is recognized in the year as and when it becomes due.

e. Revenue from Sale of Publication is recognized at the time of preparing the sale bill i.e. when the property in goods as well as the significant risks and rewards of the property get transferred to the buyer.

f. Income on Interest bearing securities and fixed deposits is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

III ALLOCATIONS/TRANSFER TO RESERVES & SURPLUS & EARMARKED FUNDS

a. Admission Fee from Fellow Members and 2/3rd portion of the Entrance Fee from persons admitted as Members is taken to Infrastructure Reserve.

b. Donations received during the year for buildings and for Research purpose are accounted for directly under the respective Reserves Account.

c. 25% of the Distant Education Fee not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education fund.

- d. 0.75% of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) received from the members during the year is allocated to the Employees' Benevolent Fund.
- e. Transfer to Education Reserve from the following earmarked funds:-
 - i. From Accounting Research Building fund 100% of the cost of additions (net of deductions) to Building relating to Accounting Research Building Fund.
 - ii. From Education Fund 50% of the cost of additions net of deductions) to other Fixed Assets
- f. Income from investments of Earmarked Funds is allocated directly to Earmarked Funds on opening balances of the respective Earmarked Funds on the basis of Weighted Average Method.

IV **FIXED ASSETS/DEPRECIATION AND AMORTISATION**

- a. Fixed Assets excluding land are stated at historical cost less depreciation.
- b. Free hold land is stated at cost. Leasehold land is stated at the amount of premium paid for acquiring the lease rights. The premium so paid is amortized over the period of the lease.
- c. Depreciation is provided on the written down value method at the following rates as approved by the Council, based on the useful life of the respective assets :

Buildings	5%
Air conditioners & Office Equipments	15%
Lifts, Electrical Installations & Furniture & Fixtures	10%
Vehicles	20%
Computers	60%
- d. Depreciation on additions is provided on monthly pro-rata basis.
- e. Library Books are depreciated at the rate of 100% in the year of purchase.
- f. Intangible Assets (Software) are amortized equally over a period of three years.

V **INVESTMENTS**

- a. Long term Investments are carried at cost and diminution in value, other than temporary, is provided for.
- b. Current investments are carried at lower of cost or fair value.

VI **INVENTORIES**

Inventories of paper, consumables, publications and study material are valued at lower of cost or net realizable value. The cost is determined on FIFO Method.

VII FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- a. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount at the exchange rate prevailing on the date of transaction.
- b. All incomes and expenses are translated at average rate. All monetary assets/liabilities are translated at the year end rates where as non-monetary assets are carried at the rate on the date of transaction.
- c. Any income or expense on account of exchange rate difference is recognized in the Income and Expenditure Account.

VIII EMPLOYEE BENEFITS

- a. Short term employee benefits are charged off in the year in which the related service is rendered.
- b. Post employment and other long term employee benefits are charged off in the year in which the employee has rendered services. The amount charged off is recognized at the present value of the amounts payable determined on the basis of actuarial valuation. The Actuarial valuation is done as per Projected Unit Credit Method. Actuarial gain and losses in respect of post employment and other long term benefits are charged to Income & Expenditure Account and are not deferred.
- c. Retirement benefits in the form of Provident Fund are a defined contribution scheme and the contribution to the Provident Fund Trust is charged to the Income and Expenditure Account for the period when the contribution to the respective fund is due.

IX IMPAIRMENT OF ASSETS

- a. The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is higher of asset's net selling price and value in use. In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value at the weighted cost of capital.
- b. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the assets over its remaining useful life.

X PROVISIONS

A provision is recognized when an enterprise has a present obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimates required to settle the obligations at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XIII

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS:

	(Rs. In Lakhs)	
	2010-11	2009-10
i) Claims against the ICAI not acknowledged as debt	642.07	642.07
ii) Capital Commitments (net of advances)	3977.80	3943.50

2. OTHER NOTES

- 2.1 a) The Institute is registered under section 12A of the Income Tax Act, 1961 and eligible for exemption of income under section 11. CIT (A) has granted benefit of section 11 for financial years 2005-06 and 2006-07, which was denied by Assessing Officer in Assessment proceedings. Further, benefit of section 11 has been granted in Assessment proceedings for financial year 2007-08. Income Tax Department has filed appeal before ITAT for financial year 2005-06 and 2006-07 against CIT (A) order, which is pending for disposal. The demand paid / refund adjusted has been refunded to the Institute.
- b) The writ petition filed before Delhi High Court for restoring exemption under section 10 (23C) (iv) of Income Tax Act from financial year 2008-09 is pending for disposal.
- 2.2 A sum of Rs. 250 per student, registered with effect from 1st April, 2009, being portion of student's association fee, is remitted to Chartered Accountants Students Benevolent Fund.
- 2.3 Leasehold land includes Rs. 6.17 Lakhs relating to the land in I. P. Estate, Delhi adjacent to existing H.O. plot, allotted by Land and Development Authority, for which Memorandum of Agreement and Lease Deed execution is in progress.
- 2.4 The disclosures required under Accounting Standards -15 (Revised) on "Employee Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India are given below:-

Defined Contribution Plan

Contribution to defined contribution plan, recognized i.e. Employer's Contribution to Provident Fund is charged off for the year.

Defined Benefit Plan

The Employees Gratuity Fund Scheme managed by the Life Insurance Corporation of India is a defined Benefit Plan. The Present Value of Obligation is determined on Actuarial Valuation using the Projected Unit Credit Method to build up the final obligation. The obligation for Leave Encashment and Pension is also recognized on the same basis as Gratuity.

Status of Defined Benefit Plan

Status of the defined benefit plan as required by Revised Accounting Standards -15 is as follows:

Rs. in Lakhs

	Gratuity		Leave Encashment		Pension	
	(Funded)		(Un-Funded)		(Un-Funded)	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit obligation						
Defined Benefit obligation at beginning of the year	771.82	742.15	1039.26	936.14	1163.65	1224.76
Current Service Cost	97.63	75.89	157.98	162.23		
Interest Cost	60.81	59.89	81.68	75.12	95.91	100.94
Actuarial (gain)/loss	720.49	(73.52)	606.06	(82.91)	(27.37)	(159.44)
Benefits paid	(69.36)	(32.48)	(98.36)	(51.31)	(2.11)	(2.60)
Defined Benefits obligation at year end	1581.39	771.82	1786.62	1039.26	1230.08	1163.65
Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets						
Fair value of plan assets at beginning of the year	875.73	675.35				
Expected return on plan assets	80.89	68.87				
Actuarial gain/(loss)	0.11	1.22				
Employer contribution	-	160.99				
Benefits paid	(11.96)	(30.70)				
Fair value of plan assets at year end	944.77	875.73				
Reconciliation of fair value of assets and obligations						
Fair value of plan assets as at 31 st March, 2011	944.77	875.73				
Present value of obligation as at 31 st March, 2011-Long Term	1581.39	771.82	1786.62	1039.26	1230.08	1163.65
Present value of obligation as at 31 st March, 2011-Short Term		-	124.92	80.57		-
Amount recognized in Balance Sheet as at 31 st March, 2011	636.62	(103.90)	1911.54	1119.83	1230.08	1163.65

Expenses recognized during the year						
Current Service Cost	97.62	75.79	157.98	162.22		-
Interest Cost	60.81	59.89	81.68	75.12	95.91	100.94
Expected return on plan assets	(80.88)	(68.87)		-		
Actuarial (gain)/loss	720.37	(74.74)	606.06	(82.91)	(27.37)	(159.44)
Short term liability		-	124.92	80.57		-
Net Cost	797.92	(7.93)	970.64	235.00	68.54	(58.50)
Actuarial assumptions						
Mortality Table	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate	LIC 1994-96 Ultimate
Attrition Rate	05.00% p.a	05.00% p.a	05.00% p.a	05.00% p.a	05.00% p.a	05.00% p.a
Imputed Rate of Interest	08.25 % p.a	08.25 % p.a	08.25 % p.a	08.25 % p.a	08.25 % p.a	08.25 % p.a
Salary Rise	Basic:03:00 % p.a & D.A.: 06:00 % p.a	Basic:03:00 % p.a & D.A.: 06:00 % p.a	Basic:03:00 % p.a & D.A.: 06:00 % p.a	Basic:03:00 % p.a & D.A.: 06:00 % p.a	Basic:03:00 % p.a & D.A.: 06:00 % p.a	Basic:03:00 % p.a & D.A.: 06:00 % p.a
Return on Plan Assets	09.30 % p.a	09.30 % p.a				
Average Remaining Working life	18.17 Years	17.94 Years	18.17 Years	17.94 Years	18.17 Years	17.94 Years
Investment Details	100% invested in LIC	100% invested in LIC	1911.54*	1119.83*	1230.08*	1163.55*

* Investments are maintained by the Institute.

- 2.5 Campus Interview Income has been shown as net of directly attributable expenses and common expenses have been debited in the respective heads of expenditure.
- 2.6 Only directly attributable expenses on the activities of Publications and Seminars have been charged to these heads of expenditure respectively and indirect expenditure on these activities is charged to functional heads of expenditure.
- 2.7 Prior period Income includes the following:-

	Rs. In Lakhs	
	2010-11	2009-10
Seminar Income	-----	22.78
Others	9.52	30.89
Total	9.52	53.67

Prior period expenses include the following:-

Printing & Stationery	-----	0.82
Examination Expenses	0.07	7.04
Repairs & Maintenance	0.20	2.05
Traveling & Conveyance	-----	12.06
Salary & Allowances	-----	0.51
Professional Services	-----	6.80
Rent, Rates and Taxes	1.05	-----
Others	46.49	42.52
Total	<u>47.81</u>	<u>71.80</u>

- 2.8 The Institute operates predominantly in India and in one segment i.e. furtherance of the profession of Chartered Accountancy.
- 2.9 Previous year figures have been re-grouped and re-classified wherever considered necessary to make it comparable with those of current year.

T. KARTHIKEYAN, Secy.

[ADVT III/4/104/11/Exty.]

